

तलाश-ए-हक़



लेखक
मसऊद अहमद वी-एस-सी

अल किताब इंटरनेशनल
मुरादी रोड बटला हाउस जामिया नगर
नई दिल्ली-25

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

तलाशो हक्

हक् को तलाश करने वाले की दास्तान जिसे
पढ़ने से हक् की राह आसान हो जाती है

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल
मुरादी रोड, बटला हाउस,
जामिया नगर, नई दिल्ली-25
फ़ोन— 26986973.

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

नाम पुस्तक	:	तलाशे हक
लेखक	:	मौलाना मसऊद अहमद बी. एस. सी.
पृष्ठ संख्या	:	240
प्रकाशन	:	अक्टूबर 2008
संख्या	:	1000
मुल्य	:	90
प्रकाशक	:	अल किताब इन्टर नेशनल

-मिलने का पता-

अल किताब इन्टर नेशनल

**मुरादी रोड, बटला हाउस,
जामिया नगर, नई दिल्ली-25**

9312508762, 9310108762, 9310008762

विषय सूची

○ भूमिका	7
○ जनाब नवाब मुहियुद्दीन का पत्र	12
○ हन्फी मजहब के सुन्नत के खिलाफ़ मसाइल	19
○ इमाम अबु हनीफ़ा रहो और जमा अहादीस	31
○ इमाम अबु हनीफ़ा रहो और उनसे संबंधित मसाइल	32
○ शराब का मसला	34
○ इमामों की फ़ज़ीलत तक्लीद की पाबन्द नहीं	36
○ फ़कीहों का अनुसरण	37
○ क्या इमाम अबु हनीफ़ा रहो ही हदीस का सही मतलब समझे ।	38
○ तक्लीद और शरीअत साज़ी	39
○ सहीह बुख़ारी की हदीस को मानना इमाम बुख़ारी रहो का अनुसरण नहीं	41
○ सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम की सेहत पर उम्मत की सहमति	42
○ जाहिल का आलिम से सवाल करना तक्लीद नहीं	46
○ मात्र वहम व गुमान से हदीस को नहीं छोड़ा जा सकता	42
○ सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम की सेहत पर इमामों की सहमति	47

○ कुछ भ्रम	90
○ रफा यदैन फर्ज है	97
○ नमाज़ के अरकान में फर्ज व सुन्नत का फर्क	100
○ अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियो की हदीस की लिपि असुरक्षित है	//
○ इमाम हक़ पर थे लेकिन मानने वाले हक़ पर नहीं	108
○ मुज्तहिदीन ख़ता से पाक नहीं हैं	109
○ फिकह हन्फी के गन्दे मसाइल और इमाम अबु हनीफ़ा रहो की अलहदगी	111
○ बर्जुंगों की ग़लतियां	114
○ मौलवी अशरफ़ अली थानवी साहब रहो की किताबों की हैसियत	115
○ इमाम ग़ज़ाली रहो की किताबें	//
○ अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियो को शुरू इस्लाम की नमाज़ याद रही	116
○ क्या शाह वलीउल्लाह साहब रहो तक़लीद के समर्थक थे?	129
○ क्या मुक़लिलद के पीछे में नमाज़ हो सकती है	130
○ शाह वलीउल्लाह रहो की लेखनी से तक़लीद का तोड़	146
○ बड़ी जमाअत का अनुसरण करो, का सही मतलब	147
○ बड़ी जमाअत का अनुसरण और इल्ज़ामी जवाबात	149
○ अहले हदीस कोई सम्प्रदाय नहीं है	154
○ करामत वलायत का स्तर नहीं	//

○	बहुत से कलिमा पढ़ने वाले भी मुश्यिक होते हैं	170
○	मुक़लिलद मुहकिक़क नहीं हो सकता	172
○	तक़लीद की परिभाषा	//
○	फ़िक़ह की परिभाषा	173
○	बहुत से अहले हदीस उलमा को मुक़लिलदीन ने मुक़लिल्द मशहूर कर दिया है	174
○	तक़लीद क्यों नहीं छूटती	177
○	इमाम अबु हनीफ़ा रह0 की जमा करदा अहादीस कहाँ गई?	178
○	राय और फ़तवे बाज़ी की निंदा	181
○	हक़ वाले थोड़े होते हैं	190
○	सुफ़ी वाद और वज़ीफ़े	191
○	बैअत की हकीकत	194
○	अहले हदीस ध्यान दें	195
○	सही हदीसों में कोई फ़र्क़ नहीं, हर सहीह हदीस क़ाबिले अमल है	207
○	विभिन्न सवालात और उन के जवाबात	//
○	रफ़अ यदैन न करने की अहादीस और उनके जवाबात	220
○	विभिन्न सवालात के जवाबात	221
○	तक़लीद	227
○	ज़ियारते नब्बी स0	228
○	रफ़अ यदैन	230
○	फ़ातिहा ख़त्फुल इमाम	231

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

भूमिका

सत्यद मसऊद अहमद साहब एक प्रमुख इल्मी व्यक्ति हैं, मुद्दतों असलाफ परस्ती और तक्लीद के अंधेरे माहौल में रहने के बाद दीन के मामलों में अल्लाह की प्रदान की गयी सलाहियतों से सहीह तहकीक के बाद जो सही रास्ता अपनाया है उस को हज़रत मुहम्मद मुस्तुफा स0 ने निर्धारित फरमाया था।

और यही मज़हब हज़रत इमाम अबु हनीफा रह0 का था कि اذ
صَحُّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبٌ

इस किताब “तलाशे हक़” में वह पत्र—व्यवहार है जो मुद्दतों मौलवी नवाब मुहियुद्दिन साहब (जिन को अपने हन्फी होने पर बड़ा गर्व था) और मोहतरम सत्यद मसऊद अहमद साहब बी. एस. सी. के बीच तक्लीद शख्सी और अन्य बहुत से विवादित मसाइल पर होता रहा है। जिस में मौलवी नवाब मुहियुद्दिन साहब के सख्त और उत्तेजित सवालों के जवाब में सत्यद मसऊद अहमद साहब ने जो जवान इस्तेमाल की है वह सख्त कलामी और तन्ज़ से बिल्कुल पाक है और शैली सादा समझ में आने के साथ साथ अपने अन्दर माकूलियत और स्वर समस्त संजीदगी लिए हुए हैं और मौलवी नवाब मुहियुद्दिन साहब के सवालों के जवाब अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में पक्की दलीलों की रोशनी में अच्छे अन्दाज़ में दिए गए हैं। अतएव उस से प्रभावित होकर नवाब मुहियुद्दिन साहब ने मुद्दतों

पत्र-व्यवहार के बाद अपने अहले हृदीस होने का ऐलान कर दिया |--- असल बात तो यह है कि इस किताब को पढ़ कर हर हक के प्यासे को कहना पड़ता है कि उस में मिल्लत के हर व्यक्ति के लिए दिल को छू लेने वाली बातें पेश की गई हैं ।

अब्दुस्सलाम खां बरेलवी

प्रकाशक की ओर से

ما اہل حدیث و فرقہ آن است امام ما
باقول نبی چون و چرا را نشناہیم

हम अहले हदीस हैं और कुरआन हमारा इमाम हैं।

नबी करीम س0 की करनी व कथनी के मुकाबले में हम किसी की करनी व कथनी को नहीं जानते।

आज से लगभग तेरह चौदह बरस पहले “तलाशे हक्” पहली बार छापी गई थी। तलाशे हक् को अकसर लोगों ने बहुत पसंद किया, नतीजा यह हुआ कि उस का पहला एडीशन जल्द ही खत्म हो गया लेकिन इस की मांग बराबर रही, अतः हम ने इस किताब को छापने का इरादा किया। इस की तैयारी काफी समय से चल रही थी लेकिन कुछ मजबूरियों और संशोधन की वजह से बहुत देरी हो गई।

अहले हदीस हमारा व्यक्तिगत नाम नहीं है बल्कि सिफाती नाम है, हम ने अकवालुर्जाल को छोड़ा, अकवाले फुकहा से मुंह मोड़ा, क्यास व राय से दामन बचाया और हदीस नबवी सल्ल0 को थाम लिया, हर मसला में हदीस नबवी सल्ल0 को वरीयता दी और हदीस ही का प्रचार किया हदीस ही अपना ओढ़ना और बिछौना बनाया, इस लिए हमारी निर्खत हदीस ही की तरफ हो गई, और याद रखिए कि हदीस और सुन्नत एक ही चीज़ हैं, जब आप शिया के मुकाबले में अहले सुन्नत कहलाना पसंद करते हैं तो अहले हदीस कहलाने

से क्यों नफरत है? हर मुसलमान अहले हदीस होता है और हर अहले हदीस मुसलमान होता है अर्थात् मुसलमान और अहले हदीस एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, जो मुसलमान होगा वह ज़रूर अहले हदीस होगा और जो अहले हदीस होगा निश्चय ही मुसलमान होगा। कोई मुसलमान हदीसे रसूल स0 को माने बिना मुसलमान नहीं बन सकता, इस लिए अहले हदीस कहलाना किसी सम्प्रदाय में आने का विकल्प नहीं है बल्कि यह मुसलमानों ही की उस असल जमाअत का ग्रणात्मक नाम है जो दूसरों के कथन क्यास और राय पर हदीस नबवी सल्ल0 को वरीयता देती है। याद रहे अहले हदीस के तीन ग्रणात्मक नाम और भी हैं जो अहले हदीस के अकीदों और विचारों को फैलाने का कारण हैं, वे यह हैं "اَهْلُ الْاَثْرِ" "السلفي" "اصحاب الحديث" (देखिए फ़ज़ाइले अहले हदीस पर किताब "शाफ़ असहाबुल हदीस" लेखक अल्लामा इमाम ख़तीब रह0 मुहदिस बग़दादी)

सैंकड़ों ऐसे लोग हैं जिन के जाती नाम कुछ और हैं मगर वह सिफाती नाम ही से ज्यादा मशहूर हैं या पुकारे जाते हैं और लोग उन का अस्ल जाती नाम लेने की बजाए अबु बकर रज़ि0, अबु हुरैरह रज़ि0, सैफुल्लाह रज़ि0, अबु उबैदा रज़ि0 कह कर पुकारते हैं। और आप उसे बुरा नहीं समझे मगर अहले हदीस का यह सिफाती नाम आप को बहुत बुरा गुज़रता है। आखिर इस की वजह क्या है? कुछ तो स्वयं भी ठंडे दिल से सोचो और कुछ अपनी जगह भी इंसाफ़ से काम लो कि तुम क्या कहते हो और क्या करते हो?

अतः आओ! अगर सब मुसलमानों को एक पलेट फार्म पर लाना है तो उन्हें एक ही झंडे तले जमा करने की कोशिश करो और वह झंडा वही है जो अहले हदीस पेश कर रहे हैं और वह झंडा

मुहम्मद रसूल स0 का झंडा है। दुआ है कि अल्लाह तआला हमें इस का सौभाग्य प्रदान करे और हम बुराइयां और दुर्भावनाएं छोड़ कर एक दूसरे को करीब होकर देखने की कोशिश करने लगें और आपसी मुहब्बत, मरव्वत और भाइचारे से ज़िन्दगी बसर करने लगें।

”وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسٌ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ“
जिन्होंने हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया। अल्लाह तआला उन को भलाई प्रदान करे और हम सब को दीनी और संसारिक सफलता से सुशोभित करे।

प्रकाशक

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मुझे यह मालूम होकर बड़ी खुशी हुई है कि मेरे और जनाब सय्यद मसज़द अहमद साहब बी. एस. सी. के बीच जो पत्र—व्यवहार हुआ है, जमाअत अहले हदीस उस को छाप रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरा यह पत्र भी उस में छाप दिया जाए।

पाठकों से विनती है कि वे इन पत्रों को खुले ज़ेहन बड़े ध्यान और गौर से पढ़ें। फिर आप को मालूम हो जाएगा कि जनाब सय्यद मसज़द अहमद साहब के तर्क कितना ठोस और वज़नी हैं। और अक़ल की कसौटी पर भी पूरे पूरे उत्तरते हैं और दिल में उत्तरते चले जाते हैं। मेरे प्रांरभिक पत्रों से आप को अन्दाज़ा होगा कि मैं अपने अकीदे और मसलके हनफी पर कितनी सख्ती से पाबंद था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि मुझे यक़ीन था कि जो कुछ उलमा—ए—अहनाफ़ कहते हैं वही हक़ है, मेरी नज़र में हनफी मसलक दूसरे सारे मसलकों से उच्च श्रेष्ठ और अच्छा था और इस के बाहर जो कुछ था वह ग़लत था। इसी लिए इब्तिदा ही से हनफी मसलक की किताबें मेरे मुताला में रहीं। इस दौर में मैं दिन रात हनफी उलमा की संगत में रहा करता था, मौलवी इलयास साहब की तब्लीगी जमाअत में बड़ी लगन से हिस्सा लिया करता। ताल्लुक़ा सजावल जिला ठड़ा के मदरसा दारूल फुयूज़ हाशिमिया में जो उस्ताद उस समय थे, उन से हनफी मसलक की मालूमात हासिल करता। उलमा—ए—अहनाफ़ की कुतुबे तफ़ासीर, फ़िक़ह और सीरत आदि बड़ी लगन व रुची से पढ़ा करता था कितने पुराने विचार थे मेरे, कि मैं यह ईमान रखता था कि जो कुछ हमारे उलमा अहनाफ़ कहते हैं।

बस वही हक है, यहां मुझे कुरआन शरीफ की यह आयत याद आती है जिस में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि यहूदी व ईसाइयों ने अपने उलमा को अपना रब बना रखा है।

اتخذوا اصحابهم ورہبانہم ارباباً من دون اللہ

मैंने भी कुरआन व हदीस का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि मुझे उलमा—ए— अहनाफ़ ने डराया था, कि कुरआन व हदीस बहुत मुश्किल किताबें हैं, कांटों से भरी वादी की तरह हैं इस लिए उन को न पढ़ो, वरना भटक जाओगे, इस लिए मेरी हमेशा कोशिश रही कि हर मसला में उलमा—ए— अहनाफ़ के फतवों पर अमल करूँ। बस यही इस्लाम है और यही असल दीन है। अतएव मुझे अपने हन्फी होने पर बड़ा गर्व था, मैं एक पीर साहब का भुरीद भी हो गया था और उन से बेअंत करने के बाद मैं अपने आप को सूफी तसव्वुर किया करता था, जिक्र व अज़कार, वज़ीफा वज़ाइफ और औराद आदि जो हन्फी मज़हब में प्रचलित हैं, उन पर सख्ती से पाबन्द था खूब सर पटक पटक कर ज़रबें लगाई, मुराक़बे किए और समझता रहा कि नस अब यह हुआ और वह हुआ, मेरे दिन और रात इसी तरह बसर हुआ करते थे कि एक दिन मेरे एक दोस्त जनाब डाक्टर अलीमुद्दीन साहब ने जो हमारे साथ तब्लीगी जमाअत में शरीक रहते थे, मुझ से कहा कि उन का लड़का अपना दीन (हन्�फी मसलक) छोड़ कर अहले हदीस हो गया है जिस की वजह से सारे ख़ानदान में बेचैनी पैदा हो गई है। ख़ानदान के दूसरे लोग भी इस बात से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि उन के हमराह कराची चलूँ और उन के बहनोई जनाब मसऊद साहब से जो इस तहरीक को हवा दे रहे हैं, वाद विवाद करके उन लोगों को समझाऊं ताकि वह फिर हंफ़ियत में वापस आ जाएँ। अतएव मैं इस

काम के लिए तय्यार हो गया। क्योंकि मेरे नज़दीक उस वक्त हफ़ियत ही सच्चा दीन था। मैंने इस बात का उल्लेख अपने उस्ताद मौलवी नूर मुहम्मद साहब सदर मदरसा हाशमिया सजावल से किया तो उन्होंने मेरे जाने का विरोध किया और कहा कि तुम जाओगे तो अपना ईमान भी खो दोगे क्योंकि वे लोग ज़िद्दी हैं, हरगिज़ तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उस्ताद साहब ने यह भी फ़रमाया कि वह स्वयं एक बार उन लोगों के पास गए थे, मगर वह न माने। अतः मुझे मना कर दिया बिल्कुल न जाओ मगर मुझे कुछ ऐसा जोश पैदा हुआ कि बयान नहीं किया जा सकता। मैंने फ़ैसला किया कि मैं ज़रूर जाकर गमराहों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। अतएव मैं अपने दोस्त अलीमुद्दीन साहब के हमराह कराची चला गया। उन लोगों से मुलाकात हुई। बात चीत के लिए असर के बाद का समय तय हुआ। अतएव बाद नमाज़ असर जनाब मसऊद साहब के घर पर महफ़िल जमी सवाल व जवाब शुरू हुए। थोड़ी ही देर बाद मैं ने महसूस कर लिया कि मेरे पास सिवाए तक़लीदी इल्म के और कुछ नहीं है। इधर जनाब मसऊद साहब के पास कुरआन व हदीस का एक समन्द्र है जनाब मसऊद साहब कुरआन मजीद की आयत पढ़ते, हदीस रसूल सल्ल0 पढ़ कर जवाब तलब करते कि फ़लां मसला में अल्लाह तआला का और उस के रसूल का यह हुक्म और इर्शाद है लेकिन आप का हन्फी मसलक इस के खिलाफ हुक्म देता है। मैं जवाब में फ़िक्ह की कुतुब का हवाला देता, हिदाया शरीफ, दुर्ग मुख़तार, फतावा आलमगीरी, बहिशती जेवर आदि से फतवे पेश करता इधर कुरआन शरीफ की आयतें, बुख़ारी मुस्लिम की हदीसें अबु दाऊद, मोत्ता इमाम मालिक रह0, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा रह0 जैसी कुतुब से अहकाम रसूल स0 पेश किए जाने लगे।

मैं इन किताबों को देख कर घबरा गया। क्योंकि हन्फी उलमा ने मुझ से फरमाया था कि कुरआन व हदीस कांटों भरी वादी की मिसाल हैं। उन को बिल्कुल न पढ़ना, इस लिए मैंने कभी उन किताबों को देखने और पढ़ने की तकलीफ़ गवारा नहीं की थी। केवल नाम सुन रखे थे। आप अन्दाज़ा फरमाएं कि उस समय मेरी क्या हालत हुई होगी, मैं हैरान था, बग़लें झाँक रहा था, दिल में एक जोश था कि किसी तरह हन्फी मज़हब को उस समय कर दिखाऊं कि उन की यह सारी दलीलें ग़लत साबित हो जाएं, मुझे हैरत हो रही थी कि हमारे उलमा—ए—अहनाफ़ अपने उपदेशों और तक़रीरों में, कुतुब और तफ़सीरों में तो हमेशा यह कहा करते हैं कि कुरआन के बाद इस ज़मीन पर बुख़ारी शरीफ़ सब से ज़्यादा सहीह किताब है।

मगर आज उस बुख़ारी व मुस्लिम शरीफ़ से हन्फी मज़हब चौपट हो रहा है क्या किया जाए? किस तरह हंफियत को साबित किया जाए? मैं दिल में ताव खाने लगा, मगर मेरा तक़लीदी इल्म कुरआन व हदीस का मुकाबला न कर सका। मैं ख़ामोश हो गया, जैसे मुझ पर सकता हो गया। मेरे मुख़ातब जनाब मसऊद साहब का अन्दाज़े गुफ्तगू बड़ा मीठा और नर्म था, दौराने मुबाहसा मैंने उन के चेहरे पर सिवाए मुस्कुराहट और नर्मी के कुछ न देखा। उन की बात चीत भी बड़ी आलिमाना थी, एक एक मसले के लिए वह कई कई आयतें और हदीसें पेश करते जाते थे। और मेरे पास उन के जवाब में एक भी हदीस नहीं थी। लेकिन मैंने शिकर्त तसलीम नहीं की।

मैंने उन से कहा कि आप कुछ अपने सवालात लिख दें। मैं बड़े बड़े उलमा—ए—अहनाफ़ से मालूम करके आप को सुबूत दूंगा क्योंकि मुझे यह यकीन था कि हमारा यह मज़हब हन्फी मसलक कोई खिलौना तो है नहीं, कि उन की बातों से टूट जाएगा। सैकड़ों साल

से यह मसलक चला आ रहा है, हमारी पुश्तहा पुश्त हन्फी मसलक की दिलदादह थी। आज जिधर देखिए हन्फी ही हन्फी नज़र आते हैं। हन्फी मज़हब किस क़दर दीने इस्लाम की ख़िदमत कर रहा है, यह उस के अमल से ज़ाहिर है। जिधर देखिए हमारी ही मस्जिदें आबाद हैं, मदारिस इस्लामिया सब हन्फियों के हैं। क्या यह सब बिला दलील ही अपना शीश महल बनाए हुए हैं? जिस को यह हज़रत मसऊद साहब आज गिराने की नाकाम कोशिश में मसरुफ हैं। बस मेरा यह जोश था जिस की वजह से मैंने उन से सवालात तलब किए मसऊद साहब ने बड़ी फराख़ दिली से सवालात लिख दिए।

पाठको! मेरी हैरत की इन्तिहा न रही जब ये सवालात ले कर मैं अपने उलमा—ए—किराम की ख़िदमत में पहुंचा और उन के जवाब तलब किए तो किसी ने भी इन सवालों के जवाब न दिए। किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। मैं हैरान था कि ऐ अल्लाह यह क्या तमाशा है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों अहनाफ़ टाल मटोल कर रहे हैं? कुछ उलमा ने मुझे डांटा, धमकाया, कि मालूम होता है कि तुम गैर मुक़लिद हो गए हो और बेकार हम को परेशान करने आए हो, किसी ने कहा कि नवाब साहब तुम गैर मुक़लिदों के सवालों के जवाब में ख़ामोशी अखिलयार करो तो वह तुम्हारा पीछा थक हार कर छोड़ देंगे। किसी ने कहा कि ये नजदी लोग हैं। जिन से बात करना सख्त मना है। और मैं यह सोचता कि जब हमारा मज़हब हन्फी सच्चा है तो फिर क्यों हम ख़ामोश रहें? क्यों किसी एतेराज़ करने वाले से भागें? हमारा तो काम यह है कि हम उन को काइल करके गुमराही से बचाएं।

जब हमारे उलमा—ए—किराम भी अपने उपदेशों में रसूल ﷺ के अनुसरण पर ज़ोर देते हैं इसी को ज़रिया निजात मानते

हैं फिर क्या वजह है कि उन के और हमारे बीच इतनी बड़ी खाई खड़ी हो गई? क्यां आज यह हंफी उलमा उन को छोड़ कर भाग रहे हैं। क्यों दलील की बजाए तावील से काम लेते हैं। एक तरफ सहीह बुखारी को कुरआन के बाद सेहत का दर्जा देते हैं, और अमल के मैदान में उस को छोड़ कर भाग जाते हैं। उपदेशों में हीसें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। लेकिन अमली मैदान में उस को छोड़ कर अलग हो जाते हैं। एक तरफ इन्कारे हीस करने वाले को काफिर का फ़तवा देते हैं, और दूसरी तरफ खुद अफ़ज़्लियत और गैर अफ़ज़्लियत का सवाल पैदा करके इन्कारे हीस करते हुए ज़रा नहीं डरते अगर बुखारी शरीफ ग़लत है तो साफ़ साफ़ क्यों नहीं इस का ऐलान कर देते? अतः यही सवाल मेरे दिमाग़ में चक्कर काटते रहते।

एक हंफी आलिम ने मुझ से कहा तो यह कहा कि मियां नवाब साहब तुम ने बाकायदा अरबी उलूम हासिल नहीं किए, पंद्रह साल का पाठ्य क्रम पूरा करो, तब कहीं तुम तक़लीद शख्सी को हक़ समझ पाओगे, और हमारी तरह बहस करने लगोगे, यह अरबी उलूम हैं, उन में ज़ेर, ज़बर और पेश का फ़र्क है, आदि आदि और मैं सोचता कि तक़लीद शख्सी को भला ज़ेर, ज़बर, पेश से क्या निस्बत हो सकती है क्यों यह दस्तार बन्द लोग मख़्लूक़े खुदा को कुरआन व हीस से दूर कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मैं क़यामत के दिन एक एक बन्दे से कुरआन का हिसाब लूँगा। और ये लोग कुरआन व हीस को कांटों से भरी वादी बतला रहे हैं। बस उन की इसी चीज़ ने मुझे तहकीक पर आमादा कर दिया।

फिर मैंने हीस की किताबों का अध्ययन शुरू कर दिया, इस तरह मैंने दो साल तक तहकीक की। हंफी उलमा से मिलता और उन से बहसें करता तो वे लोग नाराज़ हो जाते कुछ हंफी लोगों ने

अपने शर्गिदों को मना कर दिया कि नवाब गैर मुक़लिलद हो गया है, इस से मिलना छोड़ दो। अतएव वह मुझ से नफरत करने लगे। इधर जनाब मसऊद साहब से मेरा पत्र व्यवहार जारी था मैं अपने सन्देह लिख लिख कर उन को भेजता और वह बाकायदा तकों से जवाब देते बस यही पत्र व्यवहार है जो उस समय आप के हाथों में है। जिस के अध्ययन से आप पर रौशन होगा कि अल्लाह ने जनाब मसऊद साहब के ज़रिए किस तरह मुझ पर हक् स्पष्ट फ़रमाया और मुझे सीधा रास्ता दिखाया।

मैं जनाब मसऊद साहब का यह एहसान कभी न भूलूँगा कि उन की सहीह तब्लीग से मैंने सिराते मुस्तकीम को पा लिया। आखिर में मैं जमाअत अहले हदीस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरे पत्र व्यवहार छाप कर बड़ा अच्छा काम अंजाम दिया और मैं अपने उपकारी डाक्टर नईमुद्दीन साहब को कभी न भूलूँगा कि यही वह डाक्टर साहब हैं जिन की इस्लाह के लिए मुझे मेरे प्यारे दोस्त अलीमुद्दीन साहब कराची ले गए थे। दर अस्ल यह मेरे लिए रुहानी डाक्टर साबित हुए हैं क्योंकि मैं उनकी इस्लाह के लिए गया था जहां मेरी ही अल्लाह तआला ने इस्लाह फ़रमा दी मेरी दुआ है कि अल्लाह तआला हर भूले हुए को सीधी राह दिखलाएँ और कुरआन व हदीस के मुताबिक् अमल करने का सौभाग्य प्रदान कर दें। **اللَّهُمَّ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.**

खाकसार

नवाब मुहियुद्दीन

हेड मास्टर मिडिल स्कूल, गुलामुल्लाह, ज़िला ठट्ठा

नोट: 17- अगस्त 1985 ई0 को नवाब मुहियुद्दीन साहब का देहान्त हो गया।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अज़ सजावल सिन्ध

मुकर्रमी जनाब मसजद साहब

अस्सलाम अलैकुम, उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे मुझे सजावल वापस आए हुए लग भग नौ दस दिन का समय होता है। सजावल पहुंच कर मैंने उन तमाम मसलों के बारे में जो आप ने नोट करवाए थे, खूब तहकीक की। इस के अलावा और बहुत सारी बातें मुझे मालूम हुईं। चूंकि आप अधिक विस्तार पसंद नहीं फरमाते। इस लिए सार में लिखता हूं कि मैं हफ्ती हूं। कुरआन मजीद, सुन्नते रसूलुल्लाह सल्ल० और मसलके सहाबा किराम के बाद इमाम अबु हनीफा रह० का अनुसरण करता हूं और हफ्ती कहलाता हूं और पूरी

। जिन मसलों की तरफ खत में इशारा किया गया है, वह ये हैं ।

- 1- क्या रसूलुल्लाह स० नमाज़ की नीयत ज़बान से करते थे?
- 2- क्या रसूलुल्लाह स० ने हुक्म दिया था कि मर्द नाड़ी के नीचे हाथ बांधें और औरतें सीना पर?
- 3- क्या रसूलुल्लाह स० गर्दन का मसह पुश्त कफ़ से करते थे ।
- 4- क्या रसूलुल्लाह स० ने हुक्म दिया था कि मर्द नमाज़ में उल्टे पैर पर बैठें और औरतें बतौर तबर्क उलटे कूल्हे पर ।
- 5- क्या रसूलुल्लाह स० ने हुक्म दिया कि इमामत की कुछ शराइत में अगर सब बराबर हों तो इमाम उस को बनाया जाए जिस का सर बड़ा हो शर्म गाह छोटी हो?
- 6- क्या रसूलुल्लाह सल्ल० ने हुक्म दिया कि चारों इमामों में से किसी इमाम की तक्लीद लाज़िम है ।
- 7- क्या रसूलुल्लाह स० ने रफ़अ़ यदैन निरस्त फरमाया था?
- 8- एक दिरहम से कम निजासते ग़लीज़ा अगर कपड़े या बदन पर लग जाए तो उस को धोए बिना नमाज़ हो जाएगी?

तरह मुतमइन हूं लेकिन हफ़ी होना ईमान का हिस्सा नहीं समझता। उन का अनुसरण इस लिए करता हूं कि उन्होंने कुरआन व हदीस को खूब समझा और हम को भी बड़ा आसान तरीक़ा से समझाया है।

जब ही तो आज कम से कम एक हज़ार साल से लोग उन का अनुसरण करते चले आते हैं। न सिर्फ़ कराची या सजावल बल्कि सारी दुनिया में उन का अनुसरण किया जाता है और इंशा अल्लाह तआला कथामत तक करते रहेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन एक हज़ार से अधिक बर्सों में कैसे कैसे उच्च मुहद्दिस योग्य उलमा, आविद, जाहिद, मुजतहिद, इमाम फ़कीह गुज़रे हैं जो उन के विश्वास पात्र थे और उन का अनुसरण करते थे। इमाम साहब रह0 की गिनती ताबअीन में थी। इमाम साहब की मुबारक आंखों ने सहाबा रज़ि0 को देखा। सोच विचार कीजिए इमाम साहब रह0 का दर्जा कितना बड़ा था। बड़े बड़े इमाम आप के शागिर्द गुज़रे हैं। आज उन के मुकाबले में अगर कोई अपनी अक्ल को वरीयता दे और उन को बुरा भला कह कर जाहिलों में अपना मकाम हासिल करना चाहे तो यह उस का स्वार्थ और नादानी बल्कि जिहालत है।

हदीस को समझना और जांचना एक बड़ी योग्यता का काम है। यह एक खुदा दाद फ़न और अल्लाह का उपहार है। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या की वजह से बेकार में ही उन का विशेषी बन जाए तो वह हर बात का उल्टा ही मतलब निकालेगा। लेकिन अगर वह अपनी इस्लाह चाहे और हक़ बात जानना चाहे तो वह बिना किसी मुनाज़रा के भी स्वयं ही तहकीक करके अच्छे व बुरे की पहचान कर सकता है लेकिन वह व्यक्ति जो फ़कीह न हो और फ़िक़ह की अ बता, सा भी न जानता हो वह इतने बड़े इमाम व मुजतहिद पर कटाक्ष करने का क्या हक़ रखता है। ऐसे जीरियस आदमी को अगर मैं

कुछ मसले फिकह के लिख कर भेजूं और उस से मांग करूं कि उन मसलों को कुरआन और हदीस से साबित कर दो या रद्द कर दो तो आप यकीन रखिए कि वह अपना सा मुंह ले कर रह जाएगा । आप इमाम साहब रह0 की पाक जीवनी पढ़िए पक्षपात को एक तरफ रख कर खूब अच्छी तरह अध्ययन कीजिए ।

एक नहीं बल्कि सैंकड़ों किताबें हैं जिन के अध्ययन से सब हकीकत आप पर रोशन हो जाएगी और इंशा अल्लाह तआला आप को आप की हर आपत्त का जवाब आप से आप मिल जाएगा । अगर आप फरमाएं तो मैं उन किताबों की सूची आप की सेवा में भेजूं वह सारी किताबें इंशा अल्लाह आप को कराची ही में मिल जाएंगी । ठंडे दिल से अध्ययन कीजिए, किसी को जन्नती या जहन्नमी कहना या कुप्रव व शिर्क के फ़तवे लगाना सख्त किस्म का पक्षपात है । बड़ी भूल और जिहालत है बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ऐसा कहना परोक्ष ज्ञान जानने का दावा करना है । बाकी खैरियत ।

फ़क्त
नवाब मुहियुद्दीन

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बख्खिदमत जनाब नवाब साहब!

आप का पत्र मिला। आप से मैंने जो सवाल किए थे उन की आप ने तहकीक की। अगर इस तहकीक से मुझे सूचित करते तो बड़ी कृपा होती ताकि मुझे मालूम होता कि मैंने अपनी तहकीक में क्या गलती की है। मैं विस्तार से नहीं घबराता बल्कि चाहता हूँ कि आप विस्तृत जवाब दें। आप को अपना हंफ़ी होना मुबारक, आप हंफ़ी कहलाने में गर्व करते हैं, मैं तो मुहम्मद स0 का एक अदना उम्मती हूँ और मुहम्मदी कहलाने में गर्व महसूस करता हूँ, यह अपनी अपनी पसंद है, मैंने मुहम्मदी होना पसंद किया, आप ने हंफ़ी आप अगर वास्तव में रसूले अकरम, सल्ल0 का अनुसरण और सहाबा रज़ि0 की पैरवी करते हैं तो फिर तो मुझे आप से कोई लेना देना नहीं है। मेरा भी मसलक यही है लेकिन अन्तर यह है कि मैं अपने मसलक के हर काम की दृष्टि में कुरआन व हदीस और आसारे सहाबा रज़ि0 से दलील पेश कर सकता हूँ और आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप निश्चय ही अपने दावे में सच्चे हैं तो अपने मसलक की हिमायत में एक एक सहीह हदीस पेश कर दीजिए, हदीस रसूलुल्लाह तो बहुत बड़ी बात है, आप इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का कथन ही लिख दें, मगर उस की सनद बयान करें और किताबों का हवाला दें।

1- तक़लीद शख़्सी का वजूब।

- 2-** औरत और मर्दों की नमाज़ में फ़र्क
- 3-** उंगली नापाक हो जाए तो तीन बार चाटने से पाक हो जाती है।
- 4-** रफ़अ यदैन निरस्त है।
- 5-** गर्दन का मसह पुश्ते कफ़ से।
- 6-** नमाज़ की नीयत ज़बान से।

फ़र्कत

मसह

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मुकर्मी जनाब मसऊद साहब

अस्सलाम अलैकुम ।

आप का कार्ड मुझे मिल गया था । लेकिन समय न होने की वजह से जवाब में देरी हुई । आप ने अपने कार्ड में हंफियत पर जो हमले किए वह आप के नज़दीक साहस पूर्ण हों तो हों, लेकिन मेरे नज़दीक निहायत दुखद बात हैं । आप ने लिखा है, कि हंफी मज़हब एक गढ़ा हुआ मज़हब है । आप के इस वाक्य का मतलब यह निकलता है कि सारे हंफी, सारे शाफ़ी, सारे मालिकी या सारे हंबली बे ईमान हैं, कोई भी मुसलमान नहीं है इस तरह दूसरी सदी से लेकर आज तक जितने मुसलमान गुज़रे हैं, सारे के सारे बे ईमान हैं । आप अपने फ़तवे पर सोच विचार करके देखें तो आप को मालूम होगा कि कितना ख़तरनाक फ़तवा आप दे रहे हैं । और आपका यह फ़तवा कौन सी आयत और कौन सी हदीस की रु से दिया गया है । ज़ाहिर है कि कोई आयत और कोई हदीस नहीं, केवल आप के दिल का बुख़ार है । आप की पैदाइश चौदहवीं सदी की है और इमाम आज़म रहो का ज़माना पहली और दूसरी सदी का है, आप का ज्ञान केवल किताबी ज्ञान है । अनुवाद की हुई किताबों को पढ़ कर अपनी अक़ल के मुताबिक़ ग़लत सलत अनुवाद कर लिया । इमाम आज़म रहो जैसे चोटि के मुहद्दिस और फ़कीह, जिन की आंखों ने हज़रत अनस रज़ियो को देखा था उन के मुकाबले में आप का ज्ञान क्या महत्व रखता है? इस की ऐसी ही

मिसाल है, जैसे बूँद दरिया से कहे कि तू दरिया नहीं है, असल में मैं दरिया हूँ। कौन इसे तरत्तीम करेगा। आप यदि सोचें तो आप को मालूम होगा कि दूसरी सदी के सब से बड़े मुहद्दिस, इमाम और फ़कीह कौन थे, ज़ाहिर है कि इमाम आज़म रह0 ही थे और इमाम बुखारी रह0, तिर्मिज़ी रह0 और मुस्लिम रह0 आदि आदि यह सब बाद की पैदावार हैं। उन लोगों ने अहादीस जमा की हैं। वह उन की अपनी अक्ल व समझ थी। जिस ने जिस हदीस को जैसा समझा वैसा ही जमा किया। वैसा ही लिखा। एक साहब ने किसी हदीस को ज़ईफ़ समझा तो दूसरे साहब ने उस को हसन कहा तो तीसरे ने ग़रीब, चौथे ने सहीह या मतलब यह कि ग़र्ज़ जो समझा वह लिखा तो यह भी उन का अनुमान ही हुआ। क्योंकि हदीस के सहीह या मौजू या ज़ईफ़ व ग़रीब होने के बारे में किसी भी मुहद्दिस के पास कोई वहय नहीं आई न कोई फ़रिश्ता आया बल्कि हर एक ने अपने स्तर के मुताबिक़ क़्यास दौड़ाया और जैसा समझा वैसा लिखा। ज़ाहिर है कि बाद में पैदा होने वाले मुहद्दिसीन उस मुहद्दिस के मुकाबले में कोई महत्व नहीं रखते जिस मुहद्दिस ने सहाबी— ए—रसूल को देखा हो या उन से मुलाकात की हो। और जिस की पैदाईश पहली सदी की हो, ज़ाहिर है वह हस्ती केवल इमाम आज़म रह0 ही की है जिन के सुनहरे दौर के बारे में हदीस मौजूद है कि हुजूर स0 ने फ़रमाया है कि सब से अच्छा ज़माना मेरा है और मेरे बाद मेरे सहाबा रज़ि0 का और उन के बाद ताबीन का। शायद आप ने हदीस में पढ़ा होगा। तो इमाम साहब रह0 का शुमार ताबीन में है। ऐसी सूरत में आप के बाद पैदा होने वाले और चौदहवीं सदी में पैदा लेने वालों के शोर की क्या हकीकत आप बच्चों की तरह पांच छः सवाल लिख कर हंफ़ियत पर चोट करना,

हमले करना। उन को कोसना, सारे मुसलमानों को बे ईमान कहना अपने लिए गर्व की बात समझ रहे हैं और अपने को जन्मत का ठेकेदार और सब को जहन्नम का ईधन समझ रहे हैं। न मालूम कौन सी वहय आप के पास आई है या क्या दलील है, मैं तो देखता हूँ कि आप की मालूमात केवल इमाम साहब रह0 के बाद की लिखी हुई कुछ किताबों की हद तक है। आप ने जो कुछ ज्ञान पढ़ा वह इमाम आज़म रह0 के बाद के मुहदिसीन का इल्म व क़्यास और राय है। इमाम बुख़ारी रह0 की राय और क़्यास है कि फ़लाह हदीस का मतलब यह है फिर इमाम तिर्मिज़ी की राय और क़्यास है कि इस हदीस का यह मतलब है।

मतलब यह कि आप रायों और क़्यासों की भूल भुलयों में फ़ंस गए। आप यह शिक्षा पेश करते हैं कि हर मसला कुरआन व हदीस से हल करो। आप से किस ने कहा कि हमारा मज़हब या हमारा इमाम ऐसा नहीं करता। ज़ाहिर है कि यह चीज़ आप ने अपने क़्यास से तय कर ली है। क्यांकि आप ने देखा कि बुख़ारी साहब रह0 के कुछ इर्शादात इमाम साहब रह0 के इर्शादात के खिलाफ़ हैं तो आप ने समझ लिया कि यह चीज़ हदीस के खिलाफ़ है। यद्यपि यह आप भूल गए कि इमाम आज़म रह0, इमाम बुख़ारी साहब रह. से बहुत पहले अर्थात पहली सदी के इमाम और मुहदिस हैं जो इमाम बुख़ारी साहब रह0 आदि से ज्यादा हदीसों को परख सकते थे। आज अगर किसी मसला का हल कुरआन व हदीस में न मिले तो क्या करें। आप कहेंगे कि अपनी अक़ल से फ़तवा लो। अर्थात क़्यास करो तो फिर क़्यास करना ही ठहरा तो फिर दूसरी सदी के मुहदिस फ़कीह के क़्यास पर क्यों न अमल किया जाए। आज कल के मुहदिस और क़्यास वाले इमाम आज़म रह0 के मुकाबला में क्या

हैसियत रखते हैं। आज अगर मेरे जैसा कोई जाहिल इन्सान आप के मसलक को अपनाए तो उस का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। क्योंकि वह जाहिल न हदीस समझ सकता है न कुरआन, हर हर बात में मोहताज, करे तो क्या करे, आप कहेंगे कि हम से पूछ, हम कुरआन व हदीस की बात बतलाते हैं, तो यह भी तक़लीद हुई, हर बात आप से पूछ कर करे तो यह आप की तक़लीद हुई आप फरमाएंगे कि हम हर बात कुरआन व हदीस के अनुसार बतलाएंगे। क्या सनद है कि आप ऐसा ही करेंगे। क्योंकि जब दूसरी सदी के इमाम मुहद्दिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर उस के बाद वाले मुहद्दिस पर किस तरह भरोसा किया जाए। क्या सनद है कि आप की बात बिल्कुल कुरआन और हदीस के अनुसार व अनुकूल है। आप फरमाएंगे बुखारी शरीफ में देखो, तिर्मिजी शरीफ में देखो आदि आदि तो इन किताबों में जो हदीसें लिखी हुई हैं वह उन मुहद्दिसीन अर्थात् इमाम बुखारी रह0, इमाम तिर्मिजी रह0 और इमाम मुस्लिम रह0 आदि की लिखी हुई हदीसें हैं उन्होंने अपने अपने मेयार के अनुसार हदीसें लिखी हैं और यह सब इमाम साहब रह0 के बाद के मुहद्दिस हैं। क्या सनद है कि उन हज़रत के क्यासात सहीह ही हों। मुमकिन है कि जिस हदीस को इमाम बुखारी रह0 अपने मेयार के मुताबिक सहीह ख्याल कर रहे हैं वह हदीस इमाम आज़म रह0 मेयार पर ग़रीब और ज़ईफ हो। बाद वालों के तो जितने दफतर हैं सब उन की रायों और क्यासों के दफतर हैं। जिस ने जैसा सोचा जैसा समझा वैसा ही लिख दिया। आप के मसलक पर चलने के लिए तो सारे लोगों का मुहद्दिस, फ़कीह और विद्वान होना शर्त है। जब तक हर व्यक्ति मुहद्दिस न हो आप के मसलक पर चल ही नहीं सकता। और आज ज़माना में

जाहिलों की अधिकता है। उन का तो बेड़ा ही गर्क है। मजबूरन वह आप के पीछे चलेंगे और यह तक्लीद होगी। तक्लीद के बिना चारा ही नहीं। अगर मैं हफ़ियत को छोड़ कर आप के मसलक पर चलने लगूं तो मैं आप की रहबरी का क़दम क़दम पर मोहताज हूंगा कि अब क्या करूं, ज़ाहिर है कि आप से पूछूं। तो जब आप से पूछना ही ठहरा तो चौदहवीं सदी के बच्चे से पूछने से बेहतर है कि दूसरी सदी के मुजतहिद, मुहदिस, इमाम और फ़कीह से पूछूं चौदहवीं सदी के नन्हे और नादान दोस्तों की रायों पर चलने से तो दीन का शीराज़ा बिखर जाएगा। दीन छिन्न भिन्न जाएगा। कई सम्प्रदाय बन जाएंगे। कोई मसज़د सम्प्रदाय होगा, कोई सत्तारी, कोई कुछ, कोई कुछ। एक साहब अपनी राय चलाएंगे तो दूसरे साहब उस को काट कर अपना क़यास दौड़ाएंगे। झगड़े और फसाद शुरू हो जाएंगे। हर व्यक्ति तक्लीद शख्सी और तक्लीद महज़ के चक्कर में फ़ंस जाएगा। जैसा कि आप या आप की जमाअत शब्दों के चक्कर में फ़ंसी हुई है। आप हदीस के शब्दों को देखते हैं लेकिन उस की पृष्ठ भूमि और उत्तरने के समय को नहीं जानते।

जैसे अगर यह कहा जाए कि यह सड़क रात भर चलती है तो बस आप शब्दों को पकड़ लेंगे कि सड़क ही रात भर चलती है और अगर इमाम आज़म रहो साहब स्पष्टीकरण फरमाएं कि इस का मतलब यह है कि उस सड़क पर रात भर लोगों का आना जाना रहता है तो आप चीख़ने लगे कि देखिए साहब हदीस में साफ़ लिखा है कि सड़क रात भर चलती है। लेकिन इमाम साहब रहो हदीस के खिलाफ़ फरमा रहे हैं। बस यह शब्दों का चक्कर है जिस ने आप को परेशान कर रखा है। अगर आप का कमसिन बच्चा आप के मुकाबला में मुहदिस होने का दावा करे तो आप खुद ही सोच विचार

कीजिए कि क्या उस के दावा को आप या कोई भी तर्स्लीम करेगा। अगर बुखारी शरीफ, तिर्मिज़ी शरीफ आदि किताबें न लिखी जातीं, तो आप क्या करते? और उन किताबों में जो हदीसें दर्ज हैं जिन को आप दलील में पेश करते हैं वह सब लिखने वालों के मेयार के मुताबिक लिखी गई हैं। जैसा कि मैं पहले विनती कर चुका हूं कि यह भी सब उन बुजुर्ग मुहदिसों के कथासात हैं, जिन को जिस ने जैसा समझा वैसा ही लिखा, उन के सहीह या मौजूद या ज़ईफ होने के बारे में उन के पास कोई वहय नहीं आई, सब कथासात हैं। आप हम को कथासी कहते हैं। लेकिन आप स्वयं कथासात के चक्र में चक्र खा रहे हैं। अपने आप को शब्दों की पन चक्री से निकालिए और खुली वादी में तशरीफ लाइए। इंशा अल्लाह उस वादी में आप को ऐसी हवा मिलेगी जिस से आप के सर से कथासात का चक्र जाता रहेगा और आप रायों और कथासात के भंवर से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसा नज़र आता है कि आप और आप की जमाअत का हर आदमी लीडर शिप चाहता है, अहलुर्वाय बनना चाहता है और लोगों को धोखा दे कर, कुरआन और हदीस का बहाना बनाकर लोगों को कथासात की दुनिया में फँसाना चाहता है, शरीअत तैयार करना आप की जमाअत का लक्ष्य है बाद वालों के कथासात और रायों पर चल कर आप दीन में नई नई बातें (बिदअतें) निकाल रहे हैं। अगर उन को आप कथास और राय नहीं कहते तो फिर क्या आप के या आप की जमाअत के लीडरों के पास वहय आई है। सुनिए, अहले हदीस तो हम हैं, हमारा हर फेल, हर अमल खुदा के फ़ज़्ल से कुरआन और हदीस के अनुकूल है। अब यह और बात है कि आप के लीडर कथास और राय दौड़ा कर हमारी हदीसों को झुठलाने की कोशिश करें। हदीस को झुठलाना हदीस से इन्कार करना है, आप

जो हुजूर स0 की हदीसों को झुठला रहे हैं वह मात्र कथास की बुनियाद पर, कि फलां साहब ने ऐसा लिख दिया है तो वह भी उन साहब का कथास हुआ। आखिर में मैं आप को मश्वरा दूंगा कि कथास और रायों के चक्कर से अपने आप को निकालिए। अहलुर्गय बनने की कोशिश न कीजिए। इस में आप ही का भला है। आप इस पत्र का जवाब अलीमुद्दीन साहब के पते पर दीजिए इंशा अल्लाह मुझे मिल जाएगा।

खादिम

नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत जनाब नवाब साहब!

आप का खुतबा पहुंचा, पढ़ कर हैरत हुई कि मेरे सवाल का जवाब कहीं नहीं। यद्यपि पत्र चौदह पन्नों पर फैला हुआ है। आप ने बेकार इतना लम्बा पत्र लिखा। इतना लिख देना काफी था कि इन मसाइल के बारे में मौजूदा हदीस की किताबों में कोई हदीस नहीं है। इमाम अबु हनीफा रह0 को वह हदीसों मिली थीं लेकिन या तो उन्होंने उन की इशाअत नहीं की या इशाअत तो की लेकिन बाद वालों ने उन अहादीस को महफूज़ नहीं किया और वह नष्ट हो गयी। यह सब आप के पत्र का सारांश है!

इमाम अबु हनीफा रह.0 और जमअ अहादीस

आप ने सोच विचार किया यह जवाब कितना आपत्ति जनक है। अगर इमाम अबु हनीफा रह0 को वह अहादीस मिली थीं तो क्या किसी खुफिया ज़रिया से मिली थीं कि उन के समकालीन उलमा बिल्कुल अनभिज्ञ रहे। उन्होंने स्वयं उन अहादीस को महफूज़ क्यों न किया? अगर उन को फ़िक़ह की तर्तीब ने फुर्सत नहीं दी तो उन के शागिर्दों ने उन को महफूज़ क्यों न की? दूसरे इमामों की बताई हुई हदीसों तो उन्होंने महफूज़ किया लेकिन अपने उरत्ताद की बताई हुई अहादीस को गैर महफूज़ छोड़ दिया।

इमाम अबु हनीफा रह0 के कथनों के दफ़तर के दफ़तर महफूज़

हैं। लेकिन इन कथनों का स्त्रोत महफूज़ नहीं। अफसोस हादी—ए—अकरम रसूले मोहतरम स0 की अहादीस को नष्ट कर दिया गया और उन के एक उम्मती के कथनों को महफूज़ किया गया। क्या अक्ल इस को तरस्तीम करती है?

इमाम अबु हनीफ़ा रह0 और उन की तरफ मंसूब किए गए मसाइल

अच्छा माफ़ कीजिए, एक बात पूछता हूं। दुर्र मुख्तार में है।
ثُمَّ أَلَا كَبِيرٌ رَأْسًا وَالْأَصْغَرُ عَضْوًا.

अर्थात् उल्लिखित शर्तों में अगर सब बराबर हों तो
फिर उसे इमाम बनाया जाए जिस का सब से बड़ा सर
और लिंग सब से छोटा हो।

क्या यह इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का कथन है। मेरा तो ईमान है कि यह कथन इमाम साहब का नहीं है बल्कि बाद में गढ़ा गया है। लेकिन अगर आप इसी पर अड़े हैं कि बाद में नहीं गढ़ा गया बल्कि उन्हीं का फ़तवा है तो फिर आप इमाम अबु हनीफ़ा रह0 की शान को दो बाला नहीं कर रहे बल्कि उस कथन को उन की तरफ मंसूब करके उन की तौहीन कर रहे हैं। बल्कि आपके अनुसार आप के इमाम साहब रह0 का हर कथन हदीस के अनुसार है तो फिर यह कथन रसूलुल्लाह स0 की तरफ मन्सूब हुआ और अब यह एक इमाम ही का अपमान नहीं रहा बल्कि अल्लाह के रसूल सल्ल0, का अपमान हुआ। बताइए कोई उम्मती अपने रसूल स0 की तरफ ऐसे कथन को मंसूब करना गवारा करेगा?

मैं तो इमाम अबु हनीफ़ा रह0 की इज्ज़त व तक्वा का ख्याल

करते हुए यही बात कहता हूं कि ऐसे मसाइल बाद में गढ़े गए हैं और उन के गढ़े हुए होने के सुबूत के लिए मात्र उन का मकरूह होना ही काफी है। लेकिन मैं आप की तसल्ली के लिए एक बहुत बड़े हन्फी विद्वान मौलवी अब्दुल हई फरंगी महली की तहरीर पेश करता हूं। वह लिखते हैं:

يهل الامر في دفع طعن المعاذين على الامام ابى حنيفة
وصاحبيه فانهم طعنوا فى كثير من المسائل المدرجة فى فتاوى
الحنفية الها مخالفة للاحاديث الصحيحة او انها ليست متلاصلة
على اصل شرعى ونحو ذلك وجعلوا ذلك ذريعة الى طعن
الائمة الثلاثة ظنا منهم انها مسائلهم ومذاهبهم وليس كذلك
بل هي من تفريعات المشائخ. (النافع الكبير ص ١١٣)

“फ़तावा हंफ़िया में जो मसाइल दर्ज हैं, विरोधियों ने उन को इमाम अबु हनीफ़ा रह0, इमाम अबु यूसुफ़ रह0, और इमाम मुहम्मद रह0 पर व्यंग करने का एक ज़रिया बना रखा है क्योंकि यह मसाइल अक्सर उसूल शराई पर आधरित नहीं हैं और अहादीस सहीहा के खिलाफ़ हैं। वह यह ख्याल करते हैं कि यह अइम्मा सलासा के मसाइल और मज़ाहिब हैं। हालांकि हकीकत यह नहीं है बल्कि यह मशाइख़ के तक़रीआत हैं न कि उन तीनों इमामों के। और इस तरह उन तीनों इमामों पर व्यंग करना आसान हो जाता है।” आगे देखिए।

अब्दुल कादिर बदायूनी हन्फी अपनी किताब बवारिक शैख़ नजदी में लिखते हैं:

“इंदराज ख़वारिज व मुतज़ला दर कुतुबे हंफ़िया

जाइद अज़ हद अस्त हज़ारां हज़ार ख्वारिज व
मतज़ला दर फ़रू फ़ेका हंफी मज़हब बूदन्द। तलामज़ा
ख्वास इमाम आज़म रह0 व अबु यूसुफ मतमज़हब
बमज़ाहिब बातिला गुज़शता व हज़ारां हज़ार रवायत
अज़ां कसां मुताबिक ईशां दर कुतुब फ़तावा दाखिल
अस्त।”

अर्थात् “हंफी किताबों में ख़ारजियों और मोतज़लियों
के इंदराजात हद से ज्यादा हैं हज़ारों ख्वारिज और
मोतज़िला शुरू में हंफी थे। इमाम अबु हनीफा रह0
और काज़ी अबु यूसुफ के ख़ास शागिर्दों में ऐसे लोग
शामिल हैं। जो असत्य मज़हब के मतवाले थे और उन
से हज़ारों रिवायतें उन के असत्य मज़हब के अनुसार
कुतुब में दाखिल हैं।”

(अलकलामुल मतीन पृ0 240)

मतलब यह कि नमूने के लिए दो ही हवाले काफ़ी हैं। अब आप
समझ गए होंगे कि फ़िक्र हंफ़िया में सब कुछ इमाम अबु हनीफा
रह0 का ही नहीं है बल्कि दूसरों का गढ़ा हुआ भी है और उस पर
उलमा की व्याख्याएं गवाह हैं।

शराब की हिल्लत

जमहूर अइम्मा—ए— दीन का सहमति से मसला है कि मुस्कुर
की वह मात्रा जो सुकुर न पहुंचे हराम है और यह उस हदीस के भी
मुताबिक है जो मौजूदा कुतुब हदीस में पाई जाती है। लेकिन इमाम
अबु हनीफा रह0 का मज़हब यह है कि वह मात्रा जो सुकुर की हद
को न पहुंचे हलाल है। अब आप तो यह फ़रमाएंगे कि इमाम अबु

हनीफा रह0 के पास ऐसी हदीस होगी जिस की रू से यह मात्रा हलाल होगी, तो सवाल यह पैदा होगा कि फिर कौन सी हदीस सहीह है आप फरमाएंगे हलाल करने वाली। मगर वह तो नष्ट हो गई। और जो हराम करार देने वाली हदीस है वह उस सहीह के खिलाफ होने की वजह से मुंकिर हो गई बल्कि मौजू। अतः अहादीस का मौजूदा सरमाया उस नष्ट हुए अहादीस के भंडार खिलाफ होने की वजह से मौजू करार देना पड़ेगा। और यह बात तो शायद मुंकिरे हदीस भी नहीं कहेगा कि मौजूदा सरमाया सब का सब मौजूआत का ढेर है और अगर यह कहा जाए कि गायब और मौजूदा दोनों हदीसें सहीह हैं तो फिर इस्लाम एक अजुबा ही होगा और उस को अजाइब खाना में रखना ज्यादा मुनासिब होगा।

अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहद्दिस देहलवी अपने एक फतवे में इस मसले पर बहस करते हुए फैसला करते हैं:

هذا هو تحرير مذهب أبي حنيفة والحق عندنا في هذه المسألة
ما هو عند الجمهور.

यह हज़रत अबु हनीफा रह0 के मज़हब की तहरीर है
और हक़ हमारे नज़दीक वह है जो सब का मज़हब है।

(फतवा अज़ीज़ी जिल्द 1 पु0 190)

अब आप समझ लीजिए जब मैं कोई बात कहूं तो उसे यह कह कर न टाल दीजिए कि यह चौदहवीं सदी के बच्चे की बात है आर पहली सदी (दूसरी सदी) के इमाम के कथन के मुकाबले में कम है। मेरी बात के साथ सारे उलमा या दीन के इमामों की एक जमाअत की सहमति होगी। यह उन की बात होगी न कि मेरी। जमहूर से मुराद दीन के सामान्य इमाम हैं जिन में सहाबा किराम रज़ि0, ताबीन आदि शामिल हैं। उन में से बहुत से इमाम अबु हनीफा

रह0 के बराबर के हैं। और एक बड़ी संख्या उन से भी श्रेष्ठ है। क्या इमाम अबु हनीफा रह0 के इस कथन को भी माना जाएगा जो दीन के सामान्य इमामों के भी विरुद्ध हो और फिर हटीस के भी?

इमामों की श्रेष्ठता तक़लीद की मोहताज नहीं

मैं उन तमाम फ़ज़ाईल को तस्लीम करता हूँ जो आप ने इमाम अबु हनीफा रह0 के बारे में बयान किए हैं, मैं किसी भी चीज़ में अपने को उन का जैसा तो अलग, उन के पांव की खाक के बराबर भी नहीं समझता। लेकिन तक़लीद नहीं करता जिस तरह आप इमाम औज़ाई रह0, इमाम जुहरी रह0, इमाम हसन बसरी रह0, इमाम मालिक रह0 और इमाम शाफ़ी रह0 की तक़लीद नहीं करते, यद्यपि आप उन की बुजुर्गी के काइल हैं। याद रखिए किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता इस बात की मोहताज नहीं कि उस की तक़लीद की जाए। यद्यपि मात्र श्रेष्ठता ही तक़लीद की दलील है तो फिर इमाम हसन बसरी रह0 इस के ज्यादा हक़दार है। इस लिए कि इमाम अबु हनीफा रह0 ने तो केवल एक बार बचपन में हज़रत अनस रज़ि0 को देखा था। लेकिन इमाम हसन बसरी रह0 की तो सारी ज़िन्दगी सहाबा रज़ि0 के दौर में गुज़री। सैंकड़ों सहाबा रज़ि0 को देखा ही नहीं बल्कि उन की संगत और शागिर्दी से लाभान्वित हुए और केवल एक समय में 300 सहाबा किराम रज़ि0 की शक्तिशाली जमाअत उन के साथ थी।

(दलीलुल फ़ालिहीन)

इसी तरह इमाम अता रह. मशहूर ताबअी हैं। जिन के बारे में स्वयं इमाम अबु हनीफा रह0 का बयान है। कि मैंने उन से बेहतर आदमी नहीं देखा। सैंकड़ों सहाबा रज़ि0 की सोहबत से लाभान्वित

हुए। दो दो सौ सहाबा रजिलो के साथ मरिजद हराम में नमाज पढ़ा करते थे और उनकी बुलन्द आवाज से आमीन कहने की आवाज को सुना करते थे।

(बैहेकी)

मात्र श्रेष्ठता ही तकलीद का कारण है तो इमाम अता रहो इस के ज्यादा हकदार हैं। इस लिए कि उन की आंखों ने एक नहीं सैकड़ों सहाबा रजिलो को देखा था। और ज़रा ऊपर चलिए, अगर श्रेष्ठता ही की वजह से तकलीद जरूरी हो तो फिर किसी सहाबी की तकलीद क्यों न की जाए कि उस की आंखों ने तो वह जमाले जहां आरा देखा जिस के सामने सारी उम्मत का हुस्न व जमाल कम है। मगर होता क्या है? सहाबा के फ़तवे को छोड़ा जाता है और हफ़्ती मज़हब के फ़तवे को माना जाता है। ऐसी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं, जैसे मसला मुसिर्ह के सिलसिला में हफ़्ती मज़हब का फ़तवा सहाबी—ए—जलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसउद रजिलो के फ़तवे के खिलाफ़ है।

(हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसउद रहो का फ़तवा सहीह बुखारी में देखें)

मुन्तहाए फ़ज़ीलत की पैरवी

अच्छा, और ज़रा ऊपर चलिए, आप भी फ़ज़ीलत वाली हस्ती की तलाश में हैं और मैं भी आप इस खुलूस में इमाम अबु हनीफ़ा रहो तक पहुंच कर रुक जाते हैं और मैं इस तलाश में इतना ऊपर चला जाता हूं कि मेरे सामने वह हस्ती आ जाती है जिस पर तमाम फ़ज़ीलतें ख़त्म होती हैं और जिस से ज्यादा श्रेष्ठ न कभी हुआ है न होगा। वह है, अल्लाह के रसूल सल्लो की जात। अगर श्रेष्ठता ही तकलीद का पैमाना है तो उस की तकलीद क्यों न की जाए जिस से श्रेष्ठ कोई नहीं, अगर इमाम अबु हनीफ़ा रहो की आंख ने एक

سہابی کو دेखا تو ک्या ہुआ، یہاں وہ آंख ہے جیس نے آیا تے ربیحیل کعبا کو دेखا ہے । یہاں وہ دیل ہے جو مُهَبَّتِ اللہ اُن کی چریتاً رَحْمَةً وَمَا يَنْطَقُ عَنِ الْهُوَى کے سیوا ہے اور شریعتِ اللہ اُن پر بیسیب وَيَصِيبِ الْمُبَهَّدِ قَدْ يَنْطَقُ وَيَصِيب کے بیان میں پوری ترہ ماسوٰم ہے ।

ک्या इमाम अबु हनीफा रह0 ही हदीस का सही मतलब समझे

यहां पहुंच कर कहीं आप फिर वही न कह दें कि रसूल मासूم س0 की हदीस आप क्या समझें? वह तो इमाम अबु हनीफा रह0 ही समझते थे । सड़क चलने की मिसाल दे कर आप ने इस तरफ इशारा भी फरमाया है तो जनाब मैं तस्लीम किए लेता हूं कि मैं तो हदीस को नहीं समझता, लेकिन क्या दीन के सामान्य इमाम भी नहीं समझते थे । क्या इमाम हसन बसरी रह0 भी नहीं समझते थे । इस किस्म की बातों से आप दीन के दूसरे इमामों की तौहीन क्यों करते हैं? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, बल्कि जो कुछ कहता हूं इन इमामों की व्याख्या होती है जो हर दृष्टि से इमाम अबु हनीफा रह0 से ज्यादा दर्जा रखते हैं जैसे इमाम हसन रह0 रुकू में जाते समय और रुकू से उठ कर रफ़अ़ यदैन करते थे और फरमाते थे कि रसूل‌الله س0 के سहाबा रह0 भी रुकू से पहले और रुकू से उठ कर रफ़अ़ यदैन करते थे ।

(كتاب رفع اليدين للإمام البخاري)

अब बताइए कि इमाम अबु हनीफा रह0 जिन्होंने एक सहाबी रज़ि0 को भी रफ़अ़ यदैन छोड़ते नहीं देखा उन की बात मानी जाए

या इमाम हसन बसरी की मानी जाए। जिन्होंने सैंकड़ों सहाबा किराम रजिलों को रफ़अ़ यदैन करते देखा।

हां अगर आप यह कहने की हिम्मत कर बैठें कि इमाम हसन बसरी रहीर की इस रिवायत का मतलब भी आप नहीं समझे बल्कि इमाम साहब रहीर ने सही समझा है अर्थात् सहाबा किराम रजिलों भी रफ़अ़ यदैन नहीं करते थे तो मैं सिवाए इन्ना लिल्लाहि के और क्या कह सकता हूं। *إِنَّمَا أَشْكُوا بَيْنَ وَحْزَنِي إِلَى اللَّهِ*

यह बात यहीं खत्म नहीं हो जाती बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि जिस तरह इमाम हसन बसरी रहीर के कथन को मैं नहीं समझा, इमाम अबु हनीफा रहीर के कथन को आप नहीं समझे किस्सा पाक हुआ सारी किताबें अलग रखदी जाएं या दरिया में डुबो दी जाएं।

हां एक बात और सुन लीजिए। अगर दर्जों की वजह से मैं इमाम हसन बसरी रहीर के कथन का मतलब नहीं समझा तो फिर रसूलुल्लाह सल्लील्लाहून्हा की अहादीस का मतलब इमाम अबु हनीफा रहीर नहीं समझे, इस लिए कि उन दोनों के बीच दर्जों के फ़र्क की कोई हकीकत नहीं। समन्द्र के मुकाबले में एक बूंद की मिसाल भी सादिक नहीं आती। चलिए छुट्टी हुई, इल्मे दीन का ज़ख़ीरा बिल्कुल बेकार और फ़िजूल है। *نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ*.

तक़लीद और शरीअत साज़ी

मैं इमाम अबु हनीफा रहीर के मुकाबले में मुहद्दिस बनने का दावा नहीं करता, लेकिन अगर मेरा छोटा बच्चा मेरे मुकाबले में मुहद्दिस बनने का दावा करे तो मुझे खंडन करने का क्या हक़ है। मैंने अपने छोटे बच्चे की बात को भी मान लिया है। जब उस ने कहा कि आप का फ़ला काम हदीस के खिलाफ़ है। मैंने कहा लाओ,

हदीस दिखाओ। उस ने किताब खोल कर सामने रख दी। मैंने अपनी ग़लती मान ली, और अपने काम से तौबा कर ली। ऐसी मिसालें मेरी ज़िन्दगी में कई हैं। मैं अपने को “हम चुनीं दीगरे नीस्त” का चरितार्थ नहीं समझता जो व्यक्ति भी हदीस पेश करे, चाहे वह कितना ही छोटा और तुच्छ व ज़लील क्यों न हो, मैं उस की बात मान लेता हूं और मान लूंगा, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं मसला गढ़कर अपना फ़तवा मेरे सामने पेश करे तो मैं नहीं मानूंगा। चाहे वह फ़तवा देना वाला कोई भी हो। सुनिए! यह दीन अल्लाह का दीन है **وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا** (قرآن مجید)। **اللَّهُ أَعْلَمُ** दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है (قرآن مجید) और इस दीन का शरीअत साज़ भी स्वयं अल्लाह है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है (قرآن مجید)। **إِنَّمَا شَرِيكَهُ شَرُوطُ الدِّينِ** और अगर दूसरा शरीअत साज़ी करे तो वह शिर्क करता है: **كَمْ مِنْ دِينٍ** **كَمْ مِنْ شَرِيكٍ** **يَأْذِنُ بِهِ اللَّهُ** (قرآن مجید). लिए दीनी शरीअत बनाते हैं। जिस अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। **(كُوْرَآن مَجِيد)** **وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا** (قرآن مجید) अल्लाह अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता।

”**بَلَغَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُكَ مِنْ رَبِّكَ**“ (القرآن) यह दीन रसूलुल्लाह के पास वहय द्वारा आया और यह वहय कुरआन व हदीस में सुरक्षित है। इसी के अनुसरण का हुक्म हम को दिया गया है। और जो इस के अलावा हो उस के अनुसरण से रोका गया है इशाद है: **أَتَبْعَوْا مَا أَنْزَلَ اللَّهُكَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا**: **تَبْعَوْا مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَاءَ**: इस चीज़ का अनुसरण करो जो तुम्हारे रब की तरफ से उतरा है। इस के सिवा दलीलों का अनुसरण न करो।

(अलकुरआन)

अब बताइए! इन फ़िक़ह की किताबों में जो कुछ है, सब अल्लाह की ओर से है? अगर है तो कुबूल है और अगर नहीं और कदापि नहीं तो इस का अनुसरण हराम है और हराम को हलाल बल्कि वाजिब समझना कुप्रव व शिर्क है। अगर आप वही बात दोहराएं कि यह “अल्लाह की ओर से” इमाम अबु हनीफा रह0 के पास था बाद में नष्ट हो गया और अब इमाम कशीरी रह0 के संदूक से बर आमद होगा तो यह उस कथन के जैसा होगा जो शिआ हजरात कहा करते हैं कि असली कुरआन नष्ट हो गया और अब इमाम गाइब मेहदी लेकर जाहिर होंगे।

सही बुखारी की हदीस को मानना इमाम बुखारी रह0 की तक्लीद नहीं

मैं इमाम बुखारी रह0 की राय और क्यास को मानता हूं और न इमाम मुस्लिम रह0 की सहीह हदीस को मानता हूं चाहे इस के पेश करने वाले इमाम बुखारी रह0 हों या इमाम मुस्लिम रह0, अबु दाऊद हों, या इमाम अबु हनीफा रह0। हां यह ज़रूर है कि इमाम बुखारी रह0, इमाम मुस्लिम रह0, इमाम अबु दाऊद रह0 ने हदीस की किताबें लिख कर पेश कर दीं और इमाम अबु हनीफा रह0 ऐसा नहीं कर सके, तो इस में मेरा या इमाम बुखारी रह0 आदि का क्या दोष है؟
ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

अगर इमाम अबु हनीफा रह0 की बयान की गयी हदीसें इमाम बुखारी रह0 के नज़दीक ज़ईफ़ थीं तो क्या इमाम मुहम्मद रह0 और काज़ी अबु यूसुफ रह0 के नज़दीक भी वे ज़ईफ़ थीं? उन्होंने क्यों न जमा कर दिया? अच्छे गुमान से काम लीजिए। मुहद्दिसीन को इमाम

अबु हनीफा रह0 से बैर नहीं था कि जान कर वे ऐसा करते आप ने मुहद्दिसीन की शान में कितना अपमान जनक वाक्य लिखा है कि “इमाम बुखारी रह0, इमाम तिर्मिजी रह0, मुस्लिम रह0 आदि बहुत बाद की पैदावार हैं।”

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम
वे कऱ्ठल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता

अच्छा जनाब! क्या इमाम मालिक रह0 भी बाद की पैदावार हैं, अल्लामा शिबली नोमानी के कथना नुसार इमाम मालिक रह0 इमाम अबु हनीफा रह0 के उस्ताद हैं (سيرۃ النعمان) इमाम मालिक रह0 की लिखी हुई किताब भी मेरे अध्ययन में रहती है बल्कि उस से भी पहले लिखी हुई किताब “सहीफा हुमाम” जिस को हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 ने मुरत्तब किया था वह भी मेरे अध्ययन में रहती है, इन्हीं किताबों से अपने अपने मसाइल के तर्क उपलब्ध कीजिए या कहिए कि उन को भी न मिले।

सही बुखारी व सही मुस्लिम की सेहत पर उम्मत की सहमति

यह भी आप ने खूब लिखा कि सही बुखारी में जो अहादीस हैं वह इमाम बुखारी रह0 का क्र्यास ही तो हैं। जी नहीं, अहले सुन्नत के हर सम्प्रदाय की उस की सेहत पर सहमति है, उन अहादीस की सेहत मात्र अटकल और वहम व गुमान की मोहताज नहीं हैं बल्कि इस के लिए तर्क हैं, इसके प्रमाण हैं और तर्क भी ठोस। ऐसे तर्क कि उन के ज़रिए से आज भी हर हदीस को कसौटी पर परखा जा सकता है, जो कुछ उन्होंने लिखा सनद के साथ उम्मत के सामने

रख दिया। अब भी अगर कोई चाहे तो परख कर देख ले, यहां कोई चीज़ नष्ट नहीं हुई।

इस मैदान में और लोग भी सीना ठोक कर उतरे लेकिन हदीस की किताबों और व्याख्या गवाह हैं कि उन्होंने ठोकर खाई और हर हदीस जिस को वह सही समझते थे, सही नहीं निकली, इस मैदान में दो ही शहसवार नज़र आए कि जो दावा किया वह सही साबित हुआ। अर्थात् इमाम बुखारी रह0 और इमाम मुस्लिम रह0 उम्मत ने उनकी अहादीस को दावे के अनुसार सही पाया और दोनों کिताबों को “سہیہن” का لک़ब दिया। *وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ.*

उलमा—ए—अहनाफ़ इन किताबों की अहादीस को ज़ईफ़ कह सकते थें मगर हेरत का मकाम है कि तमाम उलमा—ए—अहनाफ़ ने आम सहमति से उन को सही माना। अल्लामा कुरतलानी रह0 लिखते हैं, *أَنَّ جَدَلَهُ جَاهَ الصَّانِفَ (ارثادارी)* अर्थात् सही बुखारी के सामने सब किताबों की पेशानियां सजदा करती हैं।

اجماعت الامة على صحة هذين: *الكتابين* ارجاعاً الى اصحاب المحدثين
अर्थात् बुखारी व मुस्लिम की सेहत पर उम्मत की सहमति हैं (नुसरतुल बारी)

اہل الصنعة مجتمعون على ان: *الاخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحبة أصولها ومتونها.* (فتح المسغى)
अर्थात् फ़न्ने हदीस के माहिरीन इस पर सहमत हैं कि बुखारी और मुस्लिम की अहादीस पूरे तौर पर सही हैं।

اجماع علماء المحدثين على صحتها: *نصرة الباري* (अर्थात् उलमा—ए—मुहद्दिसीन की इन दोनों की सेहत पर सहमति है।)

इमाम अबुल फ़लाह फ़रमाते हैं: “तमाम फुक़हा ने सही बुखारी

(نصرة البارى)
(بِحَوْالَهُ شَذْرَاتُ الْذَّهَبِ مُلْخَصًا)

इसी तरह हाफिज अबु नसर संजरी रह0 ने फरमाया है कि “اجماع اهل العلم والفقهاء وغيرهم الخ” अर्थात् विद्वान् व फुक़हा और दूसरे लोगों की सहीह बुखारी की तमाम हदीसों की सेहत पर सहमति है (ملخصاً من نصرة البارى بحواله مقدمه ابن صلاح) ।

مशहूर हंफी विद्वान औनी लिखते हैं: (اتفاق علماء الشرق والغرب) انه ليس بعد كتاب الله اصح من صحيح البخاري (عمدة القاري) اर्थात् मशिरक व मगरिब के तमाम उलमा की इस पर सहमति है कि कुरआन मजीद के बाद सही बुखारी से ज्यादा सही कोई किताब नहीं ।

اتفق العلماء على ان اصح ”الكتب المصنفة صحيح البخاري ومسلم“ (نصرة البارى) ار्थात् उलमा की सहमति है कि तमाम किताबों में सब से ज्यादा सही यह दो किताबें हैं सही बुखारी और सहीह मुस्लिम ।

अनवर शाह साहब देवबन्दी लिखते हैं: ”हाफिज इब्ने سलाह रह0 हाफिज इब्ने हजर रह0, इमाम इब्ने तैमिया रह0, शमसुल अईम्मा सरख़सी रह0 के नज़دीक सही बुखारी की तमाम हदीसें पूरी तरह ठीक हैं“ इस के बाद लिखते हैं: ”ان رأيهم هو رأيي. ”जो इन की राय है वही दर हकीकत मेरी राय है ।“ (فيض البارى ملخصاً)

ان ماتفرد به البخاري ومسلم: شब्दीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं: مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقى الأمة كل واحد من كتابهما بالقبول. ار्थात् बुखारी व मुस्लिम की मुन्फरिद रिवायतें भी पूरी तरह ठीक हैं इस लिए कि उम्मत ने उन की हर हदीस को तस्लीम किया है । (فتح الملهم شرح صحيح مسلم)

شہزادی علیہ السلام محدثین دہلی و رہو فرماتے ہیں:

اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع من فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران إلى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين وان شئت الحق الصراح فقسهما بكتاب ابن ابي شيبة وكتاب الطحاوى ومسند الخرازى تجد بينها وبينهما بعد المشرقيين.“ (جعفر اللہ الباغت۔ جلد اول)

”अर्थात् सही बुखारी व मुस्लिम में जितनी मरफूआ मुत्तसिल हदीसें हैं, मुहद्दिसीन की सहमति है कि वह सब पूरी तरह सही हैं और यह दोनों किताबों अपने लेखकों तक मुतवातिर हैं। जो व्यक्ति इन का अपमान करे वह बिदअती है और मोमिनीन की राह से उस की राह अलग है और अगर आप हक का स्पष्टीकरण चाहें तो लेखक इब्न अबी शैबा, किताबुत तहावी और मुसनद ख्वारिज़मी (मुसनद इमाम अबु हनीफा रहو से सहीहैन का मुकाबला करें तो आप उन में और सहीहैन में बड़ा भरी फ़र्क़ पाएंगे।

مطالب یہ کہ بے شمار کथن ہیں, کہاں تک لیخون کیسی نے بھی سہت کے لیہاڑ سے ان کیتابوں سے متبہد نہیں کیا یہاں تک کہ یعنی کے سام کالین اور عستادوں نے یعنی کے سہت پر سہمت کی ہے۔ اب اگر کوئی شک کرتا ہے تو سیوا اے یعنی کے اور کیا لیخون کی ”ن رہے بآنس ن بجز بآنس ری، کا چریتا رہ ہے ن سہی بُخَارِیٰ ہوگی ن فیکہ پر آلوچنا کا ماؤکا میلے گا । اگر سہی بُخَارِیٰ کو آپ تسلیم نہیں کرتے تو اسی کوئی کیتاب آپ پےش فرمائے، جیس پر یعنی کے سہمت ہے جو سہی بُخَارِیٰ سے یعنی ہے । فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا.....

जाहिल का आलिम से सवाल करना तक़्लीद नहीं

आप फ़रमाते हैं “जाहिल क्या करे, अगर वह आप से पूछेगा तो आप का मुक़लिलद होगा” मैं कहता हूं कि जाहिल अगर आप से पूछे तो क्या वह आप का मुक़लिलद हो जाएगा? इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का मुक़लिलद नहीं रहेगा? क्योंकि वह इतने बड़े इमाम की फ़िक्रह को क्या समझ सकता है वह तो आप ही के कहने पर अमल करे गा। अगर आप यह जवाब दें कि हम इमाम अबु हनीफ़ा रह0 ही के कौल बताएंगे, अतः हमारे बताने के बाद भी वह इमाम अबु हनीफ़ा रह0 का मुक़लिलद कहलाएगा न कि हमारा। तो मैं कहूंगा कि मैं भी उस को अहादीस ही बताऊंगा, अतः मेरे बताने के बावजूद वह मेरा मुक़लिलद न होगा बल्कि रसूलुल्लाह स0 का मानने वाला होगा।

सुनिए और बड़े गौर से सुनिए। मैं बहैसियत आलिम के आप के उलमा की ख़िदमत में हाज़िर नहीं हुआ हूं। जाहिल या छात्र की हैसियत से ही आप के उलमा से पूछता हूं कि खुदा के वास्ते यह जो तरीके आप ने अखिलयार कर रखे हैं। उन के बारे में जो हदीस आप को मालूम है मुझे भी बता दो ताकि मैं भी उन पर अमल कर सकूं तो जवाब वह मिलता है जो आप को चौदह पन्नों में लिखवाया गया है।

मात्र वहम व गुमान से हदीस को नहीं छोड़ा जा

सकता

यह भी आप ने खूब लिखा है कि जो हदीस इमाम बुख़ारी रह0 के नज़दीक सही हो, हो सकता है कि इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के नज़दीक वह ज़ईफ और ग़रीब हो, सुनिए! मात्र वहम व गुमान से

सत्यता को नहीं भुलाया जा सकता अगर वह ज़ईफ़ थी तो बावजूद तमाम दलीलों की मौजूदगी के उलमा—ए—अहनाफ़ ने उसको ज़ईफ़ क्यों न साबित किया और क्यों इस दौर तक सब उसको सही समझते रहे। अगर उस को सही भी तरस्लीम कर लिया जाए कि समस्त हदीसें इमाम अबु हनीफ़ रह0 के नज़दीक ज़ईफ़ हैं तो इमाम साहब रह0 के इन कथनों पर कैसे अमल होगा “**أَنْرُكُواْ قُولِي**”^١ **بِخُبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** के मुकाबले में मेरे कथन को छोड़ दो। (रौज़तुल उलमा) **اَذَا صَحَحَ** **الْحَدِيثُ فَهُوَ مُذَهَّبٌ**। सही हदीस मेरा मज़हब है। हर सही हदीस के बारे में यह गुमान होगा कि शायद इमाम साहब रह0 के नज़दीक ज़ईफ़ हो। अतः हदीस रद्द करदी जायगी अर्थात् मात्र गुमानों से सही को रद्द किया जाएगा।

सही बुखारी व मुस्लिम की सेहत पर इमामों की सहमति

फिर सुन लीजिए, बुखारी और मुस्लिम की हदीसें इस लिए सही नहीं कि इमाम बुखारी रह0 और इमाम मुस्लिम रह0 उन्हें सहीह समझते हैं बल्कि इस लिए सही हैं कि उन से पहले और उन के बाद के तमाम उलमा ने इन हदीसों को सही तरस्लीम किया है, अल्लामा इब्ने खुलदून लिखते हैं।

اعتمد منها ما اجمعوا عليه.

अर्थात् इमाम बुखारी रह0 ने सही बुखारी के लिए इन ही अहादीस को काबिले भरोसा समझा, जिन की सेहत पर सहमति थी। फिर इमाम मुस्लिम रह0 के बारे में भी उन्होंने यही बात लिखी।

(मुकद्दमा तारीख इब्ने खुलदून)

अर्थात् इमाम बुख़ारी रहो व इमाम मुस्तिलम रहो ने उन अहादीस को इन किताबों में जमा किया जिनकी सेहत पर उस वक्त तक के तमाम उलमा की सहमति थी और उन उलमा में इमाम अबु हनीफा भी शामिल हैं (बशर्ति कि आप उन्हें मुहद्दिस तरलीम करें)

हंफी फ़िक़ह के बेशुमार मसाइल बे दलील हैं

हम तो नई नई बातें नहीं निकाल रहे। जो बात कहते हैं। दलील से कहते हैं, आप पूछ कर देख लीजिए, इन्शा अल्लाह आयत या हदीस पेश करेंगे, असल जवाब से इन्शा अल्लाह कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे, नई नई बातें तो मुक़लिलदीन ने निकाली हैं। जैसे तकलीद, यह बिदअत है न दौरे सहाबा रज़ियो में थी न दौरे ताबअीन में (हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा) फिर मर्द व औरत की नमाज़ अलग अलग गढ़ी गई, नमाज़ में ज़बानी नीयत का इज़ाफा किया गया, हलाला का मसला जारी किया गया आदि आदि।

यह मैं फिर कहता हूं कि इमाम अबु हनीफा रहो उन से पूरी तरह बरी हैं, मैं जो कहता हूं उन के बारे में नहीं कहता, वह तो अहले हदीस थे और इस से भी ज्यादा तारीफ के मुस्तहिक हैं जो आप ने तहरीर फ़रमाई है मैं तो मौजूदा मज़हब के बारे में बात करता हूं।

अहले हदीस शुरू इस्लाम से हैं

यह मैंने कब लिखा कि सिवाए मेरे कोई मुसलमान ही नहीं, अब तक जितने मुसलमान हुए वह सब बहुदव वादी थे, यह आरोप है मगर आप का यह विचार कि पहले दौर में कोई अहले हदीस था ही

नहीं और यह कि मैं अपने विचार का पहला आदमी हूं हकीकत पर आधारित नहीं, हकीकत उसके विपरीत है इमाम अबु हनीफा रह0 का दृष्टिकोण 120 हि0 में काइम हुआ (सीरतुन नोमान) बताइये 120 हि0 तक जो मुसलमान थे वह किस इमाम के मुक़लिलद थे? उस इमाम की इमामत किस ने निरस्त की? हजरत इमाम अबु हनीफा रह0 मुक़लिलद थे या गैर मुक़लिलद? अगर मुक़लिलद थे तो मुक़लिलद की तक़लीद कैसे? और अगर गैर मुक़लिलद थे तो फिर वह हमारे अकीदा के हुए न कि आप के। इमाम अबु हनीफा रह0 फ़रमाते हैं: **لِمْ يَصْرُفَ دَلِيلِيْ اَنْ يَفْتَى بِكَلَامِيْ** अर्थात् किसी व्यक्ति के लिए यह मुनासिब नहीं कि वह मेरे कथन पर फ़तवा दे, जब तक उस को मेरी दलील न मालूम हो (عقد الجيد) बल्कि यहां तक फ़रमाते हैं: **لِمْ يَعْرِفَ دَلِيلِيْ اَنْ يَفْتَى بِكَلَامِيْ**. “(मिशकाते मुहम्मदी बहवाला मीज़ाने शोरानी) अर्थात् वह अपनी तक़लीद से मना फ़रमाते हैं बल्कि बे दलील बात मानने को हराम कह रहे हैं। लीजिए जो हम कहते हैं वही इमाम अबु हनीफा रह0 ने फ़रमाया है बे शक जिस चीज़ को उन्होंने हराम कहा है हम भी उस को हराम समझते हैं लेकिन मुक़लिलदीन उनके हराम किए को जायज़ ही नहीं, वाजिब तक कह देते हैं।

इमाम अबु हनीफा रह0 के अलावा भी तमाम अइम्मा—ए—दीन तक़लीद से मना करते रहे। जैसे इमाम अहमद बिन हंबल रह0 फ़रमाते हैं:

**لَا تَقْلِدُنِي وَلَا تَقْلِدُنِي مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِي وَلَا الْأَوْزَاعِي وَلَا
الثُّورِي وَلَا خَدَّعْنِي حِيثُ أَخْذُوا (عقد الجيد)**

अर्थात् हरगिज़ मेरी तक़लीद न करना। न इमाम मालिक रह0 की, न इमाम शाफ़ऊी रह0 की, न इमाम

औजाओ रहो की, न इमाम सूरी रहो की । बल्कि जहां
से उन्होंने अहकाम को लिया वहीं से तुम भी लेना ।

हां तो 120 हिंदू तक पूरी तरह सब गैर मुक़लिद थे बल्कि
शाह वलिउल्लाह साहब रहो के कथनानुसार चौथी सदी के पहले
तक़लीदे खालिस पर लोग जमा नहीं हुए थे (हुज्जतुल्लाहुल
बालिग़ा) तो मानो तीन सौ साल तक तक़लीद शख्सी का वजूद नहीं
था । इल्ला माशा अल्लाह । चौथी सदी से तक़लीद ने ज़ोर पकड़ना
शुरू किया और लग भग एक हज़ार साल तक इस का ज़ोर रहा,
लेकिन यह ज़माना भी अहले हदीस से खाली न था । हर ज़माना में
उलमा की एक बड़ी तादाद अहले हदीस थी । अल्लामा ज़हबी रहो
की “तज़किरतुल हुफ्फाज़ पढ़िए, देखिए हर ज़माने में कितने
उलमा—ए— अहले हदीस थे । अल्लामा ज़हबी बीसियों उलमा के
नाम गिनांते चले जाते हैं । उन के हालात लिखते हैं और यह वे लोग
हैं जो बड़े बड़े हाफिज़ थे न मालूम उनके अलावा और कितने होंगे
जिनके नाम इमाम ज़हबी को मालूम न हुए हों और फिर कितने
लोग होंगे जो उनके हलका—ए—असर में होंगे । गरज़ यह कि अन
गिनत लोग हर ज़माना में अहले हदीस थे, कुछ ऐसे उलमा भी थे
जो मौका की नज़ाकत महसूस करते हुए तक़लीद का संबंध अपनी
तरफ़ पसन्द करते थे, यद्यपि वह मुक़लिद नहीं होते थे ।

(देखें इमामुल हिन्द अबुल कलाम आज़ाद रहो का तज़किरा)

कुछ तो इलाके के इलाके ऐसे थे जहां मुहद्दिसीन की बहुसंख्या
थी जैसे अरब पर्यटक बश्शर मुक़द्दसी रहो जो 275 हिंदू में
हिन्दुस्तान आया था । सिन्ध के हालात में लिखता है: “यहां के
ज़िम्मी मूर्ति पूजक हैं और उलमा में अधिकांश अहले हदीस हैं ।”

(तारीख़ सिन्ध भाग 2)

रूम, शाम, जजीरा और आज़र बाइजान आदि की सीमाओं के मुसलमान पांचवीं सदी में सब के सब अहले हदीस थे।

(उस्लुदीन पहला भाग लेखक अबु मसूर रह0 बगदादी)

तक़लीद का सदियों बाद शुरू होना

छठी सदी में अफ्रीका में अहले हदीस की हुकूमत थी (तारीख इस्लाम ज़हबी रह0) इस हुकूमत में सरकारी कानून था कि कोई किसी इमाम की तक़लीद न करे (तारीख इब्ने ख़लकान) यहां भागे हुए लोगों ने तक़लीदी मज़हब बड़ी तेजी से जारी किया, और यह कानून बनाया कि चारों मज़ाहिब की तक़लीद वाजिब है और उन से बगावत हराम है। (मुकरेज़ी भाग 2)

सातवीं सदी में शाह ज़ाहिर ने चारों मज़ाहिब के मदरसे और काज़ी अलग अलग कर दिए। (मुकरेज़ी)

सातवीं सदी में शाह नासिर ने चार मुसल्ले क़ाइम कर दिए। (अलबदरुत्ता लेआ भाग 2)

शाह वलीउल्लाह साहब रह0 ने कितने मृद वाक्यों में तक़लीद की प्रगति का नक्शा खींचा है, फ़रमाते हैं:

انهم اطمأنوا بالتقليد ودب التقليد في سدورهم دبيب النمل
وهم لا يشعرون فنشأت بعدهم قرون على التقليد الصرف
لا يميزون الحق من الباطل ولا اقو ذلك كلها مطردا فان الله
طائفة من عباده لا يضرهم من حذلهم وهم حجة الله في ارضه
وإن قلوا ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر فتنه وأوفر
تقليداً وأشد انتزاعاً للامانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا
بتترك الخرض في أمر الدين وبأن يقولوا، أنا وجدنا أباءنا على

أَمَّةٌ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثْارِهِم مُّقْتَدُونَ . وَالَّذِي أَنْتَ مُسْتَكِنٌ وَهُوَ الْمُسْتَعْنَى
وَبِهِ الشَّفَةُ وَعَلَيْهِ التَّكْلَانُ .

“अर्थात् लोग तक़लीद पर सन्तुष्ट होकर बैठ गए और तक़लीद उन के दिलों में इस तरह दाखिल हुई जैसे चीटी चलती है और उन्हें उन का पता भी नहीं हुआ। फिर उन के बाद ऐसे लोग पैदा हुए जो मात्र तक़लीद के परिस्तार थे, असत्य से सत्य को अलग न कर सकते थे और यह बात मैं तमाम लोगों के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि अल्लाह के बन्दों में एक गिरोह अल्लाह वालों का भी होता है जिन को किसी का विरोध हानि नहीं पहुंचाता और वह अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की हुज्जत होते हैं। यद्यपि वह कम ही क्यों न हों, फिर इस के बाद जो ज़माना भी आया फ़ितना ज़्यादा होता गया, तक़लीद की अधिकता होती चली गई और लोगों के कुलूब से अमानत सख्ती के साथ निकलती चली गई यहां तक कि लोगों ने दीनी मामलों में विचार करना छोड़ दिया और इस आयत का चरितार्थ बन गए कि हम ने अपने बाप दादा को इस तरीके पर पाया और हम तो उन्हीं के नक़शे कदम पर चलते हैं। बस अल्लाह ही से शिकायत है और वही मददगार है, उसी पर विश्वास है और उसी पर भरोसा है।”
(अल इंसाफ)

शाह साहब की इस इबारत से जहां तक़लीद की बुराई साबित हुई वहा यह भी साबित हुआ कि हर ज़माना में ऐसे लोग भी थे जो इस तक़लीद से खिन्न थे, अर्थात् यह कि अहले हदीस किसी इमाम

की तकलीद न करने वाले हमेशा से हैं और यह कोई नई जमाअत नहीं है अलबत्ता तकलीदी मज़ाहिब से निकले और पहले ज़माने में नहीं थे।

औलिया अल्लाह अहले हदीस ही होते हैं

आखिर में एक बात और सुन लीजिए। मुहदिसीन और औलिया अल्लाह सब अहले हदीस थे। कोई मुक़ल्लिद नहीं था। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुहदिस देहलवी रहो फरमाते हैं। “उलमा – ए–मुहदिसीन बैक मज़हब अज़ मज़ाहिब मुजतहिद नभी बाशन्द।” अर्थात् उलमा मुहदिसीन मुजतहिदीन के मज़ाहिब में से किसी एक मज़हब के पाबन्द नहीं होते। (फतावा अज़ीज़ी भाग 2)

इमाम शोरानी फरमाते हैं:

وَمَا شَمِ احْدَ حَقَّ لِهِ قَدْمُ الْوَلَايَةِ الْمُحْدِيَةِ إِلَّا وَيَصِيرُ يَأْخُذُ احْكَامَ
شَرِعَةِ مِنْ حِبْثِ اخْذِهَا الْمُجْتَهِدُونَ وَيَنْفَكُ عَنْهُ التَّقْلِيدُ لِجَمِيعِ
الْعُلَمَاءِ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(میزان کبری)

अर्थात् जिस व्यक्ति का कदम विलायते मुहम्मदिया पर साबित हो गया, वह शरअी अहकाम को वहीं से लेता है जहां से मुजतहिद ने लिया था। वह तमाम उलमा की तकलीद से अलग हो जाता है। और सिवाए रसूल से के किसी की पैरवी नहीं करता।

यह है मेरे पूर्वज! अल्लाह तआला उन पर अपनी रहमत की बारिशें बरसाए।

आज कल समय बहुत कम मिलता है। अगर कभी समय मिल जाता है तो इन्कारे हदीस के फ़ितना-ए-जली के बारे में कुछ

लिख लेता हूं। दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला कुछ फुरसत प्रदान करे और अपने दीन की सेवा का सौभाग्य प्रदान फ़रमाए।

यह संक्षिप्त बातें हैं जो आप के सवालों के जवाब में लिख दी हैं वरना मुफ़्स्सल जवाब के लिए तो एक किताब चाहिए।

रहे विस्तृत उत्तेजक वाक्य और जाती हम्ले जो आप ने लिखे हैं अगर वह सही हैं तो अल्लाह तआला मुझे माफ़ फ़रमाए और अगर सही नहीं हैं तो अल्लाह तआला आप को माफ़ फ़रमाए। मेरी आदत छोट करने की नहीं है। फिर भी अगर अनजाने में कोई बात ऐसी लिखने में आ गई हो, जिस से व्यंग महसूस हो तो कृपा करके माफ़ फ़रमाएं। मेरी नीयत इस में व्यंग की नहीं है बल्कि हकीकत खोलने की नीयत से आप को सचेत करना उद्देश्य है कि आप की फलां इबारत स्वंय आप के लिए मुफीद नहीं बल्कि इस से इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के अपमान का पहलू निकलता है यद्यपि आप की नीयत भी अपमान की नहीं होगी। मगर अनजाने में आप ऐसा कर गए हैं ख़ैर अल्लाह तआला हमारी ग़लतियों को माफ़ फ़रमाए। आमीन
الحمد لله رب العالمين.

ख़ादिम मसऊद
अज़ चक लाला
ता० 22— अगस्त 1961 ई०

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिनजानिब नवाब मुहियुदीन खां
सहायक टीचर, चांडयू हाई स्कूल
सजावल सिन्ध ज़िला ठट्ठा

मुकर्मी मसऊद साहब!

अस्सलाम आलैकुम! आप का पत्र मिला, मेरे पत्र का जवाब देने के लिए आप को काफी मेहनत करनी पड़ी, अपने आप में आप ने बहुत बड़ा काम किया बल्कि तीर मारा, और शायद यह समझ रहे होंगे कि मैदान जीत लिया और हंफी मज़हब (मसलक) खत्म हो गया आप ने जो लिखा है कि चौदह पृष्ठों का पत्र मुझ से लिखवाया गया, यह आप की ग़लत फ़हमी और खुश फ़हमी है। भला उलमा—ए—किराम ऐसा बिना दलील पत्र कैसे लिख सकते हैं। आप ने इस तरह लिख कर उलमा—ए—किराम का अपमान किया है हकीकत यह है कि वह पत्र किसी ने मुझ से नहीं लिखवाया, बल्कि मैंने इस तरह लिख कर उलमा—ए—किराम से ऐसी प्रार्थना की तो बजाए इस के कि जवाब जाहिलानां बाशद ख़मूशी” इन लोगों ने ख़ामोशी अखिलयार फरमायी और चौदह पन्नों का पत्र मेरा अपना लिखा हुआ था, मेरी अपनी भावनाएं थी और सब निष्ठा पर आधारित था किसी बुजुर्ग का अपमान कदापि नहीं था। मैं एक जाहिल इन्सान हूं। आप की तरह अंग्रेज़ी और फिर उलूम अरबी से बिल्कुल अनभिज्ञ। मैंने जान बुझकर किसी बुजुर्ग, किसी मुहद्दिस का अपमान कदापि नहीं किया। ऐसे कोई शब्द आप को समझाने के

सिलसिले में भावनाओं की रौ में मुझ जाहिल के क़लम से निकल गए हों तो मैं उन पर शर्मिन्दा हूं। खुदा दिलों के सब भेद जानते हैं, मैं उन के हुजूर तौबा करता हूं। अगर आप मेरा वह पत्र प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा मैं खंडन कर दूंगा। मैं किसी की तरह हट धर्मी से काम नहीं लेता। दर असल मुझे याद नहीं रहा था कि जिस को मैं पत्र लिख रहा हूं वह शब्दों की गिरफ्त करके उन को उछालने के आदी हैं। चलिए मुझ जाहिल के पत्र का जवाब लिख कर आप ने दुनिया में नाम तो कमाया, ख्याति हासिल की, आप के साथियों में आप के ज्ञान और काबलियत की धाक बैठ गई, और आप ने ख्याति हासिल करने के लिए खूब पत्र की नुमाईश की, यहां तक कि यह पुराना हो गया और आप ने दोबारा नक्ल करवा कर भेजा और कराची में भी नुमाईश के लिए भेज रहे हैं, ख्याति हासिल करने के लिए इन्सान क्या क्या कोशिशें करता है। आप अपने हम नशीनों में मेरा वह पत्र भी दिखला दीजिए, जिस में मैंने अपनी जिहालत को स्वीकार कर लिया है। अब आगे सुनिए और गौर से सुनिए। मैं आप को मुबारकबाद देता हूं कि आप बिदअतियों से तो बहर हाल अच्छे हैं। हम आप को इस्लाम से खारिज नहीं समझते। अब रहा आप की आपत्ति तक्लीद के बारे में तो गौर से सुनिए। हफ्फी मज़हब तिंकों का बना हुआ नहीं है जो आप के फूंक मारने से उड़ जाएगा या ख़त्म हो जाएगा और अगर ऐसा है तो फिर उस को ख़त्म ही हो जाना चाहिए। लेकिन ४

फूंकों से यह चराग़ बुझाया न जाएगा

इन्शा अल्लाह आप की फूंकों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा अब आगे पत्र जो मैं आप को लिखूँगा वह मुझ जाहिल के हाथ का लिखा हुआ न होगा। बल्कि हमारे उलमा-ए-किराम की

तरफ से होगा और इस पत्र में पहला सबक आप को दिया जाएगा वह तक्लीद के बारे में दलीलों से दिया जाएगा। आप दूसरे पत्र का इन्तिज़ार कीजिए। अगर पत्र में देरी हो जाए तो यह न समझें कि हमारे उलमा—ए—किराम लाजवाब हो गए हैं, इस के बारे में पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ६

फूंकों से यह चराग बुझाया न जाएगा

बल्कि देरी समय की कर्मी की वजह से होगी, बाकी इन्शा अल्लाह आइन्दा अगर कोई बात बुरी लगी हो मैं उस के लिए माफी चाहता हूं।

फ़क़्रत

ख़ादिम नवाब

नोट: हमारे उलमा—ए—किराम का इशार्द है कि आप जो केवल स्वयं को अर्थात् अपने मसलक को हक् पर समझते हैं, मेहरबानी फ़रमाकर ज़रा सा कष्ट करें कि तक्लीद करने वालों के आंकड़े निकाल कर रखें, जब तक हमारी तरफ से जवाब नहीं वसूल हो जाता। उस समय तक आप तक्लीद करने वालों की (जिन को आप अस्त्य समझते हैं) गणना करलें। आज तक्लीद लग भग एक हज़ार साल से चल रही है, न केवल हंफी ही तक्लीद करते हैं बल्कि शाफ़अी, मालिकी और हंबली भी तक्लीद करते आए हैं और कर रहे हैं, हर एक के आंकड़े निकाल लीजिएगा, और यह भी नोट कीजिए कि आज दीन की ख़िदमत अल्लाह तआला किन से ले रहे हैं। मुक़लिलदीन से या गैर मुक़लिलदीन से, दीनी मदारिस मुक़लिलदीन के ज़्यादा हैं या गैर मुक़लिलदीन के। तमाम दीनी कुतुब, तफ़सीरें आदि मुक़लिलदीन की ज़्यादा हैं या गैर

मुक़्लिलदीन की । आप के कथनानुसार अगर सारे मुक़्लिलदीन असत्य पर हैं और शिर्क करते हैं और जहन्नमी हैं तो फिर अल्लाह तआला दीन की खिदमत उन से क्यों ले रहे हैं? और अगर आप उन को बहुदेव वादी, बिदअती और जहन्नमी नहीं समझते बल्कि सत्य पर समझते हैं तो फिर यह शोर व हंगामा क्यों फैला रहे हैं और उम्मत में बिखराव मुक़्लिलदीन पैदा कर रहे हैं या गैर मुक़्लिलदीन? यह सब नोट निकाल कर रखिए । इंशा अल्लाह आप के काम आएगा । आप इस पत्र का जवाब सीधे मुझे दे सकते हैं ।

नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बख़िदमत जनाब मुहीयुद्दिन खां साहब

(चक लाला 20—अक्टूबर 1961 ई0)

अधिसंख्या का दीन की सेवा करना हक् पर होने की दलील नहीं

आप का पत्र मिला। समय न होने के कारण जवाब में देरी हुई। तक़लीद के दलाईल का भी स्वागत करूँगा। मगर पहले उन सवालात का जवाब है जो मैं पहले किसी पत्र में लिख चुका हूँ। पहले उन का जवाब दें। दूसरे यह कि तक़लीद पर बहस करते समय मुस्तनद कुतुब के हवाले से तक़लीद की परिभाषा भी लिखें और उन बातों का भी जवाब दें जो इस से विस्तार से लिखी गई हैं, तीसरे यह कि अगर तक़लीद उन चार इमामों की ही लाज़मी है तो बस उसी का सुबूत दें, दूसरी बातों में असल मसला को उलझा कर बात न बढ़ाएं। इस सिलसिले में आप ने मुक़लिलदीन के आंकड़े, उन के मदारिस व दीनी ख़िदमात की तरफ़ ध्यान आकृष्ट करने की जो दावत दी है वह मेरी जानकारी में है। मैं अधिसंख्यक से प्रभावित नहीं होता “हक् बहु संख्या के साथ होता है” यह कोई उसूल नहीं है, अल्लाह के शुक्र गुज़ार बन्दे थोड़े ही होते हैं। ”وقليل“ من عبادى الشكور“ (القرآن) हक् का मानने वाला अगर एक भी हो तो वही जमाअत है ख़िदमाते दीन में कादियानी भी कुछ पीछे नहीं,

तमाम दुनिया में तथा कथित इस्लाम की आवाज पहुंचा रहे हैं। और जगह जगह उन के तबलीगी सेन्टर हैं, रसूलुल्लाह स0 पहले ही भविष्य वाणी गए हैं कि इस दीन की मदद गुनाहगार आदमी से भी अल्लाह तआला ले लेता है, (सहीह बुखारी) आप के पत्र से ऐसा मालूम होता है कि हक की तलाश उद्देश्य नहीं बल्कि किसी समय की दुश्मनी है जो इस तरह सामने आ रही है। खैर आप की मर्जी है जो चाहें लिखें। मुझे सब कुछ स्वीकार है। अल्लाह करे आप हिदायत कुबूल कर लें।

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ.

मसलक वही सहीह है जो बुजुर्गों का था। उस में नए नए नज़रयात की मिलावट सख्त मना है। इस दौर में हर व्यक्ति आज़ादी का परवाना बना हुआ है। अतः मज़हबी पाबन्दियों को भी अपने लिए कैद समझता है। अपनी इच्छाओं पर चलने की यह भी एक राह है। मेरे निकट यह सोच इब्लीस का रास्ता है। नफ़स की स्वच्छता बड़ी ज़रूरी चीज़ है। सूफीवाद का गढ़ा हुआ नाम इस का विकल्प समझा जाता है लेकिन मौजूदा तसव्वुफ़ सुन्नत के खिलाफ़ होने की वजह से धृणित है। नफ़स की स्वच्छता का तरीक़ा वही सही है जो सुन्नत के अनुसार हो। बैअत की मौजूदा किस्म का मैं मुन्किर हूँ। ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। बशर्ते कि सुन्नत के मुताबिक हो। जैसे मौजूदा ज़माना में जो मजालिसे ज़िक्र आयोजित होती हैं और एक ख़ास तरीके से ज़िक्र किया जाता है, यह खिलाफ़ सुन्नत है। मैं तो सुन्नत का पाबन्द हूँ और हर उस चीज़ का विरोधी जो दीन के नाम पर की जाती हो लेकिन सुन्नत के विरुद्ध हो। अपमान और अनादर मेरा तरीका नहीं। कुरआन मजीद तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं तो इस तरह की हरकत हदीस की किताब के लिए भी पसन्द नहीं

करता ।

फ़क़्त

खादिम मसऊद

नोट: कुछ सवालात नवाब साहब ने अलग पर्चा पर लिखे थे जो इस किताब में शामिल हैं, यह सवालात कुरआन मजीद की तरफ पैर या पींठ करना या उस से ऊपर बैठना, जो सूफीवाद आदि के बारे में थे । (ऊपर इन्हीं सवालात के जवाबात हैं)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बख़िदमत जनाब नवाब मुहियुद्दीन साहब

इससे पहले एक पत्र भेजा था। नज़र से गुज़रा होगा। लेकिन जवाब से अभी तक महरूम हूं। मालूम नहीं क्या बात है? कैसे मिजाज हैं। आप नाराज़ तो नहीं हैं उम्मीद है कि जल्द ख़ेरियत से सूचित फ़रमाएँगे। मैं अभी इस बीच कोई पत्र नहीं भेज सका। समय भी बहुत कम मिलता है। आज समय मिला है तो यह पत्र लिख रहा हूं। मैं आज से 45 दिन की छुट्टी पर हूं। छुट्टी मात्र आराम करने के लिए ली है और इन दिनों मैं यहां नहीं रहूंगा।

अकीदों की पुख़्तगी उच्च गुण है बशर्तेकि हक़ की राह
में रोक न हो

मुझे तो आप से कोई व्यक्तिगत मलाल नहीं है। मालूम नहीं आप का क्या हाल है। मैं तो आप की इस्लाह का दिल से इच्छुक हूं और आपकी पुख़्तगी को भी अच्छा समझता हूं यह पुख़्तगी न हो तो आदमी हर किसी के बहकावे में आ सकता है। इस ज़माने में तो हर तरफ से ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं। यह पुख़्तगी ही इन फितनों से बचने का सबब बन सकती है। यह गुण तो मतलूब है कि जो कुछ माना जाए, तहकीक व उसके के बाद माना जाए। अल्लाह तआला आप को शोध की भावना के बाद इत्मीनान प्रदान फ़रमाए।

आमीन, मगर यह पुख़तगी तहकीक की राह में रोक पैदा करे तो
फिर बेशक यह कोई अच्छी चीज़ नहीं है और मुझे आशा है कि यह
बात आप में नहीं है और आप जैसे आदमी में होनी भी नहीं चाहिए।
अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फ़रमाएं।

फ़क़त

ख़ादिम मसऊद

9—जनवरी 1962 ई०

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

मोहतरम जनाब मसऊद साहब!

अस्सलामु आलैकुम

आज 15 जनवरी 1962 ई0 आप का कार्ड मिला, कुछ कारणों से मैं पहले पत्र का जवाब न दे सका, माफ़ फ़रमाइए, बहुत इरादा किया कि आप को पत्र लिखूँ मगर न लिख सका। मैं अब सजावल में नहीं हूँ। मेरा तबादला सजावल से गुलामुल्लाह हो गया है। इन्शा अल्लाह मैं अपना पता पत्र के आखिर में लिखा करूँगा। आप ने जो कुछ लिखा है, मैंने उस को ध्यान से पढ़ा और आप की हर बात को मैं दिलचस्मी से पढ़ता हूँ। मैंने कुछ समय पहले सजावल से आप को लिखा था कि हमारे उलमा—ए—किराम तक़लीद के बारे में दलीलों भरा जवाब लिखेंगे। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि जिन मोहतरम ने वह पत्र लिखवाया था वह अपने वायदे पर पूरे न उत्तर सके। जब मैंने जवाब का तकाज़ा किया तो वह टाल मटोल करने लगे, उन्होंने मुझे उपदेश और नसीहतों द्वारा समझाने की कोशिश की, लेकिन उन की दलीलें मुझे इत्मीनान न दिला सकीं। फिर उन्होंने मेरे लिए यह फ़तवा दिया कि नवाब साहब! तुम्हारे लिए सिवाए तक़लीद के चारा नहीं है क्योंकि तुम उलूमे अरबिया से अनभिज्ञ हो और बिल्कुल ही कोरे हो, अंग्रेज़ी पढ़ कर तुम्हारा दिमाग़ ख़राब हो गया है। आदि आदि पन्द्रह साल का पाठ्य आप को यूं बातों बातों में किस तरह समझाया जा सकता है, और आप की उम्र इस योग्य नहीं है कि आप पन्द्रह साल का पाठ्य पूरा कर

सकें। अतः तक़लीद के सिवाए चारा नहीं है। खैर तक़लीद के बारे में जहां तक मैंने गौर किया है, तो इस नतीजा पर पहुंचा हूं कि बुनियादी मसलों की हद तक तो कोई फ़र्क नहीं है। हर एक के पास तर्क हैं, केवल श्रेष्ठता का सवाल आता है। जैसे रफ़अ यदैन करने वाला श्रेष्ठ है। लेकिन न करने वाला गुनहगार नहीं क्योंकि न करना भी एक सहाबी रज़ि0 का अमल है जिस को अखिलयार किया गया है। इमाम के पीछे सूरा—ए—फ़ातिहा न पढ़ने के बारे में भी तर्क हैं। इमाम अहमद रह0 भी उन तर्कों के कायल हैं और इस तरह दूसरे मसाइल अपनी अपनी जगह रखते हैं। मैं इस तहकीक में इस बात का कायल हो गया हूं कि तक़लीद लाज़िम, व वाजिब नहीं है। कुरआन और अहादीस से बढ़ कर और क्या नेमत हो सकती है। इसी पर हमारा ईमान है और अल्लाह करे कि उसी पर हमारा खात्मा हो। लेकिन कुछ बातें अभी मेरे दिल में वसवसा के तौर पर आती हैं। वह यह कि वहाबी कौन सा सम्प्रदाय है? उस की असलियत क्या है? ये लोग कौन हैं? इन के अकीदे क्या हैं? नजदी कौन सा सम्प्रदाय है? इस की असलियत क्या है? ये लोग कौन हैं? उन के अकीदे क्या हैं? क्या वही लानती सम्प्रदाय तो नहीं है, जिस का ज़िक्र हदीस शरीफ में आया है? क्या हनफ़ियों का तरीका—ए—नमाज़ ग़लत है? लेकिन एक हदीस में मैंने पढ़ा है शायद आप को याद हो कि हुजूर सल्ल0 ने एक व्यक्ति को नमाज़ सिखाई तो उस में रफ़अ यदैन का तो कहीं ज़िक्र नहीं, वह तो हंफ़ियों के तरीका पर है। क्या वह हदीस ज़ईफ़ है? क्या हंफ़ियों के पीछे नमाज़ सही नहीं? अगर अहले हदीस पेश इमाम बन कर हंफ़ियों के तरीका पर नमाज़ पढ़ाए तो क्या यह नाजायज़ है? और है तो इन सब के तर्क क्या हैं? क्या मेरे जैसा एक व्यक्ति हदीसों की छः विश्वसनीय किताबें पढ़ कर स्वयं उन पर अमल कर सकता है?

या फिर भी उस को कुछ पूछने या मालूम करने की ज़रूरत बाकी रहती है। कृपया इन बातों पर रोशनी डालिए और अच्छी तरह मुझे समझाइए ताकि मेरी सन्तुष्टि हो जाए। मैं तक़लीद का कायल तो नहीं रहा, लेकिन इन बातों के बारे में सन्तुष्टि का इच्छुक हूँ, क्योंकि उन मौलाना के अनुसार मैं अरबी उलूम से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ अर्थात् जाहिल हूँ। और उन के अनुसार मेरे जैसे जाहिल के लिए तक़लीद के बगैर चारा नहीं। क्योंकि मुझ में तर्कों की छान बीन की समझ नहीं है। मसऊद साहब मेरा तो दिमाग़ काम नहीं करता जब सोचता हूँ कि दीन भी कितना मुश्किल हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है हर सम्प्रदाय अलग अलग रास्ते अखिलयार किए हुए हैं और हर एक के पास तर्क हैं। हदीसें देखते हैं तो उन में भी सहीह, हसन, ग़रीब, ज़ईफ और मौजू आदि आदि हदीसें मिलती हैं। जिन का जांचना उन मौलाना के, मेरे जैसे जाहिल का काम नहीं। और रावियों को देखते हैं तो वहां भी सिका और गैर सिका का सवाल है। मैं तो हैरान होकर रह गया हूँ कि क्या किया जाए। सही रास्ता क्या हो सकता है? कभी कभी तो मेरी अक़ल काम नहीं करती। और मैं यह समझने लगता हूँ कि यह तो एक बड़ा जबरदस्त उलझाव है और इस को सुलझाना मेरे बस का काम नहीं है। यह है सारी हकीकत जो मैंने आप को लिखी है। अब आप मेहरबानी फरमा कर मुझे इत्मीनान बख्श जवाब दें। जिस से मुझे पक्का विश्वास हो जाए। हंफी उलमा तो मेरी पूछताछ पर बिगड़ जाते हैं और मुझे अंग्रेजी दां और जाहिल का लक़ब देते हैं जाहिल तो वाक़आई मैं हूँ ही वरना खोज की ज़रूरत क्यों पड़ती। आप मेरे ख़त को ध्यान से पढ़िएगा और मुझे जल्द जवाब दीजिएगा ताकि मैं इस उधेड़ बुन में निकल सकूँ। बाकी खैरियत है।

नवाब मुहियुद्दीन खां

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत मखदूमी मुकर्मी जनाब नवाब मुहियुद्दीन साहब!

क्या तमाम मुक़लिलदीन अरबी ज्ञान से कोरे हैं?

(1) तक़लीद के सिलसिले में आप की और उन मौलवी साहब की बातचीत का हाल मालूम हुआ! उन का यह जवाब कि “नवाब साहब! तुम्हारे लिए सिवाय तक़लीद के चारा नहीं है क्योंकि तुम अरबी ज्ञान से अनभिज्ञ हो और बिल्कुल ही कोरे हो। बहुत ही अजीब है। इस का मतलब या तो यह है कि वे भी अरबी ज्ञान से कोरे हैं, और इसी वजह से तक़लीद करते हैं, या फिर वह उल्टूमे अरबिया से थोड़ा बहुत परिचित हैं, अतः तक़लीद नहीं करते। लेकिन हकीकत यह है, जो उन्हें भी तस्लीम होगी कि वह अरबी ज्ञान से परिचित होने के बावजूद तक़लीद करते हैं और उन के ख्याल में इस के बिना चारा नहीं। नतीजा यह निकला कि आप अरबी ज्ञान से कोरे हैं अतः तक़लीद ज़रूरी है और वह अर्बा ज्ञान से परिचित लेकिन तक़लीद फिर भी ज़रूरी। तो फिर यह कहना कि आप पन्द्रह साल का पाठ्य पूरा कर सकें यह मुममिन नहीं। अतः तक़लीद के सिवा चारा नहीं। अजीब बात है।

सहाबा किराम रज़ि० हदीस मिलने पर अपने फ़तवे से
रुजू कर लेते थे

(2) यह सहीह है कि सहाबा किराम रज़ि० में अकीदों का

मतभेद नहीं था। हां ज्ञान की कर्मी की वजह से कुछ मसाईल में कुछ सहावियों से चूक हो जाती थी। लेकिन जूँ ही उन को हदीस मिल जाती वह अपने फ़तवे से रुजू़ कर लिया करते थे और इस किस्म की मिसालें हदीस कि किताबों में पाई जाती हैं। आप जब शोध के मैदान में क़दम रखेंगे तो आप को स्वयं पता हो जाएगा। उस समय मिसालें देना ज़रूरी नहीं, यह भी हुआ है कि कुछ सहावी रजिलों अपने फतवे पर कायम रहे और उन को अपने फतवे के खिलाफ़ हदीस का पता न हो सका। ऐसा मतभेद तो हो जाया करता है और उस पर कोई पकड़ भी नहीं, हां गिरफ्त योग्य वह मतभेद है कि हदीस पहुंच जाने के बाद अपने किसी बुजुर्ग के कथन पर अड़ जाए, हमारे पुराने ज़माने के बुजुर्गों में यह बात न थी। वे लोग तकलीदी बन्धनों से आज़ाद थे, अपने उस्तादों तक के फतवों के खिलाफ़ फतवे दे दिया करते थे। *رحمهم الله تعالى*.

रफ़अ यदैन छोड़ना सुन्नत नहीं है

(3) कर्मों में अफ़ज़लियत का सवाल उस समय पैदा होता है जहां किसी काम के करने के रसूलुल्लाह स0 से दो तरीके मंकूल हों। अगर दोनों तरीके साबित हों और अहादीस से एक को श्रेष्ठता दी जा सकती हो तो फिर बे शक एक अमल श्रेष्ठ होगा और दूसरा कम। लेकिन जहां दो तरीके ही साबित न हों केवल एक ही तरीका हो तो फिर एक ही तरीका पर अमल करना होगा उस का तर्क अगर जायज़ हो तो बात और है लेकिन किसी हालत में भी तर्क अमल न सुन्नत होगा और न उचित। क्योंकि काम को छोड़ना कोई फेल ही नहीं, अतः फेल जहां सुन्नत होगा, वहां उसका छोड़ना सुन्नत न होगा। शाह इसमाईल शहीद रह0 ने अपनी किताब “तनवीरुल

“एनैन” में रफ़अ यदैन के सिलसिले में यही बात लिखी है। वे कहते हैं कि तर्क रफ़अ कोई अमल ही नहीं, अतः सुन्नत भी नहीं। रफ़अ यदैन का न करना केवल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िया से किसी हद तक साबित होता है, यद्यपि इमामों ने इस के सुबूत में भी शक व्यक्त किया है। इमाम तिर्मिज़ी रहा ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहा के कथन से साबित किया है कि यह हदीस साबित नहीं। इमाम अबु दाऊद रहा लिखते हैं: **هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو ب صحيح على اللفظ على هذا المعنى.** अर्थात् यह हदीस इन शब्दों और मायनों पर सही नहीं। इमाम बुख़ारी रहा ने भी इस के मूल को गैर महफूज़ बताया है फिर इस हदीस के संदिग्ध होने की एक और वजह भी है। यह हदीस कूफ़ा ही में प्रकाशित हुई थी। इस के रावी कूफ़ी, लेकिन हैरत का मकाम है कि इमाम मुहम्मद रहा को यह हदीस न मिली, और न इस का ज़िक्र उन्होंने अपनी किताबों में किया हालांकि उन्हें इस की सब से ज्यादा ज़रूरत थी और यह इस सिलसिले में सब से बेहतर हदीस थी। लेकिन उस को छोड़ कर उन्होंने कुछ आसार ज़िक्र कर दिए और अपने उस्ताद इमाम अबु हनीफ़ा रहा के मज़हब की बुनियाद इन्हीं आसार पर रखी। इस समय विस्तार में जाने का समय नहीं इस लिए मैं यह बात कहता हूं कि मान लें अगर यह हदीस सही भी हो तो इस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िया की अपनी राय है, सहमत सहाबा रज़िया की रिवायतें इन के विरुद्ध हैं और भी कई अपनी राय उन की मरवी हैं जिन को उम्मत ने कुबूल नहीं किया। जैसे वह रुकू में घुटनों पर हाथ नहीं रखते थे बल्कि रानों के बीच रखते थे और उसी की शिक्षा देते थे।

(सहीह मुस्लिम)

अतः जिस तरह उन व्यक्तिगत चीज़ों को अहादीस और

सहमत सहाबी रजिओ का फ़र्क है जायज़ नाजायज़ का फ़र्क है, हलाल व हराम का फ़र्क है, जैसे यही सूरा—ए—फ़ातिहा का मसला लीजिए जिस का आप ने ज़िक्र फ़रमाया है। इमाम शाफ़ी रहो के नज़दीक मुक्तदी को सूरह फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज है। हंफ़ी मज़हब में मना है। इमाम मुहम्मद रहो ने तो यहां तक नक़ल किया है कि अगर मुक्तदी पढ़ेगा तो उस की नमाज़ न होगी, फ़िलहाल एक मिसाल काफ़ी है विस्तार से ज़रूरत के समय फ़िर कभी पेश करूँगा।

तक़्लीद गुमराही की जड़ है

5— तक़्लीद न केवल यह कि वाजिब नहीं बल्कि गुमराही की जड़ है, अल्लाह तआला ने बाप दादा और उलमा दोनों की तक़्लीद की निंदा कुरआन मजीद में की है। बाप दाद के बारे में तो मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है उलमा की तक़्लीद के बारे में एक आयत اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِّيْحَ ابْنَهُ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمُسِّيْحَ ابْنَهُ
अर्थात् “किताब वालों ने अपने उलमा और शैखों को अल्लाह के अलावा अपना पालनहार बना रखा है। और मसीह इब्ने मरयम अलैहिओ को भी, यद्यपि उन्होंने यह हुक्म दिया गया था कि एक अल्लाह की उपासना करें” (सूरा तौबा) इस आयत की टीका में जो हदीस है, कृपया इस का अध्ययन करें जिस से यह साबित होगा कि वह तक़्लीद करते थे इस लिए उलमा उन के पालनहार हुए इस आयत की रु से तक़्लीद का दान्डा शिर्क बहुदेव वाद से जा मिलता है।

वहाबी कोई सम्प्रदाय नहीं

6— वहाबी कोई सम्प्रदाय नहीं है। बिदअतियों के निकट हर

वह व्यक्ति वहाबी है जो इन प्रचलित बिदअतों के खिलाफ़ ज़बान खोले। ये लोग वहाबियों का पेशावा इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहो को बताते हैं और उन की तरफ तरह तरह के ग़लत और मकरुह मसाईल मंसूब करते हैं इमाम मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहो मुक़लिद थे उन के मानने वाले ह़बली हैं। यह वह सम्प्रदाय नहीं जिस का ज़िक्र अहादीस में है, वह तो ख़ारजी सम्प्रदाय है जिस से हज़रत अली रज़ियो ने जिहाद किया, और उन का क़त्ले आम किया यही हदीसें पढ़ कर उन को क़त्ल कराया और फिर जो निशानी हदीस में बताई गई थी वह उन में पाई गई अर्थात्, उन में एक मर्द था जिस का एक बाजू छाती जैसा था।

यह कोई उसूल नहीं

7- हंफ़ियों का नमाज़ का तरीक़ा बेशक ग़लत है लेकिन वह हदीस जिसका ज़िक्र आप सल्लो ने किया है सही है इस हदीस में बहुत सी बातों का ज़िक्र नहीं है और इस से उनका न होना लाज़िम नहीं आता। कोई एक हदीस ऐसी नहीं जिस से पूरा नमाज़ का तरीक़ा मालूम हो सके सहाबा रज़ियो अंशों को अलग अलग बयान करते थे। अबु हुमैद साअदी रज़ियो की एक बहुत ही लम्बी हदीस है लेकिन पूरा तरीक़ा उस में भी नहीं। जिस हदीस की तरफ आप ने इशारा फ़रमाया है उस में तो शुरु नमाज़ का भी रफ़अ यदैन नहीं है, इस में बड़े बड़े काम या उन कामों का उल्लेख है जिन में वह व्यक्ति ग़लती कर रहा था।

8- क्योंकि हंफ़ियों का तरीक़े नमाज़ ग़लत है और इस दर्जा से भी कि तक़लीद में शिर्क का हिस्सा है उन के पीछे नमाज़ पढ़ी जाए। सवाल आप का सख्त है लेकिन हक़ छुपाना इससे भी सख्त है।

9- अहले हदीस अगर इमाम बन कर हंफियों की सी नामज़ पढ़ाए तो यह ज़ईफ़ ईमान की दलील है और अगर कोई सांसारिक हित मद्दे नज़र है तो फिर दीन बेच कर दुनिया ख़रीदने की मिसाल है कुरआन मजीद में इस काम की निंदा में अनेक आयतें हैं।

उस्तादी और शार्गिदी तक़्लीद नहीं

10- हदीस की किताबों पढ़ कर हर व्यक्ति स्वयं उन पर अमल कर सकता है, मालूम करने की ज़रूरत केवल इस हद तक बाकी रह सकती है जैसे एक शार्गिद को अपने उस्ताद से होती है। जैसे आप ने स्कूल में शिक्षा पाई। उस्तादों ने आप को पढ़ाया। लेकिन उन में से किसी उस्ताद की राय को मानना आप के ज़िम्मे वाजिब नहीं और न आप करते हैं, तक़्लीद के इन्कार से पढ़ने पढ़ाने का इन्कार नहीं होता।

तक़्लीद का कारण हीन भावना

11- विनम्रता इस हद तक लाभकारी नहीं कि आप की राह में रुकावट पैदा करे। दूसरे लोग अगर आप की हिम्मत कम करने की कोशिश करें तो आप उस की परवाह न करें। कोशिश और दृढ़ संकल्प से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। दीन की तहकीक कोई मुश्किल काम नहीं है एक ज़माना में जो हालत आप की अब है मेरी भी यही हालत थी, लोगों ने हिम्मत कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस ने मदद फ़रमाई। बेशक हदीसों में सही, हसन, ज़ईफ़ मौजू सब कुछ हैं, रावियों की गवाही और गैर गवाही का सवाल है। लेकिन यह भी एक कला है और इस फ़न में आप शोध के लिए कदम रखें तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। इस

कला में हर चीज़ तर्कपूर्ण है, सन्तोषजनक है, बे दलील चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ी बहुत अरबी भी आप को आ गई तो आप का काम निकल जाएगा, आप हिम्मत हार कर न बैठ जाएं कि अरबी में महारत कैसे होगी, उलमा—ए—हिन्द में अधिकांश ऐसे होते हैं जिन को पूर्ण महारत नहीं होती लेकिन बावजूद इस के वह सब कुछ करते हैं। जाहिल से ही आलिम बना करते हैं। आलिम पैदा नहीं हुआ करते अगर मान लें आप जाहिल हैं तो क्या, अब आप इतने ना उम्मीद हो चुके हैं कि आलिम बन ही नहीं सकते। हिम्मत से काम लीजिए, कोशिश कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, कामर्याबी फिर आप के कदम चूमेगी। इन्शा अल्लाह तआला। अल्लाह तआला का वादा है। **وَالذِّينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهَدِنَاهُمْ سَبِيلًا**۔

حق جہاد

फ़क़ر
ख़ादिम मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

बख़िदमत शरीफ मुहतरम जनाब मसऊद साहब

अरसलामु आलैकुम

तक़्लीद के बारे में आप ने जो कुछ लिखा है वह बेशक सही और ठीक है आप की मुलाक़ात से मुझे हक़कीत में बड़ा फ़ायदा पहुंचा। आप से पहली मुलाक़ात के समय तो मेरी यह हालत थी कि मैं तक़्लीद आदि के झगड़ों से परिचित न था और न ही ज़िन्दगी में इन चारों मज़्हबों के बारे में कुछ सोचा था। जब आप के पास से सजावल लौटा तो मैंने किताबों का अध्ययन शुरू किया और फिर विद्वानों से मिल कर मालूमात हासिल करना शुरू की। और आप से पत्र-व्यवहार का सिलसिला भी जारी था। फिर हंफ़ियों के बड़े बड़े आलिमों से मिला, मगर किसी ने भी कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया, और अभी तक तहकीक का सिलसिला जारी है लेकिन उन उलमा से बहस व मुबाहिसा के बाद इस नतीजा पर पहुंचा कि चूंकि ये लोग बचपन से अर्थात् जैसे ही मदरसों में दाखिल होते हैं फ़िक़ह हंफी पढ़ना शुरू कर देते हैं और उन के, उस्ताद इनके दिमाग़ों में हंफी फ़िक़ह ठूंस देते हैं और यह उसी फ़िक़ह में उलझ कर रह जाते हैं। बस यह चक्कर एक ज़माना से चला आ रहा है, ये मेरी अपनी राय है शायद और कोई दूसरी वजह हो जिस के लिए यह लोग हंफ़ियत पर अड़े हुए हैं। मतलब यह कि अल्लाह तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि उन्होंने आप के ज़रिए से मेरी

रहबरी फरमाई और दीन की समझ प्रदान फरमाई। आगे भी वही राह खोलने वाले और रास्ते दिखाने वाले हैं। जो बातें मैंने आप से मालूम की थीं आप ने इन का बेहतरीन (सतर्क) जवाब प्रदान फरमाया। लेकिन अभी दो चीज़ें और उलझन की हैं। वह यह कि अब तक मैंने जितनी नमाजें पढ़ीं क्या वे सब बेकार हो गयीं और मैं अपने मुरशिद (शैख़) का बतलाया हुआ ज़िक्र करता हूँ, क्या वह भी ग़लत है अगर ग़लत है तो फिर किस तरह ज़िक्र किया जाए और अब नमाज़ के बारे में क्या किया जाए। मस्जिद मेरे घर के सामने है। समझिए मस्जिद के सेहन में मेरा घर है तो क्या मैं अब नमाज़ घर पर शुरू कर दूँ। जुमा आदि सब घर पर पढ़ूँ तरावीह भी घर पर पढ़ूँ। ऐसी सूरत में तो जुमा और नमाज़ बा जमाअत के सवाब से तो मैं महरूम हो जाता हूँ। इस पर मेहरबानी फरमाकर रोशनी डालिए।

2- एक चीज़ और दिल में खटकती है वह यह कि बड़े बड़े चोटी के मशहूर उलमा हंफ़ी आखिर क्यों हंफ़ियत पर अड़े रहे, क्या उन को अज़ाबे जहन्नम का खौफ़ नहीं है। यह अज़ाब व सवाब को जानते हुए क्यों हंफ़ी बने बैठे हैं, यह क्या भेद है? (इन्शा अल्लाह आइन्दा विस्तार से पत्र लिखूँगा)

फ़क़ر
ख़ादिम नावाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब मुहियुद्दीन खान

बखिदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसजद साहब

अस्सलाम आलैकुम

कल मैंने एक पत्र आप की सेवा में भेजा शायद मिल गया होगा। कल जिस समय आप का पत्र मिला, मैंने उसी रात जवाब लिख कर सुबूह को डाक के हवाले कर दिया। जिस समय आप का पत्र मिला वह समय कुछ अजीब था। अर्थात मैं ज़ेहनी परेशानी का शिकार था, जैसे ही आप का पत्र पढ़ा, ऐसा मालूम हुआ मानो मेरे सर से यकायक बोझ हल्का हो गया। यही वजह थी की मैंने तुरन्त जवाब लिखना शुरू किया लेकिन दिल सन्तुष्ट नहीं हुआ, मैं बहुत कुछ लिखना चाहता था। लेकिन न लिख सका आप के और मेरे बीच तकलीद के बारे में पत्र—व्यवहार जारी है और बहुत सारी बातें मेरी समझ में आती जा रही हैं। मैं आप की मुलाकात को भी अल्लाह तआला की एक नेमत समझता हूँ। यह आप ही हैं जिन की वजह से तहकीक का सिलसिला शुरू हुआ, यूँ समझए कि मुझ पर हकीकत प्रकट हुई और जैसे जैसे हकीकत मुझ पर प्रकट होती गयी मुझे बड़ा आनन्द आता गया। और वह सारी किताबें जो हंफ़ी उलमा की लिखी हुई मैंने जमा की थीं मेरी नज़र में महत्वहीन होकर रह गई और मुझ में कुरआन और अहादीस के अध्ययन का शौक पैदा होता गया। मैंने हंफ़ी उलमा से बहस व मुबाहेसा किए लेकिन हर एक का जवाब या बहस का नतीजा यही निकला कि इमाम अबु हनीफा रह0 की बात समझने के लिए अरबी ज्ञान से

अवगत होना ज़रूरी है और इस के लिए 15 साल का पाठ्य सीखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जैसे जाहिल के लिए वाव का ज़ेर व ज़बर का फ़र्क समझना हदीस की पहचान आदि सख्त मुश्किल काम है और इमाम साहब रहो इमाम बुखारी आदि से ज़्यादा अहादीस को पहचानते थे। जब मैंने उन से सवाल किया कि फिर वह अहादीस कहां हैं जिन को इमाम साहब रहो ने पहचाना? वह कौन सी किताब है और वह किताब आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते तो इस का उन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर मुझ पर जिहालत और अनादर करने का फतवा लगाया जाने लगा। वह मौलवी साहब जिन का मैंने पहले पत्रों में ज़िक्र किया था। उन के जोश व ख़रोश से मुझे कुछ उम्मीद हो गई थी कि यह मौलवी साहब ज़ोरदार हैं इसी लिए तो ऐसे शब्द लिखवा रहे हैं कि हंफी मज़हब तिंकों का बना हुआ नहीं है कि उड़ जाए। हमारे पास तर्क हैं, हम ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि दांत ख़ट्टे हो जाएंगे आदि लेकिन जब मैंने उन मौलवी साहब से जवाब लिखने को कहा तो मेरे तकाजे पर चराग पा हो गए और फिर वह कुछ फ़रमाया जो मैं पहले आप को लिख चुका हूं उन्होंने रफ़अ यदैन के बारे में अर्थात उस के विरुद्ध एक हदीस यह बयान फ़रमाई कि एक बार कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे तो हुजूर स0 ने देख कर फ़रमाया कि तुम लोगों को क्या हो गया है जो घोड़ों की दुमों की तरह हाथ हिला रहे हो? और दूसरी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 की हदीस बयान की थी कि यह हुजूर स0 का आखिरी अमल था तो कहा चूंकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 के ठीक पीछे पहली पंक्ति में खड़े होते थे और हुजूर स0 की हरकात व सकनात को ध्यान से देखते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 चूंकि कम उमर थे और उन को दूसरी तीसरी पंक्ति में जगह मिलती थी, इस लिए हज़रत

अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० से हज़रत अब्दुल्लाह निब मसऊद रजि० का दर्जा ज्यादा है मैंने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० की यह हदीस तो ज़ईफ़ है। इस पर वह बिगड़ गए और मुझ पर जिहालत का फ़तवा लगा दिया। फिर सजावल में कुछ ऐसी हालत हो गई, कि उन मौलवी साहब ने अपने शार्गिदों और दूसरे लोगों को भी मिलने से मना कर दिया अर्थात् मेरा बायकाट कर दिया। मैंने अलीमुदीन साहब की दुकान में रफ़अ यदैन से नामज़ पढ़ना शुरू की। जिस पर एक हंगामा हो गया और सजावल जो इन मौलवी के ज़ेरे असर है मेरे खिलाफ़ हो गया। फिर मैंने फ़ितना और शर को दबाने के लिए यह किया कि मौलवी नूर मुहम्मद साहब से कहा कि मैं अभी तहकीक में लगा हुआ हूं और तहकीक कर रहा हूं। अतएव मैंने मस्जिद में फिर नामज़ शुरू कर दी और तहकीक में लगा रहा लेकिन अब तक्लीद का शीशा टूट कर चकना चूर हो चुका था। उन मौलवियों से मेरा दिल टूट चुका था। मैंने सोचा कि अब ख़ामोशी से मैं तहकीक में लगा रहूं और हक़ का पता मुझे लग जाए तो यह अल्लाह तआला की ज़बरदस्त मेहरबानी व करम है। उन्हीं से दुआएँ कीं और उन्हीं से मदद मांगी।

फिर कुछ कामों की वजह से ऐसा बेबस हो गया कि तहकीक व अध्ययन आदि सब बन्द हो गया था लेकिन आप का वह पोर्स्ट कार्ड जो सजावल से होता हुआ मुझे गुलामुल्लाह में मिला ऐसा काम कर गया कि मैं मानो नीन्द से जाग पड़ा मालूम हुआ जैसे मुझे किसी ने डिंझोड़ कर नींद से जगा दिया। आप का कार्ड पढ़ने के बाद मैंने स्वयं से कहा कि यह क्या, तू एक ज़रूरी काम को छोड़ कर बैठ गया। अतएव मैंने फिर से कोशिश शुरू की और अपने संदेह आप को लिखे। आप ने जवाबात दिए वह मुझे बे हद पसन्द आए अर्थात् मैं अल्लाह की कृपा से कायल हो गया।

मैं अल्लाह की कृपा से में रफ़अ यदैन से नमाज़ पढ़ता हूं और
मेरी पत्नी भी रफ़अ यदैन से नामज़ पढ़ती है, कुरआन और हदीस
से बढ़ कर और क्या हक हो सकता है कुरआन व हदीस छोड़ कर
और रास्ता ढूँढना सरासर जिहालत है। अल्लाह तआला आप को
अजरे अज़ीम प्रदान फ़रमाए। आप के दर्जे बुलन्द फ़रमाए।
आमीन।

और प्रार्थना करता हूं कि मेरे लिए और मेरी सन्तान के लिए
दुआए ख़ैर फ़रमाएं।

खादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बखिदमत जनाब नवाब मुहियुद्दीन साहब
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु | अम्मा बाद!
चक लाला 5—फ़रवरी 62 ई0

तौबा के बाद पिछले गुनाह भी नेकियों में बदल दिए
जाते हैं

आप के दो पत्र एक साथ पहुंचे। आप के सवालों का जवाब
क्रमवार दे रहा हूं।

(1) अब तक आप ने जितनी नमाजें पढ़ीं हैं, वह इंशा अल्लाह
बेकार नहीं जाएंगी। इस वजह से कि अब आप तौबा कर चुके हैं,
नमाज़ तो नेकी है अगर कोई गुनाह भी होता तो वह भी नेकी में
तब्दील होकर सवाब का कारण बन जाता। अल्लाह तआला
الا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحًا فاولئك يبدل الله سيئاتهم :
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ أَرْحَيمٌ .
नेक अमल करे तो ऐसे लोगों की बुराईयों को अल्लाह तआला
नेकियों में तब्दील कर देता है और अल्लाह गफूर और रहीम है।

(सूरा फुरकान 70)

अतः आप ना उम्मीद न हों बल्कि कुरआन मजीद की यह शुभ
सूचना सुन कर अल्लाह तआला का शुक्र अदा करें कि वह अपने

बन्दों पर कितना मेहरबान है। अल्लाह तआला से अच्छा गुमान रखें
एक हदीस कुदसी में है कि “मैं अपने बन्दे के गुमान के साथ हूं”

(सहीह बुखारी)

गैर مسنून वज़ीफ़े कोई नेकी नहीं

(2) मुरशिद का बताया हुआ जिक्र आप कर सकते हैं बशर्तेकि सुन्नत से उस का सुबूत मिलता हो। वरना उस को तर्क करके वे अज़कार व औराद अख्तियार फरमाएं जो सुन्नत से साबित हैं। इस सिलसिले में कई किताबें छप चुकी हैं जैसे “हिस्ने हसीन” “अलहिज्बुल मक़बूल” आदि यह तमाम अवराद मिशकात शरीफ में भी मौजूद हैं। अल्लाह तआला فَرَمَّأَهُمْ بِحَجَوْنَ اللَّهُ أَعْلَمُ ۖ “कह दीजिए! अगर तुम्हें अल्लाह से मुहब्बत करने का दावा है तो मेरा अनुसरण करो (आले इमरान) ऐसी कोई नेकी नहीं है जो रसूलुल्लाह سल्लो ने न सिखाई हो और जो नहीं सिखाई वह नेकी नहीं है।

(3)..... आप सब नमाजें घर में अदा करें। आप शरअी उज़्र की बिना पर जमाअत छोड़ेंगे, अतः आप को जमाअत का ही सवाब मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जहां आप हैं वहां जमाअत है ही नहीं। अतः महरुमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बल्कि जमाअत तो आप हैं। यद्यपि आप अकेले ही क्यों न हों देखिए अल्लाह तआला ابْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةً قَاتَلَ اللَّهَ حَنِيفًا ط अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाता है : ان

ابْرَاهِيمَ كَانَ أَمَةً قَاتَلَ اللَّهَ حَنِيفًا ط

थे, अल्लाह के आज्ञा पालक थे और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ़ पलटने वाले थे (कुरआन करीम)

इस हदीस में भी आप के लिए खुशखबरी है: اذا مرض العبد

او سافر کتب لہ مثل ماسکان یعمل مقیماً صحیحاً (سہی بُوچاری) ”अर्थात् जब बन्दा बीमार या मुसाफिर होता है तो उस को उतना ही सवाब मिलता है जितना इकामत और सेहत की हालत में“) बस इसी तरह की مजबूरी आप के सामने है।

उलमा हक् का मेयार नहीं

(4) आप का चौथा सवाल एक वस्तवसा है, आप उस वस्तवसे से अल्लाह की पनाह तलब कीजिए बड़े बड़े उलमा अहनाफ़ या हंफ़ियत पर क्यों अड़े रहे? यह अज़ाब व सवाब को जानते हुए क्यों हंफ़ी बने बैठे हैं? क्या उन को अज़ाबे जहन्नम का ख़ौफ़ नहीं है? हमें इन सवालात और उन के जवाबों से क्या लेना देना, न उन की पैरवी हम पर लाज़िम है, न उन के विरोध से हमारा कुछ नुक़सान है, हमें अपने अक़ीदे और आमाल का हिसाब करना है, अगर वह सही हैं तो फिर यह परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन उस के विरोधी है और कौन उस के अनुकूल, कौन जन्नती हैं और कौन जहन्नमी? यह फैसला अल्लाह को करना है। हम से हमारे कर्म की पूछ होगी। لَهَا مَا كَسِبْتُ وَلَكُمْ مَا كَسِبْتُمْ۔

अल्लाह की इच्छा व मर्जी का सबब समझता है और इस्लाम से दूरी ही को अल्लाह का हुक्म समझता है। यही हाल तमाम धर्मों वालों का है निष्ठा हर जगह पाई जाती है लेकिन इस निष्ठा पर मुक्ति नहीं है, वे निष्ठा की वजह से इस्लाम नहीं लाते तो वह बच नहीं सकते। वह बावजूद इस निष्ठा के भी काफिर रहेंगे अब और ज़रा करीब आ जाइए। खारजी, मुसलमानों का ही एक सम्प्रदाय है। अत्यन्त परहेज़गार, कुरआन के बहुत बड़े आलिम। लेकिन इसी के साथ रसूलुल्लाह सल्लू⁰ की भविष्य वाणी के अनुसार इस्लाम से बाहर हैं। अब क्या कहें? ख़लीफ़ा—ए—राशिद के मुकाबला पर आ गए? क्या उन्हें जहन्नम का डर नहीं था? फिर क्या इस लिए कि वह बहुत बड़े आलिम थे, मुत्तकी थे, यहां तक कि कबीरा गुनाह करने वाले को काफिर समझते थे। हम उन्हें अच्छा समझने लगें और उनके जहन्नमी होने में शक व संदेह में पड़ जाएं।

अब ज़रा करीब तर आइए! बरेलवी उलमा तो हमारे भाई बन्द हैं, अहले सुन्नत कहलाते हैं लेकिन आप उन्हें बहुदेववादी समझते हैं। अब क्या यह सवाल नहीं हो सकता कि क्या उन्हें अपने जहन्नमी होने का भय नहीं? क्यों जान बूझकर हक् का इन्कार करते हैं? निश्चय ही इस संदेह की बिना पर हम उन्हें अच्छा नहीं कह सकते। न उन की तरफ झुक सकते हैं, जो हक् है वह हक् है। *فَمَاذَا بَعْدُ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ* और हक् के बाद कुछ नहीं सिवाए गुमराही के (कुरआन मजीद) जो हक् का निष्ठा से इन्कार करे वह गुमराह है और जो बुरी नीयत से इन्कार करे वह भी गुमराह है।

इजतेहादी मतभेद और तक्लीद का फ़क़्र

इजतेहादी मतभेद आमाल में तो हो सकता है और उस को

सहन किया जा सकता है लेकिन जब यह मतभेद अकाईद की हद तक पहुंच जाए, शिर्क को तौहीद समझ लिया जाए तो फिर यह सहन नहीं हो सकता। इमामों का मतभेद इजतेहादी था और केवल कर्मों में था। मुक़ल्लिदीन का मतभेद तक़लीदी है और उस तक़लीदी मतभेद को शरीअत का दर्जा दे दिया गया है बस यही एक ऐसी एतेकादी ख़राबी है जो शिर्क की सीमा में दाखिल हो जाती है।

अब बताइए इन के बारे हमें क्या अकीदा रखना चाहिए। अगर हमारे अकीदे में यह बात न हो कि तक़लीद से गुमराही पैदा होती है तो हमारा ईमान कैसे कामिल होगा। इस अकीदा को भी ईमान का हिस्सा बनाना चाहिए—

अब आप के दूसरे पत्र का जवाब शुरू होता है।

30 शाअबान

एक हडीस से रफ़अ यदैन के ख़िताफ़ ग़्लत विवेचन

रफ़अ यदैन के सिलसिले में आप ने एक हडीस तहरीर फरमाई है वह यह कि

“एक बार कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, तो हुजूर अकरम स0 ने देख कर फरमाया तुम लोगों को क्या हो गया है जो घोड़ों की दुमों की तरह हाथ हिला रहे हो।”

अब इस का जवाब सुनिए!

पहला- रसूलुल्लाह सल्ल0 का रफ़अ यदैन करना शब्वाल 10 हिठो तक साबित है। अब अगर निररत्त हुआ तो इन चार महीनों में से

किसी महीने में हुआ होगा। जी काअदा, ज़िल हिज्जा, मुहर्रम, सफ़र।” और अगर यह मान लिया जाए कि हज़रत वाइल जो रफ़अ यदैन के रावी हैं हुज्जतुल विदा में आप स0 के साथ गए होंगे तो फिर केवल दो महीना पाक जीवन के बाकी रह जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो काम इतना मकरूह हो उस को रसूले मुकद्दस सल्ल0 नौ दस साल तक करते रहे, क्या ऐसे मकरूह काम को रसूलुल्लाह स0 की तरफ़ मंसूब करना किसी मोमिन का काम हो सकता है?

दूसरा-क्या किसी हुक्म को निरस्त करने का यही तरीका है? जो आप सल्ल0 किया करते थे, वही वह लोग कर रहे थे तो फिर यह कहना चाहिए था कि ऐ मोमिनों! अब यह तरीका बदल गया अब ऐसा न किया करों

तीसरा-यह हदीस सहीह मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन سुमरह रज़ि0 से मरवी है। हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत करने वाले दो असहाब हैं। एक तमीम बिन तरफ़ा रह0, दूसरे उबैदुल्लाह रह0 तमीम रह0 ने इसे सार में बयान किया है और उबैदुल्लाह रह0 ने विस्तार से। पहले तमीम की रिवायत सुनिए!

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قال مالى أراكم رافعى ايديكم كانها اذناب

الله عليه وسلم ف قال مالى أراكم رافعى ايديكم كانها اذناب

أرثاً ت راسكوا في الصلة .

हमारे पास बाहर तशरीफ़ लाए फिर फ़रमाया। क्या

बात है कि मैं तुम को नमाज़ में इस तरह हाथ उठाते

देखता हूं मानो कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं।

नमाज़ में सुकून पैदा करो। (सहीह मुस्लिम)

كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقلنا السلام

عليكم ورحمة الله وشاربيده. الى الجانيين فقال رسول الله
 صلى الله عليه علام المؤمن بآيديكم كانها اذناب خل شمس
 انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذنه ثم ليسلم على أخيه
 من يمينه وشماله.

अर्थात जब हम रसूलुल्लाह स० के साथ नमाज पढ़ा करते थे तो अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए दोनों तरफ हाथ से इशारा करते थे । तो रसूलुल्लाह स० ने फरमाया कि तुम अपने हाथों से इस तरह इशारे करते हो मानो कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं । तुम्हारे लिए बस इतना काफ़ी है कि अपना हाथ रान पर रख लो, फिर सीधी तरफ और उल्टी तरफ अपने भाई को सलाम कर लो । (सहीह मुस्लिम)

इन दोनों रिवायतों के मिलाने से मालूम हुआ कि जिस रफ़अ यदैन से रोका गया है वह रफ़अ यदैन इन्दरसलाम है न कि रफ़अ यदैन इंदर्कू लेकिन उलमा अहनाफ कहते हैं, पहली रिवायत में रफ़अ यदैन इंदर्कू की मनाही है और दूसरी में रफ़अ यदैन इनदरसलाम की, दोनों अलग अलग हैं । दूसरी रिवायत पहली की व्याख्या नहीं करती बल्कि अलग एक घटना है । दो घटना होने के दो कारण भी बयान करते हैं, जो निम्न हैं ।

पहली वजह:

पहली रिवायत में है कि “आप बाहर तशरीफ लाए, दूसरी में है कि “हम जब आप के पीछे नमाज पढ़ा करते थे ।”

दूसरी वजह:

पहली में “اسكنوا في الصلوة” है अर्थात नमाज में खामोश रहो दूसरी में यह शब्द नहीं है ।

पहली वजह का जवाब

दोनों रिवायतों को मिलाकर इबारत इस तरह बनती है कि जब हम रसूलुल्लाह स0 के पीछे नमाज़ पढ़ा करते थे तो हाथ उठाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि आप स0 बाहर तशरीफ लाए और आप स0 ने हमें इस तरह करते हुए देख लिया तो फरमाया। क्या बात है कि तुम सलाम करते समय हाथ उठाते हो मानो कि वह सरकश घोड़ों की दुमें हैं, (जो बार बार उठती हैं न कि वक्फ़ा से) नमाज़ में खामोशी रखो आदि आदि।

दूसरी वजह का जवाब:

الَا يَسْكُنُ أَحَدٌ كَمْ فِي (الصلوة) के शब्द मौजूद हैं। और यह रिवायत सहीह अबु अवाना में मौजूद है और मुसनदे इमाम अहमद रह0 में भी है।

चारः

इन दोनों रिवायतों के एक घटना के बारे में होने के तर्क यह हैं।

पहलीः

रिवायत का मज़मून लगभग एक है अर्थात् “खामोश रहो” और “मानो कि सरकश घोड़ों की दुमें”

यह शब्द समान हैं।

दूसरीः

रावी एक हैं जाबिर बिन सुमरा रज़ि0।

तीसरीः

तमाम मुहदिसीन ने इन दोनों रिवायतों को सलाम के अध्याय में रिवायत किया है। जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रह0, इमाम अबु दाऊद, इमाम नसाई, इमाम इब्न हब्बान, इमाम तहावी रह0 आदि।

इमाम बुखारी रह0 लिखते हैं ।

فَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي التَّشْهِيدِ
وَلَا يَحْتَاجُ بِهَذَا مِنْ لِهِ حَظًّا مِنَ الْعِلْمِ هَذَا مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ لَا احْتِلَافٌ فِيهِ.

अर्थात् रसूलुल्लाह स0 ने तशहहुद में सलाम करते समय हाथ उठाने से मना करमाया था । और जिस व्यक्ति में ज़रा सी भी समझ है वह इस से रफ़अ यदैन इन्दर्कू न करने के लिए दलील नहीं लेता । यह मारुफ़ व मशहूर है । इस में मुहद्दिसीन का मतभेद ही नहीं है ।

(كتاب رفع اليدين للإمام البخاري صفحه ١٥)

यह रफ़अुल यदैन इन्दरसलाम शीओं में अब तक प्रचलित है और जब वह ऐसा करते हैं तो बिल्कुल ऐसा मालूम होता है, जैसा कि सरकश घोड़ों की दुमें उठ रही हैं । शायद आप ने भी शीओं को ऐसा करते हुए देखा होगा ।

पांचवी:

अगर इस हदीस से रफ़अ यदैन मना है तो फिर तमाम रफ़अ यदैन मना हो जाएंगे, यहां तक कि शुरु नमाज का रफ़अ यदैन । नमाज ईदैन में रफ़अ यदैन । नमाज वितर में रफ़अ यदैन कोई जाईज़ नहीं रहेगा, क्यों कि इस हदीस में किसी रफ़अ यदैन की विशेषता नहीं है ।

इमाम बुखारी रह0 लिखते हैं ।

وَلَوْ كَانَ كَمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ لَكَانَ رَفْعُ الْأَيْدِي فِي أُولَئِكَ الْكَبِيرَاتِ

وَإِيْضًا تَكْبِيرَاتٍ صَلْوَةُ الْعِيدِ مِنْهَا عِنْدَ لَانِهِ لَمْ يَسْتَشِنْ رَفْعًا دُونَ

رَفْعٍ، (كتاب رفع اليدين للإمام البخاري ص ١٥)

नवाब साहब! सोचिए क्या यह इन्तिहाई मकरूह कार्य अब भी नमाजों में मौजूद है या नहीं? अगर है तो क्यों?

अल्लाह इन मुक़लिलदों को हिदायत दे ।

(6) क्योंकि अदमे रफ़अ़ यदैन के सिलसिले में यही एक हदीस है जो मुहद्दिसीन के नज़दीक सही है, अतः ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगाया जाता है कि इस हदीस को हुज्जत बना कर रफ़अ़ यदैन को निरस्त माना जाए । मैं कहता हूं अच्छा निरस्त सही लेकिन निरस्त क्यों है? इस लिए कि यह बहुत ही मकरूह काम से मिलता जुलता है । अर्थात् सर कश घोड़ों की दुमों से । और जब यह इतना मकरूह काम है तो बड़े शब्दों मद के साथ हुजूर स0 ने इस की मनाही की होगी, लेकिन कहीं कोई रिवायत नहीं मिलती, हालांकि हर हदीस की कई कई सनदें होती हैं, कई कई सहाबी रज़ि0 रिवायत करते हैं । फिर हैरत है कि इतना मकरूह काम नबी करीम स0 की मनाही फिर भी इमाम हसन बसरी रह0 आदि के अनुसार तमाम सहाबा रज़ि0 रफ़अ़ यदैन करते थे ।

अब इस पत्र को भेज रहा हूं । बाकी बातों का जवाब दूसरे पत्र में दूंगा सूचनार्थ है ।

अपनी खैरियत से सूचित फरमाएँ । अपने घर वालों को मेरा सलाम कह दें ।

फ़क़त
ख़ादिम मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बख्खिदमत जनाब नवाब मुहियुद्दीन खां साहब
अस्सलाम आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
2 माह ईद मुताबिक 2—8—62
(अम्मा बाद) आज एक पत्र आप की सेवा में रवाना किया है।
अब आप की बाकी बातों का जवाब लिख रहा हूँ।

कुछ भ्रम

1- आप की इबारत। “और दूसरी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िया की हदीस बयान की थी कि यह हुजूर स0 का आखिरी अमल था।”

जवाब:

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िया की ऐसी कोई हदीस नहीं जिस का यह मतलब हो कि “यह नबी स0 का आखिरी अमल था।” न सहीह न ज़ईफ।

2- आप के पत्र की इबारत “हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िया हुजूर के ठीक पीछे पहली पंक्ति में खड़े होते थे।”

जवाब:

किसी हदीस में यह मतलब या यह मज़मून नहीं है, न सहीह में न ज़ईफ में।

3- आप के पत्र की इबारत। “हुजूर स0 की हरकात व सकनात को ध्यान से देखते थे और अब्दुल्लाह बिन उमर रजि0 चूंकि कम उम्र थे और उन को दूसरी तीसरी पंक्ति में जगह मिलती थी, इस लिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि0 से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि0 का दर्जा ज्यादा है।”

जवाब:

इस इबारत में कई भ्रम हैं, यह बिल्कुल बे सुबूत है कि वह नबी स0 की हरकात व सकनात को ध्यान से देखते थे। अगर यह सही है तो फिर यह बताया जाए कि आखिर उन से ग़लतियां क्यों हुईं?

1- वह रुकू में तत्बीक करते थे (सहीह मुस्लिम) बल्कि दूसरों को भी इस का हुक्म दिया करते थे यहां तक कि अपने शार्गिदों के हाथों को मार कर उन में तत्बीक करके दोनों रानों के बीच में रख देते थे। अरबी शब्दें यह हैं:

فَضَرَبَ إِلَيْنَا وَطَبَقَ بَيْنَ كُفَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخْدَيْهِ.

(सहीह मुस्लिम, अबु दाऊद आदि)

2- तीन आदमियों की जमाअत में एक को इमाम के दायीं तरफ और दूसरे को इमाम के बायीं तरफ कर लिया करते थे। (सहीह मुस्लिम) बल्कि इस का हुक्म दिया करते थे। उन का फरमान यह है।

”إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةٍ فَصُلُوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلِيؤْمِكُمْ أَحَدُكُمْ.“

अर्थात् जब तीन हों तो एक पंक्ति में नामज़ पढ़ो और जब तीन से ज्यादा हों तो एक आगे खड़ा हो।

(सहीह मुस्लिम, अबु दाऊद आदि)

3- हुक्म देते थे कि रुकू में कलाईयों को रानों पर बिछा दिया

करो। शब्द यह हैं:

اذار كع احد کم فلیفوش ذراعیه علی فخذیه. (صحیح مسلم)

4- बिना अज्ञान व इकामत के जमाअत कर लिया करते थे (सहीह मुस्तिलम) आदि आदि।

दूसरा भ्रम

यह है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िया नबी सल्ली रही सल्ली की हरकात व सकनात को ध्यान से नहीं देखते थे। यह आरोप है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िया से ज्यादा तो रसूलुल्लाह सल्ली की हरकात व सकनात को कोई देखता ही नहीं था। वह तो यहां तक देखते थे कि रसूलुल्लाह सल्ली सफ़र में कहां उतरते थे, कहां नमाज़ पढ़ते थे, कहां पेशाब करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िया इन सुन्नतों पर भी अमल करते थे। यहां तक कि अगर उन को पेशाब न आता था तो ख़ाली ही बैठ जाया करते थे।

(सहीह बुखारी आदि में उन का यह अमल जगह जगह नज़र आता है।

तीसरा भ्रम

यह है कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़िया के अलावा कोई भी नबी सल्ली की हरकात व सकनात को ध्यान से नहीं देखता था। यमन के शहज़ादे हज़रत वाइल बिन हज़र रज़िया ने तो दो बार मदीना का सफ़र ही इस उद्देश्य से किया था कि रसूलुल्लाह सल्ली की नामज़ को ध्यान से देखें। (अफ़सोस है उस व्यक्ति पर जिस ने रफ़अ यदैन के विरोध में हज़रत वाइल रज़िया को देहाती का ख़िताब दिया) दूसरी बार वह शब्वाल 10 हियो में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे।

(अलबिदाया वन्ह्निया)

दूसरी बार के आने पर भी उन का बयान है कि रसूलुल्लाह

ساللٰو اور سہابا رجیو رفعت یادئن کرتے�ے । (سہیہ مسیحیت)
شबد دیکھی� جین سے یعنی کا عدھشی سپष्ट ہوتا ہے ।

قلت لا نظرن الى صلوٰة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کیف
صلی قال فظرت۔“

�र्थاًت مैंने कहा कि मैं ج़रूर देखूँगा कि रसूलुल्लाह سल्लो
किस तरह نमाज़ पढ़ते हैं अतः मैंने देखा ।

(کیتاب رفعت یادئن لیلِِ امام بخاری پृ 13)

चौथा ب्रम

یہ ہے ابُدُلَّا حَبِيبُ بْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کم عمر ہے یہ بھی غلط ہے
ہم جوان ہے، بُوڈے نہیں ہے । امام بخاری رہو نے اس کا بھی خندن
کیا ہے ।

وَالْعَجْبُ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ كَانَ أَبْنَى عَمْرًا صَغِيرًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ شَهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ
عَمْرٍ بِالصَّالِحِ قَالَ أَبْنُ عَمْرٍ أَنِّي لَا ذَكْرٌ لِعَمْرٍ حِينَ اسْلَمَ
فَقَالُوا صَبَأُ عَمْرٌ صَبَأُ عَمْرٌ فَجَاءَ الْعَاصِي بْنُ وَائِلٍ فَقَالَ صَبَأُ عَمْرٌ
صَبَأُ

अर्थात हैरत है कि किसी ने यह कहा इन्हे उमर रज़िو छोटे
थे । यद्यपि रसूलुल्लाह سल्लो ने उन के सुधार की शहادत दी
थी..... वह कहते थे कि मुझे याद है जब उमर रज़िو इस्लाम
लाए तो लोगों ने कहा उमर साबी हो गया उमर साबी हो गया । फिर
आस बिन वाइल आया । उस ने भी यही कहा..... फिर
वे लोग हज़रत उमर रज़िو को छोड़ कर चले गए ।

(کیتاب رفعت یادئن لیلِِ امام بخاری پृ 170)

پांचवां ب्रम

यह है कि ابُدُلَّا حَبِيبُ بْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کم عمر ہے । यह भी

गलत है। रसूलुल्लाह स० ने एक बार सहाबा रजि० से पूछा बताओ वह कौन सा पेड़ है जो मुसलमान की तरह है। तभाम सहाबा रजि० बेबस हो गए। अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० ने चाहा कि मैं कह दूं कि वह खुजूर का पेड़ है, लेकिन अदब की वजह से खामोश रहे। फिर रसूलुल्लाह स० ने स्वयं बताया। इब्ने उमर रजि० ने जब यह बात हज़रत उमर रजि० से बयान की तो हज़रत उमर रजि० ने कहा “अगर तुम बता देते तो मेरे लिए यह इतने इतने माल से भी ज्यादा महबूब था।”

(सहीह बुखारी किताबुल इल्म)

शायद इस मजिलस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि० भी होंगे। इस लिए कि वह तो कभी साथ छोड़ते ही न थे।

छठा भ्रम

यह है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० के सिवा इस हदीस का कोई और रावी ही नहीं यह भी गलत है, रफ़अ यदैन की रिवायत हज़रत अबु बकर रजि० हज़रत उमर रजि० और हज़रत अली रजि० से भी है और ये लोग निश्चय ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से उमर में भी ज्यादा थे और ज्ञान व नेकी और रसूल की संगत में भी। उन लोगों को छोड़ कर अब्दुल्लाह बिन उमर से मुकाबला करना धोखा देना है। (केवल अली रजि० से शायद वह उमर में ज्यादा होंगे)

सातवां भ्रम

यह है कि रफ़अ यदैन एक बहुत ही गहरा इल्मी और फ़िक़ही मसला है और इस को फुक़हा ही समझ सकते हैं, छोटा बच्चा क्या समझे। यद्यपि रफ़अ यदैन का संबंध केवल आंख़ से है और यह चीज़ ब मुकाबले बूढ़े के बच्चा ही ज्यादा अच्छी तरह से देख सकता है और ज्यादा अच्छी तरह याद रख सकता है।

आठवां भ्रम यह है कि इन्हे मसऊद और इन्हे उमर रज़ि० की हदीसें सेहत की दृष्टि से बराबर हैं, यद्यपि यह पूरी तरह गलत है। इन्हे उमर रज़ि० की हदीस सहीहैन की बुखारी व मुस्लिम की हदीस है। इस के रावी सब के सब इमाम हैं। यह सिलसिलातुज़ ज़हब की हदीस है। सनदें असहूल असानीद हैं। इन्हे उमर रज़ि० से यह हदीस मुतवातिर है, बर खिलाफ़ इस के इन्हे मसऊद की हदीस अक्सर मुहदिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। और उस का मतन गैर महफूज़ है। इन्हे मसऊद से यह रिवायत मुतवातिर नहीं है। आसिम बिन कुलैब रावी का इस में इन्फिराद है। जब सेहत और महफूज़ होने के लिहाज़ से बराबर नहीं तो मुकाबला क्या मायना? मुकाबला तो बराबर की चीज़ों में हुआ करता है। फिर इसके अलावा इन्हे उमर रज़ि० की तरह रिवायत करने वाले सहाबा रज़ि० की तादाद पचास के लग भग पहुंच जाती है। फिर इमाम हसन बसरी रह० आदि की रिवायत के मुताबिक़ किसी सहाबी रज़ि० से इस का छोड़ना साबित नहीं। अतः इन्हे मसऊद की हदीस किसी लिहाज़ से भी काबिले हुज्जत नहीं, अगर सहीह भी हो तो उस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद की भूल है। जैसे उन से और भूल हुई यह भी हुई। जैसे उस भूल पर कोई अमल नहीं करता इस पर भी नहीं करना चाहिए।

फ़क़त

खाकसार

मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

मोहतरम जनाब मसजद साहब

अस्सलामु आलैकुम

पत्र लिखने में देरी हुई जिस के लिए शर्मिन्दा हूं और माफ़ी चाहता हूं। नमाज़ में रफ़अ यदैन न करे तो क्या, नमाज़ नहीं होती और क्या रफ़अ यदैन फ़र्ज़ है? रफ़अ यदैन न करने वाली हदीस जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसजद रज़िया से रिवायत की गई है तिर्मिज़ी शरीफ उर्दू पहला भाग में इस को इमाम तिर्मिज़ी ने हसन कहा है और हसन हदीस का दर्जा सहीह हदीस के बाद है।

हुज्जतुल्लाहुल बालिगा पहला भाग में तक़्लीद के बयान में और भाग-2 में हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रही लिखते हैं कि चारों इमामों के तरीके सुन्नत हैं और हर एक के पास तर्क मौजूद हैं। इस दृष्टि से तो हंफ़ी तरीका भी सुन्नत हुआ और इस तरीका पर अमल करना भी जायज़ हुआ।

अशारफ अली थानवी रही की लिखी हुई बड़ी बड़ी मोटी किताबें क्या सब बेकार हैं? क्यांकि वह तक़्लीद के हामी थे और क्या इमाम गज़ाली रही की लिखी हुई किताबें भी अध्ययन योग्य हैं या नहीं। यह मैं इस लिए मालूम करता हूं कि मेरे पास यह सब भंडार मौजूद है। बाकी खैरियत है, मेरी तरफ से सब की खिदमत में सलाम अलैक अर्ज है।

फ़क़त

खादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसजद

बख़िदमत मख़दूमी व मुकर्मी जनाब नवाब साहब

अस्सलामु आलैकुम

(चक लाला ३— अप्रैल १९६२ ई०)

(अम्मा बाद) बड़े इन्तिजार के बाद आप का पत्र ता० २९— मार्च
वसूल हुआ आप के सवालों के जवाब यह है।

रफ़अ यदैन फ़र्ज़ है

सवाल: नमाज़ में रफ़अ यदैन न करे तो नमाज़ नहीं होती?
क्या रफ़अ यदैन फ़र्ज़ है ?

जवाब: नमाज़ फ़र्ज़ है। इस पर सब की सहमति है। अतः इस के अदा करने का तरीका भी फ़र्ज़ है वर्णा लाज़िम आएगा कि हर मुसलमान मुख़तार है कि जिस तरीका से चाहे नमाज़ पढ़े। तरीका और सुन्नत दोनों हम माना शब्द हैं, अतः सुन्नत से जो तरीका अदाइगी नमाज़ हम तक पहुंचा है वह फ़र्ज़ है। खैर यह तो एक माकूल बात थी, जो मैं ने अर्ज़ कर दी। वरना नमाज़ के तरीका का फ़र्ज़ होना कुरआन से साबित है। अल्लाह तआला फ़रमाता है:

حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى وقوموا الله قانتين فان
خفتكم فرجالا او ركبانا فإذا امتنتم فاذكر والله كما علمكم مالم
تكونوا تعلمون.

अर्थात् नमाज़ों की हिफाज़त करो, खासकर बीच

वाली नमाज़ की और अल्लाह के सामने अदब से खड़े रहा करो, फिर अगर तुम्हें काफिरों का डर हो तो पैदल चलते फिरते या सवारी पर ही नमाज़ अदा करलो। फिर जब शान्ति नसीब हो तो उसी तरीका से अल्लाह का ज़िक्र करो जिस तरीका से उस ने तुम्हें सिखाया है और जिस को तुम नहीं जानते थे।

(सुरह बकरा 238-239)

ये शब्द अल्लाह का हुक्म प्रकट करते हैं। और अल्लाह का हुक्म फ़र्ज़ होता है अतः नमाज़ का यह तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लो द्वारा उस ने हमें सिखाया फ़र्ज़ है। मुझे तो वास्तव में उन लोगों पर हैरत होती है जो कह दिया करते हैं। कि سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ उन कहे तो नमाज़ हो जायगी, रुकूआ व सज्दा में तस्बीह न पढ़े तो नमाज़ हो जायगी। दलील यह देते हैं कि उन का अदा करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर उन के बिना नमाज़ नहीं होती तो हृदीस में होता कि उन के छोड़ने से नमाज़ नहीं होती। अगर उन की इस दलील को मान लिया जाए तो फिर नमाज़ की शक्ल यह होगी कि खड़े हो कर सूरा फ़ातिहा पढ़ो। फिर रुकूआ करो और उस में कुछ न पढ़ो। फिर रुकूआ से सीधे सज्दा में चले जाओ, फिर बैठ जाओ, नमाज़ खत्म हो जाएगी। यह नमाज़ क्या हुई, मज़ाक हुआ। अब रही यह बात कि फिर सिर्फ़ सूरा फ़ातिहा के बारे में ऐसे शब्द क्यों फ़रमाए, तो इस की पृष्ठ भूमि है। वह यह कि आप सो ने इमाम के पीछे पढ़ने से मना किया तो उसी समय यह भी फ़रमाया कि सूरा फ़ातिहा भी पढ़ना क्योंकि वह अगर इमाम के पीछे भी छोड़? दोगे तो नमाज़ न होगी।

(अबु दाऊद, तिर्मिजी)

मतलब यह कि उल्लिखित उसूल की रु से नामज़ का पूरा तरीक़ा फ़र्ज़ है, सिवाए इस चीज़ के जिस को स्वयं रसूलुल्लाह स0 ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो और कोई ऐसी चीज़ मेरे ज़ेहन में तो है नहीं, सिवाए इस के कि यह कहा जाए कि रफ़अ यदैन आप ने कभी किया और कभी छोड़ दिया लेकिन छोड़ने से रिवायत साबित नहीं होती अतः रफ़अ यदैन फ़र्ज़ हुआ।

2- रफ़अ यदैन की फ़र्जियत की दूसरी दलील यह है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ि0 और उन के साथियों से आप स0 ने फ़रमाया था कि (صلوا كمَا رأيْتُ مِنْيَ أَصْلِي) नमाज़ ऐसे ही पढ़ा करना जिस तरह तुम ने मुझे पढ़ते देखा है) और मालिक बिन हुवैरिस रज़ि0 का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 रफ़अ यदैन करते थे।

(सहीह बुखारी) क्योंकि हुक्म फ़र्ज़ होता है, अतः रफ़अ यदैन फ़र्ज़ है।

3- तीसरी दलील। हज़रत उमर रज़ि0 एक बार मस्जिद में आ निकले, लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ि0 ने फ़रमाया:

”أَقْبِلُوا عَلَى بُرْجٍ هُكْمٌ بِكُمْ صَلَوةٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يَصْلِي وَيَأْمُرُ بَهَا فَقَامَ مُسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةِ وَرَفَعَ يَدِيهِ

حتى حاذى بهما منكبيه ثم كبر ثم رفع وكذلك حين رفع.“

अर्थात् मेरी तरफ़ मुतवज्जा हो जाओ मैं तुम्हें रसूलुन्नाह सल्ल0 की नमाज़ बताऊं जिस तरीक़ा से आप सल्ल0 स्वयं नमाज़ पढ़ते थे और जिस तरीका से लोगों को पढ़ने का हुक्म दिया करते थे, अतः वह (हज़रत उमर रज़ि0) खड़े हो गए, किब्ला की तरफ़ मुँह किया और कंधों तक हाथ उठा कर अल्लाहु अकबर कहा और रुकूअ किया और उसी तरह उस समय भी किया जब रुकूअ से सर उठाया।

(अखिलाफ़ियात बैहेकी, नस्बुर्राया पहलाभाग पृ0 416 व सनदहु सहीह

नमाज़ के अरकान में फ़र्ज़ व सुन्नत की तफ़रीक

फ़र्ज़ व सुन्नत की तफ़रीक़ बहुत बाद की चीज़ है। सहाबा किराम रज़ि० इस चीज़ के आदी नहीं थे, वे तो बस यह देखते थे कि रसूलुल्लाह स० ने क्या किया? क्या फ़रमाया? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० को देखिए कि रफ़अ यदैन न करने वाले को कंकरियां मारा करते थे जब तक कि वह रफ़अ यदैन न करे। (किताब रफ़अ यदैन इमाम बुख़ारी रह०, मुसनद अहमद रह०) आप भी फ़र्ज़ व सुन्नत की बहस में न पड़िए। बस जिस काम को रसूलुल्लाह स० ने हमेशा किया और छोड़ना साबित नहीं, उसे करना ही चाहिए और अगर करना, न करना दोनों साबित हैं, तब भी करना सुन्नत होगा और छोड़ना जाइज़ नहीं ऐसी हालत में भी सुन्नत ही पर अमल मुनासिब है न कि जवाज़ पर।

सवालः

रफ़अ यदैन न करने की हदीस जो हज़रत अब्दुल्लाह
बिन मसऊद रज़िया से मरवी है। तिर्मिज़ी शरीफ़ उर्दू
पहले भाग में उस को इमाम तिर्मिज़ी ने हसन कहा है
और हसन का दर्जा सही ह हदीस के बाद है?

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की हदीस का
मतन गैर महफूज़ है

जवाब: यह सही है कि इमाम तिर्मिज़ी रह0 ने इस हदीस को हसन कहा है और यह भी सही है कि हसन का दर्जा सही ह हदीस के

बाद है। इस हदीस की सनद बेशक हसन बल्कि सही है सनद में कोई खास खदशा नहीं है, न सनद पर किसी ने कोई खास जिरह ही की है, इस हदीस पर जो कुछ जिरह हुई है वह मतन के लिहाज़ से हुई है, अक्सर मुहद्दिसीन ने इस के मतन को गैर महफूज़ बताया है।

1- इमाम तिर्मिज़ी लिखते हैं:

قال عبد الله بن المبارك قد ثبت حديث من يرفع و ذكر
حديث الزهرى عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود ان
النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع الا في اول مرة.

अर्थात् इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह0 ने फरमाया है कि रफ़अ यदैन की हदीस साबित है और जिक्र किया उन्होंने इस हदीस को जो इमाम जुहरी रह0 ने हज़रत सालिम रज़ि0 से और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत की है और इब्ने मसऊद रज़ि0 की हदीस कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने रफ़अ यदैन नहीं किया सिवाए पहली बार के साबित नहीं।

इमाम तिर्मिज़ी रह0 ने इस इबारत के बाद इब्ने मसऊद रज़ि0 की हदीस बयान की है और फिर उस को हसन लिखा है। अहनाफ़ का यह कहना है कि इब्ने मुबारक रह0 ने किसी दूसरी हदीस को गैर साबित किया है न कि उस को लेकिन दूसरी हदीस में इब्ने मुबारक रह0 नहीं हैं और इस हदीस की सनद में वह मौजूद हैं और यह सनद नसाई में मौजूद है। अतः उन्होंने इसी को गैर साबित कहा है। उन के शब्दों को “रफ़अ की हदीस साबित है।” इसी बात की दलालत करते हैं कि अदमे रफ़अ की हदीस साबित नहीं चाहे वह कोई सी हो।

2- इस के मतन को मुलाहिज़ा फरमाइए, नसाई में है:

فقام فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد

इन्हे मसऊद रजिओ खड़े हुए फिर पहली बार दोनों हाथ उठाए फिर नहीं उठाए। इन्हुल कत्तान कहते हैं। अर्थात् अबु दाज़ ने भी अपनी तरफ से कहा करते थे। (किताबुल वहम) इमाम दारे कुतनी ने भी अबु दाज़ को गैर महफूज बताया है। (किताबुल अलल) नसाई में दूसरी रिवायत इस तरह है। अर्थात् इन्हे मसऊद रजिओ ने नमाज़ पढ़ी तो हाथ नहीं उठाए मगर एक बार मुसनद इमाम अहमद और लेखक इन्हे अबी शैबा में "واحدة" नहीं है। अबु दाज़ की एक रिवायत में इस तरह है। अर्थात् अबु दाज़ की एक रिवायत में इस तरह है। इन्हे मसऊद रजिओ ने दोनों हाथ उठाए पहली बार। सारांश यह कि किसी में दोबारा उठाने की नफी है और किसी में कोई ज़िक्र नहीं है। बस पहली बार उठाने का ज़िक्र है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजिओ ने तो नमाज़ पढ़ कर बताई थी। उस को अलक़मा रजिओ ने अपने शब्दों में बयान किया है और यह अलक़मा रजिओ के शब्द हैं, जो किसी रिवायत में कुछ और किसी में कुछ हैं। इन्हे मसऊद रजिओ से रिवायत करने वाले केवल अलक़मा रहो हैं और अलक़मा रहो से रिवायत करने वाले केवल अब्दुर्रहमान हैं और उन से रिवायत करने वाले केवल आसिम बिन कुलैब हैं और उन से रिवायत करने वाले सुफ़ियान सूरी रहो हैं। इस के बाद रावी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ऊपर की सनद में केवल एक एक रावी की वजह से इस में ग्राबत पैदा हो जाती है। फिर अलक़मा रहो के शब्द शायद आसिम बिन कुलैब ने कभी कुछ और कभी कुछ बयान किए हैं। क्योंकि इमाम हाकिम फ़रमाते हैं कि आसिम ने इस हदीस को सेहत के साथ रिवायत नहीं किया और आसिम सार कर लिया

करते थे और नक़ल बिल माना करते थे। (तसहीलुल कारी शरह सहीह बुखारी)

इसी वजह से इमाम अबु दाऊद ने इस हदीस के लिखने के बाद यह भी लिख दिया कि **هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو صحيح على النحو الذي عليه الحديث** अर्थात् यह हदीس एक तीव्रता हो वाला है जिसका अर्थ है कि इस हदीस से सार कर ली गई है और यह हदीस इन शब्दों के साथ इन मायनों पर सही है नहीं। मिशकात शरीफ में इस हदीस का मतन इस तरह है: **فَصَلِّ وَلَا تُرْفِعْ يَدِيهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكْبِيرَةِ الْأَفْتَاحِ** अर्थात् शुरू की तकबीर के साथ इन्हें मसज़ूद रज़ि० ने रफ़अ यदैन न किया सिवाए एक बार के। अगर यह इबारत सही मानी जाए तो रफ़अ यदैन इन्दर्फुर्कूअ की इस से नफ़ी नहीं होती बल्कि इस का मतलब केवल इतना है कि नमाज शुरू करते समय केवल एक बार रफ़अ यदैन किया बार बार नहीं, इमाम अबी हातिम ने कहा है कि यह हदीस ख़ता है सिवाए सुफ़ियान के यह शब्द (अर्थात् रफ़अ यदैन की नफ़ी) आसिम से किसी ने रिवायत नहीं किए हालांकि एक जमाअत आसिम से रिवायत करती है। (अली इन्हें अबी हातिम)

ولم يثبت عند اهل النظر ممن ادركته من اهل الحجاز واهل العراق منهم عبد الله بن الزبير وعلي بن عبد الله بن جعفر ويحيى بن معين واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه، هؤلاء اهل العلم

من بين اهل زمانهم فلم يثبت عند احد منهم علم في ترك رفع
الايدي عن النبي صلی الله علیه وسلم لا عن احد من اصحاب
النبي صلی الله علیه وسلم انه لم يرفع يديه.

अर्थात हिजाज़ और इराक़ के विद्वान जिन को हम ने पाया, जिन में से यह लोग भी हैं। इन्हे जुबैर रह0, अली बिन अब्दुल्लाह रह0, याह्या बिन मुईन रह0, इमाम अहमद बिन हंबल रह0, इसहाक बिन राहूयह, यह अपने ज़माना के ज़बरदस्त आलिम थे। इन उलमा में से किसी के नज़दीक कोई हदीस साबित नहीं कि रसूलुल्लाह سल्ल0 ने रफ़अ यदैन न किया हो या किसी सहाबी रज़ि0 ने रफ़अ यदैन न किया हो।

(किताब रफ़उल यदैन लिल इमामुल बुख़ारी पृ० 16)

मतलब यह हदीस इमाम बुखारी रह0 के समय तक स्वयं
उलमा—ए—इराक़ के नज़दीक साबित नहीं थी। इमाम अबु दाऊद
रह0 के मुताबिक इस का मफ़्हूम कुछ और था, अब जो मफ़्हूम
किया जाता है वह सहीह नहीं है। इमाम अबु दाऊद रह0 के इस
कथन की पृष्ठि इस बात से भी होती है कि इमाम मुहम्मद रह0 ने
अपनी मोत्ता में इस हदीस को मुतलक़न बयान नहीं किया। यद्यपि
उन को इस की बड़ी ज़रूरत थी। वह लिखते हैं:
وفى ذلك اثارٌ كثيرة.

मतलब ज़ाहिर है कि हदीस कोई नहीं। अगर यह हदीस इन मायनों पर आधारित होती तो वह ज़रूर इस का ज़िक्र करते, इस के तमाम रावी कूफ़ी हैं। फिर इमाम मुहम्मद रह0 और काज़ी अबु यूसुफ़ रह0 का इस से बेख़बर होना और अपने दलाइल में ज़िक्र न करना हैरत अंगेज है।

इस के बाद इमाम मुहम्मद रही ने अली रज़िया इब्ने अबी

तालिब का एक असर नक्ल किया है जिस में एक रावी मुहम्मद बिन अबान झूठा है (तज़्किरतुल मौजूआत) फिर इबराहीम नख़ई रह0 ताबअी का कथन पेश किया है। उस में भी वही झूठा रावी है। फिर इब्ने मसऊद रज़ि0 के असहाब का अमल पेश किया है। इस की सनद में हसीन है। जिस का हाफिज़ा आखिर में ख़राब हो गया था, फिर इब्ने उमर रज़ि0 का अमल पेश किया है। इस की सनद में वही मुहम्मद बिन अबान कज्जाब है। फिर हज़रत अली रज़ि0 का असर दूसरी सनद से पेश किया है। यह भी कूफ़ी सनद हैं फिर भी सुफ़ियान सूरी रह0 (जो स्वयं भी अदमे रफ़अ के कायल हैं) इस असर का इन्कार करते हैं।

(किताब रफ़उल यदैन इमाम बुखारी रह0 पृ0 8)

इसके अलावा इस में आसिम रावी हैं, जो नक्ल बिल मायना के आदी हैं। इमाम उसमान बिन सईद दारमी फ़रमाते हैं। ”فَقَدْ رُوِيَ مِنْهُ تَحْكِيمٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (जिल्द 2 पृ0 80) इमाम शाफ़अी रह0 फ़रमाते हैं। ”لَا يُبَشِّرُ عَنْ عَلَى“ (बैहेकी भाग 2 पृ0 81) इमाम बुखारी रह0 ने भी इस पर जिरह की है। फिर इमाम मुहम्मद रह0 ने इब्ने मसऊद रज़ि0 का असर पेश किया है, जिस के शब्द यह हैं। ”إِنَّمَا يَرْفَعُ يَدِيهِ إِذَا افْتَحَ الصَّلَاةَ.“ अर्थात् जब वह नमाज़ शुरू करते तो रफ़अ यदैन करते थे।” इस में रुकूअ़ का ज़िक्र ही नहीं और अदमे ज़िक्र से अदमे शय लाज़िम नहीं आती। फिर इस की सनद मुन्क़तअ है। इबराहीम रह0 ने इब्ने मसऊद रज़ि0 को नहीं देखा। मतलब यह कि कुल तीन सहाबियों और कुछ ताबइयों का कथन पेश करके इमाम मुहम्मद रह0 ने अपने मसला को साबित किया और वह इस सिलसिला में

कोई हदीस पेश न कर सके बल्कि सहावियों का अमल भी सहीह सनद से पेश न कर सके। अगर अब्दुल्लाह बिन मसउद रज़ि० की यह उच्च कोटि की हदीस कूफ़ा में रह कर उन को न मालूम हो तो फिर इस पर सन्देह करना बिल्कुल बजा है। इमाम नववी रह० ने खुलासा में लिखा है कि मुहद्दिसीन की इस के जुअफ़ पर सहमति है। नक्ल बिल मायना की आदत की वजह से इमाम अली बिन मदीनी रह० तो यहां तक कह गए। **لَا بِحَجَّ بِمَا انْفَرَدَ بِهِ**”आसिम अकेले रिवायत करें तो रिवायत हुज्जत नहीं होती।” (मीजानुल एतेदाल) और इस रिवायत को सिवाए आसिम के और कोई बयान नहीं करता। फिर अब्दुर्रहमान के अलक़मा से सुनने पर भी संदेह व्यक्त किया गया है, यद्यपि सुनने की संभावना तो है लेकिन सुनना साबित नहीं। इमाम इब्ने हिब्बान तो यहां तक लिख गए।

**هذا احسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في
الصلوة عند الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة ضعف
شيء يغول عليه لأن له علاجاً بطلأ.**

कूफ़ा वालों की यह सब से बेहतर दलील है और हकीकत में यह भी बहुत ज़ईफ़ है कि इस पर एतेमाद किया जा सके। इस में बड़ी इल्लतें हैं। जो इसे बातिल बना देती हैं।

(नैलुल अवतार जुज़ 2 पृ० 151)

अब बताइए इमाम तिर्मिज़ी रह० का हसन कहना कहां तक सही है, इसी लिए इमाम शौकानी रह० लिखते हैं: **إِنْ يَقُعُ هَذَا** अर्थात् इमाम तिर्मिज़ी रह० की सराहना और इमाम इब्ने हज़म रह० की इसलाह की उन अकाबिर अईम्मा की जिरह के मुकाबले में क्या महत्व रह जाता है। यह मान लें रुदाद है। वरना विस्तार तो बहुत कुछ है। मान लें यदि इब्ने मसउद रज़ि० की हदीस हसन या सहीह भी हो

तो भी एक सहाबी रजिला की रिवायत तमाम सहाबी रजिला के मुकाबले में कमतर है। फिर इन्हे मसऊद रजिला से और भी बहुत सी भूल हो गई हैं जिन में से कुछ मैं पहले लिख चुका हूँ इसी लिए इमाम अबु बकर बिन इसहाक ने फ़रमाया है कि यह हदीस रफ़अ यदैन की हदीस के समान नहीं हो सकती। क्योंकि रफ़अ यदैन रसूलुल्लाह सल्लला० से फिर खुलफा—ए—राशिदीन रजिला, सहाबा रजिला और ताबीन रहीला से सहीह तौर पर साबित हुआ है और इन्हे मसऊद रजिला का इस को भूल जाना कुछ हैरत नहीं, क्योंकि वह सूरह फलक व सूरह नास का कुरआनी सूरतें होना भूल गए। तत्त्वीक का मंसूख होना भूल गए। आदि आदि। इस तरह उन्हांने दस बातें गिनाई हैं। (यह ग्यारहवीं भूल है) (बैहेकी भाग 2)

मतलब यह कि अनगिनत सहीह अहसदीस के मुकाबले में उस को हुज्जत बनाना हैरत अंगेज है बाकी बातों के जवाब दूसरे लिफ़ाफ़ा में रवाना करूँगा। इन्शा अल्लाह तआला। आप की तबलीग और उस के बारे में कशमकश मालूम हुई। अल्लाह तआला आप को कामयाब फ़रमाए और इस संघर्ष को कुबूल फ़रमाए। आमीन। तबलीग हकीकत में यही है।

वह तबलीग ही क्या जिस में विरोध न हो। हक के प्रचारक के लिए फूलों की सेज नहीं होती बल्कि उस को काटों पर चलना होता है। वह तबलीग जिस से सब खुश रहें, हकीकत में तबलीग ही नहीं, वह तो एक किस्म की सियासत है। अल्लाह ने यह नेमत आप को नसीब फरमाई है। यह उस का एहसान है, आप घबराएं नहीं।

ان الله مع الصابرين

फक्त

खाकसार मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बख्तिदमत जनाब नवाब साहब मख़्दूमी व मुकर्रमी
अस्सलाम आलैकुम

(चक लाला 13 अप्रैल 1962)

अम्मा बाद! 10— अप्रैल को एक पत्र लिखा है, आज आप के बाकी सवालों के जवाब लिख रहा हूं।

सवाल 3- हुज्जतुल्लाहुल बालिगा में हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहो तहरीर फ़रमाते हैं। कि चारों इमामों के तरीके सुन्नत हैं और हर एक के पास तर्क मौजूद हैं। इस लिहाज़ से तो हफ़ी तरीका भी सुन्नत हुआ और उस पर अमल करना भी जायज़ हुआ।

इमाम हक़ पर थे लेकिन मुक़ल्लिद हक़ पर नहीं

जवाब- इस में शक नहीं है कि चारों इमामों ने जिस उसूल पर मसाइल की बुनियाद रखी वह उसूल सुन्नत है। क्योंकि उन लोगों ने मसाइल को कुरआन व हदीस की रोशनी में हल किया और कुरआन व हदीस को छोड़ कर किसी और व्यक्ति के कथन को दलील नहीं बनाया, न उस को हुज्जत समझा। अतः उन का यह तरीका बे शक सुन्नत था और वे चारों हक़ पर थे। रहिमा हुमुल्लाह।

लेकिन इस के मायना यह नहीं कि उन से ग़लती नहीं हुई । बेशक हुई और इस ग़लती के सुबूत में तर्क निम्न भी हैं ।

मुजतहिद ग़लती से पाक नहीं हैं

फ़िक़ह का जाना माना उसूल

المجتهد قد يخطئ ويصيب

अर्थात् मुजतहिद से ग़लती भी होती है और वह सही बात भी कहता है । अतः इस उसूल की बिना पर उन मुजतहिदीन से ग़लती का होना संभव है ।

2- अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अलावा कोई मासूम नहीं होता, क्योंकि दूसरे लोगों की पुश्त पर अल्लाह की वहय की रहनुमाई नहीं होती, अतः ख़ता का होना निश्चित है ।

3- चारों इमामों के कथनों में हराम व हलाल का फ़र्क पाया जाता है । जैसे:

अ: दारुल हर्ब में काफ़िर से सूद का लेन देन करना हंफ़ी मज़हब में हलाल और दूसरे मज़ाहिब में हराम ।

ब: हैवान की बैअ सलम हंफ़ी मज़हब में हराम, दूसरे में हलाल ।

ज: ज़बरदस्ती की तलाक हंफ़ी मज़हब में हो जाती है । दूसरे मज़ाहिब में हराम है, नहीं होती ।

द: बिज्जू, गोह, घोड़ा, मेंढक, मुर्दा मछली जो पानी पर तैरें, हंफ़ी मज़हब में हराम और दूसरे मज़ाहिब में हलाल ।

ह: हिबा की हुई चीज़ हंफ़ी मज़हब में संतान से वापस ली जा सकती है । दूसरे मज़ाहिब में नहीं ली जा सकती ।

व: कुरआन की शिक्षा की मज़दूरी हंफ़ी मज़हब में हराम और दूसरों

में हलाल ।

जः रान खोलना हंफी मज़हब में हराम, हंबली मज़हब में हलाल ।

हः लिंग छू जाने से वुजू हंफी मज़हब में नहीं टूटता, शाफ़अी में टूट जाता है ।

तः तवाफ़ के लिए हंफी मज़हब में पाकी शर्त नहीं, शाफ़अी और हंबली में शर्त है ।

यः सदकतुल फ़ितर हंफी मज़हब में काफ़िर गुलाम पर फ़र्ज़ है, शाफ़अी में फ़र्ज़ नहीं ।

कः बिना वली के निकाह हंफी मज़हब में जायज़ है । शाफ़अी में बातिल ।

मतलब यह कि हलाल व हराम का फ़र्क़ कभी सुन्नत नहीं हो सकता ।

सुन्नत तो यह है कि जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लो ने हलाल की कथामत तक वह चीज़ हर मुसलमान के लिए हलाल है और जिस चीज़ को हराम किया वह हर मुसलमान के लिए हराम है । अब ज़ाहिर है कि एक ही चीज़ एक साथ हलाल और हराम नहीं हो सकती । अतः किसी न किसी इमाम से ग़लती का सुदूर लाज़मी है और जब मामला यहां आ पहुंचा कि एक न एक इमाम से ग़लती ज़रूर हुई है तो अब हर मुसलमान का यह फ़र्ज़ हो जाता है कि वह यह मालूम करे कि किस से ग़लती हुई अर्थात अल्लाह के हुक्म से वह कुरआन व हदीस की तरफ़ रुजू करे और जो ग़लती मालूम करके उस को तर्क करदे या करआन व सुन्नत का अनुसरण करे यह है इमामों का तरीका और इस तरीका के सुन्नत होने में कुछ सन्देह नहीं और जो व्यक्ति इस के खिलाफ़ चलता है वह हराम काम काता है । इमामे बर हक़ हज़रत इमाम इबु हनीफ़ा रहो तो

यहां तक फरमाते हैं: لا يحل لاحد ان يأخذ بقولي مالم يعلم من أين قلتهُ अर्थात् किसी व्यक्ति के लिए यह हलाल नहीं (अर्थात् हराम है) कि मेरे कथन को अखित्यार करे, जब तक उसे यह न मालूम हो कि मैं ने कहां से कहा है।

(मुकदमा उम्दतुर्रिआया फी हल्ले शरहिल विकाया पू० ९)

इस कथन के आगे रईसुल अहनाफ़ मुहम्मद बिन अब्दुस्सत्तार कादरी लिखते हैं:

“इमाम अबु हनीफा रहो ने तक्लीद की तरफ जाने से मना किया और दलील की मारफत की तरफ दावत दी।”

(मुकद्दिमा उम्दतुर रिआया पृ० ९)

मानो इमाम अबु हनीफा रहो के कथन से ही तक्लीदन किसी चीज़ को मानना हराम हो गया अतः मुक़ल्लिदीन का तरीका हराम हुआ और इस लिहाज़ से वह सुन्नत नहीं हो सकता । अतः खुलासा यह हुआ कि इमामों का तरीका सुन्नत है और मुक़ल्लिदीन का तरीका बिदअत और स्वयं इमामों का मना किया हुआ है ।

फ़िक़ा हंफ़ी के गन्दे मसायल और इमाम अबु हनीफ़ा रजि़० की अलहदगी

शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहो के बयान का जो नतीजा आप ने निकाला है कि हंफी तरीका भी सुन्नत हुआ'' यह सहीह नहीं। इस लिए कि मौजूदा हंफी मज़हब स्वयं इमाम अबु हनीफा रहो के उसूल के खिलाफ़ है। और इस में ऐसी ऐसी गन्दगियां हैं कि अगर इमाम साहब रहो जिन्दा होते तो इन मसायल बल्कि पूरे मज़हब से अपनी बेजारी का ऐलान फ़रमाते कुछ मकरुह

مساىل دېخیए (آپ نے ساتک جواب کے لی� ایرشاد فرمایا ہے ।
اس لیئے دل پر جبرا کرکے یہ مساىل لیخ رہا ہے)

ولو وطی میتہ او بھیمة او فی غیر فرج و هو التفحید او قبل او
لمس ان انزل قضی ولا فلا ولو أكل لحمًا بين أسنانه مثل
حمصة قضی فقط و فی أقل منها لا .

अर्थात अगर मुर्दा औरत या जानवर से संभोग करे या
..... के इलावा अर्थात रान में करे या बोसा ले या छूऐ
अगर इंजाल हो तो रोज़ा क़ज़ा करे, वर्ना नहीं, और
अगर दांतों के बीच लगा हुआ गोश्त चने के बराबर भी
खाले तो केवल क़ज़ा करे और अगर चने से छोटा हो
तो क़ज़ा भी नहीं ।

(شارح الفیکایا پہلہا باغ پر 312)

وقدر الدرهم من نجس غلیظ کبول و دم و خمر و خراء دجاجة
..... وما دون ربع ثوب مما خف کبول فرس عفو

अर्थात नमाजी के कपड़े में अगर दिरहम के बराबर
निजासते ग़लीज़ा जैसे पेशाब, खून, शराब और मूर्गी
की बीट लग जाए और निजासत ख़फीफ़ा जैसे घोड़े
का पेशाब चौथाई कपड़े तक माफ़ है ।

(شارح الفیکایا پہلہا باغ پر 139)

फिर آگे जाकर दिरहम का तख़मीना हथेली की चौड़ाई
बताया ہے ।

. (۳) لا وطی بھیمة بلا انزال .

जानवर से वती करे तो बिला इंजाल गुरस्ल فَرْجٌ نहीं ।

(شارح الفیکایا پر 83)

आदि आदि कहां तक लिखूँ ।

क्या यह मसाइल सुन्नत हैं? क्या यह मसाइल इमाम अबु हनीफा रहो के हैं? कदापि नहीं इन जैसे मसाइल को इस्लाम समझना या सुन्नत समझना, इमाम साहब रहो का और इस्लाम का अपमान करना है। शाह साहब रहो का मतलब केवल इतना है कि इमामों का तरीका सुन्नत था न यह कि मुक़लिलदीन का गढ़ा हुआ मज़हब सुन्नत है। सुनिए शाह साहब रहो तक़लीद के बारे में क्या फ़रमाते हैं।

1- व खूद रा मुक़लिलद महज़ बूदन हर्गिज़ रास्त नमी आयद
व कारे नमी कुशायद। अर्थात् मुक़लिलद मात्र होना कदापि रास्त नहीं आता और न उस से कार बर आरी होती है।

(मुतरकुल हदीद पृ० 44, इज़ालतुल ख़िफ़ा पृ० 257)

2- अगर यहूद का नमूना देखना चाहते हो तो उलमा—ए—सू (बिगड़े हुए उलमा) को देखो जो दुनिया के तालिब हैं और सल्फ़ की तक़लीद के आदी हो गए हैं और किताब व सुन्नत से मुंह मोड़ते हैं तमाशा कर्द गोया यह वही हैं।

(अलफ़ौजुल कबीर)

3- ایس کے बाद में जो ज़माना आता गया, फ़ितना ज़्यादा होता गया और तक़लीद में ज़्यादती होती गई।

(इंसाफ़, मुतरकुल हदीद पृ० 20)

4- फ़रोओ मसाइल में मुहदिसीन, जो हदीस व फ़िक़ह में जामे हैं, की पैरवी करो और हमेशा फ़िक़ही तफ़रीआत को किताब व सुन्नत पर पेश करो। जो मुवाफ़िक हो उसे कुबूल करलो, वर्ना कहने वाले पर लौटा दो। उम्मत को कभी भी इस बात से इस्तिग़ाना हासिल नहीं कि वह मुजतहिदात को किताब व सुन्नत पर पेश करें

और उन खुशक फुकहा की बात को जिन्होंने एक आलिम की तक़लीद को दस्तावेज़ बना रखा है और को छोड़ रखा है, न सुनो, न उन की तरफ़ ध्यान करो, बल्कि उन की दूरी से अल्लाह की समीपता तलाश करो ।

(‘वसीयत नामा’ शाह वलीउल्लाह साहब रह0 पृ० 2-3)

बुजुर्गों की ग़लती

यहां तक मैंने यह बताने की कोशिश की है कि शाह साहब रह0 का इमामों के बारे में क्या ख्याल है और मुक़लिलद के बारे क्या, इमामों को वह हक़ पर समझते हैं । लेकिन मुक़लिलदीन को नहीं । इस जवाब के बाद मैं एक और जवाब इसी शीर्षक के तहत भी देना ज़रूरी समझता हूं । देखिए हक़ हक़ है और जब आप सूझ बूझ की वजह से हक़ को पहचान लें, हक़ आप को मिल जाए और आप उस पर जम जाएं तो फिर उस हक़ के खिलाफ़ कोई कुछ न कहें । आप कदापि उस तरफ़ ध्यान न दें । ऐसा कौन सा बुजुर्ग है जिस से ग़लती या कमी नहीं हुई । अगर किसी बुजुर्ग की ग़लती से हम भी ग़लती का शिकार हो जाएं तो यह शैतानी वसवसा होगा । यह भी तक़लीद ही होगी । अतः अगर शाह वलीउल्लाह साहब रह0 ने मान लें ऐसी बात कही है तो बस आप का फ़र्ज़ इतना है कि आप यह कहें अल्लाह उन्हें माफ़ फ़रमाए, हम उन की यह बात तरलीम नहीं करते, क्योंकि यह हक़ से टकराती है और हम हक़ को किसी हालत में नहीं छोड़ सकते ।

फिर शाह वलीउल्लाह साहब रह0 के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि हंफ़ी घराने में पैदा हुए, धीरे धीरे तक़लीद से विमुख हुए । शायद शुरू दौर में तक़लीद के खिलाफ़ सख्ती अखिलयार नहीं

की होगी। बाद में जैसा कि “वसीयत नामा” के वाक्य से मालूम होता है, बहुत सख्ती अखिलायार कर ली।

सवाल 4- क्योंकि वह तकलीद के समर्थक थे?

मौलवी अशरफ अली थानवी साहब रहो की किताबों की हैसियत

जवाब: यूं तो हर किताब में कोई न कोई अच्छी बात मिल ही जाती है। थानवी साहब रहो की किताब में कोई ठोस बात मुश्किल ही से मिलती है। ज़ईफ और मौजूअ हदीसें भी नक़ल कर जाते हैं, फ़िक़ह के ग़लत और शर्म के मसाईल बड़ी बे बाकी से नक़ल करते हैं और वह भी जवान लड़कियों के अध्ययन के लिए। हंफी मज़हब के खंडन के लिए उन की किताबें मुफ़ीद होंगी। इस लिए कि ग़लत और निर्लज्ज मसाईल को उर्दू में ढालने में उन का बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे तो हिदाया, शरह विकाया, दुर्र मुख़तार के अनुवाद हो चुके हैं लेकिन वह एक लम्बे समय से बहुत कम हैं और फिर उन की क़ीमतें भी अधिक हैं।

सवाल: क्या इमाम ग़ज़ाली रहो की लिखी हुई कुतुब भी अध्ययन योग्य हैं?

ग़ज़ाली की किताबें

जवाब: इमाम ग़ज़ाली रहो की किताबें बहुत अच्छी हैं, बड़ी दिलकश हैं। दिल को ताज़ा करने वाली हैं। हाँ उन की कुछ किताबों में जैसे अहयाउल उलूम में कई कमियां भी हैं कि ज़ईफ बल्कि मौजूअ हदीसें भी नक़ल कर जाते हैं। उलमा—ए—वक़त ने उन

की ज़िन्दगी ही में उन पर बड़ी सख्त चोट की और उन को सही बुखारी पढ़ने का मशवरा दिया। फिर बाद में वह सही ह बुखारी की तरफ मुतवज्जह हुए, यहां तक कि मौत के समय सही बुखारी उन के सीने पर थी। “अहयाउल उलूम” को उस की तख़रीज के साथ पढ़ा जाए तो यह दोष दूर हो सकता है, क्योंकि तख़रीज में हर हदीस पर बहस की गई है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० को शुरू इस्लाम की नमाज़ याद रही

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० को अदमे रफ़अ यदैन की हदीस के बारे एक बात याद आई। वह यह कि उन की नमाज़ में मंसूख़ शुदा या शुरू इस्लाम की कुछ बातें भी शामिल हो गई हैं। मालूम नहीं उन्हें भूलने का पता हुआ या नहीं और अगर हुआ तो बुढ़ापे में या उस से पहले ही कुछ बातों को भूल गए।

इमाम बैहेकी लिखते हैं:

ففي حديث ابن ادريس دلالة على ان ذلك كان في صدر
الاسلام كما كان التطبيق في صدر الاسلام ثم سنت بعده
السنن و شرعت بعده الشرائع حفظها وادها فوجب
المصير اليها . (بیهقی)

इन्हे इदरीस की हदीस में इस बात की दलालत है कि अदमे रफ़अ शुरू में सुन्नत था जिस तरह शुरू इस्लाम में तत्त्वीक थी। फिर सुन्नतें और शरअ बाद में बनते चले गए तो जिस ने उन को याद रखा उस ने हकीकत में नमाज़ को याद रखा और उस को फैलाया। बस इसी तरफ़ रुजूआ करना चाहिए।

एक और जगह तहरीर फ़रमाते हैं:

قد يكون ذلك في الابتداء قبل أن يشرع رفع اليدين في الركوع ثم صار التطبيق منسوحاً وصار الامر في السنة الى رفع اليدين عند الركوع ورفع الرأس منه. (معرفة السنن)

अर्थात् तत्त्वीक शुरू इस्लाम में शर्त केवल थी और उस समय तक रफ़उल यदैन मशरूअ नहीं हुआ था। फिर तत्त्वीक निरस्त हो गई और रुकूअ से पहले और रुकूअ के बाद रफ़अ यदैन का हुक्म दिया गया।

(ما روى تفسير السنن)

सब छोटे बड़े को सलाम कह दीजिएगा।

फ़िक़ह
ख़ादिम مساجد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

मोहतरम जनाब मसऊद साहब

अरस्सलाम आलैकुम

आप का पत्र मिला। पढ़ कर बड़ी खुशी हुई। मेरा इरादा था कि आप के दूसरे पत्र के वसूल होने के बाद फिर आप को पत्र लिखूंगा लेकिन रात एक अप्रिय घटना घटी। एक व्यक्ति कुछ लोगों के साथ इशा की नमाज़ के बाद मेरे पास मस्जिद में आया और बात शुरू हुई। उस ने निहायत बद अख़लाकी से गुफतगू शुरू की। जिस का मुझे अब तक दुख है। उस ने कहा कि हमारी हंफ़ी फ़िकह का हर हर मसला कुरआन व हदीस के अनुसार है। तू एतेराज़ कर, मैं तेरे हर मसला का जवाब कुरआन व हदीस से दूंगा। मैंने कहा तू तो गैर मुक़लिलद है तुझ को कुरआन व हदीस से क्या वास्ता और तुझ को कैसे मालूम हुआ कि हंफ़ी फ़िकह का हर मसला कुरआन व हदीस के अनुसार है। क्या तूने तहकीक किया है। क्योंकि मुक़लिलद का काम तो अंधे की तरह अपने इमाम के पीछे चलना है। अगर तूने तहकीक कर ली है कि सारे मसले कुरआन व हदीस के अनुसार हैं तो फिर तू मुहकिक हुआ। उस ने कहा कि मैंने छः साल हदीस पढ़ी है। उस्तादों से हदीस सीखी है। मैंने कहा कि यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है अगर तू हक़ पर है तो फिर देर किस बात की है। झट से कोई आयत या हदीस दलील में पढ़ दे जिस से लोगों को पता चल जाए कि हकीकत क्या है।

उस ने कहा कि हमारा मज़हब तो पूरा दलील से भरा हुआ है, मगर कुरआन व हदीस तू क्या समझेगा मैं तो अरबी इबारत पढ़ूँगा और तू उर्दू जानता है तो किस तरह यह बात तेरी समझ में आ सकती है। मैंने कहा कि मैं इंशा अल्लाह अरबी समझ लूँगा, लेकिन जल्दी से वह दलील पढ़ दे जिस में चारों इमामों की तक्लीद फर्ज की गई है या वाजिब। हक़ किसी बात से नहीं डरता। अगर तू हक़ पर है तो दलील देदे। मुझे इधर उधर ले जाने की कोशिश न कर। कहने लगा कि जाहिल मैं तो तेरी इस्लाह करने के लिए आया हूँ कि तुझे राहे रास्त दिखलाऊं और मैं आलिम हूँ। तुझ को मेरी बात मानना पड़ेगी। क्योंकि यह कायदा है कि अपने से अधिक इल्म वाले की बात मानी जाए और आलिमों से पूछने के लिए हुक्म भी कुरआन में मौजूद है।

कहने लगा। देख जब ।¹ हज़रत मुआज़ रज़ि० मुहिम पर जा रहे थे तो हुजूर सल्ल० ने फरमाया कि ऐ मुआज़ रज़ि० तू वहां किस तरह करेगा, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्ल०! मैं कुरआन में देखूँगा। फरमाया, अगर वहां न मिले तो, अर्ज किया फिर मैं आप की हदीस देखूँगा। फरमाया वहां भी हुक्म न मिले तो, अर्ज किया कि फिर मैं सहाबा रज़ि० या नेक लोगों से मशवरा करूँगा। फरमाया वहां भी हुक्म न मिले तो अर्ज किया कि फिर मैं अपने क्यास से काम लूँगा। हुजूर सल्ल० ने फरमाया। मरहबा मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं आदि। तो इस से साबित हुआ कि मुजतहिद की राय पर अमल करना ज़रूरी है जिस से तक्लीद साबित है। मैं ने कहा कि हज़रत आप को कसम है ज़रा सच बताना क्या इस हदीस में हुजूर स० ने चार इमामों के नाम लिए हैं। क्या इस हदीस में किसी भी इमाम या फ़िक़ह का नाम है। फिर किस तरह

¹ यह हदीस मौजूद यानी घड़ी हुई है।

यह जाहिल तकलीद का सुबूत इस हदीस से दे रहा है कहने लगा कि तू क्या मुहद्दिस है जो हदीस का मतलब निकाल रहा है और पन्द्रह दिन हदीस पढ़ कर इमाम आजम रह0 की बराबरी का दावा कर रहा है। मैंने कहा यह तो मुझ पर बुहतान है।

मैंने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं इमाम साहब रह0 की बराबरी का दावा कर रहा हूं मैं तो उन को अपना इमाम समझता हूं और बाकी तीनों, इमाम शफ़अी रह0, इमाम मालिक रह0, और इमाम अहमद रह0, उन को भी इमामा समझता हूं और उन जैसा जो कोई बन्दा है, मुत्तकी परहेज़गार है वह भी मेरे नज़दीक नेक है। हर नेक आदमी की इज्ज़त करता हूं और सम्मान करता हूं लेकिन तेरी तरह सब नेक आदमियों का इन्कार करके एक के पीछे नहीं पड़ जाता हूं। मैं इमाम साहब रह0 का मुक़लिलद हूं उन के कथन पर अमल करता हूं। उन्होंने फ़रमाया मेरा जो काम कुरआन व हदीस के खिलाफ़ हो उस का रद्द कर देना। सहीह हदीस ही मेरा मज़हब है। बस जो बात सहीह हदीस में मुझे मिल जाती है, मैं इमाम साहब के कथन को इस के मुख़ालिफ़ देख कर छोड़ देता हूं फिर इस में झगड़े की क्या बात है? तुझ को किस ने दावत दी थी। क्या तुझ को मैंने मुनाज़िरा की दावत दी थी। फिर तू क्यों यहां मुनाज़िरा की ग़रज़ से आया। अब आ गया है तो सुन ले।

जो चीज़ कुरआन व हदीस के खिलाफ़ होगी। वह मसअला जो फ़िक़ह में कुरआन व हदीस के खिलाफ़ है, वह कदापि मुझे मंजूर नहीं है। ऐसी मन गढ़त बातों से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। कहने लगा, सारा फ़िक़ह कुरआन व हदीस के अनुसार है, कोई मसअला कुरआन व हदीस के खिलाफ़ हमारे फ़िक़ह में नहीं है और फ़िक़ह से इन्कार करना कुपर है, तू कोई मसअला बता मैं उस की दलील कुरआन व हदीस से दूंगा। मैंने कहा कि एक दलील तो तू

अब तक नहीं दे सका और दलील क्या देगा? कहने लगा कि हुजूर सल्ल0 ने स्वयं इमाम आज़म रह0 की तारीफ की है। हुजूर सल्ल0 ने पेश गोई फरमाई है कि इमाम अबु हनीफा रह0 मेरी उम्मत का चराग हैं, इस से बढ़ कर क्या सुबूत होगा। मैंने कहा कि यह हदीस जो तू बयान कर रहा है, एक तो यह देखना पड़ेगा कि यह हदीस भी है या नहीं और इस पर उलमा किराम ने क्या लिखा है। लेकिन खैर यह हदीस जो तूने बयान की है। इस में यह कहां है कि क्यामत तक के लिए इमाम अबु हनीफा रह0 की तक्लीद फर्ज़ या वाजिब है? उस में लिखा है कि कुरआन व हदीस को छोड़ दो और सिर्फ़ फ़िक़ह हंफ़ी की फ़रमांबरदारी करो। ऐ लोगो, ज़रा सच सच बताना, क्या इस में तक्लीद का शब्द या ज़िक्र है? हुजूर सल्ल0 का तरीक़ा है। क्या इमाम अबु हनीफा रह0 सहाबी रज़ि0 थे जो तू इन की तक्लीद को फर्ज़ और वाजिब कह रहा है। कहने लगा कि उम्मत का इजमा इन चारों मज़हबों पर हो गया है। उन की तक्लीद के सिवा कोई चारा नहीं।

मैंने कहा कि किस ने इज्तिहाद का दरवाज़ा बन्द किया और इजमा—ए—उम्मत किस को कहते हैं। इजमा—ए—उम्मत किन लोगों को माना जाए। क्या मुक़लिलदीन का इजमा उम्मत के लिए हुज्जत है। अगर फर्ज़ कर लिया जाए कि चारों इमामों की तक्लीद फर्ज़ व वाजिब है तो फिर तूने तीन इमामों की तक्लीद को क्यों छोड़ दिया है, उन को बर हक़ कहता है, उन को सहीह रास्ता पर मानता है तो फिर उन के रास्ते पर क्यों नहीं चलता। क्यों उन के रास्ते से कतराता है। अगर मैं फर्ज़ की नमाज़ शाफ़उी मसलक और ज़ोहर की नमाज़ मालिकी मसलक और असर की हंफ़ी मसलक की तरह अदा करूं तो यह जाइज़ है या ना जाइज़? कहने लगा बिल्कुल ना जाइज़ है। तुझ को तर्स्लीम सब को करना है लेकिन अमल केवल

हंफी मसलक पर जाइज़ है यह मसअला उसूल फ़िल एतेकाद और उसूल फ़िल अमल से संबंधित है, तू जाहिल क्या समझेगा? इस की मिसाल ऐसी है कि एक व्यक्ति नमाज़ से इन्कार करता है कि नमाज़ जायज़ नहीं है, या नमाज़ से इन्कार नहीं करता लेकिन नमाज़ नहीं पढ़ता। अर्थात् नमाज़ को तस्लीम करता है लेकिन अमल नहीं करता तो वह हक़ पर है और मुसलमान है।

इसी तरह शाफ़अी आदि नुबूवत और रिसालत में हक़ पर हैं लेकिन अमल में भिन्न हैं और शाफ़अी की नमाज़ में और हमारी नमाज़ में क्या फ़र्क़ है? मैंने कहा कि तुझ को अभी यह भी पता नहीं कि उन की नमाज़ का तरीका क्या है तो फिर तू किस तरह मेरे पास मुनाज़िरा करने आ गया। देख मैं तुझ को बतलाता हूँ कि वह नमाज़ में रफ़अ यदैन करते थे कहने लगा रफ़उल यदैन निरस्त हो गया है। यह अमल वह है जिस को हुजूर ने कभी किया और कभी नहीं किया। मैंने कहा कि यह फ़ेल किस ने निरस्त किया। वह कौन सी रिवायत है और हदीस है जिस में यह लिखा है कि निरस्त हो गया है और निरस्त शुदा काम को शाफ़अी रहो ने कैसे कुबूल कर लिया। और तेरे नज़दीक जब यह काम निरस्त है तो फिर तू इस के करने वालों को हक़ पर क्यों कहता है, यह क्या अंधेर है? कहने लगा। उन का यह काम मकरूह है। हम उसूल फ़िल अमल से बहस नहीं करते क्योंकि हम अमल को ईमान का अंश नहीं समझते। मैंने कहा तू आमाल को ईमान का अंश नहीं समझता, लेकिन तक़लीद को जिस की कोई दलील तेरे पास नहीं है ईमान का अंश समझ कर फ़र्ज़ और वाजिब करार देता है और तेरे पास रफ़अ यदैन निरस्त होने की क्या दलील है? ज़रा जल्दी से वह आयत या हदीस पढ़ दे, मगर पहली ही दलील तू अभी तक नहीं पढ़ सका तो दूसरी दलील क्या

1- सहाबी रज़ियो की तक़लीद भी फ़र्ज़ या वाजिब नहीं।

पढ़ेगा। अगर तेरे सारे बड़े जमा हो जाएं तो भी कोई दलील नहीं ला सकते। कहने लगा, हदीस में पचासों दलीलें निरस्त के बारे में मौजूद हैं लेकिन इस समय मुझे कोई हदीस याद नहीं है। मैंने कहा। जब तुझ को स्वयं ही कोई चीज़ याद नहीं तो दूसरों की इस्लाह कैसे करेगा? कहने लगा कि दो दिन की छूट दे कि मैं तिर्मिज़ी शरीफ़ आदि देख कर तुझ को हदीस बतलाऊंगा। मैंने कहा, दो दिन नहीं तुझ को दो महीने की छूट है खूब दिल खोल कर तलाश कर लेकिन सहीह हदीस जिस पर कोई जिरह न की गई हो वह मुझे को दिखलाना। कहने लगा तू तो मादर ज़ाद नंगा है, तुझ को हदीस बता कर क्या फ़ायदा तेरी समझ में कैसे आएगा। इस के बाद वह मुझे गालियां देने लगा।

मैंने कहा कि खैर तू जितनी चाहे बद अख़लाकी कर लेकिन मैं कभी तेरी तरह बद अख़लाक नहीं बनूंगा। कहने लगा तू शाफ़अी शाफ़अी करता है। तुझ को मालूम है वह कौन थे। वह हमारे इमाम आज़म रहो के शागिर्द और इमाम मुहम्मद रहो के शागिर्द थे। मैंने कहा कि इस के बावजूद उन्होंने फ़िक़ह हंफ़ी कुबूल नहीं की बल्कि अपनी अलग फ़िक़ह और अलग मज़हब बना लिया। तू इन बातों को छोड़ और सीधी तरह से दलील दिखला दे। अगर हक़ तेरे पास है तो इंशा अल्लाह मैं कुबूल कर लूंगा। नहीं तो तू तरस्तीम कर ले। कहने लगा कि तेरा क्या भरोसा, कल तक हम तुझ को एकेश्वर वादी समझ रहे थे। अपनी जमाअत का आदमी समझ रहे थे लेकिन तू तो गैर मुक़लिद निकला, कल तू मुन्किरे हदीस बन जाए तो क्या भरोसा। हमारे बाप दाद इस फ़िक़ह पर अमल करते आए हैं, इस फ़िक़ह से इन्कार करके कुप्र पर कैसे ज़िद की जाएगी। मैंने कहा— क्या तू गैर मुक़लिद को मुसलमान नहीं समझता, कहने लगा मुसलमान समझता हूं।

मैंने कहा कि क्या सहाबा किसाम रजिओ आदि इमामों से पहले के लोग तकलीद करते थे? कहने लगा। वे तो सहाबी रजिओ थे, उन के अनुसरण का हमें तो हुक्म दिया गया है तू तो उस की ना फरमानी कर के क्यों हम को मजबूर करता है कि हम इमाम अबु हनीफा रहो की तकलीद करें क्या इमाम अबु हनीफा रहो सहाबी रजिओ थे? कहने लगा वह अरबी दां थे, अहले ज़बान थे, कुरआन व हदीस को वही समझ सकते थे, क्योंकि यह किताबुल हिक्मत है, इस में ज़ेर ज़बर आदि का फ़र्क है, इस लिए हम पर उन की तकलीद फर्ज़ है। मैंने कहा कि क्या उम्मत मुहम्मदी में सिवाए अबु हनीफा रहो के और किसी ने कुरआन नहीं समझा? तू किस दलील की बिना पर कहता है कि वे अहले ज़बान थे, तुझ को अभी तक यह पता नहीं कि वह कहां के रहने वाले थे और अहले ज़बान किस को कहते हैं? तू जाकर पहले अपनी फ़िक्रह को एक तरफ़ रख दे। फिर दीने इस्लाम का अज़ सरे नौ मुताला कर। कुरआन व हदीस का इल्म सीख कर मेरे पास आना। कहने लगा कि तू अपने सारे आलिमों को मेरे पास ले आ, मैं उन सब जाहिलों को काफ़ी हूं। मैं फ़िक्रह के हर हर मसाले और हर एक कथन के लिए कुरआन की आयत और हदीस पढ़ूंगा।

मैंने कहा कि तू मुझे अब तक एक दलील न दे सका, तो अब तक यह भी न समझा सका कि चार इमाम बर हक़ हैं तो फिर एक के गले का बार हो जाना किस के हुक्म से? किस दलील की बिना पर फर्ज़ और वाजिब हुआ। तो भला तू मेरे उलमा से क्या बहस कर सकता है? कहने लगा कि इस की दलील यह है कि जिस तरह चार किताबें बर हक़ हैं लेकिन अमल केवल कुरआन पर है, उसी तरह चार इमाम बर हक़ हैं लेकिन अमल केवल अबु हनीफा रहो पर है। उस के साथियों ने इस दलील पर वाह वाह की। मैंने कहा कि

कुरआन आने के बाद पहली किताबें अर्थात् उन की शरीअत निरस्त हो चुकी। हुजूर स0 ने फ़रमाया कि अगर हज़रत मूसा अलौहिः भी मेरे ज़माने में होते तो मेरा अनुसरण किए बिना उन को चारा न था लेकिन वह शरीअतें हुक्मे ईलाही से मंसूख हुई हैं और कुरआन और शरीअत मुहम्मदी अल्लाह के हुक्म से शुरू हुई अब तू यह बतला कि तीन इमाम की तक़लीद किस के हुक्म से निरस्त हुई?

और इमाम अबु हनीफा रह0 की तक़लीद किस के हुक्म से शुरू हुई और क्या उन चारों इमामों की तक़लीद के लिए कोई वहय आई थी? अगर आई थी तो कौन से इलाह ने किस नबी पर नाज़िल फ़रमाई और कौन वहय ले कर आया और तू तो कहता है कि चारों बर हक़ हैं अमल एक पर है और मिसाल किताबों की देता है। कुरआन किताबे मुक़द्दस पहली किताबों के बाद नाज़िल हुई। अगर ख़ाह भख़ाह इमामों को भी इसी तरह मान लिया जाए तो इमाम अहमद रह0 आखिरी इमाम हैं तो अब इमाम अहमद रह0 की तक़लीद होनी चाहिए न कि इमाम अबु हनीफा रह0 की। कहने गला कि कौन कहता है कि पहले की शरीअतें ख़त्म हो गई हैं। वे ख़त्म नहीं हुई हैं बल्कि वह सब कुरआन में आ गई हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर इमाम अहमद रह0 की फ़िक्रह में सब की फ़िक्रह आ जानी चाहिए। फिर वह बिगड़ गया और गालियां देने लगा। फिर एक दूसरे आदमी से मुख़ातिब हुआ। कहने लगा कि अंधे के आगे किताब पेश करना बेकार है।

फिर एक मिसाल थानवी की बयान की हुई सुनाने लगा कि एक बार कुछ अंधे हाथी देखने गए, किसी ने दुम पर हाथ फेरा समझा यही हाथी है। किसी ने कान पर हाथ फेरा समझा कि यही हाथी है। किसी ने सूँड पर हाथ फेरा समझा यही हाथी है। चूंकि अंधे थे इस लिए देख नहीं सकते थे, अगर आंखें होतीं तो मालूम हो जाता कि

सब के जोड़ को हाथी कहते हैं और सब अंगों के मिलाने से हाथी बनता है। मैंने कहा कि बस तू अपने इस कथन पर कायम रह चारों इमामों की पैरवी कर पूरा इस्लाम हासिल होगा मगर तू तो अंधा है, आंखें होतीं तो देख सकता। फिर कहने लगा कि मैं आलिम हूं तुझ को चाहिए कि मुझ से पूछ के अपना दीन सही कर ले। मैंने कहा कि तू तो अजीब बे वकूफ़ है, मेरी किसी बात का जवाब तो देता नहीं और अपने को आलिम कह रहा है तो इसी बहस में रात के लगभग 2 बज गए। मस्जिद में एक शोर हंगामा मचा दिया। फिर मैं घर आ गया और वह भी रात ही को अपने गांव वापस चला गया।

मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि मेरा वह नया साथी शायद अब नहीं आएगा। मगर अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस का ईमान और मज़बूत फ़रमाया और वह दूसरे दिन आया और कहने लगा कि रात की बहस से मुझे यकीन हो गया कि इस के पास सिवाए बकवास के कुछ नहीं है। यह सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है। यह सब कुछ उस की ही कृपा है। आज एक तीसरा आदमी भी हमारी जमाअत में दाखिल हुआ है। अल्लाह तआला सब मोमिनीन को सीधे रास्ते पर चलाएं। आमीन। अब आखिर में दो बातों का जवाब चाहता हूं। शाह वलीउल्लाह साहब रहो ने अपनी किताब “हुज्तुल्लाहुल बालिगा” भाग दो (नमाज़ के बयान) में लिखा है कि नमाज़ के चारों तरीका सुन्नत हैं। इस के मायना यह हुए कि हॉफियों की नमाज़ सुन्नत के अनुसार है। उन्होंने यह भी लिखा है कि हर एक के पास मज़बूत दलील हैं।

2-उन्होंने दूसरे भाग में तक़लीद के बयान में यह लिखा है कि उन चारों इमामों की तक़लीद और उन मज़ाहिब पर उम्मत की सहमति हो चुकी है। इस का मतलब यह हुआ कि जिस बात पर

उम्मत की सहमति हो चुकी है वह बात हम को ज़रूर माननी है, क्योंकि उम्मत की सहमति जिस बात पर हो जाए उस को मानने पर हदीस में ताकीद है कृपा इन सवालात का जवाब ज़रूर दें कि मेरे दिल से यह खटका भी दूर हो जाए ।

रात मैंने एक किताब पढ़ी । जिस का नाम “खुतबातुत तौहीद” है । हमीदुल्लाह मेरठी की लिखी हुई है । इस के आखिर में दीन व दुनिया की नसीहतों के बारे में अदि खुतबा में पृ० 131-132 पर लिखा है कि हफ़ी, मालिकी, शाफ़ी, अहले हदीस आदि सब एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं । इस की दलील में उन्होंने एक हदीस भी नक्ल की है और हवाला बुख़ारी प्रकाशित निज़ामी पृ० 96 का दिया है और अबु दाऊद पृ० 166 पहला भाग का भी हवाला दिया है जिन की रु से हर एक के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ बतलाया है । कृपया इस पर भी रोशनी डालिए । यह बहुत ज़रूरी है । बाकी खैरियत । पुरसाने हाल की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ है ।

फ़कृत

खादिम नवाब मुहियुद्दीन

24 अप्रैल 1962 ई०

नोट: 1- मैं पत्र लिख कर मुकम्मल कर चुका था । और अब ख़ाक के हवाले करने ही वाला था ।

कि आप का करम नामा मिला पढ़ कर बहुत खुशी हुई । मेरे दो सवालों में से एक का जवाब (तरीका-ए-सुन्नत) के बारे में मिल गया और माशा अल्लाह तसल्ली व इत्मीनान हो गया । अब उम्मत की सहमति वाले सवाल का जवाब भी दीजिए ताकि इत्मीनान हासिल हो ।

2- मिशकात बाबुत्तहारत में हदीसें हैं कि चमड़े की दबागत के बाद वह पाक हो जाता है और इस का इस्तेमाल जाइज़ हो जाता है । फिर कुत्ते की खाल भी दबागत के बाद पाक हो जानी चाहिए, इस पर भी रोशनी डालिए ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद
चक लाला 5 मई 1962 ई०

बख़िदमत जनाब नवाब साहब

अस्सलाम आलैकुम

अम्मा बाद! आप का पत्र मिला। पढ़ कर बहुत खुशी हुई मुनाजिरा की कहानी मालूम हुई। यह अल्लाह का शुक्र है कि उस ने आप को कामयाब किया और अपने दीन की खिदमत का सौभाग्य प्रदान किया। आमीन

1- “अबु हनीफा मेरी उम्मत का चराग है।” यह हदीस ज़ईफ़ नहीं बल्कि मौजूअ है। इस हदीस का दूसरा टुकड़ा यह है। “मेरी उम्मत में एक व्यक्ति होगा जिस का नाम मुहम्मद बिन इदरीस होगा, वह शायातीन से ज्यादा हानिकारक होगा।” (तज़किरतुल मौजूआत इब्ने ताहिर हंफ़ी फ़तनी और मौजूआते कबीर मुल्ला अली क़ारी)

मुहम्मद बिन इदरीस, इमाम शाफ़ी रही का नाम है।

2- “मेरे सहाबा रज़ी० तारों की तरह हैं जिनका अनुसरण करो गे, हिदायत पाओगे।” यह हदीस भी मौजूअ है।

(फ़तहुल बारी वगैरह)

3- कुरआन मजीद की अनेक आयात में मुबाहसा के समय अंदाज़े गुफ्तगू की तालीम दी गई है, इन आयाते मुबारकात की रोशनी में अर्ज़ है कि आप मुख़ालिफ़ की कड़वी बातों का जवाब कड़वाहट से न दीजिएगा बल्कि खुश अख़लाकी से ही जवाब

दीजिएगा।

अब आप के सवालात का जवाब लिखता हूँ।

क्या शाह वलीउल्लाह साहब रहो तक़लीद के समर्थक थे?

सवाल

शाह साहब रहो ने भाग दो में तक़लीद के बयान में यह लिखा है कि इन चारों इमामों की तक़लीद और इन मज़ाहिब पर सहमति हो चुकी है। इस का मतलब यह हुआ कि जिस बात पर उम्मत की सहमति हो चुकी है वह बात हम को ज़रूर माननी चाहिए?

जवाब

मेरे पास “हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा” नहीं है। मैंने एक साहब से लेकर दूसरा भाग का अध्ययन किया है। मुझे यह इबारत उस में नहीं मिली, कृपया इन की असल इबारत संदर्भ सहित नक़ल फ़रमा दीजिए ताकि मैं समझ सकूँ कि वे क्या लिख रहे हैं।

1- इस का एक जवाब तो मैं “बुजुर्गों की गुलतियां के शीर्षक से दे चुका हूँ अगर उन्होंने यही लिखा है तो फिर यह जवाब काफ़ी है। मगर मैं समझता हूँ कि ऐसा वह कैसे लिख सकते हैं जबकि:

आ: वह स्वयं लिखते हैं कि चौथी सदी से पहले लोग तक़लीद पर इकट्ठा नहीं हुए थे। (शायद पहले भाग में होगा) अतः तीन सौ साल तक तो लोग तक़लीद करते ही न थे, फिर सहमति कैसे हुई?

ब: उन की पूरी किताब “हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा” मुजतहिदाना शाहकार है, कहीं भी वह मुक़लिलदाना तौर पर कोई बात नहीं

लिखते। बल्कि यूं समझिए कि लगभग पूरी किताब में हंफी मसलक के खिलाफ लिखते चले जाते हैं। अगर सहमति उन्हें तस्लीम है तो स्वयं सहमति के खिलाफ क्यों चलते हैं? तक़लीद क्यों नहीं करते?

जः उन की अक्सर इबारतें जो भिन्न भिन्न किताबों में पाई जाती हैं तक़लीद की निंदा से भरी हैं।

हः “वसीयत नामा में तक़लीद के परख़च्चे उड़ा कर रख दिए हैं।

2- दूसरा जवाब इस का यह है कि उम्मत की सहमति से मुराद यह है कि सहाबा रज़ि० से लेकर क्यामत तक सब मुसलमान इस पर सहमति कर लें तो यह घटित नहीं हुआ, अतः उन का यह लिखना कि इस पर सहमति है, कैसे सही हो सकता है?

3- अगर चौथी सदी से इस पर सहमति हुई तो यह भी सही नहीं। इस लिए कि आमिल बिल हदीस हमेशा रहे। अल्लामा ज़हबी रह० ने तज़किरतुल हुफ़ाज़ में हर दौर के अनेक उलमा के नाम बताए हैं जो तक़लीद नहीं करते थे। इन का संक्षिप्त हाल आप को “अल इशाद इला सबीलुर्रशाद” में भी मिल जाएगा।

क्या मुक़ल्लिद की इमामत में नमाज़ हो सकती है?

सवाल

मौलवी हमीदुल्लाह साहब ने “खुतबातुत्तौहीद” में लिखा है कि हंफी, शाफ़ी, मालिकी और अहले हदीस आदि सब एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं?

जवाब

हदीस में है:

فَمِنْ أَحَدُثُ فِيمَا حَدَّثَأَوْ أَوْيَ مُحَمَّدًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ لَا يَقْلِلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صِرْفًاً وَلَا عَدْلًاً.

अर्थात् जो व्यक्ति मदीना में बिदअत निकाले या बिदअती को जगह दे, उस पर अल्लाह की, फ़रिशतों की और तमाम लोगों की लानत, अल्लाह क्यामत के दिन उस के फ़र्ज कुबूल करेगा न नफ़िल ।

(बुखारी व मुस्लिम)

तक़लीद निश्चय ही बिदअत है क्योंकि पुराने ज़माने में इस का वजूद नहीं था अतः मुक़लिलद की नमाज़ ही कुबूल नहीं होती । इस के पीछे नमाज़ पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता । सहीह बुखारी के हवाले से जो कुछ लिखा है, वह हज़रत उसमान रज़िया का कथन है, हदीस नहीं है । हज़रत उसमान रज़िया ने इमाम फ़तना के पीछे नमाज़ पढ़ने की अनुमति दी थी । यहां एक बात यह देखनी है कि इमाम फ़तना का मतभेद क्या था? कोई मज़हबी मतभेद नहीं था । उस को हज़रत उसमान रज़िया के सियासी अहकाम से मतभेद था । एक व्यक्ति ने जोहर की अजान में **الصلوة خير من النوم** कहा तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़िया ने कहा यह बिदअत है और मय अपने साथी के चले गए । वहां नमाज़ नहीं पढ़ी । (अबु दाऊद)

अबु दाऊद के हवाले से जो हदीस नक़ल की गई है वह ज़ईफ़ है इमाम अहमद रहीम ने इस का इन्कार किया । इमाम उक़ैले रहीम, इमाम दारे कुतनी रहीम, इमाम बैहेकी, हाफिज़ इब्ने हजर रहीम सब ने इस को ज़ईफ़ कहा है । वह कहते हैं यह मूल साबित नहीं इमाम अहमद, अल हाकिम ने इस को मुंकर कहा है

(नैलुल औतार जुज़ 3 पृ० 138)

फ़क़त

मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मोहतरम जनाब मार्टर मुहम्मद नवाब साहब सल्लमहु रब्बिही
अरसलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बर कातुहु
मिजाज़ शरीफ़! मेरी तबीयत काफी दिनों से ख़राब है, इलाज
का सिलसिला जारी है, और थोड़ा फ़ायदा है। दुआ फ़रमाएँ।

मुझे विश्वसनीय सूत्रों से मालूम हुआ है कि आप ने तक़लीद
इमाम अबु हनीफा रज़ि० को छोड़ कर अदमे तक़लीद की राह
अपनायी है और इस के सरगर्म प्रचारक हैं, अगर यह वास्तव में
हकीकत है तो मुझे बड़े दुख के साथ साथ हैरत भी है कि कुरआन
शरीफ़ और हदीस शरीफ़ से एक अपरिचित आदमी किस तरह इस
कांटों भरी वादी में कदम रखने की हिम्मत करता है। अल्लाह
तआला सही समझ प्रदान करें। क्या आप के पीर व मुर्शिद हज़रत
मौलाना अहमद अली लाहौरी रह० गैर मुक़लिद थे। खुदा के लिए
कुछ सोचिए।

वस्सलाम
नूर मुहम्मद

नोट: यह पत्र मौलवी नूर मुहम्मद साहब शैखुल हदीस मदरसा हाशमिया सजावल का
नवाब मुहियुद्दीन के नाम है। इस का ज़िक्र नवाब साहब के अगले पत्र में है।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब साहब

बख़िदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसऊद साहब

अरसलामु आलैकुम!

आप का भेजा हुआ पत्र मिला, शुक्रिया। मैं दो तीन दिन के लिए कराची गया था। मेरे साथ तथ्यब साहब थे। वह मौलवी जो मुझ से मुनाज़िरा (मुजादला) करके दो दिन का समय ले कर गया था कि रफ़उल यदैन के निरस्त होने की हदीस लाकर दिखाऊंगा, आज तक नहीं आया। अपने शागिर्दों से कहता है कि हदीसें तो बहुत हैं लेकिन नवाब नहीं मानेगा। उस ने एक पत्र सजावल के मौलवी नूर मुहम्मद को लिखा था और फ़रियाद की थी कि नवाब गुलामुल्लाह में फ़ितना फैला रहा है गैर मुक़लिलद हो गया है। बड़ा सरगर्म प्रचारक है आदि आदि। मौलवी नूर मुहम्मद ने मुझे पत्र लिखा, जो मैं इस पत्र के साथ नथी करके आप के पास भेज रहा हूं। मैंने उन को लिखा है कि मौलवी अशरफ़ साहब ने आप को ग़लत लिखा कि मैं यहां फ़ितने नहीं फैला रहा हूं।

आप मेरे उस्ताद भी हैं और विद्वान भी। आप ही न्याय से कहिए कि क्या कुरआन व हदीस की तबलीग़ फ़ितना है? मेरा तो ख्याल है कि कुरआन व हदीस की तबलीग़ हक़ है और इस से फ़ितने दूर हो जाते हैं और हक़ ज़ाहिर हो जाता है और लोगों को अपना भूला हुआ दीन असली जो हुजूर सल्ल0 ने सिखाया था और जिस पर सहाबा किराम रज़ि0 का, ताबीन रह0 का बल्कि तबअ़ ताबीन का अमल था, याद आ जाता है। फिर मैंने अशरफ़ के मुनाज़िरा का

हाल लिखा और मौलवी नूर मुहम्मद साहब को सवालात के जवाबात दिए। मैंने लिखा कि आप कुरआन व हदीस को काटों से भरी वादी फरमा रहे हैं, यह क्या ग़ज़ब है। अल्लाह तआला स्वयं अपने कलाम के बारे में फरमाता है कि यह बहुत आसान और गुमराहों को राह दिखलाने वाला और जाहिलों को विद्वान बनाने वाला है और रसूल मासूम ने फरमाया कि मैं बड़ी आसान तरीन शरीअत ले कर आया हूं लेकिन आप हैं कि कलाम पाक को काटों भरी फरमा रहे हैं।

अगर मैं गलत रास्ते पर हूं और राह से भटक गया हूं तो आप मेरे उस्ताद हैं, आप मुझे हक की राह दिखलाइए आप को इस काम के लिए सवाब मिलेगा। जब हफ़ियत हक पर है तो फिर दलाइल क्यों ख़त्म हो गए हैं? लोग हफ़ियत से निकल रहे हैं। ऐसे नाजुक समय में इन दलीलों को मैदान में आना चाहिए, मैं कुरआन व हदीस पर अमल करता हूं और वही मेरा ईमान है और हर समय अल्लाह तआला जल्ला शानुहु से दुआ करता हूं कि मेरा ख़ात्मा कुरआन व हदीस पर हो। अगर आप इस बात को बेकार समझते हैं तो फिर इस बात को बेकार साबित कीजिए। क्या आप को मेरे इस्लाम कुबूल कर लेने से दुख हुआ है? उस्तादे मोहतरम! आप को तो खुश होना चाहिए, ईद मनानी चाहिए कि एक व्यक्ति (नवाब) दीने इस्लाम में दाखिल हो गया है और हक को कुबूल कर लिया है, आप तो बजाए खुशी के अफसोस कर रहे हैं, क्या आप को यह अफसोस है कि नवाब आप की जमाअत से निकल कर सीधे रास्ते की तरफ चला गया और इस्लाम कुबूल कर लिया।

आप ने जो यह लिखा है कि क्या तुम्हारे पीर व मुर्शिद गैर मुक़लिद थे तो यह आप ने एक अजीब बात लिखी। क्योंकि मुर्शिद

साहब का गैर मुकल्लिद न होना मेरे लिए कोई हुज्जत नहीं और यह बैअत जिहालत के दिनों की बैअत थी जो हक ज़ाहिर होते ही ख़त्म हो गई। दूसरे यह कि मुर्शिद साहब वफ़ात से पहले अपने रिसाला “खुदामुदीन” में इस बात का ऐलान फ़रमा चुके हैं कि तक़लीद न ईमान का अंश है, न फ़र्ज़ न वाजिब, और हिंसा करने वाले विद्वानों को खूब डांटा भी है। इस के कुछ दिनों बाद मेरा दामाद स्वयं मेरे पास मिलने आया। उस ने कहा कि मौलवी नूर मुहम्मद साहब ने पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद फ़रमाया कि नवाब हमारी जमाअत से निकल गया। अफसोस! पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। फ़रमाया कि अब जवाब देना बेकार है। उस पत्र को मदरसा के सब शागिर्दों ने पढ़ा। फिर मेरा दामाद जब जाने लगा तो मैंने एक और पत्र मौलवी नूर मुहम्मद साहब को लिखा कि आप मेरे उस्ताद हैं। मुझे बताइए कि हक किधर है, मैं कसम खाता हूं कि अगर हक आप के पास होगा तो मैं तुरन्त कुबूल कर लूंगा।

मैंने अपने दामाद से कहा कि मैं तेरे सामने कसम खाता हूं कि अगर मौलवी नूर मुहम्मद साहब के पास हक है तो मैं तुरन्त कुबूल कर लूंगा और बजाए हक के उन के पास बिदअत है तो मैं कभी कुबूल नहीं करूंगा। तुम उस्ताद से कहो कि मुझे हक बात समझाएँ और दलाइल लिख कर भेजें, क्योंकि बिना दलाइल के तो नवियों को और पैगम्बरों को भी कौमों ने नहीं माना। अर्थात उन से भी दलाइल तलब किए और दलाइल मिल जाने के बाद जिन्होंने इंकार किया वह कफिर हो गए और बर्बाद हो गए। मेरे दामाद ने कहा कि ठीक हैं। अतएव वह मेरा पत्र ले कर गया और मौलवी नूर मुहम्मद साहब को दिया और जवाब लिखने को कहा तो मौलवी साहब ने फ़रमाया कि अब जवाब लिखना बेकार है, इस से पत्र व्यवहार का

सिलसिला बढ़ जाएगा और मैं अपनी तकलीद पर बेहद सन्तुष्ट हूं आदि। मैंने अपने दामाद से पूछा कि अब बताओ हक किधर है और यह तकलीद शख्सी बिदअत है या नहीं? उस ने कहा कि बेशक तकलीद बिदअत है।

तथ्यब साहब और दूसरे साथी गुलाम हुसैन साहब आप का सलाम अर्ज करते हैं और आप से मुलाकात के इच्छुक हैं। अब मैं कुछ सवालात लिखता हूं उन के जवाब दलाइल की रोशनी में दीजिए।

हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रह0 “हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा” पहला भाग अध्याय-4 पृ० 360 पर लिखते हैं कि “इस मकाम के मुनासिब यह है कि इन मसाइल पर लोगों को सचेत कर दिया जाए कि जिन के कदम बहक गए, वे लग़ज़िश खा गए और कलमों ने कज रवी की, उन में से एक मसला यह है कि चारां मज़ाहिब जो संकलित हो चुके हैं और लिखे जा चुके हैं, तमाम उम्मत या वे लोग जो इस उम्मत में भरोसे मन्द हैं, सब ज़माना में उन की तकलीद के जाइज़ और ठीक होने पर सहमत हैं और इस तकलीद में बहुत सी मसलहतें हैं जो पोशीदा नहीं। खास कर इस ज़माने में लोग निहायत ही कम हिम्मत हो गए हैं और इन के दिल नफ़सानी इच्छा से भर गए और हर व्यक्ति अपनी ही राय पर गर्व करने लगा।”

शाह वलीउल्लाह साहब रह0 के “वसीयत नामा” का आप ने पिछले पत्र में ज़िक्र किया था। वह “वसीयत नामा” किस किताब में मिलेगा, इस किताब का नाम और पता ज़रूर लीखिए।

खादिम नवाब

24 मई 1962 ई0

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

31 मई 1962 ई०

बख्तिरमत नवाब साहब

अरसलाम आलैकुम!

(अम्मा बाद) आप का पत्र ता० 24 मई मिला, आपकी तबलीगी कामयाबी से बहुत खुशी हुई। اللهم زدہ فرداً شاہ ولیउल्लाह साहब रह० की किताब “हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा” पहले भाग पृ० 360 की जो इबारत आप ने नक़ल की है, उस का मफ़्हूम जो मैं समझा हूँ उस का विलोम है जो आप समझे हैं, इस से तो तक़्लीद की बुराई साबित हो रही है। कृपया इस के आगे की इबारत और नक़ल करके भेजें ताकि मैं अपने मफ़्हूम पर मुतमइन हो कर विस्तार से आप को लिख सकूँ और इसी लिए इस समय यह संक्षिप्त पत्र लिख रहा हूँ आप स्वयं भी इस के मफ़्हूम पर सोच विचार कीजिए।

शाह वलीउल्लाह साहब रह० का वसीयत नामा अलग छपा हुआ मेरे पास है। और शायद यह किसी बड़ी किताब का अंश नहीं है। मुरदार की खाल दबागत से पाक हो जाती है लेकिन कुत्ते की नहीं। इस लिए कि कुत्ता दरिन्दा है और दरिन्दों की खाल इस्तेमाल करने की मनाही है, उस को बिछाना मना है। (तिर्मिजी) दरिन्दों की खाल पर बैठना मना है। (अबु दाऊद) पहनना मना है। (अबु दाऊद)

इन हदीसों की रोशनी में दरिन्द्रों की खाल को अपवाद करना
लाज़िमी है।

फ़क़्त

मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

बखिदमत जनाब मोहतरम मसऊद साहब!

अरस्सलाम आलैकुम!

सख्त इंतिजार के बाद कल आप का कार्ड ता 013 मई 1962 ई0 मिला। हुज्जतुल्लाहुल बालिगा पहले भाग की जो इबारत मैंने नक़ल की थी, उस के बाद की तहरीर में तो बे शक तक़लीद की बुराई का पहलू निकलता है। मगर मैं केवल इस हिस्सा तहरीर के बारे में जानना चाहता था कि जिस में यह लिखा है कि यह चारों मज़ाहिब जो संकलित हो चुके हैं या तहरीर में आ चुके हैं तमाम उम्मत या वे लोग जो इस उम्मत में भरोसे योग्य हैं, सब इस ज़माना में उन की तक़लीद के जाइज़ और सही होने पर सहमत हैं और इस तक़लीद में बहुत सी मसलेहतें हैं जो पोशीदा नहीं हैं। तो यह जो लिखा है कि तमाम उम्मत ने सहमति कर ली है इस से क्या मतलब है? क्या यह उम्मत की सहमति नहीं हुई। बस इस के बार में जानना चाहता हूं। इसी पर रोशनी डालिए कि यह उम्मत की सहमति है या नहीं? क्योंकि शाह साहब रह0 के शब्दों से मालूम होता है कि उम्मत ने तक़लीद जाइज़ होने पर सहमति कर ली है तो फिर यह उम्मत की सहमति हो गयी या नहीं। शायद तिर्मिज़ी की हदीस है। एक मौलवी ने मुझे एक हदीस दिखलाई जो मिश्कात में मौजूद है।

इब्ने माजा की हदीस है। “जमाअत का अनुसरण करो” तो जो व्यक्ति जमाअत से अलग हुआ उस को अकेले आग में डाला

जाएगा” उस ने कहा कि आप जमाअत छोड़ कर अलग हो गए, इस समय जमाअते तकलीद करने वालों की ही जमाअत है अगर आप इस को जमाअत नहीं मानते तो फिर बतलाइए कि वह कौन सी जमाअत है जिस के बारे में यह हदीस है। हदीस सब मुसलमानों के लिए है या नहीं? जो लोग क्यामत तक पैदा होंगे, वे भी उन हदीसों पर अमल कर सकते हैं या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो फिर यह हदीस बेकार है और अगर कर सकते हैं तो फिर हमारी जमाअत ही जमाअते हैं। मैंने देखा कि मिश्कात शरीफ पहला भाग में यह हदीस मौजूद है। मैंने उस मौलवी से कहा कि यह हदीस इब्ने माजा की है।

इब्ने माजा में असल हदीस देखनी चाहिए कि आया मुहदिसीन ने उस पर जिरह तो नहीं की है और उस का रावी कौन है? यह सब देखने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। उस ने कहा ठीक है। आप इब्ने माजा में हदीस देख कर अपना इत्मीनान करके जमाअत में लौट आइए। उस ने कहा कि अगर आप यह कहें कि इस हदीस के मुख्यातिब सहाबा किराम रज़ि० थे तो अब तो सहाबा किराम रज़ि० नहीं हैं और मुसलमानों को हुक्म हुआ है कि जमाअत का अनुसरण करो। तो अब हमारी जमाअत ही जमाअते कसीर है। खूब गौर कर लीजिएगा मसऊद साहब इस हदीस के बारे में ज़रूर लिखिए। यह हदीस सहीह है या मौजूद़ है और इस का क्या मतलब है। मुझे आप के जवाब का सख्त इंतिज़ार रहेगा। उस मौलवी ने सिलसिल—ए—कलाम जारी रखते हुए कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं? हम कलिमा पढ़ते हैं, किल्ला की तरफ मुँह करते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। यही ठीक ठीक ईमान है। फ़राइज़ और सुन्नत आदि में हम से किसी को मतभेद नहीं है।

फर्ज की दो सुन्नत, दो फर्ज हम भी पढ़ते हैं और आप भी ज़ोहर, असर के चार फर्ज आप भी पढ़ते हैं और हम भी। मगरिब के तीन फर्ज आप भी पढ़ते हैं और हम भी और इशा के चार फर्ज आप भी पढ़ते हैं और हम भी, तौहीद में भी कोई मतभेद नहीं है। क्या फिर भी आप हम को इस्लाम से बाहर समझते हैं? हुजूर सल्ल0 की नुबूवत और रिसालत पर भी हमारा ईमान है। फिर किस जुर्म में आप हम को इस्लाम से बाहर समझते हैं। यद्यपि तक़लीद करते हुए भी हम इन सारी बातों के काइल हैं। और ईमाने कामिल रखते हैं और हम तक़लीद इसी लिए करते हैं कि ईमान सलामत रहे, कोई व्यक्ति हमारे ईमान पर डाका न डाल सके। जिस तरह आप को जमाअत से तोड़ लिया गया, कल को शीआ हज़रात की दलीलें सुन कर आप शीआ हो जाएंगे। परसों कादियानियों की दलीलें सुन कर आप कादियानी हो जाएंगे ऐसी हालत के बारे में हुजूर सल्ल0 ने भविष्य वाणी की है कि क़्यामत से पहले क़्यामत के क़रीब ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी रात को मुसलमान होगा फिर सुबह को काफिर हो जाएगा और सुबह को मुसलमान होगा तो शाम को काफिर।

तुम्हारा सम्प्रदाय सूफीवाद के खिलाफ है। यद्यपि सूफीवाद नाम है नफ़स की सफाई का और नफ़स की सफाई वही कर सकता है जो पाबन्द शरीअत हो और पाबन्द शरीअत बड़े बड़े बुजुर्ग गुजर चुके हैं और मौजूद हैं और होंगे। देखिए अहमद अली साहब लाहौरी, मदनी साहब, बादशाह पीर, मुईनुद्दीन साहब चिश्ती आदि और ये सब लोग मुक़लिद थे। जिन की करामतों से तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। चांद से ज्यादा रौशन करामतें प्रकट हुई हैं और होंगी, लेकिन आप आज सब को झुठला कर जन्नत के

ठीकेदार बन गए हैं। न बुज़र्गों, औलिया अल्लाह का लिहाज न ख्याल। अल्लाह तआला फरमाता है कि जो मेरे वली को कष्ट देगा मैं उस से जंग करूँगा और आप हैं कि करामतों को झुठला कर सब को इस्लाम से निकाल रहे हैं। फिर कहने लगा कि जनाब यह कथामत की निशानी है आखिरी दौर है, लोग जमाअत से निकल रहे हैं। अपना अपना दीन बना रहे हैं।

उस ने एक घटना सुनायी कि ठड्डा के एक बुज़र्ग जो मर चुके हैं जिन का नाम मुहम्मद हाशिम था। वह जब रोज़ा-ए-मुबारक पर गए तो वहां पहुँच कर अर्ज़ किया। अस्सलामु आलैकुम या रसूलुल्लाह। रोज़ा-ए-मुबारक से जवाब आया। व अलैकुमुस्सलाम मुहम्मद हाशिम। उस समय रोज़ा-ए-मुबारक पर बहुत लोग थे और मुहम्मद हाशिम नाम के भी बहुत लोग थे और लगभग सब ही ने सलाम अर्ज़ किया था इस लिए आपस में मतभेद हुआ। हर मुहम्मद हाशिम कहने लगा कि मुझे जवाब आया है। फिर दोबारा सलाम अर्ज़ किया गया तो जवाब आया कि वअलैकुमुस्सलाम मुहम्मद हाशिम ठड्डवी। वह कहने लगा कि बुज़र्ग मुहम्मद हाशिम हंफी और पक्के हंफी थे, अभी तक उन के शागिर्द और ख़लीफ़ा ठड्डा में मौजूद हैं। अगर हंफी इस्लाम से ख़ारिज होते तो हुजूर सल्ल० क्यों नाम ले कर सलाम का जवाब देते। इसी किस्म की एक और घटना मुझ से सजावल में नूर मुहम्मद साहब ने सुनायी थी कि हुसैन अहमद मदनी साहब रह० को भी रोज़ा-ए-मुबारक से सलाम का जवाब आया था। मदनी साहब रह० पक्के हंफी थे। मगर जिन्नात भी आकर उन से दर्स लेते थे। फिर उस मौलवी ने कहा कि हुजूर सल्ल० बुजुर्ग मुहम्मद हाशिम साहब रह० की जिन्दगी में अपने चारों यारों को लेकर ठड्डा आया करते थे।

हंफियों की तो यह शान है। मास्टर साहब आप अपनी खैर मनाइए, बतलाइए कि क्या ऐसा कोई वली बा कारामत आप की जमाअत में भी गुज़रा है। एक खुबसूरत सा नाम अपने लिए पसन्द कर लिया, मगर हासिल क्या हुआ? जमाअत से टूट गए। जमाअत की नमाज़ के सवाब से महरूम हो गए। जुमा की नमाज़ और सवाब से महरूम हो गए। ज़िक्र भी छूट गया, बल्कि अब तो अल्लाह के ज़िक्र का विरोध करने लगे और इस ग़लत फ़हमी में पड़ गए कि सब मुश्तिरक और काफ़िर हैं। आप अंग्रेज़ी दानों की इस जमाअत में दाखिल हो गए हैं जिन्होंने चार पांच परस्परविरोधी फ़रोओं मसाइल को अपना ट्रेड मार्क बना लिया है। हुजूर सल्ल0 ने यह भविष्य वाणी और ताकीद फ़रमा दी कि जमाअत का अनुसरण करो।

हमारी जमाअत आज जितनी इस्लाम की ख़िदमत कर रही है वह रोज़े रौशन की तरह साफ़ है। आप स्वयं ही सोचिए आप को रंज और ग़म है कि कोई आप की बात सुनता नहीं। आप दुनियाए, इस्लाम से कट कर अलग हो गए। बल्कि घर में बन्द हो गए। उस मौलवी की गुफतगू बड़ी लम्बी चौड़ी थी, मगर मैंने सार कर दिया। जब उस ने बहस ख़त्म की तो मैंने उस से कहा कि आप ने अपनी तरफ में खूब तकरीर की। आप अपनी कसरत का रोब जमाना चाहते हैं। हुजूर सल्ल0 तो फ़रमाते हैं कि मेरी उम्मत 73 सम्प्रदायों में बंट जाएगी। केवल एक सम्प्रदाय जन्नत में जाएगा और 72 सम्प्रदाय जहन्नम में जाएंगे। अर्थात् 73 आदमी हों तो केवल एक आदमी जन्नत में जाएगा और 72 आदमी जहन्नम में जाएंगे। इस हदीस से मालूम हुआ कि जन्नत में जाने वाले कम संख्या में होंगे और जहन्नम में जाने वाले अकसरियत में होंगे, अब आप अपनी अकसरियत पर गर्व कीजिए, और मैंने कहा कि सहाबा रज़ि0 के

मालूम करने पर हुजूर सल्ल० ने फ़रमाया, जन्नती सम्प्रदाय वह होगा जो मेरे और मेरे असहाब रजि० के तरीके पर होगा ।

अब रही वह हदीस कि जमाअत कसीर का अनुसरण करो तो जमाअते कसीर से मुराद सहाबा रजि० की जमाअत है बस हुक्म हो रहा है कि सहाबा रजि० के तरीका अर्थात् तरीका—ए—नुहम्मदी का अनुसरण करो और यह बात, यह नेमत आप को नसीब नहीं, क्योंकि आप ने दीने इस्लाम के चार टुकड़े कर डाले और हर एक ने अलग अलग शरीअत ठहराई और आप की अक्सरियत वाली जमाअत ने तो शरीअत बना कर दीने इस्लाम को नोच डाला है और फिर भी बड़ी दिलैरी से अपने आप को अहले सुन्नत वल जमाअत कहलवाते हैं और करामतों का दावा करते हैं । मैंने देखा कि वह मौलवी मेरी बात सुन कर कुछ घबरा गया और इधर उधर की बातें करने लगा । कहने लगा कि मैं फिर किसी समय आकर आप से मुनाजिरा करूँगा, तब तक आप भी हदीस आदि देख कर तय्यार रहिए । मसऊद साहब वह तो चला गया, लेकिन मैं तो मुनाजिरा से घबराता हूँ और स्वयं को इस काबिल नहीं पाता कि हर सवाल का जवाब दे सकूँ ।

मसऊद साहब मैंने इस की गुफतगू जो निहायत नर्म माहौल में हुई, वह लगभग सब लिखने की कोशिश की है । आप मुझे कोई ऐसी दलील ज़बरदस्त लिखिए कि फिर बात बनाए न बने, मुझे आप के ख़त का सख्त इंतिज़ार रहेगा । मेरा ख्याल है कि उस मौलवी को मेरे पास भेजने में किसी का हाथ था । तथ्यब साहब और गुलाम हुसैन साहब आप को सलाम कहते हैं । तथ्यब साहब से कई लोग और ख़ास तौर से उन के ख़ानदान वाले उन के सख्त विरोधी हों

1- यह जवाब सही नहीं, इसी किताब में देखिए ।

गए। उन के वालिद ने सरे बाज़ार उन से झगड़ा किया लेकिन अल्लाह तआला कुदरत वाला है, तथ्यब साहब अपने मसलक पर मज़बूती से जमे हुए हैं। यह सब कुछ अल्लाह तआला का फ़ज़ल व करम है, आज कल हमारी मस्जिद पर बिदअतियों का कब्ज़ा हो चला है। एक बिदअती सख्त किस्म का हेड क्लर्क हो कर आया है और दूसरा प्राइमरी का मास्टर भी आया है। दोनों ने अपनी पार्टी बना ली है और मस्जिद पर कब्ज़ा कर लिया है। हम लोग घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं। दुआ कीजिए कि ये दोनों बिदअती यहां से दफ़्ऊ हो जाएँ या सीधी राह पर आ जाएँ। यह हलक़ा बांध कर ज़िक्र करते हैं और या दस्तगीर के नारे लगाते हैं या गौसुल मदद पुकारते हैं।

मेरी तरफ से सब की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ करें बच्चे सब सलाम अर्ज़ करते हैं।

फ़क़ूत
ख़ादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसजद

चक लाला 14 जून 1962 ई0

बख़िदमत मोहतरमी मुकर्मी मोहियुद्दीन खां साहब

अस्सलाम आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

(अम्मा बाद) कल आप का पत्र मिला, जवाब कल ही लिखने बैठ गया था लेकिन एक साहब तशरीफ ले आए, अतः लिख न सका। मौलवी नूर मुहम्मद साहब का पत्र भेज दिया है। अब आप अपने सवालों के जवाब सुनिए।

शाह वलीउल्लाह रह0 की तहरीर से तक़्लीद का रद्द

1- शाह वलीउल्लाह साहब रह0 ने लिखा है कि तक़्लीद भी उन मसाइल में से है जिन में बड़े बड़े लोग ठोकर खा गए और ग़लत फ़हमी से कुछ का कुछ समझ गए और कुछ का कुछ लिख गए। ग़लत फ़हमी यह हुई कि उन लोगों ने यह समझ लिया कि तक़्लीद जाइज़ है। इस पर सहमति है आदि आदि, यद्यपि हकीक़त में न यह जाइज़ है, न इस पर सहमति है। उन बड़े बड़े उलमा को धोखा हुआ जो वह ऐसा समझे। यह है शाह साहब रह0 का असल मंशा अगर उन का मंशा यह न होता तो फिर बाद की तहरीर से तक़्लीद की बुराई का पहलू कैसे निकल सकता है? और किस तरह उन की पूरी किताब मुजतहिदाना तहरीर से भरी होती।

2- तिर्मिजी में बेशक यह हदीस है कि “मेरी उम्मत गुमराही पर जमा न होगी” और अल्लाह तआला का शुक्र है कि तक़लीद पर उम्मत जमा नहीं हुई।

3- इब्ने माजा में हदीस है: اذَا رأيْتُمْ اخْتِلَافاً فَعَلِيكُمْ بِالسُّوادِ الْاعْظَمِ.
“जब मतभेद देखो तो सवादे आज़म को लाज़िम पकड़ो।” इमाम अबुल हसन सिन्धी लिखते हैं:

”وَفِي الرِّوَايَةِ فِي أَسْنَادِهِ أَبُو خَلْفِ الْأَعْمَى وَاسْمُهُ حَازِمُ بْنُ عَطَى
وَهُوَ ضَعِيفٌ رَقْدٌ جَاءَ الْحَدِيثُ بِطْرَقٍ فِي كُلِّهَا نَظَرٌ.

ज़वाइद में है कि इस हदीस की असनाद में अबुल ख़लफुल आमा जिस का नाम हाज़िम है, ज़ईफ़ है, यह हदीस और भी तरह से मरवी है लेकिन सब में ज़ईफ़ है।“

(हाशिया इब्ने माजा अबुल अबवाबुल फ़ितन भाग-2 पृ० 464)

इस हदीस का जवाब यह है:

‘बड़ी जमाअत की पैरवी करो’ का सही मतलब

- 1- यह हदीस ज़ईफ़ है, अतः हुज्जत नहीं।
- 2- हकीकत में इस का संबंध सियासी मामलों से है जैसा कि इन अहादीस का मज़मून इस पर दलील है। रसूलुल्लाह सल्लो फरमाते हैं:

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق
الجماعة شبراً فيموت الآمات ميتة جاهلية.

(صحیح بخاری وصحیح مسلم)

“जो व्यक्ति अपने अमीर की कोई बात ऐसी देखे जो

उसे ना पसन्द हो तो वह सब करे क्योंकि जो व्यक्ति जमाअत से बालिशत भर भी अलग हो उसकी मौत अज्ञानता की मौत होगी ।"

रसूलुल्लाह सल्लू फरमाते हैं:

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية.

"जो व्यक्ति अमीर के आज्ञा पालन से विद्रोह करे और जमाअत से अलग हो जाए, उस की मौत अज्ञानता की मौत है ।" (सहीह मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लू फरमाते हैं:

"من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه." (صحيح مسلم)

"जो व्यक्ति तुम्हारे पास इस हाल में आए कि तुम सब एक व्यक्ति की इमारत पर जमा हो और वह तुम्हारी कुव्वत को तोड़ना चाहे या तुम्हारी जमाअत में फूट पैदा करे तो उस को कत्ल कर दो ।"

एक रिवायत में यह शब्द है "كائنا من كان" चाहे वह कोई भी हो । (सहीह मुस्लिम)

मतलब यह है कि जहाँ मामलात शूरा से तै होते हों, वहाँ सवादे आज़म की बात तर्स्लीम होगी । अक़लियत या फर्द की बात मानने से फूट पैदा होगी । जैसे अगर सवादे आज़म ने किसी को अमीर बना कर लिया, तो सवादे आज़म का साथ देना होगा ।

3- इस हदीस का संबंध किसी तरह दीनी उम्मूर से नहीं है । अगर दीनी मामलों से हो तो फिर हर वह मसअला जिस पर सवादे आज़म हाँ करे दीनी मसअला बन जाएगा और यह الْيَوْم أكملت لَكُم دِينَكُم के पूरी तरह ख़िलाफ़ है ।

“बड़ी जमाअत की पैरवी करो” के आरोपित

जवाब

4- इस ज़माना में बरेलवियों की अधि संख्या है तो फिर देवबन्दियों को चाहिए कि बरेलवियों में शामिल हो जाएं।

5- लगभग हर ज़माना में हफ़्ती अधि संख्या में रहे और अब भी हैं तो फिर ये लोग मालिकियों, शाफ़ियों, हंबलियों को दावत क्यों नहीं देते कि इस हदीस की रोशनी में हफ़्ती हो जाओ क्योंकि वे तीनों सम्प्रदाय इस हदीस पर अमल करने के लिए न कभी तैयार थे और न अब हैं तो फिर वे गुमराह क्यों नहीं, वे जहन्नम में क्यों न डाले जाएं और वे भी अकेले अकेले जैसा कि हदीस के दूसरे टुकड़े में है, उन गुमराह और जहन्नमियों को आज तक हक् पर क्यों तस्लीम किया जाता है?

6- मौजूदा ज़माना के हालात व आसार से यह अंदेशा होता है कि निकट भविष्य में कादियानियों की अधि संख्या हो जाएगी। क्या उस ज़माना में भी इस हदीस पर अमल होगा या नहीं?

7- इन के झूठ पर इन के हदीस के मतलब के झुठलाने पर सब से ज्यादा अहम दलील यह है:

“यह तो ज़ाहिर है कि मुक़लिलदीन अहदे रिसालत सल्ल0 में नहीं थे, सहाबा के दौर रज़ि0, ताबअीन रह0 के दौर में भी नहीं थे। हर सम्प्रदाय की जब इब्तिदा होती है तो इब्तिदा में वह सम्प्रदाय अल्पसंख्यक ही में होता है पहले सम्प्रदाय का संस्थापक अकेला होता है, फिर दो होते हैं, फिर तीन और इसी तरह सम्प्रदाय प्रगति करता चला जाता है। मुक़लिलदीन के सम्प्रदाय की भी आखिर कोई

शुरूआत है। जो शाह वलीउल्लाह साहब रहा के कथना नुसार चौथी सदी है। तो फिर इस शुरू के दौर में निश्चय ही वह कम संख्या में होंगे और गैर मुक़लिलदीन अधि संख्या में मुक़लिलदीन की कम संख्या उस समय इस हदीस की मुखातब होगी। यह हदीस पुकार पुकार कर कह रही होगी कि ऐ मुक़लिलदीन की कम संख्या अधि संख्या में गुम हो जाओ। अगर वह गुम हो जाते तो आज उन का वजूद न होता। लेकिन उन्होंने जहन्नम में जाना पसन्द किया और अक्सरियत में गुम नहीं हुए। इस हदीस के इस मायना की रोशनी में वे लोग गुमराह, बातिल परस्त और जहन्नमी हुए। यह हैं मौजूदा दौर के मुक़लिलदीन के पेशार। उन्होंने बातिल पर रह कर अपने सम्प्रदाय को बाकी रखा, यही अधि संख्यक सम्प्रदाय जो उस समय बातिल पर था, बढ़ते बढ़ते अधि संख्यक में तब्दील हो गया। तो क्या अब यह हक़ पर हो गया। इस हदीस से तो मुक़लिलदीन की बुनियाद ही बातिल पर है और फिर भी उन्हें अपनी मौजूदा अधिक संख्या पर गर्व है।

8- हक़ के मामले में अधि संख्या अल्प संख्या, कोई मेयार नहीं बल्कि दलीलों की रु से अल्प संख्या का हक़ पर होना ज्यादा ज़ाहिर है और वह दलीलें यह हैं:

1- قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث

فأتقوا الله يا ولی الالباب لعلكم تفلحون. (سورة مائدہ)

“कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, यद्यपि नापाक की अधिकता तुम को अच्छी ही क्यों न मालूम हो या हैरत ही में क्यों न डाले। ऐ अक़लमन्दो! अल्लाह से डरो ताकि तुम फ़्लाह पाओ।”

2- وقليل من عيادي الشكور (سورة سبا ١٣)

“मेरे बन्दों में शुक्र गुजार थोड़े ही होते हैं।”

٣- انَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ لِيَغْيِي بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ الْأَذْيَنِ
أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصِّلْحَةَ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ (سورة ص ٢٣)

“अधिकांश शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही करते हैं। सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और सद कर्म करते हैं और ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं (अर्थात् मोमिनीन, सालिहीन की तादाद कम होती है।)”

٤- سُورَةُ الْحُدُودٍ—“الْحُدُودُ” के आखिरी रुकूआँ और سिर्फ़ के आखिरी रुकूआँ में भी इस तरह की आयात है, देख लीजिएगा।

٥- انَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لِفَاسِقُونَ.

“बेशक अधिक लोग अवज्ञाकारी होते हैं।” (माइदा 49)

٦- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فِي حَدِيثِ الْمَوْلَى:

انما الناس كالابل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة. (صحيح
بخارى و صحيح مسلم)

“आदमियों की मिसाल ऐसी है जैसे सौ ऊंट। करीब है कि तुमको एक भी ऊंट सवारी के काबिल न मिले, अर्थात् नाकिस लोगों की अधिसंख्या होगी।”

٤- आगे जब कभी उन मौलवी साहब से बात हो तो उन से पूछिए कि आप ने जिन अकीदों और कर्मों का ज़िक्र किया है, यह अकीदे और कर्म कादियानियों के भी हैं तो क्या वे भी मुसलमान हैं। फिर यह कि तौहीद का आप केवल ज़बान से इकरार करते हैं। वैसे आप के अकीदों और कर्म तौहीद के मुनाफ़ी हैं।

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. (كَهْفٌ ٢٦) امْ لَهُمْ شرْكٌ وَأَشْرَعُوا

لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ (شُورَى)

اتَّخِذُوا آثِيْرَاهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. (تُوبَةٌ ٣١)

आदि आयात की रोशनी में शरीअत साज़ी अल्लाह अकेले का हक् है। उलमा का शरीअत साज़ी करना शिर्क है और क्यों कि तक़लीद को जो कि खैरुल कुरुन में नहीं थी, राइज करके दीन में दाखिल कर लिया गया है। अतः ये लोग शिर्क करने वाले हुए।

फिर तक़लीद के साथ शरीअत साज़ी मुरत्तक़िल सूरत में मुक़लिलदीन में दाखिल होती चली गई।

1- जैसे शरीअत में इमाम बनाने के लिए केवल चार चीज़ों का ज़िक्र था, अर्थात् सब से बड़ा कारी, अगर (इस में) सब बराबर हों तो सुन्नत का सब से बड़ा आलिम। अगर उस में भी सब बराबर हों तो हिजरत में सब से ज्यादा मुक़द्दम। अगर अब भी बराबरी हों तो उम्र में सब से बड़ा। (सहीह मुस्लिम) लेकिन उन्होंने इस में अनेक चीज़ों की वृद्धि की जैसे अगर अब भी बराबर हों तो वह वर्ना वह जो सब से ज्यादा सुन्दर हो जिस की बीची सब से ज्यादा खूबसूरत हो। ثم لا يكابر رأسا ولا صغرا عضواً (दुर्र मुखतार)

2- किसी सहीह हदीस से मर्द व औरत की नमाज़ में फ़र्क साबित नहीं होता। लेकिन उन्होंने दोनों की नमाज़ के अलग अलग तरीके मुकर्रर किए।

3- सर के मसह का तरीका अर्थात् तीन उंगलियां मिलाकर सर के बीच से पीछे ले जाएं और हथेलियों को सर आस पास से वापस आगे लाए। अंगूठे और शहादत की उंगली उठी रहें, गदर्न का मसह पुश्ते कफ़ से किया जाए, यह तमाम तरीका मनगढ़ा है।

4- गांव वाले ईद की नमाज़ से पहले कुरबानी कर सकते हैं। शहर वाले भी शहर से बाहर जानवर ले जाकर नमाज़े ईद से पहले कुरबानी कर सकते हैं। (हिदाया) यह तमाम की तमाम शरीअत साज़ी है बल्कि हराम को हलाल करने का हीला है।

5- कुत्ते को उठा कर नमाज़ पढ़े तो नमाज़ हो जाएगी ।

(दुर्र मुख्तार)

6- ”**وَجَامِعٌ فِي دُونِ الْفَرْجِ وَلَمْ يَنْزِلْ**“ तो रोज़ा नहीं टूटता (दुर्र मुख्तार) या संभोग करे फुरुज़ के अलावा में तो इंजाल नहीं हुआ तो रोज़ा नहीं टूटता ।

7- नशा की हालत में बेटी का बोसा लिया तो उसकी पत्नी उस पर हराम हो गई । (दुर्र मुख्तार)

मतलब यह कि इस तरह के हज़ारहा मसाइल हैं जिन से फ़िक़ह की किताबें भरी पड़ी हैं । यह सब गढ़े गए हैं । गढ़ना भी शिर्क है और उस का मानना भी शिर्क है । मैं फिर कहता हूँ कि इमाम हक पर थे लेकिन मौजूदा मज़ाहिब और तक़लीद बातिल और शिर्क हैं । इमाम उन सब से पूरी तरह बरी हैं न उन के यह मसाइल, न उन का यह मसलक, हाँ यह बात अपनी जगह पर अटल है कि उन इमामों में से भी अगर किसी का कथन हदीस के खिलाफ़ हो तो इस कथन को मानना शिर्क है ।

5- हदीस तो सहीह है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम तक काफ़िर हो जाएगा और शाम को मोमिन होगा, और सुबह तक काफ़िर हो जाएगा । लेकिन वे मौक़ा व बेमहल इस्तेमाल किया गया है इन शब्दों के आगे यह शब्द भी हैं । **بِيَعْ دِينِهِ بِعَوْضِ مِنَ الدُّنْيَا.** अर्थात् दीन को दुनिया के माल के बदले बेच देगा । (सहीह मुस्लिम)

और चूंकि आप का अहले हदीस हो जाना अल्लाह के लिए है न कि दुनिया के लिए, अतः यह हदीस आप पर फिट नहीं हो सकती ।

अहले हदीस कोई सम्प्रदाय नहीं है

1- अहले हदीस कोई सम्प्रदाय नहीं है, न इस सम्प्रदाय का कोई संस्थापक है, न इमाम ने इस सम्प्रदाय की कोई खास किताबें लिखी हैं। उन की किताबें वही हैं जो दीन की असल हैं अर्थात् कुरआन व हदीस। इमाम वही है जिस को अल्लाह ने इमाम बनाया, अर्थात् हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल० को, अल्लाह के बनाए हुए इमाम की मौजूदगी में दूसरे को इमाम बनाना और उन की तक़लीफ करना यह भी शिर्क है, लोगों के लिए इमाम बनाना अल्लाह का काम है न कि बन्दों का।

(यहां इमाम से मुराद दीनी रहनुमा है न कि ख़लीफ़ा या विद्वान) कुरआन व हदीस का अनुसरण करने वाले हमेशा से हैं। शुरू ज़माना में अहले हदीस की अधिकता थी और रिसालत काल में भी केवल यही थे।

7- कोई अहले हदीस नफ़स की सफ़ाई का इंकार नहीं करता, वह लोगों के मन गढ़त सूफ़ीवाद व तरीकत का इंकार करता है।

करामत वलायत का पैमाना नहीं

8- तक़लीफ एक तो ज्ञान का नाम नहीं, अज्ञानता का नाम है। उसूल फ़िक़ह जैसे स्पष्टीकरण आदि की इबारतें इस पर गवाह हैं, अतः अल्लाह का वली कभी जाहिल नहीं हो सकता। दूसरे-तक़लीफ बिदअत है, शिर्क है, अतः कोई वलीअल्लाह मुक़लिलद भी नहीं हो सकता। अब अगर किसी मुक़लिलद से करामात का प्रकटन भी हो तो वह ऐसा ही है जैसा कि हिन्दू साधुओं से होता है। अतः यदि कोई मुक़लिलद वली मशहूर हो तो हम उस को वली तस्लीम

नहीं करेंगे और अगर वास्तव में वली हो तो उस को मुक़लिलद तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि इस प्रकार की हठ बातिल है। करामत वलायत का पैमाना नहीं, बल्कि रसूल सल्ल0 का अनुसरण वलायत का पैमाना है।

मीज़ाने कुबरा इमाम शोअरानी में है। “वलायत पर जिस का क़दम पहुंच गया, वह उलमा की तक़लीद नहीं करता।”

(अल इर्शाद पृ० 238, लेखक अबु याह्या मुहम्मद)

अल्लामा शैख कुरदी अपने रिसाला में लिखते हैं। “मशाइख़ का तरीक़ा सुन्नत का अनुसरण और अदमे तक़लीद है।”

(अल इर्शाद पृ० 238)

इस तरह की और भी इबारतें हैं। अल इर्शाद देखें।

9— सहाबा किराम रज़ि0, ताबीन रह0, अइम्मा—ए—दीन, सब के सब गैर मुक़लिलद थे और सब के सब वली। मशहूर इमामुल हदीस हज़रत इमाम हसन बसरी रह0 क्या मुक़लिलद थे? हज़रत निज़ामुद्दीन रह0 औलिया का कथन मशहूर है: अबु हनीफा के¹ के बारे में इससे बेहतर और सच्ची बात दूसरा नहीं कह सकता।

मतलब यह कि हर भरोसे मन्द वली गैर मुक़लिलद था। कहां तक लिखूँ? रहा यह कि वे मुक़लिलद कहलाते हैं, तो यह तो मुक़लिलदीन

1— इमाम अबु हनीफा रह0 कौन होते हैं कि उन के कथन को रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबले में पेश करूँ। “अहले हदीस ही में औलिया अल्लाह हुए और इतने हुए हैं कि उन की गिनती ना मुमकिन है। हज़रत शैख़ सय्यद अब्दुल कादिर जीलानी रह0 अहले हदीस थे। और अहले हदीस को नाजी सम्प्रदाय शुमार करते थे। (गुनियतुत्तालिबीन) बल्कि उन्होंने हफ्फियों को गुमराह सम्प्रदाय में शुमार किया है। हज़रत ख्वाजा सय्यद मुइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रह0 भी अहले हदीस थे, वह रात को दुआ मांगा करते थे।

اعلنی فی زمرة اهل الحديث يوم اليمة.

“ऐ अल्लाह! मुझे क्यामत के दिन अहले हदीस की जमाअत से कीजियो।”

(तज़किरतुरसालिहीन।) लेखक मौलाना शमसुद्दीन अकबर आबादी भाग-3 पृ० 249)

का हमेशा तरीका रहा है कि वह हर एक को बदनाम कर देते हैं, यहां तक कि इमाम इब्ने तैमिया रहो और इमाम इब्ने कर्यम रहो तक को उन्होंने हंबली मशहूर कर दिया। शाह वलीउल्लाह साहब रहो और उन के खानदान के चश्म व चराग सब मुक़लिद मशहूर हैं।

10- मुहम्मद हाशिम ठट्टवी को सलाम का जवाब आना वगैरह यह सब अंधविश्वास हैं, हमारे नज़दीक हुज्जत नहीं। हुज्जत केवल कुरआन व हदीस है।

11-यह आरोप है कि इस जमाअत को अंग्रेजों ने इस्लाम में फूट डालने के लिए बनाया था, यह जमाअत मौलाना सय्यद अहमद शहीद और मौलाना सय्यद इसमाईल शहीद के ज़माने से 1947 ई0 तक अंग्रेजों से लड़ती रही। उन के आखिरी अमीर मौलाना फ़ज़ل इलाही वज़ीर आबादी रहो पाकिस्तान बनने के बाद चंबड़ से पाकिस्तान चले आए। जमाअते मुजाहिदीन को तोड़ दिया, चंबड़ सरहदी इलाका में एक मकाम है पूरे डेढ़ सौ साल तक यह जमाअत अंग्रेजों से लड़ती रही, फांसियां भी हुई, गिरफ़तारियां भी हुई, काले पानी भी भेजे गए। हां अहया—ए—इस्लाम का उस ज़माने में केवल एक मदरसा था और वह दिल्ली में था। इस के मुकाबिल एक मदरसा देवबन्द में काइम किया गया, उस से ही फूट की बुनियाद पड़ी और डूबती हुई हंफ़ियत को सहारा मिल गया। उस मदरसे ने दीन की खिदमत तो खाक की उल्टा कुरआन व हदीस को रद्द करने का मसाला तय्यार किया।

12-आप उस मौलवी से यही मुतालबा कीजिए कि उन चार इमामों कि तक़लीद लाजिम होने पर कुरआन व हदीस पेश करें। फिर ज़बान से नीयत करने की हदीस पेश करें। गर्दन का मसह

पुश्ते कफ से करने की हृदीस पेश करें, आदि आदि । अगर न कर सकें तो कहिए कि यह तुम्हारा मज़हब इस्लाम नहीं, तुम्हारा गढ़ा हुआ मज़हब है । लोगों की रायों का पुलिन्दा और लज्जा जनक मसाइल का केन्द्र है ।

अल्लाह तआला आप की मदद फ़रआए । आमीन
तय्यब साहब और गुलाम हुसैन साहब और बच्चों को सलाम कहिएगा ।

फ़क़त

मस्तुद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

बख़िदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसऊद साहब
अस्सलाम आलैकुम!

आप का पत्र मिला। बड़ी खुशी हुई, आप ने जो कुछ समझाया वह मैंने अच्छी तरह समझ लिया है, बेहतरीन दलाइल से आप ने हर एक चीज़ व्याख्या के साथ बयान फ़रमा दी है। आप के सारे पत्र ही बेहतरीन दलाइल से भरे हुए हैं। लेकिन आप के इस पत्र में जो मज़ा आया वह बयान नहीं कर सकता। पत्र पढ़ने के बाद मुझ पर एक बे खुदी की सी कैफ़ियत तारी रही।

मेरी ज़बरदस्त इच्छा है कि आप की और मेरी पत्र व्यवहार जल्द ही प्रकाशित हो जाए। आप के सारे पत्र अब मैं नईम साहब को करांची रवाना कर रहा हूँ। ताकि जल्द किताब प्रकाशित हो जाए। लेकिन एक बात इस पत्र में अधूरी रह गई है। वह यह कि उस मौलवी ने जो यह कहा था कि हम किब्ला की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह की वहदानियत तौहीद पर ईमान रखते हैं, हुजूर सल्ल0 की रिसालत व नुबुवत पर ईमान रखते हैं, कलिमा गो हैं, ईमान की जो शाखें हदीसों में आई हैं उन सब पर हमारा ईमान है। तो क्या फिर भी हम मुसलमान नहीं हैं? और इस का जवाब उस ने मांगा था, जहां मैं ख़ामोश हो गया था, उस पर भी रोशनी डालिए।

मौलवी अशरफ़ जिस से मेरा मुनाज़िरा हुआ था, कुछ रोज़ हुए

मालूम हुआ है कि उस ने रफ़उल यदैन शुरू कर दी है। वह अपने को अब मुहकिक़क कहलाता है मुझे यह सुन कर बड़ी खुशी हुई। संयोग से दूसरे दिन मौलवी अशरफ़ गुलामुल्लाह आया था। मुझ से मस्जिद में मुलाकात हुई। उस ने कहा कि मैं अब मुहकिक़क हंफ़ी हूँ अंधा मुक़लिलद नहीं हूँ। अंधी तक़लीद के खिलाफ़ हूँ जिस तरह अब्दुल हर्र लखनवी और सनाउल्लाह साहब आदि मुहकिक़क हंफ़ी थे, ये लोग बड़े पाए के मुहद्दिस थे लेकिन हंफ़ी थे। जैसे मुल्ला अली कारी, शाह वलीउल्लाह साहब रह0 हंफ़ी आदि कहा कि इतने बड़े बड़े मुहकिक़क बुजुर्ग जिन्होंने दीन की तहकीक की, वह सब इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के ही मुक़लिलद थे। कहा कि आज कल के नए शिक्षित लोग दो चार किताबें पढ़ कर इजतिहाद का दावा करने लगते हैं और मुहद्दिस बन जाते हैं, दुनिया के सारे गैर मुक़लिलदों को मेरा चैलेंज है। जो मेरे मुकाबले पर आएगा मैं उस को मुंह तोड़ जवाब दूंगा गैर मुक़लिलद जितने हैं सब वहाबी हैं।

वहाबी हैं मैंने कहा कि जनाब हज़रत सनाउल्लाह अमृतसरी तो अहले हदीस थे, आप हंफ़ी का लकब उन के नाम के साथ क्यों चिपका रहे हैं? कहने लगा कि वह मुहकिक़क थे। मैंने उस से बुखारी शारीफ़ के बारे में सवाल किया तो कहने लगा कि सनाउल्लाह अमृतसरी के कथनानुसार बुखारी की सारी हदीसों पर तो एक आदमी अमल नहीं कर सकता, क्योंकि उस में बहुत सी हदीसें ज़ईफ़ हैं, कहने लगा कि बुखारी के दो तीन उस्ताद शीआ थे। इस लिए उस पर शीओं का रंग ग़ालिब है। उस ने बहुत सी हदीसें शीओं को खुश करने को लिख दी हैं। हम मुहकिक़क लोग तहकीक करने के बाद ही हदीस पर अमल करते हैं। कहा कि इमाम इब्ने क़थ्यम रह0 और इमाम इब्ने तैमिया रह0, उन लोगों में और

हम में कोई फ़र्क नहीं है, एक बात का फ़र्क है। हम लोग वसीला के काइल हैं और वे लोग काइल न थे। कहा कि हज़रत ख़लीलुरहमान साहब ने एक किताब लिखी है और उस को रद्द करने के लिए दस हज़ार रुपए इनाम मुकर्रर कर रखा है, मगर आज तक किसी गैर मुक़लिलद से उस का जवाब बन नहीं पड़ा। यह गैर मुक़लिलद तो हमारे मुकाबले पर आते हुए डरते हैं, यह तो केवल जाहिलों को फांसते हैं। लोग अकाइद में पछे वहाबी हैं।

मैंने कहा कि जब आप ने तहकीक कर लिया है तो फिर तहकीक के बाद हफ़ी क्या मायना। यह क्या तुक है, कहीं मजिस्ट्रेट भी कैदी बन सकता है। आप जब मुहकिक़ के बन गए तो आप ने क्या तहकीक की। मौलवी अब्दुल हई साहब ने तो यह तहकीक फरमायी कि फ़िक़ह की किताबें झूठी हदीसों में भरी पड़ी हैं, और बहुत से मसअले कुरआन व हदीस के खिलाफ़ हैं। कहने लगा कि इस के बावजूद वह हफ़ी थे। उन्होंने इमाम अबु हनीफा رحمه اللہ علیہ का दामन नहीं छोड़ा यह है ईमान की पुख़तगी। इस की बेजा मंतिक का क्या जवाब हो सकता है? मैं तो हैरान रह गया, मेरी समझ में नहीं आया कि हंफ़ियत में ऐसी क्या बात है कि तहकीक के बावजूद भी आदमी इस से चिपका रहता है। क्या हंफ़ियों या मुक़लिलदों के पास ऐसी कोई खुफिया चीज़ मौजूद है कि जिस की वजह से ये लोग तहकीक करने के बाद भी तक़लीद नहीं छोड़ते बल्कि अहले हदीस होने को बुरा समझते हैं।

आप इस पर कुछ रोशनी डालिए ताकि यह गुत्थी सुलझ जाए। इस का यह मतलब नहीं है कि मुझे कोई शक अपने मसलक पर हुआ है। हमारा मसलक तो माशाअल्लाह पाक व साफ़ है। और इस से बेहतर कोई मसलक ही नहीं और जब तक इंसान इस मसलक

पर नहीं आएगा तब तक इस का मामला संदिग्ध है और यह बिल्कुल बजा और सही बल्कि हकीकत ही है मगर मैं इन हंफ्रियों की हठ धर्मी की वजह जानना चाहता हूं कि तहकीक के बाद यह हंफ्री क्यों कहलाते हैं। मेरे साथी तथ्यब साहब के दिल में भी वसवसा आता है। उन्होंने इस का इज़हार मुझसे कई बार किया। उन्हीं तथ्यब साहब का लड़का इसी मौलवी अशरफ का शागिर्द है। इस मौलवी के गांव में रहता है। मौलवी अशरफ ने उस को खूब भर दिया है, इस लिए उस लड़के ने बाप को छोड़ दिया है। मौलवी के गोठ में रहता है। वहां तथ्यब का सारा खानदान बाप आदि सब तथ्यब के खिलाफ हो गए हैं। गावं वाले और उन के खानदान वाले सब उन को बे दीन और वहाबी कहते हैं, नमाज़े जुमा का छोड़ने वाला कहते हैं। कहते हैं तू वलायती मास्टर नवाब के पीछे चल रहा है और उस ने तुझ को बे दीन कर दिया है। यहां तथ्यब साहब तो माशा अल्लाह अपने मसलक पर क़ाइम हैं लेकिन इस वसवसा का इज़हार उन्होंने किया था जिस का मैंने ऊपर ज़िक्र किया है। मैं आप का हर पत्र मियां तथ्यब को सुनाता हूं। वह बड़े शौक से सुनते हैं। इस लिए आप वज़ाहत से इस चीज़ पर रोशनी डालिए।

दौराने क़्याम सजावल में मौलवी नूर मुहम्मद साहब ने मुझ से कहा था कि इमाम अबु हनीफा रह0 के ज़माना तक हदीसों की रिवायत करने वाले कम थे, इस के बाद रावी बढ़ गए और रावियों के बढ़ जाने की वजह से हदीस के शब्द क़ाइम और महफूज़ नहीं रह सकते। ज़रूर कमी बेशी हो जाती है। इस लिए हम हिफाज़त दीन की ख़ातिर इमाम साहब रह0 के कौल पर अमल करते हैं और इमाम साहब के कथनों को उन के शागिर्दों ने महफूज़ कर लिया था। यही वजह है कि हम तक्लीद को वाजिब करार देते हैं। कोई

व्यक्ति हमारे इमाम की शान में बे अदबी करेगा तो हम उस के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। यही बात मौलवी अशरफ़ ने भी दोहराई तो क्या उन की हठ धर्मी का यही राज़ है और क्या यह सच हो सकता है। सजावल में तबलीगी इजतिमाओं में तक़रीर किया करता था, लेकिन मौलवी नूर मुहम्मद ने मुझे को मना कर दिया कि उपदेश और तक़रीर करना हमारा अर्थात् आलिमों का काम है, आप उपदेश व तक़रीर नहीं कर सकते। आप के उपदेश और तक़रीरें ईमान के लिए ख़तरा हैं। आइंदा से आप उपदेश और तक़रीर न किया कीजिए बल्कि केवल नमाज़ रोज़े की ताकीद की कीजिए। मुझे उन की यह बात अभी तक याद है। मुझे इस बात से बड़ा दुख हुआ था। मैंने उन से कहा था कि मैं भी तो कुरआन और हदीस ही के आदेश बतलाता हूं। उन्होंने कहा था कि आप स्वयं वाकिफ़ नहीं तो दूसरों को क्या बतलाएंगे। क्या यह सहीह है कि हम को कुरआन व हदीस के आदेश बतलाने का हक़ नहीं है?

कल एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहने लगा आप एक मस्अला मुझे बतला दीजिए, मैं अहले हदीस बनने के लिए तैयार हूं वह यह कि एक आदमी है, वह जुंबी है, उस का जानवर मर रहा है, नमाज़ का समय ख़त्म हो रहा है अब वह क्या करे जानवर को ज़बह करता है तो नमाज़ जाती है, अगर गुस्त करता है पाक होने के लिए तो जानवर मर जाता है। इस बारे में हदीस दिखाइए, हदीस न मिले तो फिर फ़िक़ह की तरफ़ आना पड़ेगा। जिस से आप को फ़िक़ह के महत्व का अंदाज़ा हो जाएगा। इस के साथ और भी लोग थे। मालूम होता है कि शरारतन किसी ने उस को भेजा था। मैंने कहा कि मैं हदीस देख कर बतलाऊंगा और अगर हदीस में न मिलेगा तो फिर अहले ज़िक्र से पूछ कर बतलाऊंगा। क्योंकि अल्लाह तआला का

यही हुक्म है। अल्लाह तआला का हुक्म यह नहीं है कि हंफी फ़िक्रह में ही देखो, या हंफी ही से पूछूँ या शाफ़उँही ही से पूछो जो भी अहले ज़िक्र होगा उस से पूछो कर बतलाऊँगा। फिर मैंने कहा कि आप के चेहरा पर दाढ़ी नहीं है, आप दाढ़ी मुँडे हैं, आप दाढ़ी मूँडने का हुक्म फ़िक्रह में बतला दें, मैं अभी हंफी बन जाने को तैयार हूँ। आप नमाज़ नहीं पढ़ते। फ़िक्रह में नमाज़ न पढ़ने की इजाज़त दिखादें। मैं अभी हंफी हाने को तैयार हूँ। जब आप नमाज़ ही नहीं पढ़ते तो फिर जानवर के मरने का आप को क्या अफ़सोस है, और हंफी फ़िक्रह जिस का आप बार बार गर्व के साथ ज़िक्र करते हैं, क्या चीज़ है? क्या वह कोई आसमानी किताब है जिस के पढ़ने और उस पर अमल करने का हम को अल्लाह और रसूल सल्ल० ने हुक्म दिया है। हम तो शरीअत के आदेशों को शरीअत के ख़ज़ाना ही में ढूँडेंगे, और वह ख़ज़ाना कुरआन व हदीस है, या सहाबा किराम रज़ि० का अमल देखेंगे या अहले ज़िक्र से पूछेंगे। फिर वे लोग यह कह कर चले गए कि अच्छा आप हदीस देख कर दलील के साथ जवाब देना।

मैं ख़्याल करता हूँ कि यह सब उन लोगों की शरारत है, उन से बात करना या बहस करना बेकार है, क्योंकि उन को अपनी इस्लाह तो मंजूर है ही नहीं। तहकीक करना ही नहीं चाहते। बेत्तर मैं फ़साद की नीयत से आते और परेशान करते हैं। इस लिए मैंने अब यह सोचा कि ख़ामोश रहना चाहिए और किसी से कोई बहस नहीं करना चाहिए। अतएव कल रात ही का किस्सा है कि एक व्यक्ति मेरे पास एक हदीस लेकर आए कि देखिए जनाब! यह हदीस है लिखा है कि इमाम की किरअत मुक़तदी की किरअत है। मैंने कहा कि बहुत अच्छा मुबारक हो।

कहने लगे, फिर आप मत पढ़िए, मैंने कहा मैं ज़रूर पढ़ूंगा आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? फिर वह खामोश हो गए। मैंने कहा कि देखिए, हज़रत इमाम शाफ़ी रह0 बर हक़ हैं वह पढ़ते हैं, इस लिए मैं भी पढ़ता हूं। आप शाफ़ी हज़रत को रोकिए। मालिकी, हंबली, अहले हदीस सब पढ़ते हैं, जाकर उन सब को रोकिए और मेरा मज़हब तो कुरआन और हदीस है। इसलिए मैं तो हदीस पर अमल करूंगा, आप की निराली मंतिक पर नहीं चलूंगा। फिर वह चला गया, चूंकि इस का इरादा मात्र शरारत था, इसलिए मैंने इस से ऐसी बात की। इस से फ़ायदा यह है कि लोग शरारत नहीं करेंगे। बेकार में परेशान नहीं करेंगे।

आप मेरे नाम के साथ अहले हदीस लिखा कीजिए, यह भी एक किस्म की तबलीग है या अगर आप की नज़र में लिखना मुनासिब न हो तो न लिखिए। मैं इंशा अल्लाह कल कराची आऊंगा। बाकी खैरियत है। तथ्यब भी साथ होंगे, बच्चे आदि सब कराची चले गए हैं। तथ्यब साहब और गुलाम हुसैन साहब सलाम कहते हैं।

फ़क़त
नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

बख़िदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसऊद साहब मद्दा जिल्लहु

अस्सलाम आलैकुम!

कुछ दिन पहले एक पत्र भेजा था, शायद मिला होगा। मैं तथ्यब साहब के साथ कराची गया था। कराची में एक साहब ने मुझे एक किताब दी जिस का नाम "فیوض الحرمین" (अनुवादित) है यह किताब हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रह0 की लिखी हुई है। قرآن محل (मुहम्मद सईद एण्ड सन्ज़) ने प्रकाशित की है। इस किताब के अध्ययन से तो मामला ही उल्टा हो जाता है। कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। एक अहले हदीस को मैंने यह किताब दिखाई, तो उन्होंने कहा कि आप यह किताब फ़ौरन वापस कर दीजिए। बेकार किताब है, बेकार है, कदापि न पढ़िए। आदि।

मैंने कहा जनाब मैं इस का क़ाइल नहीं हूँ मैं तो इस की तहकीक करूँगा कि क्या यह हवाले जो इस किताब में दिए गए हैं सही हैं या नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरे दिल में एक वसवसा रहेगा, मगर बावजूद कोशिश के बे किताबें मुझे न मिल सकीं जिन का हवाला इस किताब में दिया हुआ है। मैं कुछ बातें आप को नक़ल कर रहा हूँ। कृपया इस पर रोशनी डालिए कि क्या यह हवाले सही हैं, क्योंकि अगर उन को सही मान लिया जाए तो शाह साहब रह0 की दूसरी किताबें ग़लत हो जाती हैं, और अगर सही नहीं हैं तो इस का मुंह तोड़ जवाब जल्द प्रकाशित होना

चाहिए।

उसका मैटर यह है।

“फुयूजुल हरमैन” अनुवाद उर्दू, लेखक हज़रत शाह
वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहो

अनुवादक: मौलवी आबिदुर्रहमान सिद्दीकी कांधलवी

प्रकाशक: मो० सईद एपड सञ्ज कुरआन महल कराची,
मुकाबिल मौलवी मुसाफिर खाना कराची।

हकीमुल उम्मत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहो इमाम
अबु हनीफा रहो के मुक़लिलद थे, और मसाइल फ़रोआ में बिल्कुल
हंफी थे, स्वयं ही मुक़लिलद ने थे बल्कि उन का कहना है कि
मुक़लिलद ही रहने पर रसूलुल्लाह सल्लो ने तीन वसीयतों में से
एक वसीयत चारों मज़ाहिब के साथ मुक़लिलद रहने की फ़रमाई है
और इस बात की कि उन से बाहर न रहूँ और उन में थोड़ी ताकत
हम आहंगी पैदा करूँ।

(फुयूजुल हरमैन)

इन चारों मज़ाहिबे में से खास कर मज़हब हंफी को अपनाने
और हंफी बनने की हज़रत शाह वलीउल्लाह रहो को जनाब
रसूलुल्लाह सल्लो ने हिदायत फ़रमाई है।

ایاک ان تخالف القوم فی الفروع فانه تناقض لمراد الحق.

(فيوض الحرمين)

“ख़बَرِ دَارِ فَرَوْأَاتِ مِنْ كُوْمَ كَيْ وِرَوْدَ سِرَّ بَصَنَا، كَيْ يَوْنِكِيْ يَهَ حَكَ كَيْ خِلَافَ هُونَ”

यह हज़रत शाह साहब रहो की अपनी शहादत है कि मैं हंफी
हूँ और इस से बढ़ कर और क्या शहादत हो सकती है। मशहूर गैर
मुक़लिलद आलिम नवाब सिद्दीक हसन खां रहो फ़रमाते हैं कि उन
का सारा तरीका हंफी था और शरीअत्त फ़िक़ह है। इसी पर सल्फ़

और ख़ल्फ़ रहे हैं। فِي ذِكْرِ الصَّاحِحِ السَّنَةِ । نَوَابُ سَاهِبٍ نَّهَى كَوْلَلَ يَهُ
नहीं बताया कि शाह वलीउल्लाह रह0 हंफ़ी थे बल्कि पूरे ख़ानदाने
शाह वलीउल्लाह रह0, शाह अब्दुल अज़ीज़ रह0, शाह अब्दुल हक़
रह0 और शाह इसमाईल शहीद रह0 के बारे में फ़रमा दिया कि
लोग इन हस्तियों को वहाबी कहते हैं, हालांकि यह घराना सारे का
सारा ख़ालिस हंफ़ी है। هُمْ بِيَتِ عِلْمِ الْحَنْفِيَّةِ “

शाह मुहम्मद इस्माईल रह0 शहीद और शाह अब्दुल हई रह0
इस ख़ानदान के चश्म व चराग़ और मौलवी सय्यद अहमद बरेलवी
के निष्ठावान मुरीदों में से हैं, सय्यद साहब और उन के साथियों के
बारे में अंग्रेज़ की नापाक सियासत ने दूसरे आरोपों के अलावा यह
भी आरोप लगाए हैं कि वह हंफ़ी नहीं हैं। इमाम अबु हनीफ़ा रह0 के
मुक़लिलद नहीं हैं। सय्यद साहब ने इस आरोप का खंडन करते हुए
एक बयान में अपना और अपने साथियों का मसलक ज़ाहिर किया
है कि बाप दाद से हंफ़ीउल मसलक है। कारी अब्दुर्रहमान पानी
पती “कशफुल हिजाब” में तहरीर फ़रमाते हैं कि शाह अब्दुल
अज़ीज़ और शाह मुहम्मद इसहाक़ हंफ़ी थे और सख्त भी थे सुन्नी
हंफ़ी थे मतलब कि शाह साहब रह0 के ख़ानदान का एक एक
व्यक्ति हंफ़ी था, मुक़लिलद था और मुक़लिलद भी। इमाम अबु
हनीफ़ा रह0 के थे। गैर मुक़लिलद आलिम अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी
रह0 ने अपनी किताब “तहकीकुल कलाम” में हज़रत शाह को हंफ़ी
तस्लीम किया है।

इन तथ्यों की रोशनी में शाह साहब को गैर मुक़लिलद बतलाना
ज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना बे बाकी है।
हिन्दुस्तान में इमाम अबु हनीफ़ा रह0 की तक़लीद वाजिब है। शाह
साहब ने केवल इसी चीज़ पर बस नहीं किया कि तक़लीद शख्सी

वाजिब है बल्कि यह भी स्पष्ट फरमाया कि मज़ाहिब तो चार हैं और चारों हक़ हैं, मगर हिन्दूस्तान में केवल इमाम अबु हनीफा रह0 की तक़लीद वाजिब है। अतएव फरमाते हैं कि जब इन्सान वे इत्म हिन्दुस्तानी शहरों और मावराउन्नहर का रहने वाला हो, वहां कोई विद्वान शाफ़ी, मालिकी और हंबली न हो तो उस पर इमाम तक़लीद वाजिब है। और इमाम अबु हनीफा रह0 के मज़ाहिब से निकलना हराम है। क्योंकि उस समय वह अपनी गर्दन से शरीअत का पट्टा निकाल देता है और वह बेकार रह जाएगा। हज़रत शाह साहब रह0 फरमाते हैं कि फ़िक़ह हंफ़ी में केवल शख़सी राय नहीं है, बल्कि यहां इमाम अबु हनीफा रह0 के साथ इमाम अबु यूसुफ़ रह0 और इमाम मुहम्मद रह0 भी हैं और यह दोनों इमाम साहब के शागिर्द हैं। इन तीनों में से जिस का कथन इर्शादे नुबुवत के ज्यादा करीब हो इसी पर फतवा है और बस। अगर किसी मकाम पर ये तीनों खामोश हों तो अहनाफ़ में से किसी के कथन को अपना लिया जाए, इसी का नाम हफ़ियत है और शाह साहब रह0 फरमाते हैं कि यह बात मेरी स्वयं की गढ़ी हुई नहीं है, बल्कि मुझे जनाब रसूलुल्लाह سल्ल0 ने बतलाया है कि मज़हब हंफ़ी में बेहतरीन तरीका है।

(फुयूजूल हरमैन)

और शाह साहब ही फरमाते हैं कि इमाम बुख़ारी रह0 और दूसरे मुहद्दिसीन की जमा करदा अहादीस के हफ़ियत ही ज्यादा هى اوفق الطرق بالسنۃ المعروفة التي جمعت ونفعت في زمان |
البخاری واصحابه. (فيوض الحرمين)

शाह साहब रह0 ने इसी किताब के समापन पर मज़ाहिब की हकीकत से बहस की है, पहले मज़हब की हकीकत का मतलब बतलाया है कि: مَعْنَى حَقَّةُ الْمَذْهَبِ أَنْ تَكُونَ احْكَامَهُ مَطَافِقَةً لِمَا مَالَهُ رَسُولٌ

الله صلی الله علیہ وسلم ولما کان علیہ القرون المشهود لها. (فيوض الحرمين)

इस के बाद आगे लिखते हैं कि जब यह प्रस्तावना हो चुकी तो अब पते की बात भी सुनो, वह यह कि मुझे नज़र आया कि हंफी मज़हब में एक बड़ा गहरा भेद है, मैं इस पर गौर करता रहा यहां तक मुझे पता चल गया और अपनी आंखों से देख लिया कि मज़हब हंफी का दूसरे मज़ाहिब के बारे में पलड़ा भारी है।

(फुयूजुल हरमैन)

हवाले खत्म हुए।

मैं चाहता हूं कि इस का जवाब ज़रूर लिखा जाए, वरना नए लोग इस को पढ़ कर गुमराह हो जाएंगे, इस का जवाब आप ज़रूर लिखें। इस तहरीर के पढ़ने के बाद तो मुझे तक्लीद से और भी नफ़रत हो गई है। मैं गुनहगार इन्सान हूं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। अल्लाह तआला ही मुश्किल आसान फ़रमा सकते हैं, उन के पास कोई कमी नहीं, आप से दुआ का तालिब हूं मेरी तरफ से अहले हदीस हज़रात की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ है।

ख़ादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

चक लाला 15 जून 1962 ई०

बख़िدमत जनाब मख़दूमी व मुकर्मी नवाब साहब

अरसलाम आलैकुम!

(अम्मा बाद) आप का पत्र मिला। आप ने लिखा था कि मैं कराची जा रहा हूं इस लिए मैंने जान बूझकर जवाब में देरी की, अब आप का दूसरा पत्र मिला, इस से आप का वापस आना मालूम हुआ। आप तो शायद मौसम गरमा की छुट्टियों में गए होंगे फिर इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए।

अब आप के सवालों का जवाब लिखता हूं।

1- “मौलवी साहब ने कहा था कि हम किब्ला की तरफ मुंह करके नामज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत पर हमारा ईमान है, हुजूर सल्लू की रिसालत पर ईमान है आदि आदि तो क्या फिर भी हम मुसलमान नहीं हैं?

बहुत से कलिमा पढ़ने वाले भी मुश्किल होते हैं

इस सवाल का जवाब मैंने उस पत्र में दिया था। गलती हुई कि मैंने ऊपर सवाल नक़ल नहीं किया था, खैर अब फिर लिखता हूं।

जवाब

इन सब बातों के बावजूद भी आप मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि आप शिर्क कर रहे हैं, कुरआन की आयत है: **وَمَا يُؤْمِنُ كُثُرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ.** अर्थात् बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान लाने के

बावजूद भी मुश्किल होते हैं।” (सूरा-ए-यूसुफ़ आयत नं० 106)

दूसरी आयत में इर्शाद बारी है:

الذِّينَ امْسَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمْ أَلَا مِنْ وَهْمٍ
مُهْتَدُونَ۔ (الانعام ۸۳)

“जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान का जुल्म के साथ लिप्त नहीं किया। उन्हीं के लिए अमन है और वही हिदायत पर है।” (सूरह अनआम-83)

जब यह आयत उत्तरी तो सहाबा किराम रजि० बहुत घबराए कि हम में ऐसा कौन है जो जुल्म से बिल्कुल महफूज़ हो।

अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाईः

ان الشرك لظلم عظيم

“बेशक शिर्क जुल्म अजीम है।”

अर्थात् इस आयत में जुल्म से तात्पर्य शिर्क है। (सहीह बुखारी)

मतलब यह हुआ कि अमन व हिदायत उन के हिस्से में है जो ईमान लाने के बाद शिर्क न करें और क्योंकि आप कलिमा गो होने के बावजूद शिर्क करते हैं, अतः नतीजा साफ़ है।

तकलीद बिदअत है, यह दीन में इज़ाफ़ा है, दीन में कमी बेशी अल्लाह का काम है क्योंकि आप ने तकलीद को दाखिल फ़िद्दीन किया, उस को वाजिब करार दिया, अतः आप शिर्क कर रहे हैं।

आप के यहां शरीअत साज़ी हुई, मसाइल गढ़े गए, जैसे

1- चुहा कुंए में गिर जाए तो इतने डोल पानी निकालो।

2- एक दिरहम से कम निजासत ग़लीज़ा माफ़ है, नमाज़ हो जाएगी।

3- शहर वाले नमाज़े ईद से पहले इस तरह कुरबानी कर सकते हैं कि जानवर को शहर के बाहर ले जाकर ज़बह कर दें।

आदि आदि ।

क्योंकि आप इन मसाइल को वाजिबुत्तामील मानते हैं । अतः ام لَهُمْ شرِّكٌ وَّا شَرِعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ ۔ (شورى)

के तिहत शिर्क के अपराधी हुए ।

आप लोग अहादीस सहीहा के खिलाफ़ अपने मज़हब को मानते हैं, जैसे हदीस है कि जो व्यक्ति सुबह की नमाज़ की एक रकअत आफताब उदय होने से पहले पाले उसे नमाज़ मिल गई । (सहीह बुखारी) लेकिन आप के मज़हब में है कि वह नमाज़ नहीं हुई, इस से बड़ा शिर्क और कुफ़र क्या होगा? इस तरह के बे शुमार मसाइल हैं ।

ब: इस सवाल में जो बातें पैदा हुई हैं । उन सब बातों पर बरेलवियों, मिरज़ाइयों, राफ़ज़ियों, मुंकिरीने हदीस और सारे असत्य सम्रदायों की सहमति है तो क्या वे सब मुसलमान हैं?

मुक़लिद मुहक्मिक़ क नहीं हो सकता

2- मौलवी अशरफ़ अली साहब ने कहा कि मैं मुहक्मिक़ हफ़्फी हूँ अंधा तक़लीदी नहीं हूँ जिस तरह अब्दुल हई रह0, सनाउल्लाह अमृतसरी रह0, मुल्ला अली कारी और शाह वलीउल्लाह साहब रह0 मुहक्मिक़ हफ़्फी थे..... गैर मुक़लिद जितने हैं सब वहाबी हैं दुनिया के सारे गैर मुक़लिदों को मेरा चैलेंज है ।"

जवाब: इस वाक्य से साफ़ हुआ कि वे मुहक्मिक़ भी हैं और गैर मुक़लिद भी अर्थात् सभी कुछ हैं ।

तक़लीद की परिभाषा

1 - التَّقْلِيْدُ اتَّبَاعُ الْاَنْسَانَ غَيْرَهُ فِيمَا يَقُولُ أَوْ يَفْعَلُ مُعْتَقَدُ الْحَقِيقَةِ

فِيهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَتَأْمُلٍ فِي الدَّلِيلِ كَانَ هَذَا الْمُتَبَعُ جَعْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ أَوْ
فَعْلَةً قَلَادَةً فِي عَنْقِهِ مِنْ غَيْرِ مَطَالِبِ الدَّلِيلِ. (حاشية حسامي)

तक़लीद दूसरे इंसान की करनी व कथनी के अनुसरण का नाम है, इस एतेकाद के साथ कि वही हकीकत है। बिना इस के कि वह स्वयं दलील को देखे और उस में गौर करे कि क्या यह मुक़लिल द ऐसा है कि उस ने गैर के कथन या अमल को अपनी गर्दन का क़लादह (पट्टा) बना लिया है, बिना इस बात के कि वह दलील का मुतालबा करे।

التَّقْلِيدُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حِجَةٍ - 2
तक़लीद दूसरे व्यक्ति की बात पर बिना दलील जाने अमल करने का नाम है।

(مُسَلَّل مُتُور سُبُوت)

फ़िक़ह की परिभाषा

الْعِلْمُ الْاَحْكَامُ الشُّرُعِيَّةُ عَنْ اَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ.

अर्थात् शारीरी अहकाम को तप़सीली दलाइल के साथ जानना।

(مُسَلَّل مُتُور سُبُوت)

करीब करीब यही शब्द स्पष्टी करण में भी हैं।

فِيْرَفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا. مِنْ: فِيْرَفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا.
इंसानी कर्तव्यों की पहचान है। (तौज़ीह)

فَالْمَعْرِفَةُ اَدْرَاكُ الْجَزِئِيَّاتِ عَنْ دَلِيلٍ فَخْرَجَ التَّقْلِيدُ.

और पहचान के मायना यह है कि मसाइल को दलील से समझा जाए। अतः तक़लीद इस इल्म (फ़िक़ह) से खारिज है। (तौज़ीह) अर्थात् मुक़लिल द को दलाइल की पहचान नहीं होती। अतः वह फ़कीह अर्थात् धर्म शास्त्र नहीं हो सकता।

لَا يقال على المقلد لتفصيره عن الطاقة.

अर्थात् फ़कीह का लक़ब मुक़लिलद के लिए नहीं बोला जा सकता। इस वजह से कि वह दलाइल की पहचान की ताक़त नहीं रखता।

(तौज़ीह)

तक़लीद और फ़िक़ा की परिभाषा से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुक़लिलद इल्म से कोरा होता है। उस को फ़कीह नहीं कह सकते, लेकिन मुहकिकक़ के लिए दलाइल की पहचान का होना ज़रूरी है वरना वह मुहकिकक़ किस बात का, अतः ज्यों ही दलाइल की पहचान उसे हासिल हुई, वह मुक़लिलद नहीं रहा। अतः एक ही व्यक्ति मुक़लिलद भी हुआ और मुहकिकक़ भी यह कभी नहीं हो सकता क्योंकि यह चीज़ बातिल है।

(स्पष्टीकरण मुसल्लमातुस्सुबूत। हिसामी। हंफ़ी उसूले फ़िक़ह की किताबें हैं। फ़िक़ह की किताबें दूसरी हैं)

बहुत से उलमा-ए- अहले हदीस को मुक़लिलदीन ने मुक़लिलद मशहूर कर दिया

और लोग तो खैर हंफ़ी मशहूर हैं लेकिन अल्लामा अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमृतसरी रह0 को हंफ़ी कहना इंसाफ़ का खून करना है, सारी ज़िन्दगी तक़लीद के खंडन में गुज़री फिर भी वह मुक़लिलद मशहूर है।

बहर हाल इस बात से इतना तो सावित हुआ कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा अहले हदीस क्यों न हो यह उसे मुक़लिलद बनाए बगैर नहीं छोड़ते हज़ारहा उलमा-ए-दीन ऐसे हैं जो अहले हदीस थे लेकिन सब मुक़लिलद मशहूर हैं। शाह वलीउल्लाह साहब रह0 और अब्दुल हुई रह0 साहब का अहले हदीस होना स्वयं उन वाक्यों से ज़ाहिर है। अब भी अगर कोई उन के मुक़लिलद होने पर आग्रह

करता है तो खैर हम उस आग्रह से इसको तस्लीम भी कर लें तो हम पर इसका क्या असर होगा। मुक़लिलदीन की सूची में एक की और वृद्धि हो जाएगी लेकिन हमारा उसूल जहां है वहीं रहेगा, अनुसरण केवल कुरआन व हदीस ही है, कोई माने या न माने।

3- अल्लामा अबुल वफ़ा सनाउल्लाह अमूतसरी रह0 ने लिखा है कि बुखारी शरीफ की सारी हदीसों पर तो एक आदमी अमल नहीं कर सकता, क्योंकि इस में ज़ईफ़ हदीसों भी हैं।

जवाब: क्या सबूत है कि यह कथन अल्लामा सनाउल्लाह साहब रह0 का है, उन की सैंकड़ों किताबें हैं, लेकिन कहीं उन्होंने यह नहीं कहा कि सहीह बुखारी में ज़ईफ़ अहादीस भी हैं, यह हो सकता है कि उन्होंने निरस्त कहा हो और यह ज़ईफ़ समझे हों, इस लिए कि निरस्त का ज़िक्र तो आ सकता है, लेकिन अमल निरस्त करने वाले पर किया जाता है, अमल निरस्त पर नहीं होता। और यह कोई आपत्ति की बात नहीं। जैसे सहाबा रज़ि0 के शराब पीने की घटना और फिर शराब के हराम का हुक्म नाज़िल होना। तो बेशक यहां केवल हुरमत पर अगल होगा न कि शराब पीने लग जाएं। कोई जाहिल ही यह बात कह सकता है कि निरस्त पर अमल करना चाहिए।

सहीह बुखारी में तो केवल सात हज़ार अहादीस ही हैं। मुसनद इमाम अहमद रह0 में तो पच्चास हज़ार अहादीस हैं, इमाम अहमद बिन हंबल रह0 फ़रमाते हैं कि मैंने कोई हदीस नहीं लिखी जब तक उस पर अमल नहीं किया। यहां तक कि पुछने भी लगवाए और फिर पुछने लगाने की हदीस बयान की। अब अगर पचास हज़ार अहादीस पर एक आदमी अमल कर सकता है तो सात हज़ार पर अमल करना क्या मुश्किल है? फिर यह लाज़िम ही कब है कि हर

हदीस पर अमल किया जाए तो नजात होगी ।

जैसे रसूलुल्लाह सल्लोव्वा कर्ज़ लिया करते थे । अब अगर कोई व्यक्ति सारी उम्र कर्ज़ न ले तो क्या वह गुनहगार है? या पुछने न लगवाए तो वह मुजिरम है? या लौकी खाने का उसे इत्तिफ़ाक़ न हो तो उस का इस्लाम नाकिस है?

4- “इमाम बुख़ारी रहो” के दो तीन उस्ताद शीआ थे, इस लिए उन पर शीअत का रंग छाया हुआ है । उन्होंने बहुत री हदीसें शीओं को खुश करने के लिए लिख दी हैं ।”

जवाब: यह बड़ा भारी आरोप है । क्या सहीह बुख़ारी में पाक पत्नियों रज़िया सिद्दीक़ अकबर रज़िया, उमर फ़ारूक़ रज़िया आदि रज़िया के फ़ज़ाइल नहीं हैं? क्या सहीह बुख़ारी में शीओं के मसाइल का खंडन नहीं है । जैसे वजू में पैर धोने को बड़े जोर शोर से साबित किया है हज़रत अली रज़िया के फ़ज़ाइल का ज़िक्र अगर शीअत है तो सुबहानल्लाह हम सब को मुबारक हो, और इमाम नसाई रहो को तो फ़ज़ाइले अली रज़िया बयान करने पर ही तो मारा गया । मतलब यह कि अगर कोई उस्ताद अली रज़िया की मुहब्बत में हद से बढ़ता है या उन को श्रेष्ठतम उम्मत समझता है लेकिन और कोई बेहूदगी नहीं करता, किसी की शान में गुरत्ताख़ी को कुफ़र समझता है । सच बोलता है और सच की हिमायत करता है तो ऐसा व्यक्ति अगर शीआ मशहूर हो जाए तो क्या उस की बात न मानी जाएगी । खास तौर पर इस सूरत में कि उस की बात की हिमायत दूसरी अहादीस से भी होती हो । अगर इमाम बुख़ारी रहो का कोई इस किस्म का उस्ताद हो तो कोई बात नहीं । आखिर इमाम अबु हनीफ़ा रहो भी तो मरजिया मशहूर हैं और उन्हीं की ख़ातिर अहनाफ़ को मरजियों की दो किस्में करनी पड़ी हैं ।

मरजिया अहले सुन्नत, मरजिया अहले बिदअत। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का हो कि अहले सुन्नत होते हुए अली रजिओ का भी काइल हो तो क्या शीओं की दो किस्में नहीं हो जाएँगी, शीआ अहले सुन्नत, शीआ अहले बिदअत। यह है विस्तार इस बात का कि बुखारी रहो के दो तीन उस्ताद शीआ थे, हकीकत में वे शीआ थे नहीं। हां मशहूर कर दिए गए या किसी ने मात्र पक्षपात या तहकीक न होने से शीआ कह दिया। यह बात बिल्कुल गलत है कि इमाम बुखारी रहो गुमराह सम्प्रदायों से संबंध रखने वाले लोगों से अहादीस लिया करते थे और उन्हें हुज्जत समझते थे।

5- “अल्लामा इब्ने तैमिया रहो और हाफिज़ इब्ने क़य्यम रहो और हम में कोई फ़र्क़ नहीं।”

जवाब: यह बिल्कुल झूठ है, वह सख्त किस्म के गैर मुक़लिद थे। वह इल्म दीन के बहुत बुलन्द मीनार थे, कहां वे और कहां यह। हाफिज़ इब्ने क़य्यम रहो की किताब “आलामुल मोक़ीन” तक़लीद के खंडन से भरी पड़ी है और शार्गिद हैं अल्लामा इब्ने तैमिया रहो के।

6- “क्या हफ़ियों या मुक़लिदों के पास ऐसी कोई खुफिया चीज़ है कि जिस की वजह से ये लोग तहकीक करने के बाद भी तक़लीद नहीं छोड़ते।”

तक़लीद क्यों नहीं छुट्टी

जवाब: हकीकत यह है कि वे तक़लीद छोड़ देते हैं। लेकिन इसे व्यक्त आप के सामने नहीं करते अर्थात् वह आप से बैर रखने की वजह से अपनी कमज़ोरी को आप के सामने पेश करके आप को खुश करना नहीं चाहते। इस को वह अपनी हार के जैसा समझते

हैं। उन का दिल जो कुछ जानता और मानता है, वह ज़बान पर नहीं आता। वह जान बूझ कर हक़ का विरोध करते हैं जिस तरह यहूदी रसूलुल्लाह सल्ल० को खूब पहचानने के बाद भी उन का विरोध करते थे। वह इस हकीकत का स्वीकरण अवाम के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अवाम से खौफ़ होता है। उन से उन के सांसारिक फ़ायदे जुड़े होते हैं जो स्वीकरण के बाद ख़त्म हो जाते हैं। मानो इस तरह आयाते करीमा के अनुसार आखिरत के बदले दुनिया को ख़रीद रहे हैं जिस तरह बादशाह हरकिल तृतीय ने रसूलुल्लाह सल्ल० को पहचान लिया। आप सल्ल० के पास पहुंचने और आप सल्ल० के पैर धोने की तमन्ना की। लेकिन हुक्मत जाने के डर से ईमान कुबूल नहीं किया और इस्लामी फ़ौजों के ख़िलाफ़ जंग करता रहा। शाह वलीउल्लाह साहब रह० ने इस का जवाब बहुत अच्छा दिया है। वे लिखते हैं:

अनुवाद: जब यह मालूम हो जाए कि हदीस निरस्त नहीं है और उलमा की बड़ी संख्या उस पर अमल करती है और उस का विरोध केवल क्यास या इज्तिहाद से कोई बात कहता है तो ऐसी हालत में हदीस का विरोध करने का कोई सबब नहीं।

“النفاق خفي او حمس جلي.”

सिवाए खुफिया कपट के या खुली मूर्खता के।

(उक्तुल जथ्यद)

इमाम अबु हनीफा रह० की जमा की हुई अहादीस कहाँ गई?

7- इमाम अबु हनीफा रह० के ज़माना तक हदीस के रिवायत करने वाले कम थे। बाद में रावी बढ़ गए। अतः शब्द काइम और

महफूज़ न रह सके ज़रूर कमी बेशी हुई, इसी लिए हम इमाम साहब के कथनों पर अमल करते हैं और इमाम साहब के कथन को उन के शार्गिदों ने महफूज़ कर लिया था। यही वजह है कि हम तकलीद को वाजिब करार देते हैं।"

जवाब: रावियों के बढ़ जाने से हदीस गैर महफूज़ नहीं होती। जैसे अगर किसी हदीस को हम अपनी सनद से रसूलुल्लाह सल्ल0 तक पहुंचाएं तो यह ज़रूर है कि हमारे और रसूलुल्लाह सल्ल0 के बीच लगभग बीस पच्चीस रावी होंगे लेकिन वह रिवायत गैर महफूज़ कैसे हो जाएगी जब कि वह इमाम मालिक रह0, इमाम बुखारी रह0 और इमाम मुस्तिलम रह0 की किताबों में महफूज़ कैसे हो सकती हैं, और अगर महफूज़ नहीं थीं और इमाम साहब और उन के शार्गिदों ने महफूज़ नहीं कीं और बाद में रावियों की कसरत के कारण वह बर्बाद हो गई तो क्या यही वह इस्लाम है जिस पर हमें और उन को गर्व है। अफसोस कि इमाम साहब के शार्गिदों ने इमाम साहब के कथनों को तो महफूज़ किया और अहादीस रसूल सल्ल0 को नष्ट होने दिया। अगर हम इस को मान भी लें तो इस के यह मायना होंगे कि सही बुखारी की अहादीस गैर महफूज़ हैं हालांकि उलमा अहनाफ़ ने एक मत होकर उसे सही तस्लीम किया है। यहां तक कि अनवर शाह साहब ने तो इस के पूरी तरह ठीक होने का स्वीकरण किया है जो उन की किताब शारह सही बुखारी में मौजूद है।

8- क्या हम को कुरआन व हदीस के अहकाम बतलाने का हक नहीं है। नूर मुहम्मद साहब ने फ़रमाया कि सिवाए आलिमों के कोई तकरीर नहीं कर सकता?

जवाब: क्यों नहीं है? हां तकरीर करने का हक केवल दो

आदमियों को हासिल है। अमीर को या अनुयायी को, लेकिन न यहां कोई अमीर है न अनुयायी है। अतः हर व्यक्ति को **بلغوا عنى** पर अमल करने का हक् हासिल है। जब खिलाफ़ते राशिदा काइम हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि मौलवी नूर मुहम्मद साहब न अमीर हैं न अनुयायी। अतः उन्हें भी तक़रीर का हक् नहीं पहुंचता, मतलब वह भी हदीस के विरुद्ध तक़रीर करते हैं।

9- एक आदमी जुन्बी है। उस का जानवर मर रहा है। नमाज़ का समय ख़त्म हो रहा है। अब वह क्या करे?

जवाबः हमारे बुजुर्ग रहो तो यह पूछते थे कि क्या ऐसा हुआ है? अगर वह कहते कि नहीं तो जवाब देते कि जाओ जब ऐसा हो तो सवाल करना। मैं कहता हूं यह मसला फ़र्जी है। न ऐसा हुआ है, न इंशाअल्लाह आइन्दा होगा। जब अल्लाह तआला ने इस मसला के हल करने के लिए कोई कानून हमें नहीं दिया तो हमें क्या हक् है कि पहले मसला गढ़ें और फिर उस का जवाब गढ़ें अर्थात् हम कानून साज़ हैं कि कोई कानून बना दें और जब किसी व्यक्ति को ऐसा मसला पेश आए तो वह हमारे बनाए हुए कानून पर अमल करे। यह शरीअत साज़ी उन्हीं को मुबारक हो। हमारा तो केवल इतना काम है कि कुरआन या हदीस में इस मसला का हल हो तो जवाब दे दें, वरना ख़ामोश रहें, हम क्यों अपने आप को कानून साज़ बनाकर गुनाहगार हों जिसको ऐसा मामला पेश आएगा वह जाने और उस का ईमान और इजितहाद जाने। जो उस की समझ में आए वह निष्ठा के साथ करे। वह इंशा अल्लाह मुजिरम नहीं होगा लेकिन अगर वह हमारे गढ़े हुए कानून पर अमल करता है तो मुश्किल होगा। अतः हम तो ऐसे बेकार मसाइल से बचते रहते हैं।

राय और फृतवा बाज़ी की निंदा

आप उन की शरारतों से न घबराइए। दृढ़ता से जमे रहिए। आप अगर ख़ामोश हो गए तो तबलीग रुक जाएगी। आप अल्लाह के भरोसा पर काम जारी रखिए, अल्लाह आप की मदद फ़रमाएगा।

ان تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُبْشِّرُ أَقْدَامَكُمْ (سुरा: مُحَمَّد) उन की शरारत बे शक आप को नागवार गुज़रती है। लेकिन इसी में बेहतरी है।

عَسَىٰ إِن تَكْرُهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ “हो सकता कि तुम किसी चीज़ को ना पसन्द करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो।”

(बकरा 212)

आप अगर किसी समय बहस में ख़ामोश भी हो जाएं तो इस से दुखी न हों। इस लिए कि आप ने कब कहा कि मैं विद्वान हूं सर्वज्ञाता हूं। यहां दारमी शरीफ के हवाले से सहाबा रज़ि० और अइम्मा ताबअीन रह० के कुछ कथन नक़ल कर रहा हूं इन बे हूदा सवालों के लिए आप के काम आएंगे। इन से अंदाज़ा होगा कि हमारे अइम्मा किराम कितने सादा लोग थे। फ़िक्रही उठा पठक वहां नहीं थीं।

1- अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० फ़रमाते हैं। “जब तुम हम से कोई बात कुरआन या हदीस की पूछोगे तो हम बताएंगे और नई बातें जो तुम ने निकाल ली हैं वह हमारी कुदरत से बाहर हैं।”

2- कतादा रह० मशहूर ताबअी इमाम फ़रमाते हैं। “मैंने तीस बरस से कोई बात अपनी राय से नहीं कही।”

3- इमाम अबु हलाल ताबई रह० फ़रमाते हैं: “मैंने चालीस बरस से कोई बात अपनी राय से नहीं कही।”

4- हज़रत इमाम अता रह० फ़रमाते हैं: “मुझे अल्लाह से शर्म

आती है कि दुनिया में मेरी राय का आज्ञापालन किया जाए।” इन्हीं इमाम अता रहो के बारे में इमाम अबु हनीफ़ा रहो ने फ़रमाया था कि मैंने उन से बेहतर आदमी नहीं देखा।

5- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियो फ़तवा देने से ज़्यादा यह कहते थे कि “मैं नहीं जानता।”

6- अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़रमाते हैं: “फ़तवा के बल कुरआन व हदीस से दो इन के अलावा कोई बात करोगे तो स्वयं भी हलाक होगे और दूसरों को भी हलाक करोगे।”

7- अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़रमाते हैं: “जो व्यक्ति तमाम मसअलों में फ़तवा दे वह दीवाना है।”

8- इमाम शोअबी रहो फ़रमाते हैं। “मैं नहीं जानता।” कहना आधा इल्म है। अगर क्यास करोगे तो हलाल को हराम और हराम को हलाल करोगे।

9- हज़रत अली रज़ियो फ़रमाते हैं “जब मुझ से कोई बात पूछी जाए जो मैं नहीं जानता तो इस बात में कलेजा के लिए सब से ज़्यादा ठंडी बात यह है कि मैं कहूं। “वल्लाह आलम”

10- इमाम शोअबी रहो फ़रमाते हैं। “अगर लोग हदीसे रसूल सुनाएं तो इस को अखित्यार करो और जो बात अपनी राय से बताएं तो उसको पाख़ाने में डाल दो।”

11- इमाम मुहम्मद बिन सीरीन रहो फ़रमाते हैं। “मैं तुझ से हदीसे रसूले से बयान करता हूं और तू यह कहता है कि फ़लां फ़लां यह कहते हैं, अब तुझ से बात न करूंगा।

21- हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियो फ़रमाते हैं “मैं हदीस बयान करता हूं और तू उस में कुरआन के साथ इशारे करता है। रसूलुल्लाह सल्लो तुझ से ज़्यादा कुरआन जानते थे।” आखिर

रसूलुल्लाह सल्ल0 के इशाद गिरामी पर इसे खत्म करता हूं आप फरमाते हैं। जिस को फतवा देने पर ज्यादा जुरअत है उस को जहन्नम पर ज्यादा जुरअत है।” (दारमी)

अब आप के दूसरे पत्र का जवाब लिखता हूं। आप ने जो वाक्य नक्ल किए हैं वह “फुयूज़ल हरमैन” के होते तो मज़मून इस तरह होता कि “मुक़ल्लिद हों।” यद्यपि वाक्य में इस तरह है कि “शाह साहब मुक़ल्लिद थे।” अब यह बताइए कि अनुवादक ने अपनी ओर से लिखा है या शाह साहब रह0 की किसी किताब का हवाला दिया है? नवाब सिद्दीक हसन रह0 का हवाला अगर सही है तो नवाब साहब रह0 को गलत फ़हमी हुई है। मैं शाह वलीउल्लाह रह0, शाह अब्दुल अज़ीज़ और शाह इसमाइल रह0 तीनों को उन की इबादत से गैर मुक़लिलदीन साबित कर सकता हूं। फिर नवाब साहब रह0 की किताब का हवाला नहीं दिया। अब अगर कारी अब्दुर्रहमान साहब रह0 या कोई और उन को हंफ़ी कहते हैं तो कहने वाले तो उन को बरेलवी भी कहते हैं। अहले हदीस, देवबन्दी बरेलवी, हर एक उन को अपना बताता है। देखना यह है कि उन की किताब “हुज्जतुल्लाहुल बालिग़ा” या “उक्दुल जय्यद” क्या कहती है? तफ़सीर अज़ीज़ी और “तनवीरुल अनीन” क्या कहती हैं? क्योंकि हंफ़ी उन को हंफ़ी कहते हैं अतः अहले हदीस इस से फ़ायदा उठा कर यह कहा करते हैं कि देखिए फ़लां हंफ़ी विद्वान यह कहता है, वह हक़ की तरफ़दारी करता है और तुम इंकार करते हो यद्यपि उन को हकीकत में हंफ़ी मानता नहीं है क्योंकि शाह वलीउल्लाह मुहम्मदिस देहलवी रह0 हिन्दुस्तान में तहरीक अहले हदीस के पहले संस्थापक हैं। शाह साहब रह0 की इबारत: “हंफ़ी मज़हब में एक बड़ा गहरा भेद है” पलड़ा भारी है।” समझ में नहीं आई, आगे

पीछे से पूरी इबारत हो तो कुछ मतलब समझ में आए। मैं इंशा अल्लाह इस का जवाब लिखने के लिए तैयार हूं। फ़िल हाल “दो इस्लाम” का जवाब तैयार कर रहा हूं। फक्त

खादिम मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

हेड मार्स्टर मिडिल स्कूल गुलामुल्लाह
ज़िला ठड़ा

बखिदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसऊद साहब मद्दा जिल्लाहु
अरसलामु आलैकुम!

अभी आप का पत्र ठीक इन्तिज़ार की हालत में मिला। बड़ी खुशी हुई। आप का पत्र आने में देरी हो जाने के कारण मैं यह समझा था कि शायद आप निरंतर पत्राचार से नाराज़ हो गए हैं। आप ने जो कुछ लिखा है मैंने खूब पढ़ा और खूब समझा। आप से पत्र –व्यवहार में मेरी खूब इस्लाह हुई और हो रही है। तथ्यब साहब, और मेरे घर वाले कराची में थे उन को लाने के लिए मैं कराची गया था इसलिए जल्द वापस हो गया क्योंकि जूलाई 1962 ई0 को स्कूल खोलना था। कराची में मोहतरम अब्दुल गफ्फार साहब से मुलाक़ात की, नसीम साहब से मुलाक़ात की और बहुत से अहले हदीसों की मसाजिद में नमाज़ें पढ़ीं। आप के भाई जनाब महमूद से भी मुलाक़ात और बहस हुई। आखिर में उन्होंने फ़रमाया कि वह आइन्दा हदीसों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। खुदावन्द तआला उन को शक्ति प्रदान फ़रमाए। (आमीन) अब्दुस्सलाम साहब से मुलाक़ात हुई थी। तथ्यब साहब बेचारे एक ग़रीब आदमी हैं एक ज़मींदार के बारी हैं लेकिन अल्लाह तआला ने ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है कि कुरआन व हदीस पर जान देते हैं। हमारी गैर मौजूदगी में यहां के हालात बड़े ख़राब हो गए, मौलवी सलीम के साथ सब

लोग हो गए। मौलवी सलीम ने कहा, जो कोई भी तुम लोगों से दीन की बात करे उस को मारो, सब को मार पीट की खुली छूट दे दी। मौलवी सलीम ने ऐलान किया कि मैं शीध ही नवाब को यहां से निकाल दूँगा। संयोग से इस दिन में ठड्डा गया हुआ था जब वापस आया तो सारा हाल मालूम हुआ। तथ्यब साहब के बाप ने तथ्यब से साहब से अलहदगी अखिलयार कर ली। तथ्यब साहब का लड़का भी उन से अलग हो गया क्योंकि वह मौलवी अशरफ के पास फ़िक्र ह हंफ़ी पढ़ता है। अब मैं और तथ्यब साहब यहां लगभग नज़र बन्द हो कर रह गए हैं, परेशानियां हद को पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ़ दिल को सुकून हासिल है। अल्लाह तआला पर ईमान कामिल है कि वह मुझे उन बिदअतियों के हाथों रुसवा न फ़रमाएगा।

इंशाअल्लाह तआला कराची में मेरी सुसराल में मेरे साले जिन पर परवेज़ियत का रंग चढ़ा हुआ था और मुझ से नाराज़ थे, उन से मुलाकात हुई। उन से रात दो बजे तक बहस होती रही। आखिर में वह काइल हुए न केवल हदीस के महत्व से वाकिफ़ हुए बल्कि साम्प्रदायिकता से भी अलग हो गए। मेरी लड़की भी आई हुई थी, वह जब वापस वापस हुई तो उस ने सजावल में अपने पति के पास हंफ़ी नमाज़ पढ़ने से इन्कार किया और रफ़उल यदैन से नमाज़ बे शक पढ़े मगर सख्ती और शिद्दत छोड़ दे। मेरे दामाद ने माशा अल्लाह तस्लीम किया कि तक़लीद शख्सी बिदअत है। मगर यह लिखा कि मैं चूंकि उन लोगों में शिक्षा पा रहा हूं और मैं अपने बड़ों के जिम्मे हूं इस लिए शिद्दत से डरता हूं आदि।

बाकी सब खैरियत है। मेरी तरफ़ से सब की ख़िदमत में सलाम अर्ज़ है बच्चे भी सलाम अर्ज़ करते हैं। फ़क़त।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

बख़िदमत शरीफ आली जनाब मोहतरम मसऊद साहब
अरसलाम आलैकुम!

आप का कार्ड वसूल हुआ, अपनी परेशानियों की वजह से मैं समय रहते जवाब न दे सका माफ़ फ़माइए, यहां मेरा विरोध हृद दर्जा बढ़ गया है। जिस को मैंने अपने पहले ख़त में भी लिखा था। एक हाजी साहब मेरे पास आए थे, दो घन्टा तक मुझ से बहस करते रहे। बिल आखिर दीने हक़ कुबूल कर गए और बिदअत से तौबा की तक़लीद शख़्सी से तौबा की। फिर दो चार रोज़ बाद एक और हंफ़ी मौलवी मुझ से मिलने आया और स्कूल पहुंचा। मैं उस को देख कर डर गया कि शायद फिर कोई फ़ितना आया उस मौलवी ने कोई तीन घन्टे मुझ से हर पहलू पर बहस की। उस ने यूं बहस शुरू की कि हमारी फ़िक़ह की किताबों पर आप आरोप लगाते हैं कि कुत्ता नापाक नहीं है, गधा पाक है। आदि आदि। मैंने कहा कि जनाब कुत्ता और गधा आप को मुबारक हो, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते। आप की फ़िक़ह की किताबें मेरी लिखी हुई नहीं हैं जिन्होंने लिखा है उन से जा कर पूछिए। इसपर रोशनी डालिए, वही पुराना जवाब कि वह बुजुर्ग थे आदि आदि। इस पर बहस होती रही, फिर नमाज़ का मसला आया। मैंने कहा कि जनाब आप का फ़िक़ह कहता है कि इमाम के पीछे सूरा फातिहा पढ़ोगे तो नमाज़ नहीं होगी जहन्नम में जलाए जाओगे, जहन्नम की आग मुंह में डाली जाएगी।

और शाफ़अी रह0 कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज़ है, न पढ़ोगे तो नमाज़ न होगी अब कौन सी चीज़ सही है, न पढ़ना भी सही और पढ़ना भी सही। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? अब इस झागड़े का फैसला किस से कराएँ? क्या आप के मुक़लिलद विद्वानों से पूछें वे तो वही बताएँगे जो ऊपर ज़िक्र किया गया। इधर उधर की हांकने लगा। आखिर में वह मौलवी ताइब हो गया और हाथ उठा कर हफ़ियत से तौबा की और कुछ किताबें मुझ से लेकर गया। यह सब कुछ अल्लाह तआला का फ़ज़ल व करम है, वह जिस को तौफ़ीक़ देना चाहते हैं देते हैं, वह गुफूरहीम हैं।

मतलब यही मुनाज़िराना रंग रोज़ रहता है, मगर जिन को अल्लाह तआला तौफ़ीक़ देते हैं वे मान लेते हैं और अपने बातिल अकीदों से तौबा कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दामाद राहे रास्त पर आ गया है और तक़लीद शाख्सी को छोड़ कर कुरआन व हदीस के आगे सर झुका दिया है। अब मैं कुछ बातें आप से मालूम करता हूं केवल अपनी मालूमात के लिए। वह यह कि

शाह वलीउल्लाह साहब रह0 और शाह इसमाइल रह0 ने अपनी किताबों “सिराते मुस्तकीम” और शिफाउल अलील” आदि में सूफीवाद के बारे में और ज़िक्र करने का तरीक़ा जैसे एक ज़रबी ज़िक्र, दो ज़रबी ज़िक्र आदि के बारे में जो लिखा है तो क्या यह भी पीरी मुरीदी करते थे। कराची में अब्दुस्सत्तार साहब इमाम गुरबा अहले हदीस, इमाम की बैअत को लाज़िम बतलाते हैं, पत्र लम्बा हो गया है इस लिए ख़त्म करता हूं बच्चे सलाम कहते हैं, तथ्यब साहब भी सलाम कहते हैं। सब अहले हदीस हज़रात को सलाम अर्ज़ करते हैं।

फ़क़त

ख़ादिम नवाब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसजिद

वक्त लाला 18 अगस्त 1962 ई०

बखिदमत जनाब नवाब साहब

अस्सलाम आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु

अम्मा बाद! आप का पत्र ता० 9 अगस्त को मिला। खैरियत व हालात से आगाही हुई, अल्लाह तआला आप की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन, गुलामुल्लाह किस तरफ वाके हैं? कराची से आते समय दरिया-ए-सिन्ध पार करना पढ़ता है या नहीं, ठड्डा से कितनी दूर है? सजावल से आप कितनी दूर हैं? क्या कभी सजावल जाना होता है या नहीं? वहां के आलिम और अलीमुद्दीन साहब से मिलना होता है या नहीं? ये लोग अब किस तरह मिलते हैं। सुबह व शाम यह दुआ पढ़ा कीजिए।

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَغُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ! وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ
وَالْكَسْلِ وَأَغُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ وَالْبُحْلِ وَأَغُوذُ بِكَ مِنْ عَلْبَةِ الدِّينِ
وَقَهْرِ الرِّجَالِ.“

यह दुआ रसूलुल्लाह सल्ल० ने एक सहाबी को बताई थी। उन्होंने उस को पढ़ा। कुछ ही दिनों में उन की परेशानियां दूर हो गई। (अबु दाऊद) आप की मुनाजिराना सरगर्मियां मालूम करके खूशी हुई। ”اللَّهُمَّ زِدْهُ فَرِدْهَ“। इंशा अल्लाह आप की तबलीग से बहुत से लोग मुसलमान होंगे।

हक् वाले कम होते हैं

अधिकता व कमी पर बहस करते हुए आप ने जो फरमाया कि 72 आदमी जहन्नम में जाएंगे, तो एक आदमी जन्नत में जाएगा। यह बात सही नहीं, इस लिए कि इस का मुख्यालिफ़ इस तरह दे सकते हैं कि यह कैसे मालूम हुआ कि हर फ़िक़ह का एक एक आदमी होगा? हो सकता है कि नाजी में एक हज़ार आदमी हों और इन 73 सम्प्रदायों के कुल आदमी मिला कर भी 200 या 300 से अधिक न हों। हां वह हदीस आप पेश कर सकते हैं जिस में है कि आदम अलैहिसलाम को हुक्म होगा कि आदमियों में से 999 को जहन्नम के लिए निकालो इस सिलसिला में निम्न आयतें इच्छानुसार लिख रहा हूं।

١- قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيرُ وَالظَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَ كَثْرَةُ الْخَبِيرُ.

(سورہ مائدہ رکوع ۱۳ پارہ ۷)

“कह दीजिए नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते अगर्च नापाक की अधिकता हैरत में क्यों न डाले।”

٢- وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ.

(سورہ سبَر رکوع ۲۴ پارہ ۲۲)

“मेरे शुक्र गुज़ार बन्दे थेड़े होते हैं।”

٣- وَانِ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ لِيُغَيِّرُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ.

(سورہ حسَن رکوع ۲۳ پارہ ۲۲)

“बहुत से शारीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। सिवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने सदकर्म किए और ऐसे लोग थोड़े होते हैं।”

٣- الا قليلاً ممن انجينا منهم.

(سورة هود، رکوع ۱۰، پاره ۲۳۵)

٤- تولوا الا قليلاً منهم.

(سورة بقرہ، رکوع ۳۲، پارہ ۲۵)

ہدیہ س: اِنَّمَا النَّاسُ كَأُبْلِيْلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحَلَةً۔ اُر्थاً تَقْرِيْبًا لِّلْمَوْلَىْنَ كَأُبْلِيْلِ الْمِائَةِ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحَلَةً۔ لَوْلَا تَجَدَ فِيهَا إِلَّا رَاحَلَةً۔

لُوگوں کی میسالہ اے سی ہے جیسے سوی ڈنٹ، کریب ہے کہ تुڑھ کو اک بھی سواری کے لایک ن میل سکے । (بُوخَارِی وَ مُوसِیْلِم) تیرمیذی میں ایتھا اور ہے کہ ”اَوْلَا تَجَدَ فِيهَا إِلَّا رَاحَلَةً۔“ یا تुڑھ کو سوی میں سے کوئل اک ہی سواری کے کابیل میل سکے ।

سُوفَیَّوَادُ وَ اَوْرَادُ

شاہ ولی علیہ السلام ساہب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”شفاء العلیل“ میں نے پढی ہے । مالوم نہیں کیس جامانے کی لیخی ہوئی ہے । ”اَلَّا يَنْتَبِعُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَمَلَةً فَلَمَّا أَتَاهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ أَرْسَلَهُمْ مَوْلَىً مُّصَلِّيًّا فَلَمَّا أَتَاهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ رَبُّهُمْ أَرْسَلَهُمْ مَوْلَىً مُّصَلِّيًّا“ پڑا ۲ میں شاہ ساہب فرماتے ہیں: ”هُجَّرَتْ جُنَاحِدُ بَغْدَادِيَّ رَحْمَةً“ کے جامانے میں خیرکا پوشی کی رسم نیکلی اور رسم بے احتیاط اس کے باعث پ्रचالیت ہوئی ।“

”یہ جا لتوں خیفَّا“ میں لیکھتے ہیں: تباہ تاہ بین تک مشریع کا سببندھ شاریروں کے ساتھ بے احتیاط اور خیرکا پوشی کے جریئے سے نہ ہوا، کوئل سانگت کے جریئے سے ہوا । اور بہت سے سیلسیلوں کے ساتھ سببندھ پیدا کرتا ہوا ।“

شاہ ساہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَمِنْهَا إِنْ لَا يَتَكَلَّمُ فِي تَرْجِيْحِ طَرَقِ الْصِّرَافِيَّةِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ
وَلَا يَنْكِرُ عَلَى الْمَغْلُوبِيْنَ مِنْهُمْ وَلَا عَلَى الْمَوْلَوْنِ فِي السَّمَاعِ
وَغَيْرَهُ وَلَا يَتَبَعُ هُوَ نَفْسَهُ إِلَّا مَا هُوَ ثَابِتٌ فِي السَّنَةِ.

”سُوفَیَّوَادُوں کے تاریکے سے بات ن کرے کہ کوچ کو کوچ

पर वरीयता दे । मग़लूबुल हाल पर इन्कार न करे न
उन पर समाइ आदि के बारे में तावील करते हैं लेकिन
वह स्वयं किसी चीज़ का अनुसरण न करे, सिवाए उस
के जो सावित हो सुन्नत से ।

(القول الجميل في بيان سواء السبيل، فصل تاسع)

शाह साहब रहो फरमाते हैं:

وَكَذَلِكَ الْأَشْعَالُ بَاوِرَادِ الْمَشَائِخِ الصَّوْنِيَّةِ وَمَقَالَاتِهِمْ لِيُسْ
بِنْفُعِ ذَلِكَ امْمَلًا وَلِيُلْزَمَ الطَّاعَاتُ الْمُتَقْوَلَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ مَا يُؤْثِرُ عَنْ غَيْرِهِ .

मशाइख़ व सूफ़िया के अवराद व मकालात में
उत्तेजित होना यह अमल लाभकारी नहीं है बल्कि
उपासना को लाजिम समझना चाहिए जो रसूलुल्लाह
सल्लो से मंकूल हैं, उन को छोड़ दे जो दूसरों से
मंसूब हैं ।” (तफ़हीमात, पहला भाग पृ० 18)

ये वाक्य तो बहुत अच्छे हैं । मालूम नहीं शिफाउल अलील मैं
मसाहमत क्यों हो गई । शायद शुरू की तरनीफ़ होगी । क्योंकि वह
पहले हंफी ही थे । अब वसीयत नामे के इकट्ठिबासात सुनिएः

“दूसरी वसियत यह है कि उस ज़माने के मशाइख़ जो
विभिन्न प्रकार की बिदआत का शिकार हैं, उन के हाथ
में हाथ न दे, और न उन की बैअत करे ।”

फिर करामात, तिलिस्मात और नजात से होशियार करते हुए व
जंग व जिदाल का ज़िक्र करते हैं । कहते हैं कि कुछ सादा स्वभाव
लोग साधारण घटना को भी करामात समझते हैं । यद्यपि यह
ईश्वरीय शक्ति के कारण घटित होती है ।

ऐसी हालत में हदीस व फ़िक़ह हंफ़िया व शाफ़िया की

किताबों का अध्ययन करे और अमल जाहिर सुन्नत पर करे।"

फिर लिखते हैं कि अगर सच्चा शौक हो तो किताब "अवारिफ़" से आदाब नमाज़ रोज़ा व अज़कारे मामूलात औकात हासिल करें। तरीक़ा जानने के लिए रसाइल नक़शबन्दिया को याद रखिए फिर लिखते हैं। "इन दोनों किताबों में यह मज़मून इतने रोशन हैं कि किसी मुरशिद को तलकीन की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मुरशिद मिल जाए तो इस की संगत अखिलयार करें।" फिर लिखते हैं। अगर वह हर मामला में कमाल न रखता हो तो उस की अच्छी बातें हासिल करें और ख़राब बातों को छोड़ दें। सूफ़िया के बारे में ग़नीमत कुबरा है और उन के रसूम को कदापि अखिलयार न करें। यह बात बहुत सों पर भारी गुज़रेगी" शाह साहब रह0 की यह इबारत कुछ गैर वाजेह सी है "हम में और अहले जमान में मतभेद सुन्नत है। सूफ़ी यह कहते हैं मुतक़लिमीन यह कहते हैं..... और हम यह कहते हैं कि मानवता का मतलूब सिवाए शरआ के और कुछ नहीं वसीयत नामा में यह भी लिखा है कि हर दिन कुरआन व हदीस पढ़े। अगर पढ़ न सकता हो तो सुने। अब देखना यह है कि "अवारिफ़" और रसाइल नक़शबन्दिया कैसी किताबें हैं। क्योंकि उन की तरफ शाह साहब रह0 ने इशारा फ़रमाया है। यह तो मुझे मालूम है कि नक़शबन्दी तरीके की बुनियाद सुन्नत की पाबन्दी पर रखी गई थी। बाद में क्या क्या हुआ। अल्लाह ही ख़ूब जानता है।

"सिराते मुस्तकीम" शायद पूरी शाह इसमाईल शहीद रह0 की लिखी हुई नहीं है कुछ हिस्सा इसमें मौलवी अब्दुल हर्र का है। शाह इसमाईल रह0 लिखते हैं "इरादत (मुरीद होना) व तक़लीदे शख़सी दीन के अरकान में से नहीं है।" (ईज़ाहुल हक़) फिर लिखते

हैं।: "अपना शीर्षक व मुहम्मदी तरीका और सुन्नत कदीम को बनाए, न कि किसी मज़हबे खास या तरीकत के मशहूर मसलक को अखिलयार करे और उन को शिआर बनाए। बल्कि उन को अत्तार की दुकान समझे और स्वयं को मुहम्मदी सल्ल0 लशकर का सदस्य समझे। (ईज़ाहुल हक) "सिराते मुस्तकीम" में लिखते हैं। "सूफ़ियत व प्रचलित सुलूک के तरीके अहादीस से साबित नहीं बल्कि नबी करीम सल्ल0 से तो केवल किताब व सुन्नत मंकूल है और आप की दावत व इशाअत हुज्जत व बुरहान। तीर व तलवार के साथ इन्हीं दो चीजों के लिए थी।" (मुतरकुल हदीद पृ० 56)

मौलाना इस्माईल शाहीद रह0 एक और जगह लिखते हैं: "अवराद व अज़कार का निर्धारण, साधनाएं, एकान्तवास चिल्ले, मनगढ़त नवाफ़िल, जहरी व धीमे अज़कार के तरीके, ज़रबें लगाना, गिनती मुकर्रर करना, बरज़खी मुराक़बे और सख्त इबादतों का आयोजन, ये सब हकीकी बिदआत की किस्मों से हैं।

(ईज़ाहुल हक पृ० 73)

इन दोनों बुज़र्गों के ये कथन अब आप के सामने हैं। और वे किताबें भी आप के सामने हैं। अर्थात् "شَفَاءُ الْعَلِيل" और "صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ" ये दोनों किताबें मेरे पास नहीं। वरना मैं हल करने की कोशिश करता। मेरा गुमान यही है कि शायद यह शुरू उम्र की लिखी हुई हैं या "सिराते मुस्तकीम" का आपत्ति जनक हिस्सा उन का नहीं है बल्कि मौलवी अब्दुल हई साहब का है।

बैअत की हकीकत

बैअत की कई किस्में हैं। (1) इस्लाम कुबूल करते समय बैअत करना, यह सुन्नत से साबित है। (2) किसी भी मुसलमान से उस का

बुजुर्ग किसी समय भी उस से बैअत या वचन ले सकता है, कि भविष्य में फ़लां फ़लां काम करना या न करना। यह भी सुन्नत से साबित है। (3) खिलाफ़त, इमारत, जिहाद पर बैअत यह भी सुन्नत से साबित है। (4) किसी मुसलमान का बुजुर्ग के पास आकर प्रतीज्ञा करना या बैअत करना कि फ़लां फ़लां काम करूंगा या फुलां काम नहीं करूंगा और फिर उन बैअत लेने वालों का विभिन्न टोलियों में बंट जाना, विभिन्न तरीके गढ़ लेना, आदि आदि, यह सुन्नत से साबित नहीं।

अब्दुस्सत्तार साहब, के उन की बैअत उसूली तौर पर तीसरी किस्म में आती है।

अहले हृदीस ध्यान दें

अब मैं दो एक बातें आप को लिख रहा हूं वैसे याद तो आप को भी होंगी और अमल भी आप का उन पर होगा। लेकिन मैं याद दिहानी के तौर पर आप को लिख रहा हूं। इसलिए कि दूसरे के लिखने से कुछ ध्यान ज्यादा दिया जाता है और क्योंकि मैं इस का तजुर्बा कर चुका हूं कि दूसरे का ध्यान आकृष्ट कराने से वह बात जेहन में मज़बूत हो जाती है। अमल में चुरती पैदा हो जाती है। इस लिए कह रहा हूं। अब आप माशाअल्लाह मोमिन हैं मुसलमान हैं मुबलिलग़ हैं, अतः बहुत ज्यादा ज़रूरत है कि आप की बातिनी और जाहिरी दोनों हालतें साफ़ सुथरी हों। नफ़्स की सफाई अर्थात् बातिनी सफाई फ़राइज़े नुबुव्वत में से है। हर नबी लोगों के बातिन की सफाई करने पर नियुक्त होता है। अल्लाह का डर, तक़वा दिल में पैदा होना चाहिए। घमङ्ड, हसद, बैर आदि तमाम बुरी बातों से दिल पाक होना चाहिए। यह बातें मैंने याद के लिए लिख दी हैं।

क्योंकि इस का असल ज़रिया अपने तौर पर सुन्नत का अनुसरण है। अतः यह बातें तो उम्मीद हैं कि आप में मौजूद होंगी। कुरआन व हदीस का अध्ययन और नेक संगत इस के लिए सोने पे सुहागा का काम करती है। मुझे जो बात कहनी है वह ज़ाहिरी पाकीज़गी के बारे में है और इस पर ज़ोर देना चाहता हूं प्रचारक के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। गैर मुस्लिम जो चीज़ देखता है वह आप का ज़ाहिर है और उस ज़ाहिर में दो चीज़ें हैं जिन पर उस की ख़ास नज़र होती है आचरण और नमाज़। प्रचारक के लिए आचरण बहुत ज़रूरी है। बस अब आप मुहम्मदी तरीके का नमूना बन जाएं। संहनशीलता, बरदाश्त, विनम्रता, विनय पैदा कीजिए। कोई बुरा भला कहे जवाब न दीजिए, ज्यादती करे मुहब्बत से पेश आइए। उस के किसी बुजुर्ग के लिए अपमान जनक कलिमा मुंह से न निकालिए। न अपने बजुर्गों की ग़लती पर तान कीजिए। ऐसे लोगों से बचिए, ये बदनाम करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी बुजुर्ग की ग़लती पर कुछ कहना हो तो यह कह सकते हैं कि हम उनके अनुसरण पर बाध्य नहीं। अल्लाह उन्हें माफ़ फ़रमाए। हम तो रसूल सल्लू के अनुसरण पर बाध्य हैं। दूसरी चीज़ नमाज़ है जिस को देख कर कशिश होती है या नफ़रत। गैर मुस्लिम या विरोधी नमाज़ को ख़ास तौर पर देखता है। नमाज़ को शोभा की चीज़ों के साथ अदा कीजिए। जैसे सर नंगा न हो, कंधा खोलने की मनाही है।

(सही बुखारी)

अल्लाह तआला فَرْمَاتَ: "هُرَّ خَدْوَازِينْ كُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" नमाज़ के समय शोभा की चीज़ें पहन लिया करो।

"الله احق ان يزين له"
रसूलुल्लाह सल्लू का इर्शाद गिरामी है। "अल्लाह ज़्यादा हक़ दार है कि उस के लिए श्रंगार किया जाए।"

(बैहेकी) यह भी इर्शाद है कि जिस के पास दो कपड़े हों वह दोनों कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़े। (बैहेकी) अर्थात् कमीस और पाजामा। बनियान पहन कर नमाज़ पढ़ना बद तहज़ीबी है, फिर कंधे भी नहीं ढकते, कुछ लोग कोहनी या बाजू पकड़ कर खड़े होते हैं, यह खिलाफ़ सुन्नत है। कलाई पकड़ना सुन्नत है। (अबु दाऊद) कुछ लोग हाथों को इतना ऊपर और बे हंगम तरीके से बांधते हैं कि अजीब शक्ल बन जाती है। फिर कंधों को ऊपर करके कानों से मिला लेते हैं। यह बड़ा मकरूह मंज़र होता है, हाथों को सीने पर अर्थात् दिल के करीब रखना चाहिए, कंधे नीचे होने चाहिए। नमाज़ में सुकून होना चाहिए। (सहीह मुस्लिम) हाथ सुकून व वकार से उठें और कानों के करीब पहुंच कर साकिन हो जाने चाहिए। न यह कि नाफ़ तक उठें या जैसे कोई मक्खी मार रहा है, या जैसे सरकश घोड़ों की दुमें उठती हैं, या जैसे कोई हाथ फेंक रहा है, टांगों के बीच उचित फ़ासला हो टांगें न चीरें, जमाअत में पैर को केवल उस आदमी से मिलाएं जो इमाम के ज़्यादा करीब हो। दोनों तरफ़ मिलाने की कोशिश न करें, वरना दूरी ज़्यादा हो जाएगी। कंधे नहीं मिलेंगे, आप के दूसरे पैर से आप के पास वाला आदमी मिलाएगा। सज्दा में जाते समय एक दम धड़ से न जा पड़ें, वकार के साथ घुटनों पर हाथ रखकर पहले घुटने टिकाएं और उठते समय उस का अक्स अत्तहियात में कुछ लोग शहादत की उंगली को बड़े ज़ोर से घुमाते हैं। यह बे सुबूत है। (दुआ के समय) धीरे धीरे हिलाएं, लेकिन सलाम तक उठाएं रहें, यह सुन्नत है। और यह सब काम अल्लाह के खुश करने के लिए किए जाएं। आप का पत्र ता० 12 अगस्त को पहुंचा। बच्चे, औरतें जिन मटकों से पानी लेते हैं, वह इस्तेमाल शुदा कैसे बन सकते हैं। बच्चों के हाथ पाक हैं तो पानी

पाक है। औरत के गुर्स्ल या वुजू से बचा हुआ पानी इस्तेमाल न करना चाहिए और वह भी शायद ना महरम औरत का बचा हुआ पानी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ल० बीवियों का बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर लिया करते थे। पानी का मसअला अहनाफ़ के यहां है अर्थात् वुजू या गुर्स्ल करते समय जो पानी बदन से लग कर बहता है वह नापाक है इसी बिना पर वह इन बूंदों को भी नापाक कहते हैं जो वुजू या गुर्स्ल करते समय हाथ या सर से गिरती हैं, यद्यपि रसूलुल्लाह सल्ल० बरतन में हाथ डाल कर ही चुल्लू लिया करते थे, अतः बूंदें बरतन में ज़रूर पड़ती होंगी। तथ्यब साहब, गुलाम हुसैन साहब, घर वाले व जुमला हज़रात को सलाम कहिए, कराची आने की कोई संभावना नहीं, दुआ कीजिए। यह पत्र कई दिन हुए लिखना शुरू किया था। और रोज़ाना थोड़ा थोड़ा लिख कर पूरा कर सका हूं। समय ही नहीं मिलता था, आज 25 अगस्त को ख़त कर रहा हूं। इस बात का मलाल है कि पत्र देर में लिख रहा हूं। मैंने शायद आप को लिखा था कि सय्यद बदीउद्दीन शाह राशिद पीर आफ़ झन्डा यहां तशरीफ़ लाए थे, मुलाकात हुई थी। वह खुद गरीब खाना पर तशरीफ़ लाए थे। मौलाना हाफिज़ मुहम्मद इसमाईल ज़बीह ख़तीब जामा मस्जिद अहले हदीस रावलपिन्डी भी साथ थे। पीर साहब जय्यद आलिमे दीन हैं। क्या मौलाना हाफिज़ मुहम्मद इसमाईल ज़बीह की तक़रीर भी आप ने हैदराबाद में सुनी? क्योंकि दोनों हज़रात ही हैदराबाद के जलसा में वक्ता थे। सुना है कि उस जलसे के नतीजे में कई आदमी अहले हदीस हो गए।

फ़क़त

ख़ादिमः मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब नवाब

बख़िदमत शरीफ जनाब मोहतरम मसजद साहब मद्दा ज़िल्लहु
अस्सलामु आलैकुम।

आप का पत्र मिला। हालात मालूम हुए। जवाब देने में बड़ी देरी हुई। जिस की वजह मेरी परेशानियां हैं। गुलामुल्लाह ठड्डा से 12 मील पर है। कराची या सजावल दोनों तरफ से ठड्डा आना पड़ता है। फिर ठड्डा से अलग बस जाती है, मैं लगभग एक साल से सजावल नहीं गया और न जाने का इरादा है। वहां के उलमा आदि से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं रही। वहां के उलमा और जुहला मेरे सख्त विरोधी हो गए हैं और यहां तो विरोध है ही। मेरे कराची के रिश्तेदार सब मुझ से अलग हो गए हैं और यहां गुलामुल्लाह में इन ज़िद्दी मुल्लाओं से सख्त जंग हो रही है। एक मौलवी साहब ने तय्यब के लड़के के ज़रिए एक “मनअः फ़ातिहा ख़लफुल इमाम” नामी किताब भेजी है तय्यब के लड़के ने वह किताब लाकर चुपके से तय्यब के बक्स में रख दी। तय्यब ने उस किताब को पढ़ा फिर मेरे पास ले आया। वह किताब मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ी, किताब बड़ी ज़हरीली है। दो तीन दिन तक तय्यब भी उस किताब से काफ़ी प्रभावित नज़र आए। फिर अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से सही हो गए। मुझे तो इस किताब का और कोई जवाब बन नहीं पढ़ा। मैंने जवाब में लिखा कि फ़ातिहा ख़लफुल इमाम मना है तो फिर शाफ़ऊी क्यों पढ़ते और फ़र्ज़ समझते हैं और तुम उन को

अपना हकीकी भाई क्यों तस्लीम करते हो। वे पढ़ें तो जाइज़ और हम पढ़ें तो नाजाइज़। यह कैसी मंतिक है। पहले अपने भाई को उस नाजाइज़ काम से रोको, फिर हम से उलझना। अब उस किताब की कुछ चीजें प्रस्तुत करता हूं किताब यूं शुरू होती है।

“سخّدنا إماماً آجِّم ره0 के سدكَ مِنْ كِتَابٍ شُرُّوكَ رَتَّا
هُوَ بِإِسْلَامٍ أَهَادِيَّ مُسْتَنَدٌ وَسَنَكَدَوْ سَهَابَةَ كَهْكَثَنَ رَجِّ0 وَ
أَمَلَ سَهَابَةَ رَجِّ0 لِيَخِيَّ جَاتَهُ هُنَّ فَاتِحَاهَا كَهْبَوتَ كَيْ سَاتَ
هَدَيَّسَهُنَّ، جَوَّ إِكَ دُوسَارِيَّ سَمِّنَ بِمِنْ بِمِنْ هُنَّ | تُومَ بُوكَارِيَّ شَرِيفَ كَهْ
بَارَ مِنْ دَافَوا تَوَ بَذَّلَ لَمَبَّا بَذَّلَ كَرَتَهُ هُوَ، مَغَارَ پَرِيشَّا كَهْ سَمَّيَ
مَدَانَ چَوَّدَ كَرَ بَاغَ جَاتَهُ هُوَ | بُوكَارِيَّ كَوَ چَوَّدَ كَرَ بَهَهَكَيَّ كَهْ
سَهَارَ لَتَهُ هُوَ | آپَ كَيِّ مِسَالَ إِسْ آيَتَ مِنْ مَؤْجُودَ هُوَ افْتَؤْمَنُونَ।

بعض الكتب وتکفرون بعض.
(پہلًا پارا) اک جگہ لیختا ہے کہ تُومَ آپتی کرتے ہو کہ مُعَمَّر نے جو هَدَيَّس بُوكَارِی مِنْ رِیَوَاتَ کی ہے۔ وہ وہمی ہے۔ بَلَا إِمامَ بُوكَارِی نے وہمی کی رِیَوَاتَ کیوں نکَلَ کی، کیا اُن کو اس کا ہال مَالُوم ن ہوا۔ هَدَيَّس ن0 3
آپر بین شُعَرَب مِنْ کےولَ فَاتِحَاهَا اورَ اَلَّاَوَا کی مَنَاهی ہے۔ هَدَيَّس ن0 4 مِنْ فَاتِحَاهَا اورِ اس سے جَيَادَا کا ہُوكَمَ ہے۔ اِن چاروں هَدَيَّسَوْ مِنْ اَهَادِيَّ مُسْتَنَدٌ اورِ اَلَّاَوَا ہے۔ اِس کے اَلَّاَوَا ن0 5 مِنْ هَجَرَتَ اَبُو ہُرَرَہ رَجِّ0 کی دِل مِنْ پَدَنَے کی ہے۔ هَدَيَّس ن0 6 مِنْ جو اِمامَ بُوكَارِی کی سکتا مِنْ پَدَنَے کی ہے۔ سَاتَوْ مِنْ جو هَجَرَتَ اَلَّی رَجِّ0 کی ہے اس مِنْ اِمامَ کے پیछے نَمَاجِ سِرِّی (धیمے) مِنْ دَوَ سُورَتَنَ پَدَنَے کا جِنْکَرَ ہے، اَبَدَ يَه سَاتَ هَدَيَّسَوْ ہے جو اَلَّاَوَا اَلَّاَوَا ہُوكَمَ دَتَتَی ہے۔ آپ کا اَمَل کیس هَدَيَّس پَرَ ہے، اَمَل تَوَ اَکَھِی پَرَ ہَوَگَا تَوَ تُومَ چَ: کے تَارِیک (چَوَّدَنَے والے) ہُوئے۔ تَوَ فَیْرَ کیس کَارَدَ سے اَمِیلَ بِلَ هَدَيَّس بَنَ گَئَ۔ هَدَيَّسَوْ کی رَوْشَانَی مِنْ

तुम्हारा दावा बातिल साबित हो रहा है। हदीस उबादा रजि० में मुक़्तदा का ज़िक्र नहीं है। तुम तथा कथित बातिल दावा करने वाले लिखते हो कि यह ग़लत है, जब दलील आम होती है तो उस के तमाम लोग उस में दाखिल होते हैं। अतएव इस हदीस में इमाम मुक़्तदा, मुन्फरिद सब दाखिल हैं हदीसे उबादा रजि० में तो तुम ने तीनों को दाखिल कर लिया। क्योंकि तुम को वहां इस की ज़रूरत थी और हदीसे अम्र बिन शुएब में मुक़्तदा को अलग कर दिया, क्योंकि यहां तुम को इस की ज़रूरत न थी। इस लिए दलील खास हो गई यह तुम्हारे गढ़े हुए गुण हैं जिस को चाहा आम कर दिया, जिस को चाहा खास कर दिया। हालांकि अम्र बिन शुएब की हदीस में इमाम मुक़्तदी, मुन्फरिद का ज़िक्र नहीं है। यह तुम्हारा अपना इज्तेहाद है। तुम्हारी अपनी इच्छा की पैरवी है। हदीस न० 4 को कहते हो कि ज़ईफ है यद्यपि तुम्हारी अक़ल, तुम्हारा ईमान ज़ईफ है। यद्यपि यह बुखारी की हदीस है, जिस के तुम मानने वाले हो। अगर जुज़उल किरात बुखारी की हदीसों को ग़लत बताओगे तो इमाम बुखारी की किताब का नाम शब्द सही बदल देना होगा। फिर उस के बाद कौन सी किताब सहीह होगी जिस को तुम सहीह बताओगे। हदीस न० 5 में कहते हो कि हज़रत अबु हुरैरह रजि० को मदीना की गलियों में मुनादी का हुक्म नहीं था।

(ज़रा देखो जुज़उल किरात बुखारी पृ० 19)

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ الْهَدِيَ فَاسْمَعْتَ أَبَا هَرِيرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْرَجَ مَنَادِيًّا فِي الْمَدِينَةِ إِنَّ لَا صِلْوَةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

देखो मदीना में मुनादी का हुक्म था या कानपूर में। रिवायत न० 6 के बारे में कहते हो कि इमाम बुखारी रह० के ज़माने में तू चल

मैं आया वाली नमाज़ नहीं हुई थी। बल्कि तक्बीर तहरीमा और किरअत के बीच सक्ता होता था यद्यपि यह दुआए सना इमाम और मुक्तदी दोनों के लिए है। हमारा इमाम तुम्हारी तरह मुक्तदी के अधीन नहीं होता, बल्कि मुक्तदी इमाम के अधीन होता है। नमाज़ में रुकूअ़ और सजदा में तीन बार तस्बीह वाजिब है। देखो हुज्जतुल्लाहुल बालिगा पृ० 317 में। मगर आप की शरीअत अलग है। हुजूर सल्ल० ने फ़रमाया कि एक कौम होगी जो बहुत इबादत करेगी। अर्थात् लम्बे रुकूअ़ और सुजूद करेगी। तुम अपनी नमाजों और रोज़ों को उन की नमाज़ रोज़ों से तुच्छ समझोगे लेकिन वह दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। इसी लिए हम अहले सुन्नत व जमाअत सुन्नत के मुताबिक़ रुकूअ़ सजदा करते हैं। क्योंकि जमाअत में ज़ईफ़ कमज़ोर सब होते हैं। इसीलिए हमारे आकाए नामदार सल्ल० ने हलकी नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दिया था। मसबूक के बारे में यह कहते हो कि जब इमाम रुकूअ़ में जाए यद्यपि हमारे आकाए नामदार सल्ल० का हुक्म है कि इमाम की इक्विटदा करो। इमाम इसी लिए है कि उस की इक्विटदा की जाए। जब वह रुकूअ़ करे तो तुम भी रुकूअ़ करो। जब वह सजदा करे तो तुम भी सज्दा करो और जब वह किरअत करे तो खामोश रहो। मगर तुम गन्दुम नुमा जौ फरोश अपना इजितहाद चलाते हो। सहाबा किराम रज़ि० सूरा फ़ातिहा पढ़ते थे लेकिन यह आयत नाज़िल हुई कि जब कुरआन पढ़ा जाए तो खामोश रहो, तब छोड़ दिया। पहले नमाज़ में सहाबा—ए—किराम रज़ि० आसमान की तरफ़ देखा करते थे। जुमा के खुतबे में अनाज ख़रीदने बाज़ार जाया करते थे तो आयत पारा 28 रुकूअ़ 12 में नाज़िल हुई और मना किया गया। देखो पहला पारा रुकूअ़ 18 जिस में दोनों कामों

से रोका गया है फ़ातिहा की सूरत में स्पष्ट दलील इमाम अहमद रह0 के कथन में देखो । हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 फ़ातिहा को दिल में पढ़ने का हुक्म देते । क्योंकि आयत सूरा आराफ़ का एहतेराम था । अल्लामा ऐनी शरह बुखारी पृ0 63 भाग तीन में लिखते हैं । अर्थात् शैख अब्दुल्लाह बिन याकूब ने किताब “कशफुल अबरार” में ज़िक्र किया है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से रिवायत है कि उन के बाप ज़ैद बिन असलम ने कहा कि असहाबे हुजूर सल्ल0 से दस सहाबी रज़ि0 किरअत फ़ातिहा ख़लफुल इमाम से सख्त मना करते थे । 1 सिद्दीक़ अकबर रज़ि0 2 हज़रत उमर रज़ि0 3 हज़रत उसमान रज़ि0 4 हज़रत अली रज़ि0 5 हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ 6 हज़रत सईद बिन वकास रज़ि0 7 हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसउद 8 हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि0 9 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 10 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि0 । मगर तुम लोगों की وان برو اکل آیة لا یؤمِنوا بها وان یروا سبیل الرشد لا یتَخَذُوه سبیلا .
तुम इल्म का तंबूरा हो केवल दलीलों को ज़ईफ़ कहना जानते हो । एक तरफ़ ऐनी के कथन को ज़ईफ़ कहते हो, दूसरी तरफ़ इसी के कथन को दलील के तौर पर पेश करते हो । वाक्य ख़त्म हुए ।

इन ख्यालों में उलझा हुआ था कि मेरे दामाद का पत्र मिला । जिस के पढ़ने से बड़ी परेशानी हुई । उस ने इस तरह लिखा कि मानो उस को मुझ से कोई लगाव ही नहीं है । उस पत्र के लिफाफे पर मदरसा हाशिमिया की मुहर लगी हुई है । उस ने ख़त यूं शुरू किया:

“जनाब आली! आप हम अहनाफ़ को रफ़अ यदैन न करने पर मलामत करते हैं यद्यपि बीसियों हदीसों में तर्क रफ़अ यदैन साबित

है। मैं कुछ हदीसें आप को भेज रहा हूं। अगर चाहो तो और भी भेज सकता हूं। आप इन हदीसों के खिलाफ़ अमल करते हैं। छोड़ी हुई चीज़ पर आग्रह करके उम्मत में फूट फैला रहे हैं। आप भी इन हदीसों पर अमल करके रफ़अ़ यदैन तर्क कर दीजिए तो उम्मत मुहम्मदिया फूट से बच जाएगी औ हम को खुशी होगी आदि। पत्र का मज़मून ख़त्म हुआ। आप उन को देखिए और फिर मुझे लिखिए कि क्या ये अहादीस सहीह हैं। मैंने उस को कोई जवाब नहीं दिया। उस से मैंने पत्र व्यवहार बन्द कर दिया है। यह भी मुझे लिखिए कि जिस तरह हंफ़ी चारों इमामों के मज़हबों को हक़ पर समझते हैं। क्या शाफ़ी रहा आदि भी उन को हक़ पर समझते हैं.....

फिर दूसरे दिन मुझे गूजरांवाला से फैज़ अली शाह हंफ़ी आलिम का पत्र मिला। यह आलिम पहले सजावल में था। जिस ने मुझ से आप को पत्र लिखवाया था कि हंफ़ी मज़हब तिंकों का बना हुआ नहीं है और मुदलिल जवाब देने का वायदा किया था। लेकिन फिर जवाब ने दे सका। फिर वह सजावल से चला गया था। अब पूरे एक साल के बाद गूजरांवाला से पत्र लिखा है कि “गैर मुक़लिलद का जवाब तक़लीद” तो इस विषय पर मालूमात करने से बहुत मसाला मिला। मगर मुझे फुरसत नहीं है कि जवाब दे सकूँ। इधर मौलवी अशरफ़ ने “हकीकतुल फ़िक़ह” किताब के जवाब में ऐलान किया कि इस किताब में हवाले हमारी फ़िक़ह की किताबों के दिए गए हैं, वे सारे हवाले ग़लत हैं। हमारी फ़िक़ह की किताबों में ऐसा कोई मसला नहीं है। यह मात्र हम अहले सुन्नत वल जमाअत पर आरोप है, आदि। कृपया रोशनी डालिए कि क्या ये हवाले ग़लत हैं?।

मतलब यह कि आज कल यही तूफाने बद तमीज़ी मेरे चारों

तरफ उमड़ी हुई है और मुझ पर चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है। हंफ़ी विद्वान मेरे पास हर हफ़ता कोई न कोई चला आता है और बहस व मुबाहसा करता है। लोगों के दिलों में मेरे बारे में नफ़रत पैदा की जाती है। कोई मुझ से सीधे मुंह बात नहीं करता। कभी कभी ऐसा घबरा जाता हूं कि चाहता हूं कि भाग जाऊं अजीब कशमकश में फंसा हूं। परेशानियों से दिमाग़ इस क़ाबिल नहीं रहा किसी से बहस व मुबाहसा कर सकूँ। आप हमारे लिए दुआ—ए—ख़ैर फ़रमाएँ। अब मैं कुछ सवाला आप से करता हूं। कृपया तफ़सीली जवाब दीजिए।

- 1- यह जो कहा जाता है कि उलमा वारिसे अंबिया है तो इस से क्या मुराद है?
- 2- तहावी शरीफ़, दारे कुतनी, नैलुल अवतार, क्या ये किताबें मुस्तनद हैं? क्या इन की हदीसें सहीह हैं? देलमी, तरगीब व तरहीब।
- 3- दलाइलुल ख़ैरात का पढ़ना जाइज़ है या नहीं?
- 4- कुरआन की टीका से क्या मुराद है? तर्जमा पर भरोसा किया जाए या टीका पर, टीका में जो कुछ होता है क्या उस को सही मान लिया जाए?
- 5- हदीस के माध्यम से क्या मुराद है, हदीस के अनुवाद में मायना पर अमल करें या व्याख्या देखनी ज़रूरी है। अगर बिना व्याख्या देखे अमल नहीं किया जा सकता तो फिर किस की व्याख्या मुस्तनद है।
- 6- अबु दाऊद में रफ़अ यदैन के बारे में अल्लामा वहीदुज्ज़मां दकनी साहब ने लिखा है कि रफ़अ यदैन मुस्तहब है, फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। इस का क्या यह मत़नब नहीं हुआ कि अगर न

करें तो नमाज़ हो गई ।

अबु दाऊद में जो अभी नई सईद एण्ड सन्ज़ वालों ने प्रकाशित की है, जगह जगह अल्लामा वहीदुज्ज़मां दकनी साहब की व्याख्या के नीचे नोट लिखा है कि यह आप का कथन है जो गैर मुस्तनद है । इस तरह एक जगह आफ़ताब उदय होने से पहले एक रकअत मिलने से फजर की नमाज़ हो जाने के बारे में अल्लामा ने लिखा कि हंफ़ियों का इजितहाद इस के विरुद्ध है जो ग़लत है । उन को हदीस की रोशनी में अपने इमाम का कथन छोड़ देना चाहिए । जो हंफ़ी दलील पेश करते हैं वह इस हदीस के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखती । इस पर सईद साहब ने नीचे नोट लिखा है कि वह दलील भी लिख देते ताकि फैसला हो जाता कि आप सच कहते हैं या हंफ़ी । इस का क्या मतलब है और वह कौन सी दलील है जो हंफ़ी पेश करते हैं और इस तरह नोट लिखने से क्या हदीसों के बारे में शक व शुब्ह नहीं पैदा हो जाता सारी सुनन अबु दाऊद शरीफ में इस तरह नोट डाल कर अल्लामा की व्याख्या को रद करने की कोशिश की है ।

फ़कृत

नवाब

17-9-62 ई0

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

बख़िदमत मख़दूमी मुकर्मी जनाब नवाब साहब
चक लाला 30 सितम्बर 1962 ई० इतवार
अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
अम्मा बाद! आप का पत्र 17 सितम्बर उसूल होकर हालात
मालूम हुए।

अहादीसे सहीहा में कोई विभेद नहीं, हर सहीह
हदीस क़ाबिले अमल है

अब आप के सवालों के जवाब लिखता हूं। وَبِاللهِ التوفيق.

सवाल 1- सुबूत फ़ातिहा की सात हदीसें हैं जो एक दूसरे से
अलग हैं?

जवाब- बिल्कुल ग़लत है, कोई विभेद नहीं है।

सवाल 2 - तुम एक हदीस पर अमल करते हो और छः को
छोड़ते हो?

जवाब- सातों में कोई विभेद नहीं, अतः हमारा अमल सब पर
है। हमारे हां यह उसूल है ही नहीं कि आयात व अहादीस को टकरा
कर इन आयात व अहादीस को खत्म कर दें, कोई भी अमल के
क़ाबिल न रहे। ”اذا تعارض صاتساقطا“ यह हंफ़ियों का उसूल है।

सवाल 3 - बुख़ारी को छोड़ कर बैहेकी का सहारा लेते हो?

जवाब- बुखारी को छोड़ने का इल्जाम ग़लत है, हां हमें किसी इमाम से नफरत नहीं। अगर इमाम बैहेकी भी कोई सहीह हदीस रिवायत करते हैं तो हम उसे कुबूल करते हैं। हम यह नहीं कहते कि यह हमारे ख़सम की हदीस है। हम उस को रद्द करने की कोशिश नहीं करते। अगर ज़ाहिर में विभेद भी होता है तो तत्त्वीक दे कर दोनों सहीह अहादीस पर अमल करते हैं। ख़त्म किसी को नहीं करते।

सवाल 4 - तुम आपत्ति करते हो कि मुअम्मर ने जो हदीस बुखारी में रिवायत की है वह वहमी थे। भला इमाम बुखारी ने वहमी की रिवायत क्यों नक़ल की। क्या उन को इसका हाल मालूम न था?

जवाब- मुअम्मर के वहम की तरफ इमाम बुखारी रह0 ही ने इशारा फरमाया है। वह लिखते हैं: *وَعَامَةُ الشَّفَاعَاتِ لَمْ يَتَابُعْ مَعْمَراً فِي قَوْلِهِ* अर्थात् *فَصَاعِدًا* مَعَ اَنَّهُ قَدْ اثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلَهُ *فَصَاعِدًا* غَيْرُ مَعْرُوفٍ.

आम सिकाते अहले हदीस मुअम्मर के कथन “**فَصَاعِدًا**” की समानता नहीं। यद्यपि सूरह फ़ातिहा का होना तो साबित है लेकिन “**فَصَاعِدًا**” गैर मारूफ़ है। (किताबुल किरअत पृ० 3) इमाम बुखारी के इस कथन से साबित हुआ कि मुअम्मर का इंफ़िराद है। तभाम मुहद्दिसीन ने यह वाक्य कि ‘‘सूरह फ़ातिहा के अलावा भी पढ़ना फ़र्ज़ है।’’ रिवायत नहीं किया। अतः इस वाक्य में असमंजस पैदा हुआ दूसरी बात यह भी साबित हुई कि मुअम्मर के बारे में हम अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कहते। बल्कि इतना ही जितना इमाम बुखारी रह0 ने लिखा है। फिर इमाम बुखारी रह0 ने इस जुमला “**فَصَاعِدًا**” को सही तस्लीम करते हुए दोनों हदीसों में तत्त्वीक दे दी है और दोनों को अमल करने योग्य बना कर पेश कर दिया है। किसी को रद्द नहीं

اَلَا اَن يَكُونَ كَفُولَهُ لَا يَقْطَعُ الْيَدَ اَلَا فِي رِبْعِ دِينَارٍ । وَهُوَ لِمَنْ يَرِيدُ
 فَصَاعِدًا او قَدْ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي دِينَارٍ وَفِي اَكْثَرِ مِنْ دِينَارٍ.
 جैसा हो सकता है जिस में रसूलुल्लाह सल्ल0 फ़रमाते हैं कि हाथ
 न काटा जाए मगर चौथाई दीनार या उस से ज्यादा की चोरी में
 और बेशक हाथ दीनार में भी काटा जाता है और दीनार से ज्यादा
 में भी । (किताबुल किरअत पृ0 3) जिस तरह चौथाई दीनार कम से
 कम चोरी की मात्रा है । जिस से नमाज़ होती है । उस से कम हो तो
 नमाज़ न होगी । या फिर उस से ज्यादा तो हो जाएगी । जिस तरह
 चौथाई दीनार से ज्यादा चोरी पर भी हाथ काटा जाता है । इमाम
 बुख़ारी रह0 के नजदीक “فَصَاعِدًا”^{فَصَاعِدًا} का यह मतलब है, कितनी अच्छी
 तत्त्वीक है ।

सवाल 5- अम्र बिन शुऐब की हदीस में केवल फ़ातिहा का
 हुक्म और अलावा की मनाही है?

“كُل صلوٰة لَا يَقْرَأُ فِيهَا بَامَ الْكِتَبِ فَهِيَ مُخْدِجَةٌ.”
 “جواب 5-” अम्र बिन शुऐब की हदीस यह है कि अर्थात् हर वह नमाज़ जिस में फ़ातिहा न
 पढ़ी जाए वह नाकारा है । किताबुल किरअत पृ0 4) इस में तो
 अलावा की मनाही कहीं नहीं है । हाँ हुक्म केवल फ़ातिहा का है । इस
 लिए कि वह नमाज़ का अनिवार्य भाग है । उस को छोड़ा नहीं जा
 सकता ।

सवाल 6- हदीस न0 4 में फ़ातिहा और इस से ज्यादा का
 हुक्म है?

जवाब- हमें ज्यादा का हुक्म भी तरलीम है, फ़र्क केवल इतना
 है कि फ़ातिहा हर हाल में हर एक के लिए ज़रूरी है । इस के बिना
 नमाज़ नहीं होती । ज्यादा पढ़ना हर हाल में हर एक के लिए ज़रूरी
 नहीं है । मुक्तदी के लिए केवल सूरा फ़ातिहा लाज़मी है ज्यादा

पढ़ना लाजमी नहीं। बल्कि इमाम की ऊंची आवाज़ की किरात के दौरान पढ़ने की मनाही है।

सवाल 7 – इस के अलावा हदीस न0 5 में हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 की दिल में पढ़ने का हुक्म है।

जवाब – हज़रत अबु हुरैरह रज़ि0 की हदीस में मुक्तदी का ज़िक्र विस्तार से मौजूद है। अतः मुक्तदी को दिल ही में पढ़ना चाहिए। बुलन्द आवाज़ से पढ़ने के लिए कौन कहता है और किस हदीस में बुलन्द आवाज़ से पढ़ने का हुक्म है। जिस से यह हदीस टकराती हो, बल्कि अहादीस में मुक्तदी को बुलन्द आवाज़ से पढ़ने की मनाही है। अतः सब अहादीस एक दूसरे की समानता करती हैं। टकराव तो तक़्लीद की करिशमा साज़ी है।

सवाल 8 – हदीस न0 6 में सकता में पढ़ने का हुक्म है।

जवाब – बिल्कुल ठीक है। मुक्तदी को इमाम के सकतों में पढ़ना चाहिए और जब इमाम पढ़े तो उस को सुनना चाहिए। हमारा इसी पर अमल है।

सवाल 9 – हज़रत अली रज़ि0 की हदीस 7 में इमाम के पीछे खामोश नमाज़ में दो सूरतें पढ़ने का ज़िक्र है।

जवाब – बिल्कुल ठीक है। मुक्तदी खामोश रकअत में फ़ातिहा के अलावा कोई और सूरह भी पढ़ सकता है। हज़रत अली रज़ि0 के शब्द यह है *اذا لم يجهر الإمام في الصلاة فاقرأ باسم الكتاب وسورة أخرى*. अर्थात जब इमाम बुलन्द आवाज़ से किरात न करे तो पहली दो रकअतों में फ़ातिहा भी पढ़ो और सूरह भी और आखिरी रकअतों में केवल सूरा फ़ातिहा पढ़ो।

सवाल 10 – अब यह सात हदीसें हैं जो अलग अलग हुक्म देती हैं आप का अमल किस हदीस पर है?

जवाब - हमारा अमल सातों पर है। हर एक हदीस का अलग मौका है। सूरह फ़ातिहा हर व्यक्ति के लिए लाजिमी है (हदीस उबादा रज़ि० बिन सामित रज़ि० आदि) इमाम व मुन्फरिद को सूरह फ़ातिहा के अलावा भी पढ़ना चाहिए। (हदीस अबु सईद रज़ि० व अबु हुरैरह रज़ि० आदि) मुक्तदी को बुलन्द आवाज़ की रकअत में सूरह फ़ातिहा से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। (हदीस उबादा रज़ि० आदि) मुक्तदी को बुलन्द आवाज़ से नहीं पढ़ना चाहिए। बाहेक दिल में पढ़ना चाहिए। (हदीस अबु हुरैरह रज़ि० आदि) मुक्तदी को ख़ामोश वाली रकअत में फ़ातिहा पढ़नी चाहिए और दूसरी सूरह भी। (हदीस अली रज़ि०) मुक्तदी को बुलन्द आवाज़ वाली रकअत में भी सूरह फ़ातिहा पढ़नी चाहिए। (हदीस उबादा रज़ि० आदि) लेकिन इमाम के साथ साथ नहीं बल्कि इमाम के सकता में (हदीस सकता) तमाम अहादीस अपने अपने अवसर पर हैं। किसी में कोई टकराव नहीं। सब पर अमल करना शाने ईमान है।

सवाल 11 - हदीस उबादा रज़ि० में मुक्तदी का ज़िक्र नहीं।

जवाब - हदीस उबादा रज़ि० में ख़िताब ही आप सल्ल० ने मुक्तदियों से फ़रमाया था रसूलुल्लाह सल्ल० के शब्द यह हैं: لَا تَقْرُأْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرَتِ الْأَبَابُ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا. अर्थात् जब बुलन्द आवाज़ से किरअत करो तो कुरआन में से कुछ न पढ़ो सिवाए सूरह फ़ातिहा के इसलिए कि उस के बिना नमाज़ नहीं होती।

(अबु दाऊद)

सवाल 12 - हदीस उबादा रज़ि० में तो तुम ने तीनों को दाखिल कर दिया क्योंकि तुम को वहां इस की ज़रूरत थी। और हदीस अम्र बिन शुऐब में मुक्तदी को अलग कर दिया। क्योंकि यहां तुम को इस की ज़रूरत न थी।

जवाब - हदीस उबादा रजि० में हुक्मे आम है और खिताब खास है। अतः स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल० ने ही मुक्तदी और गैर मुक्तदी को उस में शामिल कर दिया। हमारा क्या दोष है? हदीस अम्र बिन शुऐब में यद्यपि हुक्मे आम है लेकिन उबादा रजि० की हदीस ने जो न० 11 में ऊपर दर्ज की गई है मुक्तदी को इस से अलग कर दिया। अतः यहां भी रसूलुल्लाह सल्ल० की हदीस ही से हम ने खास किया। हम स्वयं कुछ नहीं करते जो आप सल्ल० कह देते हैं। हम तरस्तीम कर लेते हैं। हम अंदाज़े से काम नहीं करते। हदीस से हदीस को खास करते हैं। अपनी राय से नहीं। फिर अम्र बिन शुऐब की हदीस में दूसरी सूरह का जिक्र ही कहां है? यह हदीस 5 में ऊपर दर्ज है। इस में केवल सूरह फ़ातिहा का जिक्र है। अर्थात् इस में और हदीस उबादा रजि० में कोई फ़र्क़ ही नहीं। एक ही विषय है। अतः आपत्ति ही बेकार है। शायद उन का इशारा हदीस अबु सईद रजि० की तरफ़ है जो 6 में मौजूद है। जवाब इस का वही है जो ऊपर नक़ल हुआ है। अर्थात् मुक्तदी को इस से स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल० ने ही खास कर दिया है। और वह यह कि मुक्तदी कुछ हालात में तो सूरह पढ़ सकता है और कुछ हालात में नहीं।

सवाल 13 - हदीस न0 4 को कहते हो कि ज़ईफ़ हैं यद्यपि यह बुखारी की हदीस है जिस के तुम मानने वाले हो?

जवाब - हम ज़ईफ़ नहीं कहते बल्कि हदीस उबादा रज़ि० से इस को खास करते हैं। मुसन्निफ़ का बुख़ारी की हदीस से क्या मतलब है। अगर इस से सही बुख़ारी मुराद है, तो बिल्कुल ग़लत है। यह हदीस सही बुख़ारी में नहीं, बल्कि जुज़उल किरअत में है। यह इमाम बुख़ारी की दूसरी किताब है। इमाम बुख़ारी ने कई

फरमाते हैं। मैं नमाज को लम्बी करना चाहता हूं लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ कान में आती है तो नमाज में कमी (हल्की) कर देता हूं। कहीं उसकी माँ की परेशानी का कारण हो। (बुखारी) लीजिए इमामुल अइम्मा इमामे आज़म सल्ल0 तो अधीन होने से शर्म महसूस न करें लेकिन हंफी इमाम को शर्म महसूस होती है। आप सल्ल0 की ज़ोहर की पहली रकअत इतनी लम्बी होती थी कि इकामत के बाद जाने वाला पेशाब पाखाना के लिए जाता और वापस आकर वुजू करके पहली रकअत में शामिल हो जाता। (बुखारी) यह किस की अधीनता थी। फिर इशा की नमाज में आप सल्ल0 लोगों का इन्तिज़ार करते थे। अगर लोग ज्यादा होते तो जल्दी पढ़ लेते। अगर कम होते तो देरी करके पढ़ते। फिर सकतों में सूरा फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म स्वयं रसूलुल्लाह सल्ल0 ने दिया। अतः इमाम पर लाज़िम है कि वह सकता करे। उसे अब आप मुक्तदी की अधीनता कहें या रसूलुल्लाह सल्ल0 का अनुसरण कहें। हम ऐसे तानों से नहीं डरते। रसूलुल्लाह सल्ल0 भी स्वयं सकता करते थे, वक़फ़े करते थे। और उन्हीं सकतों और वक़फ़ों में सहाबा सूरा फ़ातिहा पढ़ते थे। (हदीस अम्र बिन शुऐब, किताबुल किरअत, इमाम बैहेकी व हदीस सकतात अन समुरा बिन जुन्दुब रज़ि0 अबु दाऊद आदि) अतः उन सकतों की रिआयत बराय मुक्तदियान अल्लाह के रसूल सल्ल0 की सुन्नत है और हम उस पर अमल करते हुए गर्व करते हैं और जो मुक्तदियों की रिआयत न करे, अर्थात् मुक्तदियों की रिआयत न करे, अर्थात् मुक्तदियों की किरात के लिए सकता न करे उसे बिदअती समझते हैं, सुनिए अब्दुल्लाह बिन उसमान फरमाते हैं।

فَلَتْ لِسْعِيدَ بْنَ جِبْرِيلَ أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ وَانْ سَمِعْ

قرأته انهم قد احدثوا مالهم يكرنوا يصنونه ان السلف كان إذا
ام احدهم الناس كبر ثم انصت حتى يظن ان من خلفه قد قرأ
فاتحة الكتاب ثم قرأ فانصتوا

अर्थात मैंने (मशहूर ताबी इमाम) सईद बिन जुबैर से पूछा— क्या मैं इमाम के पीछे भी किरअत करूँ? फरमाया हां किरअत करो। यद्यपि तुम उस की किरअत भी सुन रहे हो। उन लोगों ने तो यह बिदअत निकाली है जो पहले लोग नहीं करते थे बेशक हमारे सल्फ (सहाबा रज़िया) में से जब कोई इमाम बनता था तो तकबीर तहरीमा कह कर खामोश रहता था। यहां तक कि वह यह गुमान कर लेता था कि अब सब मुक्तदियों ने सूरह फातिहा पढ़ ली होगी तो फिर वह किरअत शुरू करता था और मुक्तदी खामोश रहते थे।

(जुज़उल किरात इमाम बुखारी रह0 पृ0 62)

अर्थात तमाम सहाबा किराम रज़िया मुक्तदियों के अधीन थे, उन की किरअत के लिए लम्बे सकते करते थे। अर्थात मुक्तदियों की किरअत के लिए सकते करना रसूलुल्लाह सल्ल0 का हुक्म, आप की सुन्नत, आप सल्ल0 के सहाबा रज़िया की सुन्नत। अब जो उस पर अमल करता है वह खुश किस्मत है और जो अमल नहीं करता वह हज़रत सईद रह0 के अनुसार बिदअती है और जो व्यंग भी करे तो फिर वह ज़रा दिल को टटोल कर देखे कि क्या किसी गोशा में ईमान की कोई रमक भी बाकी है या नहीं?

सवाल 17 — हुजूर सल्ल0 ने फरमाया कि एक कौम होगी, लम्बे रुकूअ, सुजूद करेगी

जवाब — आप सल्ल0 का यह फरमान खारजियों के बारे में है

हज़रत अली रज़ि० ने उन लोगों को पहचाना और उन को हलाक किया ।

सवाल 18 - तुम यह कहते हो कि जब इमाम रुकूअ़ में जाए तो मस्बूक़ न जाए बल्कि जल्दी से फ़ातिहा पढ़ के रुकूअ़ करे ।

जवाब - ग़लत हैं । इमाम रुकूअ़ में जाए तो फौरन रुकूअ़ में जाए । हां तुम यह कहते हो कि इमाम नामज़ पढ़ता है तो पढ़ने दो । तुम शामिल न हो बल्कि अपनी नमाज़ शुरू कर दो । अर्थात् सुन्नत फ़ज़र । अच्छा यह बताओ कि इमाम सलाम फेर दे तो मस्बूक़ इमाम की पैरवी करे या नहीं? अगर नहीं करे तो तुम्हारा आम कायदा कहां गया?

सवाल 19 - सहाबा किराम रज़ि० सूरा फ़ातिहा पढ़ते थे । लेकिन जब यह आयत करीमा नाज़िल हुई कि जब कुरआन पढ़ा जाए तो ख़ामोश रहो, तब छोड़ दिया ।

जवाब - झूठ बे सनद व बे सुबूत हैं । सहाबा रज़ि० तो सईद बिन जुबैर रह० के ज़माने में भी सूरह फ़ातिहा पढ़ते थे । उन के इमाम मुक़त्तदियों की किरअत के लिए तवील सकते करते थे । जैसा कि ऊपर 16 में गुज़रा-

सवाल 20 - कशफुल अबरार में है कि दस सहाबी रज़ि० मसलन खुलफ़ा-ए-अरबअ़ आदि फ़ातिहा ख़लफुल इमाम से मना करते थे ।

जवाब - झूठ है । किसी हदीस की किताब में यह रिवायत नहीं है । कशफुल अबरार वालों ने मन गढ़त बात लिख कर धोखा दिया है । या उन्होंने ग़लत हवाला देकर आम मुसलमानों को धोखा दिया है ।

इस किताब के बारे में सवालात ख़त्म हो गए । एक दो बार शुरू में मुझे भी ऐसी किताबों से धोखा हुआ था । लेकिन अब तो हर

चीज़ अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से रोज़े रौशन की तरह साफ़ है। अब मैं आसानी से समझ जाता हूं कि कहां कहां फ़रेब से काम लिया गया है, मगर बेचारे जाहिलों का क्या हशर होगा! उन्हें क्या ख़बर कि मामला क्या है? वे तो कश्फुल अबरार जैसी किताबों का नाम सुन कर ही प्रभावित हो जाते होंगे। ऐसे जाहिलों को सचेत करना आप का और हमारा फ़र्ज़ है। आगे अल्लाह मालिक है।

रफ़अ़ यदैन के सिलसिले में जो अहादीस आप के दामाद ने लिखी हैं उन का जवाब सुनिए। अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीसें को छः जगह लिखा है और धोखा यह दिया है मानो यह छः हदीसें हैं। अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस का जवाब पहले किसी पत्र में दे चुका हूं। शायद आप के पास होगा। इमाम इब्ने हि�ब्बान ने लिखा है कि कूफ़ा वालों की यह सब से अच्छी दलील है हालांकि यह भी बहुत ज़ईफ़ है। इस में कई इल्लतें हैं जो उसे बातिल बना रही हैं। (नैलुल अवतार) इमाम नववी ने लिखा है कि उस के ज़ोअफ़ पर मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है। (खुलासा) इमाम शाफ़अ़ी रह0, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह0 आदि दीन के इमामों ने कहा है कि यह हदीस साबित नहीं है। इमाम बुख़ारी रह0 ने उसे गैर महफूज़ बताया है। इमाम अबु दाऊद ने फ़रमाया है। यह हदीस इन मायनों और इन शब्दों के साथ सही नहीं है। इमाम मुहम्मद रह0 ने अपनी मोत्ता में इस को नक़ल किया। यद्यपि यह उनकी सब से बड़ी दलील थी और कूफ़ा ही में परवरिश पा रही थी। फिर यह अगर सही भी हो तो इस में अब्दुल्लाह बिन मसऊद का इंफ़िराद है और यह उन की भूल है। इसी तरह कुछ और भूलें उन से हुई हैं जैसे रुकूअ़ में ततबीक़ करना, सज्दा में हाथ बिछाना, जमाअत में दो मुक्तदियों को इमाम के बराबर खड़ा करना आदि, स्वयं हंफ़ी भी यह बातें तरस्लीम नहीं करते। बस इसी तरह हम अदमे रफ़अ तरस्लीम नहीं

करते, इस लिए कि उन का बयान सारे सहाबा के बयान के खिलाफ है। इबराहीम नख़अी का यह कहना कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को पच्चास बार रफ़अ यदैन न करते हुए देखा, वे सुबूत हैं और उन का यह कहना कि हज़रत वाइल रज़ि0 ने सिर्फ़ एक बार रफ़अ यदैन करते देखा यह भी अहादीस के खिलाफ़ है। इमाम बुख़ारी रह0 ने अपनी किताब में इबराहीम नख़अी के इन दोनों कथनों का सख्त खंडन किया है हम ऐसे वे सुबूत कथनों से प्रभावित नहीं होते चाहे कहने वाला कोई हो।

दूसरी हदीस उन्होंने बरा बिन आज़िब रज़ि0 की नक़ल की है। अर्थात् रसूलुल्लाह सल्ल0 शुरू नमाज़ में रफ़अ यदैन करते थे। **”لَا يَعُود“** फिर नहीं करते थे। इमाम अबु दाऊद ने लिखा है कि यह हदीस सही नहीं है। इमाम अहमद रह0 ने कहा है कि यह हदीस वाहियात है यज़ीद अबी ज़ियाद ने उस में **”لَا يَعُود“** बढ़ा दिया है। एक ज़माना तक वह इस वाक्य को बयान नहीं करते थे। फिर करने लगे। इमाम सुफ़ियान कहते हैं कि मैंने पहले यह हदीस यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से सुनी थी। उस में **”لَا يَعُود“** नहीं था बल्कि यह था कि आप सल्ल0 रुकूअ़ से पहले और रुकूअ़ के बाद रफ़अ यदैन करते थे। जब यज़ीद बूढ़े हो गए तो कूफ़ा वालों ने उन को यह शब्द तलकीन किए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया। इमाम बुख़ारी रह0 ने लिखा है कि तमाम हदीस के हाफ़िज़ जिन्होंने यह हदीस यज़ीद से उन की जवानी में सुनी थी, यह शब्द बयान नहीं करते। फिर उन में से कुछ हाफ़िज़ों के नाम लिखे हैं। इमाम अबु दाऊद ने भी यही लिखा है और उन्होंने भी कुछ और हाफ़िज़ों का नाम लिखा है। फिर एक बार यज़ीद ने अली बिन आसिम के सवाल पर स्वयं इन शब्दों का इन्कार किया है और साफ़ कहा है कि **”احفظ!“** यह मुझे याद नहीं है, सार यह कि कूफ़ा वालों की साज़िश से वह ग़लती का

शिकार हो गए और इन शब्दों को हदीस के मतन में शामिल कर दिया। और असली शब्द निकाल दिए। اَنَا اللَّهُ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعٌ। अफ़सोस कि इस हदीस को दलील में पेश किया जाता है।

तीसरी दलील हज़रत उमर रज़िया का अमल है कि वह रफ़अ यदैन नहीं करते थे। इमाम बुखारी लिखते हैं। ”قد روی عمر عن النبي“ اَرْبَعَةَ مَرَاثِيلَ حَتَّى يَكُونَ مُكْبِرًا اَر्थात् हज़रत उमर रज़िया से कई सनदों से यह बात साबित है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَيْرَ وَجْهِهِ رَفِعٌ“। (جزء رفع اليدين للبخاري ص ۳۵) इमाम हाकिम ने भी फ़रमाया है कि रफ़अ यदैन न करने की रिवायत कम है। इस से हुज्जत काइम न होगी। सही यह है कि हज़रत उमर रज़िया रफ़अ यदैन करते थे। हज़रत उमर रज़िया के रफ़अ यदैन न करने की रिवायत को सूरी ने भी रिवायत किया है लेकिन उस में ”ثُمَّ لَا يَعُودُ“ नहीं है। ”ثُمَّ لَا يَعُودُ“ को केवल हसन बिन अयाश ने रिवायत किया है। और वह मुतक़ल्लम फ़ीया हैं। सूरी उन से औसिक़ हैं। फिर इस में इंकिताम का संदेह भी है। हज़रत उमर रज़िया के तो बेटे पोते सब रफ़अ यदैन करते थे। बल्कि बेटे तो रफ़अ यदैन न करने वालों को कंकरियां मारा करते थे (मुसनद इमाम अहमद) हज़रत उमर रज़िया ने एक बार लोगों को नमाज़ सिखाई तो रफ़अ यदैन किया। नमाज़ के बाद फ़रमाया इसी तरह रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ नमाज़ पढ़ते थे और इसी तरह पढ़ने का हुक्म दिया करते थे। फिर सहाबा रज़िया ने हज़रत उमर रज़िया की तसदीक की। (बैहेकी खिलाफ़ियात) यह रिवायत मुत्तसिल और सही है। (तसहीलुल कारी) इमाम तकीयुद्दीन कहते हैं, इस के रिजाल मारुफ़ हैं।

चौथी दलील हज़रत अली रज़िया का रफ़अ यदैन न करना है।

इमाम शफ़अी ने लिखा है कि यह साबित नहीं इमाम उसमान

रफ़अ यदैन न करने की यही कुछ अहादीस थीं जो उन्होंने
नक़ल कीं। बाकी अहादीस सब मौजूआत हैं या बे मौका हैं। बाकी
जवाब इंशाअल्लाह दूसरे पत्र में दूंगा।

फक्त

ਮਸ਼ਾਹਦ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसजिद

चक लाला, ता० अक्तुबर 62

बखिदमत मख़दूमी व मुकर्मी जनाब नवाब साहब सल्लमहु
अरसलाम आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
अम्मा बाद! इससे पहले एक लिफाफ़ा भेजा था। नज़र से
गुज़रा होगा। अब आप के बाकी सवालों के जवाब लिखता हूं।

सवाल 1 – क्या शाफ़अी आदि भी हंफ़ियों को हक़ पर
समझते हैं?

जवाब – ये चारों एक दूसरे को हक़ पर समझते हैं, यद्यपि एक
ज़माना तक बड़े वाद विवाद और आपस में खून रेज़ियां होती रहीं।

सवाल 2 – किताब “अलइल्मुल हदीद” आप ने देखी है?

जवाब 2 – यह किताब मैंने नहीं देखी, नताइजुतकलीद पढ़ी
है और उस में जो सख्त कलिमात आए हैं उन का जवाब स्वयं
लेखक ने प्रस्तावना में दे दिया है। उन के उलमा ने आयतें गढ़ीं।
हदीसें गढ़ीं और उन को अपनी किताबों में लिखा। अब इस का
जवाब सिवाए इस के वे क्या दे सकते हैं कि ये आयतें और हदीसें
गढ़ी नहीं गई बल्कि मौजूद हैं या यह कि उन उलमा से भूल हो
गयी। पहला जवाब तो बिल्कुल सही नहीं। दूसरे जवाब की
गुन्जाइश है। मतलब यह कि उन उलमा का कुरआन व हदीस से
अनभिज्ञ होना ज़ाहिर है। अब अगर इस किताब में कुछ होगा भी तो
वह बस इसी क़दर कि जाहिलों को धोखा दिया गया होगा। बहर

हाल जवाब तो हर चीज़ का होता है ग़लत हो या सही ।

सवाल 3 - क्या “हकीकतुल फ़िक्रह” के हवाले ग़लत हैं?

जवाब - ग़लत नहीं हैं । हां यह हो सकता है कि कुछ हवाले अरबी कुतुब में न मिलते हों इसलिए कि हंफी अनुवाद से नकल किए हैं । हो सकता है कि कुछ वाक्य अनुवाद के हों । और नाम अरबी किताब का दे दिया गया हो और यह उन्होंने मुकद्दमा में लिख दिया है क्योंकि अनुवाद के नाम से अधिकांश लोग नावाकिफ़ हैं इसलिए मैं असल किताब का नाम लिखूँगा जो मशहूर हैं और मसअला उन अनुवादों से उर्दू में नकल करूँगा । इन हवालों के मुकाबला मैं अनुवाद से नहीं कर सका क्योंकि अनुवाद मिले नहीं । अरबी में देखा तो पन्ने न मिल सके । बहर हाल क्योंकि मैं फ़िक्रह के मसाइल से परिचित हूं इसलिए यह कह सकता हूं कि अक्सर हवाला सही हैं और इसी आधार पर बाकी हवाले भी जिन से मैं वाकिफ़ नहीं हूं ज़रूर सही होंगे ।

सवाल 4 - यह जो कहा जाता है कि उलमा वारिसे अंबिया हैं तो इस से क्या मुराद है?

जवाब - यह एक हदीस का अनुवाद है । हदीस ही में इसके آगे इस की व्याख्या है । **وَانْمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمِنْ أَنْخَذَهُ أَخْذَ بِحِظْ وَافِرٍ** । अर्थात् अंबिया के वारिसों में इल्म छोड़ जाते हैं अतः जिस ने यह इल्म हासिल किया उस ने भर पूर हिस्सा पा लिया ।

(अबु दाऊद, अहमद, दारमी)

सवाल 5 - तहावी, दारे कुतनी क्या ये किताबें प्रमाणिक हैं?

जवाब - हदीस की किताबों के पांच वर्ग हैं । पहला वर्ग बुखारी, मुस्लिम और मोत्ता मालिक पर आधारित है । उन में जितनी

मुसनद हदीसें हैं सब बिल्कुल सही हैं। दूसरे वर्ग में अबु दाऊद, नसाई और तिर्मिज़ी शामिल हैं। इस वर्ग में सही अहादीस की कसरत है और कुछ हदीसें ज़ईफ़ भी हैं। तीसरे वर्ग में मुसनद अहमद, दारे कुतनी, बैहेकी, तहावी आदि शामिल हैं। उन में बहुत सी अहादीस सही हैं। अधिकांश ज़ईफ़ हैं और कुछ मौजू भी हैं चौथा वर्ग दैलमी इब्ने अदी, शाबीन आदि पर आधारित है। इस वर्ग में शायद ही कोई हदीस सही हो। कुछ ज़ईफ़ और अधिकांश मौजू होती हैं। पांचवां वर्ग खुराफ़ात का पुलिन्दा है। जिन में एक भी हदीस सही नहीं। उन में शाइराना लन तरानियां। सूफ़ियों के बयानात, मीलाद ख्वानों की गपें होती हैं। “नैलुल अवतार” बड़े ऊंचे दर्जे की किताब है यह मुन्तकियुल अख़बार की व्याख्या है। व्याख्याकार हर हदीस पर स्पष्टता से बहस करते हैं। सही है या ज़ईफ़, मतलब क्या है? आदि आदि “तरगीब व तरहीब” इसी प्रकार की किताब है, जिस तरह की “मिश्कात शरीफ़” है तरगीब में हर किस्म की हदीसें हैं। लेकिन इमाम मुन्ज़री ने मुक़द्दमा में हर हदीस की सेहत व ज़ोअफ़ की निशानी स्वयं बता दी है। अतः धोखा नहीं हो सकता। यह किताब भी बहुत उम्दा है। और इमाम मुन्ज़री की सम्पादित है।

सवाल 6 - “दलाइलुल खैरात” का पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब- इस का पढ़ना बिदअत है।

सवाल 7 - कुरआन की टीका से क्या तात्पर्य है। अनुवाद पर भरोसा किया जाए या टीका पर? टीका में जो कुछ लिखा होता है क्या उसे सही मान लिया जाए?

जवाब - असल चीज़ तो अनुवाद ही है। इसी पर भरोसा करना चाहिए टीका उस अनुवाद की स्पष्टीकरण होती है। उसकी मदद से

आयात के मायना अच्छी तरह जेहन नशीन हो जाते हैं। कुछ लफज़ी अनुवाद समझ में नहीं आते तो उन के स्पष्टीकरण के लिए दूसरी आयात, अहादीस, उत्तरने की पृष्ठ भूमि आदि लिखे जाते हैं और इस तरह उस आयत का सही मतलब सामने आ जाता है और यही असल टीका है। बाकी लन तरानियां, फ़िक़ही मोश गाफ़ियां बेकार की चीज़ें और गुमराह करने वाली होती हैं, टीका की किताबों की हर बात सही नहीं होती, बल्कि टीकाओं में कुछ अहादीस मौजूद भी हैं। इस समय सब से अच्छी टीका अल्लामा नवाब सय्यद सिद्दीक हसन बुखारी मुहद्दिस भोपाली की टीका है या फिर टीका “अहसनुतफ़सीर” है।

सवाज 8 - हदीस की व्याख्या से क्या तात्पर्य है। हदीस के अनुवाद पर अमल करें या व्याख्या देखनी ज़रूरी है?

जवाब 8 - व्याख्या से सुराद यह है कि इस के मतलब व मआनी पर बहस की जाए। इस सिलसिले की विभिन्न अहादीस को जमा किया जाए। अगर उन में टकराव हो तो उस टकराव को दूर किया जाए और हर एक का मौक़ा महल बताया जाए। सेहत व जोअफ़ पर बहस की जाए। व्याख्या देख लेना अच्छा होता है वरना सही बुखारी व सहीह मुस्लिम जैसी किताबों का तो केवल अनुवाद भी काफ़ी है न उन में सेहत व जोअफ़ का झगड़ा है, न नासिख़ व मंसूख़ का, हर चीज़ साफ़ है और जो चीज़ उन के खिलाफ़ है वह या तो जईफ़ होती है या उस का मौक़ा दूसरा होता है। मुस्तनद व्याख्याएं यह हैं फ़तहुल बारी, नैलुल अवतार, औनुल माबूद आदि।

सवाल 9 - अल्लामा वहीदुज्ज़मां दकनी ने लिखा है कि रफ़अ यदैन मुर्तहब है, फ़र्ज़ व वाजिब नहीं।

जवाब - यह उन की इज्ञिहादी ग़लती है जब उसका छोड़ना न रसूलुल्लाह सल्लूल्लाहू से साबित न किसी सहाबी रज़ियो से तो फिर

छोड़ना कैसे जाइज़ हुआ। अब्दुल्लाह बिन उमर रजि० तो इस के छोड़ने वाले को कंकरियां मारा करते थे। (किताब रफ़उल यदैन इमाम बुख़ारी रह०) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० ख़लीफ़ा राशिद फ़रमाते हैं कि हमें बचपन में इस के छोड़ने पर (मदीना मुनव्वरा में) चेतावनी दी जाती थी। (उन का बचपन सहाबा रजि० के दौर में गुज़रा था) (हवाला—ए—मज़कूर)

सवाल 10 — सुनन अबु दाऊद में नोट लिख कर अल्लामा वहीदुज्ज़मां दकनी की व्याख्या को रद्द करने की कोशिश की गई है क्या हमारे उलमा—ए—अहले हदीस ने भी इस का कोई जवाब दिया है?

जवाब — रोज़ नई नई किताबें छपती रहती हैं, किस किस का जवाब लिखा जाए? इस तरह की बे शुमार किताबें लिखी जा चुकी हैं लेकिन वह फिर भी अपने मसलक से बाज़ नहीं आते। इन्हीं बेकार के दलाइल को दोहराते चले जाते हैं। यह सिलसिला बिना ताक़त के बन्द होता नज़र नहीं आता, और ताक़त हमारे पास नहीं है। इल्म है, उसे ये लोग पढ़ते नहीं। अपनी किताबें पढ़ते हैं बल्कि उन के उलमा उन को हमारी किताबों से पहले ही बरग़शता कर देते हैं। अतः पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

सवाल 11 — सूरज के उदय से पहले फ़ज़र की एक रक़अत मिलने से नमाज़ हो जाती है हंफ़ी उसे नहीं मानते। वे कौन सी दलील पेश करते हैं?

जवाब — वे कोई दलील पेश नहीं करते बल्कि मात्र क्यास से उस को रद्द कर देते हैं।

सवाल 12 — जब बिदअती अपने बुजुर्गों की करामतें आदि बयान करें तो क्या हम उनकी बात रद्द कर दिया करें?

जवाब – अगर उन की करामत में शरअी कबाहत न हो तो रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ अगर उस से शिर्क आदि का समर्थन होता हो तो फिर बेशक उस का खंडन कर देना चाहिए। हाँ अगर आप उस बुर्जुग की करामत का एतेराफ़ करें तो उस की दो सूरतें ज़ेहन में रखिए। (1) अगर वह बिदअती था तो उस की करामत ऐसी होगी जैसे हिन्दू साधुओं की करामत। अतः उस की करामत से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। (2) अगर बिदअती नहीं था तो फिर उस को मुसलमान मानिए और इस के अलावा उस को किसी और सम्प्रदाय से मंसूब करने का खंडन कीजिए।

फ़क़त

मसऊद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मिन जानिब मसऊद

चक लाला 13 नवम्बर 1962 ई०

बख़िदमत जनाब नवाब साहब
अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
अम्मा बाद! आप का पत्र ता० 27 अक्तुबर 62 ई० को मिला।
खैरियत मालूम हो कर इत्मीनान हुआ, आप की तबलीग से जमाअत
हक्का में रोज़ रोज़ तरक्की मालूम हो कर बहुत खुशी हुई। **اللَّهُمَّ زِدْ**
.....**زِدْ** अब आप इत्मीनान से अपना काम जारी रखिए, इंशा
अल्लाह आप को दुनिया में भी कामयाबी नसीब होगी और आखिरत
में भी कामयाबी नसीब होगी आप के दामाद का पत्र पढ़ा जवाब
यह हैं।

तक़्लीद

1- तक़्लीद शख्सी बिदअत है और हर बिदअत दीन में वद्धि
होती है अतः हर बिदअत शिर्क है।

2- तक़्लीद की वजह से गलत फतवों पर अमल होता है और
आयत व हदीस को रद्द कर दिया जाता है। चाहे तावील से या किसी
और बहाने से आयत व हदीस की मौजूदगी में उस के मुख़ालिफ़
फतवा पर अमल खुली गुमराही और खुला शिर्क है।

3- तक़्लीद की वजह से सम्प्रदायवाद पैदा होता है और जो
कुछ गुथ्थम गुथ्था उन तक़्लीदी विचारों में होती रही है इतिहास के

पन्ने इसके गवाह हैं। यहां तक कि उन के झगड़ों की वजह से काबा में चार मुसल्ले काइम करने पड़े। क्योंकि कुरआन मजीद की रु से सम्प्रदायवाद अल्लाह तआला को सख्त ना पसन्द है। बल्कि सम्प्रदायवाद को अल्लाह तआला ने एक अजाब की तरह माना है, और यह साम्प्रदाय को रहमत समझते हैं और यह खुला कुफर है और कुरआन मजीद का विरोध। आयत यह है:
قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْسُطَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا تَرَىٰ
يُبَثِّتَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّنْ فُوْقِ كُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شَيْئاً وَيُدِيقُّ
بَعْضَكُمْ بِأَسْبَاعِ بَعْضٍ ۖ طَ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۖ ط (سورة انعام ١٥)
(१५) कह दीजिए, अल्लाह इस बात पर समर्थ है कि तुम पर ऊपर से अजाब भेज दे या तुम्हारे पैरों के नीचे से या तुम्हें गिरोहे गिरोह बनाकर उलझा दे और एक दूसरे की लड़ाई का मज़ा तुम को चखाए देखिए हम किस तरह आयात को बदलते हैं ताकि वह समझ जाएं।

नबी सल्ल० की ज़ियारत

अगर किसी हंफी को नबी सल्ल० की ज़ियारत करना होना हो तो हम उस की सेहत तस्लीम नहीं करते हो सकता है कि जिस तरह करामात व खूराफात कुछ असली या नक़ली औलिया अल्लाह की तरफ मंसूब हैं और पूरी तरह ग़लत बल्कि कुछ तो हकीकत में कुफर हैं, इसी तरह यह किस्से भी गढ़ लिए गए हों और पीरां नभी परिन्द, मुरीदां परानन्द वाला किस्सा हो।

दो - हमारा ईमान कुरआन व हदीस पर है। अतः किसी गुमराह सम्प्रदायों के बारे में ऐसे किस्से सुनने में आना तो अलग अगर हमारे देखने में भी आ जाएं तो उस को अपनी आंख की ख़ता कहेंगे और हमारा ईमान कुरआन व हदीस पर रहेगा न कि आंखों

देखे मुशाहेदा पर। कुछ आंखों देखे मुशाहेदे खुले रूप से ग़लत होते हैं। जैसे रेगिस्तान में सराब (मरिचिका) का दिखाई देना, रेल गाड़ी में जब वह चल रही हो दूर की चीजों का रेल गाड़ी की दिशा में दौड़ती हुई मालूम होना, चांद का हमारे साथ चलना और इस तरह की कई और मिसालें हैं। आंख ख़ता कर सकती है लेकिन कुरआन व हदीस का ख़ता करना ना मुमकिन है और ऐसे मौकों पर आंख को ख़ता कार ठहराना बे ईमानी की दलील है।

तीन- जो लोग बयान करते हैं कि हम ने रसूलुल्लाह सल्ल0 को सपने में देखा वह कैसे कह सकते हैं कि वह आहज़रत सल्ल0 की ही शक्ल थी। हाँ अगर उन्होंने जागते में रसूलुल्लाह सल्ल0 को जीवित हालत में देखा होता, जैसा कि सहाबा किराम रज़ि0 ने देखा था और फिर इसी शक्ल में वह सपने में देखते तो यकीन हो सकता था कि आप सल्ल0 ही हैं इसलिए कि इस सूरत में आना शैतान के लिए असंभव है। लेकिन दूसरी सूरत में आकर धोखा दे जाना आसान है और यही होता है। मैंने तो हमेशा फ़ासिकों व फ़ाजिरों और बिदअतियों को ही देखा कि वह ज़ियारत करने की ख़बर देते हैं। वह कुछ भी कहा करें, हम पूरी तरह इस का इंकार करते हैं बल्कि अगर वह फ़र्जी दास्तान भी न हो तो शैतान का करिशमा ज़रूर है। बजुर्गों की घटनाओं में ऐसा मिलता है कि उस ने उन बजुर्गों के सामने अपने आप को अल्लाह ज़ाहिर किया और जो उस के बहकाए में आ गए वे यही समझते रहे कि हम अल्लाह के दरबार में हाज़िर हैं और हकीकत बाद में मालूम हुई।

बस इन तीन स्तरों पर मुहम्मद हाशिम साहब और मौलवी मुहम्मद कासिम नानौतवी साहब के की घटनाओं को रखा जा सकता है। इस किस्म की बातें गैर मुस्लिमों में भी पाई जाती हैं। यह

कोई अजूबा चीजें नहीं कि उन की वजह से ईमान को ख़राब किया जाए। मौलवी कासिम साहब ने हयात नबी सल्ल० और ख़त्म नुबुवत के सिलसिले में जो कुछ कहा वह अब किसी से पोशीदा नहीं रहा। यहां तक कि हयातुनबी सल्ल० के मसअला पर उलमा—ए—देवबन्द में सख्त मतभेद पैदा हो गया जिस को ख़त्म करने के उद्देश्य से मौलवी तथ्यब साहब तशरीफ लाए और सुलह कराके गए, यद्यपि मतभेद की नौइयत बाकी है लेकिन मतभेद का ऐलान व तबलीग रोक दी गई। ख़त्म नुबुवत के सिलसिला में उन की इबारतें कादियानियों के लिए बड़ी मुफ़्रीद साबित हुई। हम यह तो कर सकते हैं कि कि ख़ामोश रहें लेकिन यह नहीं कर सकते कि उन को बुजुर्ग मान कर सत्य मार्ग को छोड़ बैठें। अगर वह स्वयं सत्य मार्ग पर होते फिर भी उन की ग़लती को सराहना क्या मायना! उन का कुसूर यही क्या कम है कि देहली में किताब व सुन्नत के मदरसा के मुकाबले में हंफ़ी मज़हब की हिफ़ाज़त के लिए उन्होंने देवबन्द में मदरसा काइम किया। अब इस को किताब व सुन्नत का बैर कहिए या हंफ़ी मज़हब का पक्षपात व गैरत।

रफ़अ यदैन

करना और न करना दोनों जाइज़ हैं? यह किस तरह सही हो सकता है, जबकि रफ़अ न करने की कोई रिवायत सही नहीं और अगर सही भी मान ली जाए तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० की भूल माननी होगी। इस लिए कि उन से इस तरह की कई और भूलें भी मंसूब हैं जिन भूलों पर किसी का अमल नहीं बल्कि वह मंसूख और गैर सही समझी जाती हैं। अगर दोनों तरह जाइज़ भी हो तो दोनों तरह सुन्नत नहीं हो सकता। इसलिए कि अमल छोड़ना कोई

अमल ही नहीं जिस को सुन्नत कहा जाए। सुन्नत तो अमल होता है। अमल छोड़ने को केवल जाइज़ कह सकते हैं, लेकिन सुन्नत नहीं कह सकते। इस तरह से भी रफ़अ यदैन का दर्जा रफ़अ यदैन न करने से बढ़ जाता है। अगर केवल ईश्वरत्व का अन्तर होता तो फिर हंफ़ी उस से इतना क्यों चिढ़ते?

फातिहा ख़लफुल इमाम

फातिहा ख़लफुल इमाम के बारे भी मतभेद बहुत सख्त है, एक के हां फर्ज़ ऐन दूसरे के यहां पढ़े तो कुरआन मजीद का विरोध मुंह में अंगारे भरे जाएं, यूं कहिए कि ये लोग अब ढीले पड़ते जा रहे हैं इस लिए इस किस्म की नई बातें करने लगे हैं।

अब आप के पत्र में लिखे सवालों के जवाब सुनिए।

1- बोहरा सम्प्रदाय के अकाइद का कोई ख़ास पता तो नहीं। बहर हाल यह भी शीओं का एक सम्प्रदाय है कुछ बोहरे सुन्नी भी होते हैं। ताहिर सैफुद्दीन साहब बोहरों के इमाम हैं। बोहरों में एक और सम्प्रदाय भी है जिस के इमाम आग़ा ख़ां हैं। उन के अकाइद बहुत ख़राब हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब। सैफुद्दीन साहब को “सय्यदना” उन के फ़िक़ह वाले कहते हैं न कि हम।

2- शीआ सम्प्रदाय ने कहां ग़लती की है? यह सम्प्रदाय अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी की ईजाद है जिस ने अहले बैत की मुहब्बत के बहाने बहुत सी ग़लत बातें दीन में दाखिल कर दीं। हज़रत अबु बकर रज़िया और हज़रत उमर रज़िया आदि को अतिक्रमणकारी कहा, कपटी कहा, अहले बैत के फ़ज़ाइल में अहादीस गढ़ी, मौजूदा कुरआन मजीद को जाली कहते हैं, असली कुरआन मजीद का एक फर्जी हिस्सा भी तरलीम किया जो इमाम

मेहदी गाइब ले कर आएंगे। शुरू शुरू में ये लोग सियासी मतभेद के साथ पकट हुए लेकिन धीरे धीरे उन का एक मजहब बन गया।

3- फ़िदक एक बाग था जो बिना लड़े फ़तह हुआ था। यह बाग फ़ै के तौर पर रसूलुल्लाह सल्ल० के क़ब्ज़ा में रहा, अर्थात् बहैसियत शासक के आप सल्ल० का इस पर अधिकार था। हज़रत फ़ातिमा रज़ि० यह समझीं कि यह आप सल्ल० का माल है अतः हमें तर्का मिलना चाहिए। हज़रत अबु बकर रज़ि० ने हदीस सुना दी कि “अंबिया का कोई वारिस नहीं, जो कुछ वे छोड़ जाएं सदका होता है।” हज़रत फ़ातिमा रज़ि० उस पर ख़ामोश हो गई और फिर बात न की। हज़रत आइशा रज़ि० का ख्याल है कि नाराज़गी की वजह से बात नहीं की। यद्यपि उस में हज़रत अबु बकर रज़ि० से नाराज़ होने की तो कोई वजह नहीं है। हाँ यह कह सकते हैं कि वह नबी सल्ल० के फैसले से ख़फ़ा हो गई तो यह कैसे मुमकिन है। बहर हाल हज़रत आइशा रज़ि० का यही ख्याल था और इसी आधार पर वह समझीं कि जनाज़ा में भी शरीक नहीं किया। सहीह बुखारी में यह सब बातें हैं। सहीह बुखारी में इस तरह है कि हज़रत अबु बकर रज़ि० को आप सल्ल० के इन्तकाल की ख़बर न की। यह नहीं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ि० ने वसियत की थी कि वे न आने पाएं, यह गलत है। रात का समय था (बुखारी) इसी वजह से शायद हज़रत अबु बकर रज़ि० को ख़बर न की गई। मतलब यह कि हज़रत आइशा रज़ि० ने अपना गुमान ज़ाहिर किया है। दूसरी किताबों में यह बात मिलती है कि वह हज़रत अबु बकर रज़ि० से नाराज़ नहीं थीं बल्कि खुश थीं, और अगर मान लें और हम फ़र्ज़ भी कर लें कि वह हज़रत अबु बकर रज़ि० से नाराज़ थीं तो किस बात पर? नबी सल्ल० का फैसला सुनाने पर? अगर नबी सल्ल० का फैसला सुन-

कर वे दिल में शंका और रंजिश महसूस करें, तो फिर ईमान की खैर नहीं। कुरआन की आयत साफ़ है:
فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يَحْكُمُوكُ فِيمَا شَجَرَ بِنَهْمٍ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا.....الخ. (سورة نساء १५)

उन शीआ साहिबान से कहिए कि उन्होंने नबी سल्लो के फैसले को तस्लीम नहीं किया अतः अब आप उन का ईमान साबित कीजिए? सर सव्यद अहमद खाँ अकीदतन व अमलन अहले हदीस थे लेकिन टीका के सिलसिले में उन से कुछ खतरनाक ग़लतियाँ हुई हैं जिन की वजह से उन के ईमान तक में शक पैदा हो जाता है जैसे फ़रिश्तों की तावील आदि। मौदूदी साहब अकीदतन हक़ के करीब मालूम होते हैं, लेकिन अमलन वह हफ़्ती ही हैं और कुछ इसी अंदाज़ से सोचते हैं। हदीस के मामले में उन की राय बहुत खतरनाक है।

फ़कृत
मसऊद

उल्लमा-ए-किराम को शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह0 की नसीहत

“मैं उन ज्ञान के इच्छुक व्यक्तियों से कहता हूं जो अपने आप को उलमा कहते हैं कि:

नादानो! तुम यूनानियों के उलूम और व्याकरण संबंधी मायना व मामलों में फँस गए और समझे कि ज्ञान इस का नाम है, यद्यपि ज्ञान तो किताबुल्लाह की आयते मोहकमा है या फिर वह सुन्नत है जो रसूलुल्लाह सल्ल0 से साबित हो तुम पिछले फुक़हा के नुक्तों और उलझावों में ढूब गए, क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि ज्ञान केवल वह है जो अल्लाह और उस के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया हो, तुम में से अधिकांश का हाल यह है कि जब उसे नबी करीम सल्ल0 की कोई हदीस पहुंचती है तो वह उस पर अमल नहीं करता और कहता है कि मेरा अमल तो फ़लां इमाम के मज़हब पर है न कि हदीस पर, फिर वह बहाना यह पेश करता है कि साहब, हदीस की समझ और उस के अनुसार अमल करना तो कामिलीन और माहिरीन का काम है, और यह हदीस आइम्मा सलफ़ से छुपी तो न रही होगी, फिर कोई वजह तो होगी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया याद रखो! यह कदापि दीन का तरीक़ा नहीं है, अगर तुम अपने नबी सल्ल0 पर ईमान लाए हो तो उन का अनुसरण करो चाहे किसी मज़हब के अनुकूल हो या प्रतिकूल ।”

(‘तफ़हीमात अल इलाहिया ।’ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रह0)

مසلک اہلے حدیس کی پرمुख ویژگیاں

- اس مسلک میں سنتوں کا اکھنے ہے ।
- یہاں بے داع اور بے لچک تاؤہیت ہے ।
- یہاں جیون ویوارثا رسویں سلسلہ ہے ।
- یہاں آیت‌الله اکرم رہو اور اولیا اکرم رہو کی وجہ درجہ کا سماں اور اہلے بیت رجیو سے ہار्दیک اکریت ہی ।
- یہاں حدیس صحتی کو آیت‌الله کے کथنوں پر وریتاتا دینے کا چاہیے ہے اور فوکھا اکرم کی مسائی اکرم جمیلہ کا ہونے اتھراف ہی ।
- یہاں اہل کام شریعت کا آیوں جان ہی ہے اور نپس کی سفایا کا شوک ہی ।

ماہل حدیثیم ذغار انشناسیم
صد شکر کہ در مذهب ما حلیه و فن نیست

मसलक अहले हदीस

अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रह0

“हमारे लिए यह बहुत बड़ा गौरव है कि हमारी हर बात अपनी नहीं होती, बल्कि हमारे अकायद और नज़रयात का मर्कज़ किताब व सुन्नत हैं अहले हदीस के अलावा दुनिया में जितने मसलक हैं, एक एक से पूछिए कि वह जो कुछ कहते हैं क्या वह सब कुछ वही है जो नबी अकरम सल्ल0 ने फरमाया है। उन में से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उन की हर बात किताब व सुन्नत की बात है। अल्लाह के और मुहम्मद के फरमान पर कोई मतभेद नहीं। झगड़ा उस समय पैदा होता है जब उन आदेशों के अलावा तीसरी बात सामने आ जाती है। हम यह बरमला कहते हैं कि किताब व सुन्नत के सामने किसी और की बात की कोई हैसियत नहीं है। हम अगर इमाम बुखारी रह0, इमाम मुस्तिम रह0 और दूसरे मुहदिसीन का जिक्र करते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात कही है बल्कि उन्होंने तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ल0 के आदेश हम तक पहुंचाए हैं -- हम ने बहुत से अरब देशों में यह मुशाहेदा किया है कि किताब व सुन्नत की रोशनी जहां तक पहुंची है वहां अहले हदीस मौजूद हैं, इस लिए मसलक अहले हदीस से ज्यादा साफ़, स्वच्छ, और रौशन मसलक कोई नहीं है।”

होते हुए मुस्तुफ़ा की गुरफ़तार
मत देख किसी का कौल व किरदार

शाह वलीउल्लाह मुहदिस देहलवी रहा ने फूरमाया

तो यदि हम को रसूले मासूम सल्ला की हदीस सही सनद से पहुंच जाए जिन का आज्ञा पालन अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है, और वह हदीस हमारे मज़हब के खिलाफ हो तो उस समय अगर हम उस हदीस को छोड़ कर इस तख़्मीने (कथन) पर जमे रहें तो हम से बड़ा ज़ालिम कोई न होगा, और हशर के दिन जब सब लोग रबुल आलमीन के सामने पेश होंगे, हमारा कोई बहाना नहीं चल सकेगा।"

(उक्दतुल जय्यद" पृ० 49 प्रिंटर्स फ़ारूकी, देहली)

अहले हदीस

उम्मत के बुजुर्गों की नज़र में

- “मैं दुनिया मैं पहला अहले हदीस हूं।”
(हज़रत अबु हुरैरह रजि० (“तज़किरतुल हुफ्फाज़” भाग 1 पृ० 34)
- “हमेशा हक़ पर रहने वाली जमाअत अगर अहले हदीस नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता कि वह कौन है?”
(इमाम अहमद बिन हंबल | “शर्फ असहाबुल हदीस”)
- जिस जमाअत के बारे में हुजूर सल्ल० ने फरमाया है कि वह हमेशा हक़ पर रहेगी उस से मुराद अहले हदीस जमाअत है।”
(अभीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हज़रत इमाम बुखारी रह०)
- “फरिश्ते आसमान के पहरेदार हैं और अहले हदीस ज़मीन के।”
(इमाम सुफ़ियान सूरी रह० “शर्फ असहाबुल हदीस”)
- अहले हदीस मुसलमानों में ऐसे हैं जैसे अहले इस्लाम तमाम मज़ाहिब में।”
(शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह० “नक़ज़ुल मंतिक़” पृ० 33)

Ph.: 26986973 M. 9312508762
Jamaia Nagar, New Delhi-25

Al-Kitab International
الكتاب



Talash - E - Had